राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 1] दसवीं विधान सभा के प्रथम सत्र का आठवां दिवस [संख्या–4

मंगलवार

4 जनवरी, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक पूर्वाह्न 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री हरिशंकर भामड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत बधाई आपको नये साल की।

श्री अध्यक्ष : आप सबको भी।

प्रश्न संख्या 18

श्री रामनारायण वर्मा।
(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)
श्री हरिसिंह।

भरतपुर, नदबई तथा कुम्हेर के सिंचाई बांध

19. **श्री हरिसिंह (कुम्हेर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

भरतपुर, नदबई तथा कुम्हेर तहसीलों के कौन-कौन से सिंचाई बांधों में गत तीन वर्षों में नदियों का पानी नहीं आया और इन बांधों में पानी नहीं आने के कारण क्या रहे? क्या सरकार इन बांधों को अगली बरसात में भरने की कोई योजना बना रही है?

सिंचाई मंत्री (श्री देवीसिंह भाटी) : गत तीन वर्षों में भरतपुर, नदबई व कुम्हेर तहसीलों के जिन सिंचाई बांधों में नदियों का पानी नहीं आया उनकी तहसीलवाइज संख्या निम्न प्रकार है एवं इन बांधों की सूची परिशिष्ट "अ" में सदन के पटल पर प्रस्तुत है :—

क्र.सं.	तहसील	बांधों की कुल संख्या	बांधों की संख्या जिनमें पानी नहीं आया		
			1991	1992	1993
1.	भरतपुर	18	10	9	6
2.	कुम्हेर	13	2	2	शून्य
3.	नदबई	14	13	11	13

(श्री देवीसिंह भाटी)

इन बांधों में पानी नहीं आने का कारण अपर्याप्त वर्षा, जलग्रहण क्षेत्र में पानी का अधिक उपयोग एवं लगभग 100 वर्ष पुरानी सिंचाई प्रणाली का जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होना है।

हालांकि इन बांधों को अगली बरसात में भरने की अलग से कोई योजना नहीं है परन्तु भरतपुर जल प्लावन सिंचाई प्रणाली की जीर्णोद्धार योजना के तहत बांधों, नहरों एवं नदी के तटबंधों इत्यादि के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जा रहा है। इस योजना के पूर्ण होने एवं पर्याप्त वर्षा की स्थिति में इन बांधों के भरने की आशा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें।)

श्री हरिसिंह : अध्यक्ष महोदय, बाणगंगा नदी से ये बांध भरे जाते हैं और इन बांधों के नहीं भरने का एक मुख्य कारण यह है कि जो रास्ता बाणगंगा से इन बांधों में पानी आने का है, ललतामोरिया, इन्तरा, डेहरा मोड़ होते हुए वह रास्ता खेड़ली गूजर के पास में बंद हो गया। जब तक आप उस रास्ते को नहीं खुलवायेंगे, तब तक इन बांधों में पानी आना मुश्किल है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इन बांधों में पानी भरवाने के लिए रास्ते को साफ करवायेंगे नम्बर एक ? जो भी अवरोध उसमें है उसको आप दूर करेंगे, नम्बर दो ? माननीय मंत्री महोदय, जो आपने बताया है जल प्लावन की जीर्णोद्धार की योजना आपने स्वीकार की है, वह योजना आप कब तक पूरी करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, जैसी माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक सूचना दी है, बाणगंगा के रास्ते में जो अवरोध है उसके अन्दर मैं आपके भी सुझाव चाहूंगा और निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि उस क्षेत्र को मौके पर भी जाकर देखें और जितने भी इसके अन्दर विभाग द्वारा जो तुरन्त कार्य होने वाले हैं, जैसे पानी का रुकाव हो रहा है, यह कार्य प्राथमिकता से किये जायेंगे।

दूसरा, योजना के बारे में अलग-अलग इसमें बांधवार खर्चा किया गया है। 1989 में कुल 748 लाख रुपये की एक योजना तैयार की गयी थी और 1989-90 में 193 लाख रुपये के अत्यावश्यक कार्य किये गये और 93.50 लाख रुपये के कार्य 1993-94 में कराने का निर्णय लिया गया है और जैसे-जैसे वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, इसमें तुरन्त कार्य करवाये जायेंगे।

श्री हरिसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि बरसात से पहले यह काम हो। तो क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि बरसात से पहले इन कामों में कितना प्रतिशत तक आप पूरा करा पायेंगे, नम्बर एक ? नम्बर दो, बाणगंगा नदी के अन्दर पानी इसलिए नहीं आता, भरतपुर जिले में कि रास्ते में टोडानाथ बांध पर आपने उस बाणगंगा नदी को रोकने के लिए योजना बना रखी है। तो आप बाणगंगा नदी के पानी को नहीं रोकेंगे, ऐसी कोई बात मंत्री महोदय बतायेंगे ?

श्री देवीसिंह भाटी : पानी रोकने का जो प्रश्न है, वह जो नेचुरल फ्लो है, उसके अनुसार तो वह पानी चलेगा और जैसी बांध की क्षमता है उसके अनुसार यह रास्ता रखा जायेगा। मौके पर भी मैं चलूंगा क्योंकि यह काफी पुरानी योजना है, करीब 100 साल पूर्व वहां की रियासत के महाराजा ने बनायी थी। जैसा आप बता रहे हैं कि नहरों में भी काफी मिट्टी आ रही है, बांधों में भी मिट्टी का भराव हो गया है तो जहां-जहां रास्ते रुक रहे हैं और भी जहां भी उसमें कार्य होने हैं, वह जल्दी से जल्दी कार्य करवाये जायेंगे।

श्री हरिसिंह : माननीय मंत्रीजी ने मौके पर चलने का आश्वासन दे दिया इसलिए उनको धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रतनलाल ताम्बी।

पंचायत समिति जहाजपुर व कोटड़ी के विद्यालयों में रिक्त पद

20. श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर की पंचायत समिति, जहाजपुर तथा पंचायत समिति, कोटड़ी में उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, व्याख्याता तथा अन्य अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से तथा कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया) : (1) जी, हां। भीलवाड़ा जिले के विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति, जहाजपुर एवं कोटड़ी में रिक्त पदों की स्थिति की सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग व डी. पी. सी. से चयनित आशार्थी के उपलब्ध होने पर स्थान भर लिए जायेंगे।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें।)

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या शिक्षा मंत्री महोदय, यह बताने की कष्ट करेंगे कि वर्ष 1990-91, 92 और 93 चार-चार सत्रों से अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं इस बीच में लोक सेवा आयोग से कभी अध्यापक चयनित नहीं हुए, पदोन्नति नहीं हुई ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, जो पद रिक्त हुए हैं, उसमें उप-प्रधानाचार्य का पद तो अभी 7-12-93 को ही रिक्त हुआ है, रिटायरमेण्ट के कारण से। प्रधानाचार्य के 6 पद रिक्त हैं उस सारे क्षेत्र में 1-7-9-93, 1-7-9-93 और तीसरा 1-7-9-93, 10-9-93 और 1-12-93 यह पद अभी-अभी रिक्त हुए हैं। यह सारे प्रमोशन से हुए हैं। डी. पी. सी. के बाद यहां से प्रमोशन हो करके दूसरे स्थानों पर गये हैं, उनके जाने के कारण से रिक्त हुए हैं, व्याख्याताओं के जो पद हैं इस सारे क्षेत्र में 21 रिक्त हैं विभिन्न सब्जेक्ट की हिसाब

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

से। उसमें से कोई 92 के भी हैं, 90 के भी हैं, 1993 के भी हैं। इन पदों को भरने की दृष्टि से विभाग ने एक योजना बनायी है, क्योंकि व्याख्याताओं के पद काफी बड़ी संख्या में राजस्थान में पिछले लम्बे समय से खाली है इसलिए उनको भरने के लिए सौ रुपये प्रतिदिन के हिसाब से रिटायर्ड टीचर्स को लगा दिया जाये। इस सत्र में 21 पोस्ट के अगेन्स्ट में 9 लोगों को इस योजना के तहत लगाया गया है और जो द्वितीय वेतन शृंखला के वरिष्ठ अध्यापक हैं, अभी 24 को ही हमने इसकी बैठक की है और कहा है कि 15 तक, इस बोर्ड की परीक्षा तक किसी भी प्रकार से सैकिण्ड ग्रेड टीचर्स को भी लगा करके इन बच्चों की पढ़ाई हो जाये, पन्द्रह तारीख तक सभी अधिकारियों को कहा है कि किसी तरह से इसकी पूर्ति करें। फरवरी के बाद जो डी. पी. सी. है, वैसे बहुत कुछ की तो डी. पी. सी. हमने कर ली है। व्याख्याताओं की डी. पी. सी. 1989 और 1990 की अभी तक हो पायी है। 30 अप्रेल तक का हमने समय दिया है कि सम्पूर्ण डी. पी. सी. जो हमारे विभाग को करनी है वह कर ली जाये। आर. पी. एस. सी. से जो सलेक्शन होना है उसके लिए हमने अपनी तरफ से उनको भेज रखा है। उन्होंने उसका विज्ञापन भी निकाला, लोगों की एप्लीकेशन भी इनवाइट कर लीं, उसे स्क्रूटनी करने में समय लगेगा। मैं सोचता हूं कि अगला सत्र जब प्रारम्भ होगा यह रिक्त स्थान भर दिये जायेंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : क्या यह सही है कि इन्हीं क्षेत्रों से कई अध्यापकों की पदोन्नति हुई थी और इन क्षेत्रों के स्कूलों में लगाये जा सकते थे किन्तु उनको दूर-दूर पदस्थापित करके इन स्थानों को रिक्त रखा गया है, एक ?

दूसरा यह है कि जो सब्जेक्ट स्कूलों में चलते थे वहां एक भी अध्यापक, व्याख्याता नहीं रहने से इस साल स्कूल में वह सब्जेक्ट नहीं चले और बच्चे महरूम रहे।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : रिक्त पद उनसे भरे जा सकते लेकिन पदोन्नति के कारण से ऐसे कई विद्यालय थे जहां प्रधानाचार्य चार-चार और पांच-पांच साल से नहीं पहुंचे और वहां की लगातार मांग होने के कारण से उनको हमने उन दूरस्थ स्थानों पर भेजा। जहां वर्षों से अध्यापक नहीं थे वहां भेजा। यह हमने प्रायोरिटी रखी थी इसके कारण से हमने उनको वहां भेजा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री खेतसिंह।
(व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूं। क्या मंत्री महोदय इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि अगले सत्र में जो विद्यालय आरम्भ होंगे उससे पहले यह स्थान भर देंगे ?

श्री अध्यक्ष : ताम्बीजी, आपके दो सप्लीमेंट्री हो गये।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च में तो हायर-सैकण्डरी और सैकण्डरी के एक्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं, आपने एक स्टेटमेंट दिया उदयपुर में और यह फरमाया

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कि हम जून में जाकर इन सीनियर टीचर्स के पद भर देंगे और व्याख्याताओं के पद भर देंगे। आप मुझे बताइये कि मार्च में तो एक्जामिनेशन हैं, जून में पद भरेंगे, अभी सारी स्कूल खाली पड़ी हैं, सब्जेक्ट टीचर्स न इंगलिश के हैं, न गणित के हैं, न ही साइंस के हैं। उन बच्चों के लिए भी क्या आपने कृपापूर्वक कुछ सोचा है। पहले तो आप बहुत कहा करते थे, अब शिक्षा मंत्री बनते ही मामला गोल।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह पद व्याख्याताओं के बड़े लम्बे समय से रिक्त चल रहे हैं और उसके कारण से उनकी डी. पी. सी. 1982 से ही बाकी थी। 1982 से 1989 तक डी. पी. सी. हमारे विभाग ने पिछले महीने पूरी कर दी और अप्रेल 30 तक हमने यह टोटल डी पी. सी. जितनी बाकी है, हमको जो करनी है, 50 प्रतिशत कोटा हम कम्प्लीट करके स्थान भर देंगे। मैं आपको यह आश्वासन और विश्वास दिला रहा हूं कि अगला सत्र जब चालू होगा तो एक भी पद इसमें आपको रिक्त नहीं मिलेगा आर. पी. एस. सी. से जो आने वाले पद हैं उनके आने पर।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : एक्जामिनेशन आ रहे हैं, इसका क्या होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : महत्वपूर्ण प्रश्न है। माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों का नहीं है, प्राथमिक शालाओं का है। मुख्य मंत्रीजी मौजूद हैं और यह हमेशा शिकायत रहती आयी है कि स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं उनकी वजह से लड़कों का नुकसान होता है। तो आप यह नीतिगत निर्णय लेकर, मुख्य मंत्रीजी, सदन को आश्वस्त करेंगे कि किसी भी स्कूल का पद जहां खाली हो, छह महीने से अधिक समय तक खाली नहीं रहेगा।....(व्यवधान) मैं कहता हूं कि कभी भी ऐसा निर्णय लिया जाय, यह हमेशा के लिए सवाल है। आज का सवाल नहीं है। जहां भी पद खाली हों, उनको जल्दी से जल्दी भरा जाय और परीक्षा का जब समय आये उससे तीन-चार महीने पहले कोई पद खाली नहीं रहे क्योंकि इससे लड़कों का नुकसान होता है।

श्री अध्यक्ष : नीतिगत सवाल नहीं पूछे जाते हैं। प्रश्नकाल में नीतिगत सवाल नहीं पूछे जा सकते।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं बिल्कुल स्पष्ट प्रश्न पूछता हूं कि क्या शिक्षा मंत्रीजी, मुख्य मंत्रीजी....

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति हो रही है। यह सवाल मुख्य रूप से आ चुका है, सब यही पूछने वाले हैं। इन्होंने कहा कि नैक्स्ट सैशन में हम भर देंगे, उससे पहले नहीं भरे जायेंगे।

श्री शिवनाथ सिंह : यह नहीं कहा गया है कि कोई पद खाली नहीं रहेगा। यह नहीं आया इसमें।

श्री अध्यक्ष : बताइये, कोई पद खाली नहीं रहेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : विभाग को जिनकी डी. पी. सी. करनी है, उस कोटे में तो कोई भी पद जुलाई में रिक्त नहीं रहेगा लेकिन आर. पी. एस. सी. से जो आने वाले हैं उनकी प्रक्रिया में अगर कहीं थोड़ा बहुत डिले हो गया तो वह एग्जेक्ट डेट आज की तारीख में मैं यहां बताने में समर्थ नहीं हूं लेकिन मेरा यह प्रयास रहेगा कि अगले सत्र में जो हमारे इसमें आते हैं वह सब के सब पद हम निश्चित रूप से भर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री खेतसिंह राठौड़ ।... (व्यवधान)... हो गया आपका, अब और क्या बाकी रह गया ? प्लीज, पहले इनका नम्बर है ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : एक छोटा-सा, मैं आपके शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहता हूं....

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, भोजन और पानी के बाद में शिक्षा ही एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए । तो मेरा अर्ज करना यह है कि अगर उस तरफ कोई कमजोरी रहती है तो पूरे समाज में कमजोरी रह जाती है । यह ऐसा विषय था जिस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया । हम अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, स्कूलों के लिये जनता की तरफ से यह मांग होती है कि हमारे यहां....

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है ? आपका ।

श्री बनवारीलाल बैरवा : दो-दो साल से हमारे यहां पर जगह खाली है, अनुशासन नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्रीजी से कि हमारे यहां के डांगलथल और डकवास के अन्दर हैड-मास्टर कब तक आप लगवा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी, आप भी पहले पूछ लें ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपके मार्फत शिक्षा मंत्री जी से दो बात पूछना चाहता हूं । आपने हर सवाल का जवाब देते वक्त आर. पी. एस. सी. और डी पी. सी. का जिक्र किया है । मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि आर.पी. एस.सी. और डी. पी. सी. जरूरत से ज्यादा टाइम लेती है, क्या आप भविष्य में एडहाक बेसिस पर इस मामले में विचार करके जगहों को भरने का आश्वासन देंगे ?

नम्बर दो, इतनी बेरोजगारी है, आज के युवक घर-घर में घूम रहे हैं, क्यों नहीं आप ऐसे लोगों को टेम्प्रेरी लगा करके उन जगहों को भर दें, जो कुछ समय तक नौकरी करले जब तक डी. पी. सी. या आर. पी. एस सी. से चुन कर नहीं आ जायें, ताकि कोई स्थान खाली नहीं रहे । इन दोनों के बारे में माननीय मंत्रीजी के क्या विचार हैं ?

श्री रामनारायण डूडी (भोपालगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा, जो इम्बैलेंस है सब्जेक्टवाइज, जैसे अरबन एरियाज के अन्दर एक-एक सब्जेक्ट के चार-चार अध्यापक और व्याख्याता लगे हुए हैं जब कि ग्रामीण

(श्री रामनारायण डूडी)

स्कूलों में पूरी की पूरी स्कूल खाली पड़ी हैं, दो-दो साल से रिक्त पद पड़े हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, जोधपुर जिले का। अध्यक्ष महोदय, यह इन्क्वायरी करवा लें कि जोधपुर जिले की जितनी भी सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल हैं, उनके अन्दर एक ही सब्जेक्ट चाहे कैमेस्ट्री हो, चाहे बायोलाजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मेथमेटिक्स हो, हर सब्जेक्ट के एक क्लास के चार-चार, पांच-पांच टीचर्स, व्याख्याता हैं जबकि दो-दो साल से ग्रामीण स्कूलें खाली पड़ी हैं। यह इन्क्वायरी करवा लें आप। मेरा स्पष्ट निवेदन है कि जब तक इस इम्बैलेंस को नहीं मिटाया जायेगा....

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। रिपीटिशन हो रहा है। वही तो बात है।

श्री रामनारायण डूडी : रिपीटिशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पुनरावृत्ति हो रही है, वही बातें घूम फिर करके कह रहे हैं। खाली पड़े हैं यह इन्होंने कहा है, यही आप पूछ रहे हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि शहरों में बहुत ज्यादा टीचर्स लगे हुए हैं। उनको वहां बहुत ट्यूशन मिलती है। गांवों के अन्दर पद खाली पड़े हैं।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : यह इनका जवाब दे रहे हैं, आप कह दीजिये कि यही प्रश्न आपका है।

श्री परसादीलाल मीणा : अलग से है मेरा। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, क्या यह बात सही है कि शहरों के पास की स्कूलों में जो अध्यापकों के पद सरप्लस हैं....

श्री अध्यक्ष : वह तो इन्होंने पूछ लिया, वही आप पूछ रहे हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने तबादलों पर पाबन्दी लगायी है। जिन स्कूलों में, जिन विद्यालयों में ज्यादा टीचर्स हैं, जहां पर जगह खाली है उसके लिये आप छूट दें कि सरप्लस टीचर्स जो भी डेपुटेशन पर स्कूलों में लगे हुए हैं उनको आप उन्हीं स्कूलों में भेजें जहां पर उनकी पोस्टिंग है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल जी।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उन रिक्त स्थानों की बात करना चाहता हूं जहां आलरेडी उनके पास टीचर्स हैं लेकिन वह समय पर स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं जाते हैं और समय से पहले आ जाते हैं। क्योंकि मैं इन दिनों गांवों में घूम रहा हूं तो मुझे लगा कि 11-12 बजे तक टीचर्स वहां पहुंचते हैं। इसकी व्यवस्था के लिए क्या कोई परिवर्तन या कोई सख्ती करेंगे? मंत्री महोदय, इसके लिए कोई प्लान बनायेंगे?

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि....

श्री अध्यक्ष : आप कोई नई बात पूछ रहे हैं क्या ?

श्री कन्हैयालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, प्राइमरी स्कूलें चल रही हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो विद्यालय चल रहे हैं उनमें पांच साल पहले आठ-आठ अध्यापक थे आज 6 साल, 5 साल से वह क्रमोन्नत हो गये....

श्री अध्यक्ष : यह पंचायत मंत्री नहीं हैं। यह सवाल इनसे सम्बन्धित नहीं है।

श्री कन्हैयालाल मीणा : क्रमोन्नत होने के बाद में वहां मात्र दो अध्यापक कार्यरत हैं।

श्री अध्यक्ष : पंचायत मंत्रीजी नहीं हैं। यह सवाल इनसे सम्बन्धित नहीं है।

श्री कन्हैयालाल मीणा : ····मिडिल हो गयीं वह रेज हो गयी है। प्राथमिक थे तब तो आठ अध्यापक थे और आज जब मिडिल हो गयी है तो वहां दो अध्यापक कार्यरत हैं। वहां कोई रिक्त स्थान नहीं है, वह रिक्त स्थान इसलिए नहीं है कि मंत्री महोदय ने बताया कि रिक्त स्थान की पूर्ति कर दी जायेगी। लेकिन यह रिक्त स्थानों की पूर्ति इसलिए नहीं हो रही है कि वहां पर पोस्टें नहीं बढ़ायी गयी है।

श्री अध्यक्ष : आपका अर्थ समक्ष में आ गया है। क्रमोन्नत जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके टीचर्स जो पंचायत के अन्तर्गत है वह तो पंचायत वाले ले जाते हैं और आप केवल बढ़ी हुई बढ़ाते हैं इसलिये संख्या कम हो जाती है।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो डेपुटेशन····

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मेरी कांस्टीट्यूएंसी में पूराबड़ी गर्ल्स स्कूल है। आज तक स्कूल चलने के बाद उसका बजट अलाट नहीं हुआ है। उसका बजट अलाटमेंट डबल है। जो दूजोद की मिडिल गर्ल्स स्कूल है उसमें डबल है लेकिन आज तक पूराबड़ी जो मात्र एक मिडिल स्कूल है, जो पंचायत हैड क्वार्टर पर है। उसका बजट बाइफरकेट नहीं किया गया। उसको चलते कई साल हो गये। मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक पूराबड़ी मिडिल स्कूल का बजट अलाट कर दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : यह तो एक पर्टिकुलर जगह का था इसमें कई विषय आ गये। मुख्य प्रश्न आपका था कि अभी इन पदों को एडहाक प्रमोशन से भर दिया जाय। इस बारे में विभाग का क्लियर निर्णय है कि एडहाक भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीन-चार महीने में विभाग को काम करना है, हमने 90 तक की डीं. पी. सी. कर दी है, केवल तीन साल की डी. पी. सी. बाकी है, इसलिए रेगुलर ही करें ताकि उसमें और कोई अड़चन बाद में पैदा न हो।

श्री रामनारायण चौधरी : चाहे लड़के डूब जायें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : लड़कों के लिए हमने इसी कारण से दो महीने की टेम्प्रेरी व्यवस्था की है, कि जितने भी रिटायर्ड टीचर हैं उनको 100 रुपये के आधार पर वापस काम पर बुलाया और उसके अतिरिक्त भी जो पोस्ट है, जहां पर

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

ज्यादा टीचर हैं वहां से उनको भेज करके दो महीने की पढ़ाई उनकी चले और 15 फरवरी के बाद अगर आपको कहीं लगे कि आल्टरनेट व्यवस्था नहीं हो पायी तो आप मुझे सूचित करें, उसके हिसाब से उसकी व्यवस्था करेंगे।

टीचर्स के बारे में यह है कि शहरों में अत्यधिक टीचर्स हैं और गांवों के स्कूल खाली हैं। इसके लिए सामान्यकरण का हमने विचार किया है। एक बार वापस सारा का सारा कितना वहां पर वर्क लोड है और कितने टीचर होने चाहिए, पद-स्थापन्न उसके आधार पर करेंगे तब जा करके इस समस्या का समाधान निकलेगा। पर इसमें काफी समय लगने वाला है और लेन्दी है इसलिए अगले सत्र तक इसको रेगुलराइज करने की कोशिश करेंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा : व्यवस्था के बारे में क्या करना चाहते हैं, जो आपके टीचर्स स्कूल में समय पर नहीं जाते, समय पर नहीं आते उसके बारे में ?

श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : समन से क्या मतलब है, मंत्री महोदय ? अध्यक्ष महोदय, बात यह नहीं है, बात यह है कि आपका जो टीचर रहता है·····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप मंत्रीजी को सुनोगें कि आप ही जवाब दोगे। पहले उनको पूरा सुन लीजिए। आप सुनना नहीं चाहते तो मैं आगे चलता हूं। तो बैठिये आप, उनको पूरी बात कहने दीजिए। सवाल पूछने के लिए जब मैं बता रहा हूं तो बीच में खड़े हो गये। आप इनको बोलने नहीं देंगे तो जवाब कैसे मिलेगा।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि विद्यालय पर उपस्थिति समय पर नहीं होती। इसकी मानीटरिंग करने के लिए हम दो बार बैठे हैं और बराबर इसके बारे में प्रयास जर रहे हैं कि वह निश्चित पहुंचे। इस तरह से जो दोषी पाये जायेंगे उनके खिलाफ हम सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, उसका समाधान बताइये, यह क्रमोन्नत स्कूल जो·······(व्यवधान)

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह तो आपने साधारण सा उत्तर दे दिया।

श्री अध्यक्ष : श्रीमान् हीरालालजी इन्दौरा, प्लीज, मैं पूछ रहा हूं और आप अपनी लगा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : जिन विद्यालयों को प्राइमरी स्कूल से मिडिल स्कूल में क्रमोन्नत किया वहां बराबर पोस्ट नहीं होने के कारण से पहले साल इसमें दिक्कत आती है। क्योंकि एक ही पोस्ट देते हैं उसको क्रमोन्नत होने के समय में तो दूसरे साल में अगली बार इसको वापस ठीक तरह से देख कर के बराबर टीचर्स···

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह प्राइमरी के टीचर्स पंचायत वाले ही ट्रांसफर कर देते हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह एक साल बाद जाते हैं, एक साल तो वही रहते हैं।····(व्यवधान)····

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है····(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री खेतसिंह राठौड़। दस सवाल लेने हैं, अभी तीसरा चल रहा है।

तहसील शेरगढ़ (जोधपुर) की डिस्पेन्सरीज एवं सब-सेण्टर्स

21. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) शेरगढ़ तहसील में कुल कितनी डिस्पेन्सरीज तथा सब-सेण्टर्स हैं ? क्या इनमें डाक्टर्स व अन्य स्टाफ स्वीकृत पदों के अनुरूप लगा हुआ है ? यदि नहीं, तो रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) बालेसर के अस्पताल में कुल कितने डाक्टर्स, कम्पाउण्डर्स व अन्य स्टाफ के पद स्वीकृत हैं ? कितने पदस्थापित हैं ? रिक्त पद रहने के क्या कारण हैं ?

(3) पिछले एक वर्ष में जोधपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने शेरगढ़ तहसील के कितने अस्पतालों का कब-कब निरीक्षण किया ?

(4) गत एक वर्ष में उक्त तहसील के स्वास्थ्य केंन्द्रों में दवाइयों व अन्य वस्तुओं हेतु कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (श्री राजेन्द्र राठौड़) : (1) शेरगढ़ तहसील में डिस्पेन्सरियां नहीं हैं, 69 उप केन्द्र हैं। इनमें स्वीकृत पदों के अनुसार लगभग सभी पद भरे हुए हैं, केवल दो उप केन्द्र क्रमशः गिलाकोर तथा केलवाराणाजी पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता का एक-एक पद रिक्त हैं, जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भर दिया जायेगा।

(2) बालेसर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के 5 पद, नर्सिंग स्टाफ के 11 पद व अन्य स्टाफ के 28 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 4 पद चिकित्सकों के व 6 पद नर्सिंग स्टाफ के तथा 22 पद अन्य स्टाफ के भरे हुए हैं।

चिकित्सकों में एक पद केप्ट-इन-अबेयंस के कारण, नर्सिंग स्टाफ में 5 पद पदोन्नति नहीं होने के कारण तथा वार्ड ब्वाय के 6 पद माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर प्रक्रिया शेष होने के कारण रिक्त हैं।

(3) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा पिछले एक वर्ष में शेरगढ़ तहसील के विभिन्न संस्थानों का 10 बार निरीक्षण किया गया है। (भ्रमण कार्यक्रम संलग्न है)

(4) पिछले एक वर्ष में उक्त तहसील के स्वास्थ्य केन्द्र जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भी सम्मिलित हैं, पर दवाइयों व अन्य वस्तुओं हेतु तीन लाख तरेसठ हजार नौ सौ बहत्तर रुपये की राशि व्यय की गयी। इसके अतिरिक्त उप केन्द्रों पर दवाइयों हेतु दो लाख इक्यानवे हजार आठ सौ तिरानवें रुपये मात्र की राशि व्यय की गयी।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ समय स्वास्थ्य मंत्री रहने का मौका मिला था। माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, कहते हैं

(श्री खेतसिंह राठौड़)

कि डिस्पेन्सरीज हैं ही नहीं और सारे उप-केन्द्र भरे हुए हैं। हकीकत यह है कि ...

श्री अध्यक्ष : आपकी परम्पराएं निभा रहे हैं न ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं, मैं उनको समझा रहा हूं, परम्पराएं नहीं निभा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : दोनों राठौड़ हैं न श्रीमन्।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसलिए मैं उनको कह रहा हूं कि कृपा पूर्वक जो आपने स्टेटमेंट दिया है वह बिल्कुल असत्य है। इसलिए कि मैं स्वयं इन सब गांवों का दौरा करके आया हूं और हकीकत बता रहा हूं मुख्य मंत्रीजी, कि अस्पतालों में डाक्टर रहते ही नहीं, तनख्वाह उनकी बराबर उठ रही है। आपके कागजों में वह पूरे हैं हैं लेकिन एक भी डाक्टर गांवों में रहता नहीं है। वे सारे के सारे शहरों में नर्सिंग होम में काम करते हैं, बढ़िया फीस उठाते हैं और जितने उप-केन्द्र हैं वह बिल्कुल खाली पड़े हैं, पहले केरल की कुछ लड़कियां आयी थीं, वह रही थीं, धीरे-धीरे वह सब आबूधाबी और उधर चली गयीं और यहां से नौकरियां छोड़ दीं। सारे के सारे उप-केन्द्र खाली पड़े हैं। मकान पड़े हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। यह मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं। मेहरबानी करके, मंत्री महोदय, आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप जवान हैं, योग्य हैं, आप एडीशनल डाइरेक्टर को भेजिये, मौका पड़े तो आप स्वयं दौरा कीजिए और एक दफा आप जाकर के देखिये कि आपके डिपार्टमेंट का हाल किस तरह से गिरा हुआ है। इसलिए आप आश्वासन दें कि एडीशनल डाइरेक्टर को भेज करके शेरगढ़ की सारी डिस्पेन्सरीज के हालात मालूम करेंगे।

मैं यह भी निवेदन करता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, सी. एम. एच. ओ. एक सरदार लगे हुए थे, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अब गवर्नर रूल में बदली करवा ली। दिन भर गंगानगर जाना और जोधपुर आना, यही उनका काम रहा। उन्होंने कभी जा करके किसी डिस्पेन्सरी को नहीं सम्भाला, उसके बारे में भी आप जांच कीजिए, आपको हकीकत मालूम होगी। मैं यह भी निवेदन करता हूं कि आपको डिपार्टमेंट जो खबर देता है उसके आधार पर मत रहिये, आप सख्ती के साथ डिपार्टमेंट को यह कहिये कि मैं गलत उत्तर देने का आदी नहीं हूं। आप यह भी आश्वासन दीजिए, जैसे देवीसिंहजी ने दिया, कि मैं मौके पर जाकर खुद जांच करूंगा। अपने आप भागदौड़ शुरू हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : यह आश्वासन दे दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं पूर्व स्वास्थ्य मंत्रीजी का आभारी हूं कि इन्होंने मुझे इस मामले में कुछ दिशा-निर्देश दिये। आपके निर्वाचन क्षेत्र में डिस्पेंसरी पूर्व में थीं परन्तु यह सारी की सारी डिस्पेन्सरी अलग-अलग तारीखों पर प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में क्रमोन्नत कर दी गयी हैं। इसके अलावा आपने जिन-जिन स्वास्थ्य उप केन्द्रों में नर्सेज नहीं होने की बात कही है।...

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : वह एक ही बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास विभाग की जो सूचना है वह मैंने सदन में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दी, इसके पश्चात् भी मैं आश्वस्त करता हूं कि एडीशनल डाइरेक्टर को नहीं, डाइरेक्टर को भेजकर जहां-जहां इस तरह की बात है उसकी जांच करवा करके माननीय सदस्य को सूचित भी कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर सिंह जी।

श्री हीरालाल इन्दौरा : शेरगढ़ में ही नहीं बल्कि सारी डिस्पेन्सरीज में यही हाल है।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : एक जानकारी। माननीय खेतसिंह जी ने अभी कहा कि कई जगह अस्पतालों में डाक्टर्स नहीं हैं, यह नहीं हैं, उन डाक्टर्स के नाम बता देंगे क्या आप ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : जी, हां।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बताओ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरे वहां के जितने भी डाक्टर्स हैं उनके दो-तीन के नाम तो मैं बता सकता हूं, जैसे एक डाक्टर चव्हाण हैं, ढाई साल से सोमेसर में लगे हुए हैं। एक दिन वह सोमेसर के अस्पताल में रहे नहीं हैं और वह तनख्वाह बराबर उठाते जा रहे हैं। इत्तफाक से वह शिड्यूल्ड कास्ट से हैं। एक दफा मैंने उनके बारे में जोइन्ट डाइरेक्टर को शिकायत की जहां उनका आफिस है। उन्होंने कहा कि, साहब हम इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। यह हम को डांटी देते हैं कि आपने कुछ भी किया तो एट्रोसिटीज एक्ट में आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड करवा दूंगा····(व्यवधान)····

श्री अध्यक्ष : श्री भंवर सिंह। मैं जिनका नाम बोल रहा हूं वह खड़े हो रहे हैं, आप बीच में खड़े मत होइये।

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह यह निवेदन करना चाहूंगा चिकित्सा की जो बात की गई उसके साथ-साथ स्वास्थ्य की बात की गयी, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी नौकरी करना नहीं चाहता। नियुक्तियां होती हैं शहर वालों की, ट्रेनिंग लेकर आ जाते हैं, जोइन करके भाग जाते हैं। मैंने इन्दाबड़ के लिए सी. एम. एच. ओ. को लिखा, उन्होंने एक चिकित्सक को जांच करने के लिए दिया, 6 महीने हो गये अभी तक जांच नहीं हुई। मेरा आग्रह यह है कि ऐसी नीति निर्धारित की जाये कि ग्रामीण क्षेत्र में चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की सेवाएं हों या अन्य सेवाएं हों, वहीं के आदमियों को प्रशिक्षण देकर नियुक्ति की जाये तो वह वहां रह सकते हैं और ग्रामीणों का काम हो सकता है। यही प्रार्थना है। यह पालिसी मैटर है, मंत्री महोदय, डिसाइड करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठायी, वास्तव में इस तरह की काफी ग्रामीण अंचलों से शिकायत् आती हैं। विभाग इस बात पर गम्भीरता से विचार कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सम्बन्धी चाहे वह उप केन्द्र हो, चाहे चिकित्सा केन्द्र हो, चाहे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रेफरल अस्पताल हो, इनकी निगरानी के लिए वहां के लोगों से बातचीत करके एक ग्रामीण स्वास्थ्य समिति बनाने की बात विचाराधीन है ताकि गांव के व्यक्ति स्वयं उन संस्थानों पर अच्छी तरह से नजर रख सकें।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप जो समिति बना रहे हैं उसमें आप एक तो वहां की ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष रख लीजिए, एक भूतपूर्व सरपंच रख लीजिए, एक स्कूल का हैड मास्टर रख लीजिए।

श्री अध्यक्ष : वह सजेशन आप बाद में दे दीजिए। श्री राजेन्द्र गहलोत।

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

22. **श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)**: क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल कितने पद सृजित हैं तथा कितने पद कितने समय से रिक्त हैं, उन्हें कब तक भर दिया जायेगा ?

राज्य मंत्री, विधि (श्रीमती शशि दत्ता) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कुल 32 पद सृजित हैं जिसमें से 27 पद स्थायी हैं तथा 5 पद अतिरिक्त हैं।

वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के 9 स्थायी पद तथा 5 अतिरिक्त पद रिक्त हैं। अतिरिक्त पद सृजन की तिथि से ही रिक्त हैं। स्थायी रिक्त पदों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	रिक्त पद
1990	2
1991	—
1992	3
1993	4
कुल पद	9

राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का कार्य भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो रिक्त स्थान हैं उसको भरने के लिए राज्य सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं और करने जा रही है ?

दूसरा प्रश्न, राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्यालय जोधपुर है, माननीय मुख्य न्यायाधिपति माह में जोधपुर कितने दिन बैठते हैं और जयपुर ब्रान्च में कितने दिन बैठते हैं ? जयपुर ब्रान्च में बैठने पर क्या उनको विशेष सुविधाएं मिलती हैं ? जोधपुर में नहीं बैठने के कारण जोधपुर की न्याय व्यवस्था में प्रशासन में ढील आयी है जिसके परिणामस्वरूप जितने फैसले जोधपुर में होने चाहिए उनमें भी कमी आयी है। साथ में जोधपुर मुख्यालय का जो महत्व है उसको दिन-प्रतिदिन कम करने का जो षड़यन्त्र चल रहा है उसके

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

बारे में राज्य सरकार क्या सोच रही है ?

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि 9 स्थान रिक्त हैं लेकिन यह बात भी सही है कि····

एक माननीय सदस्य : पांच स्थान रिक्त हैं—

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं 9 स्थान हैं। इन पदों के सम्बन्ध में पूर्व में भी राजस्थान सरकार की ओर से नाम प्रस्तावित किये गये थे। भारत सरकार ने अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। यह केवल राजस्थान के साथ ही नहीं है पूरे देश में, धनखड़ साहब जानते होंगे 95 पद अभी तक सारे हाई कोर्ट्स में रिक्त पड़े हैं। सर्वोच्च न्यायालय में यह प्रश्न काफी दिनों से विचाराधीन होने के पश्चात् अभी सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है जिस निर्णय के आधार पर प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन किया गया है। उस परिवर्तन का हम भी अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद इस बात की कोशिश होगी कि जल्दी से जल्दी ये रिक्त पद भर दिये जायें।

श्री अध्यक्ष : श्री जयन्ति लाल कोली।

श्री राजेन्द्र गहलोत : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर उच्च न्यायालय के मुख्यालय में····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपका प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या यह सही है कि आप जो पद भरेंगे और जो लिस्टें भेजी हैं वह बी. जे पी लीडिंग एडवोकेट्स की भेजी हैं इसलिए रिजेक्ट होकर वापस आयीं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जयन्ति लाल कोली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जो आपने परम्परा पहले बनायी थी उसी परम्परा पर हमने काम किया है।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष जी, एक सप्लीमेण्ट्री इस मुद्दे पर करूंगा। मैं मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा; क्या वे इस बात का ध्यान रखेंगे कि अब तक जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में शिड्यूल्ड कास्ट के लोग नहीं हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग नहीं हैं, ओ. बी. सी. नहीं हैं, माइनोरिटीज के भी नहीं हैं····(व्यवधान)....राजपूतों के लिए तो मुख्य मंत्री जी ने काफी प्रयास किया है, जाटों के लिए भी इस बार करना। मान्यवर, तो क्या राज्य सरकार इस मामले में अपनी सिफारिश करते हुए इस बात का ध्यान रखेगी कि इन वर्गों को भी समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाय ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : धनखड़ साहब, आप जानते हैं कि पद योग्यता के आधार पर भरे जाते हैं। लेकिन आप यह निश्चित तौर पर मानकर चलिए कि योग्यता में थोड़ी कमी भी रहेगी तो इस प्रकार के वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

प्रश्न संख्या 23

श्री अध्यक्ष : श्री जयन्ति लाल कोली ।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री जोगेश्वर गर्ग ।

समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड

24. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन कब एवं किस उद्देश्य से किया गया था ?

(2) इस बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य हैं तथा उन्हें क्या-क्या सुविधाएं प्रदत्त हैं ?

(3) इस बोर्ड के कुल खर्चों का गत 3 वर्षों का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या यह बोर्ड अपने घोषित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा है ? यदि हां, तो कहां तक ?

राज्य मंत्री, समाज कल्याण (श्री मदन दिलावर) : (1) समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड का गठन राज्य सरकार के आदेश दिनांक 17-12-54 के द्वारा किया गया था। बोर्ड का मूल उद्देश्य स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं एवं बालिकाओं के विकास के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा प्राप्त योजनाओं का क्रियान्वयन करना है।

(2) समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड में अध्यक्ष सहित सात सदस्य हैं। राज्य बोर्ड अध्यक्ष को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा दिया हुआ है। अतः राज्य मंत्री को दी जाने वाली समस्त सुविधाओं के समान समस्त सुविधाएं उन्हें प्रदत्त हैं।

(3) गत तीन वर्ष में राज्य बोर्ड पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध हैं।

(4) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नयी दिल्ली द्वारा प्रदत्त योजनाओं का संचालन राज्य बोर्ड द्वारा स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें।)

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि 40 साल हो रहे हैं इस बोर्ड को काम करते हुए और करोड़ों रुपयों का खर्चा हर साल हो रहा है पर यह योजनायें कहां चल रही हैं, किसके माध्यम से चल रही हैं, कोई जानकारी नहीं है। उदाहरण के लिए मैं मेरे जिले की बात माननीय मुख्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा। वहां जहां तक मेरी जानकारी है, ऐसी कोई योजना समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा नहीं चलायी जा रही है। फिर यह योजनाएं कहां चल

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

रही हैं और किन लोगों के लिए चल रही है ?

दूसरा, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह जो खर्चों का विवरण दिया है इसमें उल्लेखनीय बात मेरी नजर में श्रायी है कि वर्ष 1990–91 श्रौर 1991-92 की तुलना में वर्ष 1992-93 में बहुत कमी कमी श्रायी है खर्चों में उन मदों में जो समाज के हित के लिए योजनाएं हैं ? संस्थापन श्रौर उनमें कोई बहुत फर्क नहीं श्राया है, कमी नहीं श्रायी है लेकिन जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। उन मदों में बहुत बड़ा डाउन फाल श्राया है उसका क्या कारण रहा है ?

एक श्रौर जानना चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से कि यह जो सात पद श्रापने बताये हैं, इनमें से कोई मनोनयन का पद भी है क्या ? श्रौर यदि है, तो वे कितने हैं श्रौर भरे हुए हैं या नहीं हैं ?

श्री मदन दिलावर : माननीय श्रध्यक्ष महोदय, जालौर जिले के बारे में श्रापने पूछा है। यह जो केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड है उसके यहां उसका विभाग है, चेयरमैन बैठते हैं। इस कार्यालय में स्वयंसेवी संस्थाएं भी जाती हैं श्रौर जिसका 3 साल पहले से रजिस्ट्रेशन है वह श्रपना काम कर रही हैं। वह रिकमण्ड करते हैं उन्हीं के लोग, जो सीधे केन्द्र से संचालित हैं श्रौर उनके माध्यम से रिकमण्ड के श्राधार पर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इनको श्रनुदान देता है। सीधे हमारे यहां पर इस प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं है।

जालौर जिले के बारे में जो पूछा है. मुझे श्रभी तक जो जानकारी है, इस प्रकार की किसी संस्था ने श्रनुदान नहीं मांगा है। यदि श्रागे कोई संस्था काम करने के लिए श्राती हैं मैदान में, तो निश्चित तौर से मेरा ऐसा मानना है कि विभाग भी श्रपना प्रार्थना-पत्र लगाये तो उसको भी श्रनुदान दिया जा सकता है।

इन्होंने 1992–93 के बारे में पूछा है कि यह डाउन फाल कैसे श्राया है ? मैं उसके बारे में जानकारी देना चाह रहा हूं कि इस समय जो बोर्ड में मैम्बर मनोनीत करने थे। वह मनोनयन श्रभी तक नहीं हुश्रा है श्रौर जो पदेन सदस्य हैं वह ही चल रहे हैं। जो समाज की समस्याश्रों को लाने वाले, उनको देखने वाले श्रादमी हैं वे वहां नहीं होने के कारण से यह डाउन फाल श्राया है श्रौर हम जल्दी बोर्ड में मैम्बर्स का मनोनयन करने वाले हैं। इन्होंने श्रौर पूछा है कि मनोनयन में उनका कितना प्रतिशत है। इसमें 15 मैम्बर तो राज्य सरकार श्रपनी सिफारिश पर मनोनीत करती हैं श्रौर 15 मैम्बर का केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड श्रपनी तरफ से मनोनयन करता है। इस प्रकार तीस सदस्यों का इसमें मनोनयन होता है श्रौर कुछ पदेन सदस्य है जैसे सात सदस्य बताये हैं तो वह सात पदेन सदस्य हैं। यह सारा मिल करके एक बोर्ड होता है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, इसमें जवाब जो दिया है उसमें तो केवल सात सदस्य बताये हैं····

श्री अध्यक्ष : आप थोड़ा पेशेन्स नहीं रख सकते ? दो सप्लीमेण्ट्री पूछने का अधिकार है । दूसरा पूछ सकते हैं ।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि जो जवाब दिया है उसमें केवल सात सदस्य बताये हैं और अब यह 15 मनोनीत राज्य सरकार के ऐसे 30 और बता रहे हैं । तो इस उत्तर में यह बात आनी चाहिए थी । दूसरा यह है कि अध्यक्ष का पद मनोनयन का है या पदेन है, यह बता दें ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है कि अभी कितने हैं, मैंने वह संख्या बतायी है ।

श्री अध्यक्ष : वह यही पूछ रहे हैं कि अध्यक्ष का पद पदेन है या मनोनयन का ?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष का पद मनोनयन का है ।

श्री अध्यक्ष : श्री इन्दौरा जी ।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान में समाज कल्याण बोर्ड है और उसमें जितने मैम्बर हैं, उसमें अभी कास्ट और ट्राइब्स के मैम्बर कितने हैं और आगे कितने मैम्बर लेने बाकी हैं ? उसमें कास्ट और ट्राइब्स के मैम्बर का मनोनयन होगा क्या ?

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि इसमें सामाजिक कार्यकर्ता महिलाएं होती हैं और उन्हीं को लिया जाता है और सारी की मैम्बर महिलाएं होती हैं । तो उस अनुपात में····

श्री अध्यक्ष : उनकी कोई कास्ट भी होगी कि नहीं ?

श्री मदन दिलावर : अनुसूचित जाति और जनजाति का जिस प्रकार से अन्य जगहों पर आरक्षण होता है उसी प्रकार से उनका आरक्षण रख कर उनका मनोनयन कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : संख्या पूछ रहे हैं कि कितने हैं अभी एस. टी.: एस. सी. के····

श्री मदन दिलावर : अभी मनोनयन ही नहीं हुआ, पदेन सदस्य हैं । अभी कोई नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : हां, जुबेर खान जी पूछें ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : यह सही उत्तर नहीं आया । मैं तो जानना चाहता हूं कि वर्तमान में जो बोर्ड है उसमें ···

श्री अध्यक्ष : यह कह रहे है, अभी तो पदेन ही है, मनोनयन हुआ नहीं है ।

श्री हीरालाल इन्दौरा : अब माननीय मंत्री महोदय तो कहते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता होती हैं उनको लिया जाता है, शिड्यूल्ड कॉस्ट और ट्राइब्स में लेडीज सोशल

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

वर्कर नहीं हैं, मैं तो यह समझता हूं, उन्होंने यह कहा है···

श्री अध्यक्ष : अब बिराजिये। जुबेर खानजी पूछिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, क्या राज्य सरकार बीच में कोई अपनी राशि कन्ट्रीब्यूट करती है या नहीं करती ? अगर करती है तो वर्ष 1993-94 में राज्य सरकार का इस समाज कल्याण बोर्ड के लिये कितनी राशि का कंट्रीब्यूशन रहा, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा।

श्री मदन दिलावर : यह अलग से प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बाद में मेरे से मिल लेंगे तो मैं जानकारी दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री लक्ष्मण सिंह।

श्री जुबेर खान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है····

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री लक्ष्मण सिंह।

श्री नरेन्द्रसिंह भाटी (ओसियां) : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर आया है, उसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूं, कि मंत्री महोदय या मुख्य मंत्रीजी यह बतायें····

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है। श्री लक्ष्मण सिंह। दस क्वेश्चन करते हैं अब उसके और भी पूछने के तरीके हैं, आप तो जानते हैं।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में घास की व्यवस्था

25. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य के किन-किन जिलों में जिलाधीशों ने अकाल ग्रस्त ग्रामों में घास की कमी की रिपोर्ट सरकार को भेजी है ?

(2) सरकार उक्त जिलों में सस्ते घास के डिपो कब तक खोलने का विचार रखती है ?

राज्य मंत्री, अकाल राहत (श्री सांवरलाल जाट) : (1) जिला कलक्टर अजमेर, भीलवाड़ा, बाड़मेर, दौसा, बारां, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, नागौर, टौंक, चूरू, पाली, जोधपुर, उदयपुर, जालौर एवं राजसमन्द से उनके जिलों में चारे की कमी होने की सूचना प्राप्त हुई है।

(2) जिले में पशुओं के लिये चारा उपलब्ध कराये जाने के लिये आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, अकाल की विभीषिका से निपटने के लिये और पशुधन को बचाने के लिये घास की समस्या एक गम्भीर समस्या है और माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह अपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि घास को सस्ते दर पर उपलब्ध करवाये जाने की क्या योजना है, क्या विचाराधीन है ? इसमें फेमिन कोड के अन्तर्गत पहला प्रश्न तो

(श्री लक्ष्मण सिंह)

मेरा यह है कि चीफ कन्जर्वेटर श्राफ फारेस्ट से क्या अकाल राहत आयुक्त ने यह यह वेरीफाई कर लिया है कि घास की राज्य के अन्दर कितनी उपलब्धता है ? यदि हां, तो कितनी है ? यदि नहीं, तो इस चीज को क्यों नहीं वेरीफाई किया गया ?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि राज्य सरकार ने क्या आसपास के अन्य राज्यों से जहां पर कि घास की उपलब्धता काफी ज्यादा रहती है, सम्पर्क कर लिया और अगर कर लिया तो क्या रेलवे वैगन्स की उपलब्धता के बारे में रेलवे बोर्ड से भी इन्होंने सम्पर्क किया है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो राज्य सरकार को जानकारी मिली है उसके हिसाब से जनवरी माह से जिलों के अन्दर चारे की आवश्यकता पड़ेगी। अभी तक जो उपलब्धता है आस-पास के गांवों से, आसपास के जिलों से चारा उपलब्ध हो रहा है। जहां-जहां भी आवश्यकता होगी तत्काल इसके लिए कार्यवाही की जायेगी और सरकार····

श्री अध्यक्ष : उन्होंने जो सुझाव दिया है उस पर भी विचार कर लें।

श्री सांवरलाल जाट : विचार करेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पाइन्टेड प्रश्न पूछा है कि क्या कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट····

श्री अध्यक्ष : बता दिया ना कि आपने जो सुझाव दिया है····

श्री लक्ष्मणसिंह : यह मेरा सुझाव नहीं है, यह मेरा प्रश्न है कि क्या चीफ कन्जर्वेटर आफ फारेस्ट से इन्होंने····

श्री अध्यक्ष : देखिये, आपका सुझाव यह है, इन्होने तो बताया नहीं कि क्या योजना बना रहे हैं, आपने सुझाव दिया की उनका ध्यान रखें। ध्यान रख लेंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : यह जो प्रश्न है कि क्या उन्होंने वेरीफाई कर लिया। मेरे उस प्रश्न का तो जवाब दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष : घास कहां-कहां उपलब्ध होती है इसके लिये आपने एक सुझाव दे दिया····(व्यवधान)

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या अन्य राज्यों की सरकारों से इन्होंने····

श्री अध्यक्ष : हां, तो उस पर विचार करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह : दूसरा मेरा, अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेण्ट्री क्वेश्चन है।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, चारे की कमी के कारण से राजस्थान से कैटल माइग्रेशन बहुत भारी तादाद में होता है। कैटल माइग्रेशन के लिए भी एक सुचारु रूप से व्यवस्था करनी होगी। उसके लिए क्या सरकार ने किस रूट से कैटल माइग्रेशन होगा, किस रूट्स पर, सरकार की तरफ से डिपो खोले जायेंगे, इसकी

(श्री लक्ष्मण सिह)

व्यवस्था की है? और अगर की है तो क्या इसकी वाइड पब्लिसिटी करने का विचार है?

श्री सांवरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, जहां तक सरकार का प्रयास होगा पशुओं का पलायन नहीं होने देंगे।

श्री अध्यक्ष : पलायन होने ही नहीं देंगे।

श्री लक्ष्मण सिह : अध्यक्ष महोदय, पशुओं का पलायन नहीं होने देंगे लेकिन पशुओं के पलायन में क्या मंत्री महोदय व्यक्तिगत एक-एक पशु को रोकने का प्रयास करेंगे? पशुओं के पलायन के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था कर देंगे, पलायन होगा ही नहीं।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिह शेखावत) : सामान्यतया ऐसी स्थिति नहीं है जिस तरह आप कह रहे हैं कि लार्ज स्केल पर माइग्रेशन होगा। मुझे तो नहीं लगता कि लार्ज स्केल पर माइग्रेशन हो रहा है। जिन पशुओं के लिये यहां चारे की व्यवस्था आज करनी है उस व्यवस्था के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने भी कहा है और सदन को मैं भी आश्वासन देना चाहता हूं कि 10 तारीख को इस अकाल के सम्बन्ध में जिसमें पानी भी आता है, चारा भी आता है, हम बैठ कर विचार करेंगे कि कितने चारे की आवश्यकता है, कहां से मंगवाना है और किस प्रकार से उसका वितरण करना है। उसी प्रकार से पानी के विषय में भी कहां-कहां अकाल राहत कार्य खोलने हैं, 10 तारीख को इस प्रकार की बैठक करके हम उस पर निर्णय ले लेंगे। और इस समस्या का जहां तक सम्भव हो, तुरन्त समाधान करेंगे।

एक माननीय सदस्य : खेतसिहजी को भी बुला लेना।

श्री भैरोंसिह शेखावत : खेतसिहजी को मैं तो आज ही बुलाने को तैयार हूं। वहां क्यों बैठे हो, इधर आ जाओ। अब वह नहीं आये तो मेरे बस की बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट। श्रीमती तारा भण्डारी।

सिरोही जिले में जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

26. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही): क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) सिरोही जिले में वर्ष 1985-93 तक जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कितने कार्य किस-किस गांव में स्वीकृत हुए?

(2) उपरोक्त कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण हो गये तथा कितने अधूरे हैं?

राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन एवं एकीकृत ग्रामीण विकास (श्री अनंग कुमार जैन) :–

(1) सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले में वर्ष 1985 से 93 तक

(श्रीमती तारा भण्डारी)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन. आर. ई. पी.), ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा जवाहर रोजगार योजनान्तर्गत कुल 3953 कार्य स्वीकृत किये गये। जवाहर रोजगार योजना 1.4.89 से प्रारम्भ हुई है। उपरोक्त योजनाओं के अन्तर्गत पंचायत समिति गांव वार स्वीकृत कार्यों का विवरण संलग्न है। इन स्वीकृत कार्यों में इन्दिरा आवास एवं जीवन धारा योजना के अन्तर्गत स्वीकृत व्यक्तिगत लाभ के पूर्ण कार्य सम्मिलित नहीं हैं।

(2) उपरोक्त कार्यों में से 3056 कार्य पूर्ण हो गये हैं तथा 858 कार्य अधूरे हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, अधूरे कार्यों में से आधे से अधिक कार्य पंचायत समिति सिरोही एवं शिवगंज के हैं। सिरोही पंचायत समिति में अधिकांश ऐसी पंचायतें हैं जिनमें जितने कार्य स्वीकृत हुए, अध्यक्ष महोदय, वह सारे के सारे अधूरे हैं या अधिकतम अधूरे हैं। मान्यवर, इन कार्यों पर सरकार का लाखों रुपया खर्च हो गया और अधूरे होने से वह रोज टूटते हैं तथा जनता का भी इससे विश्वास उठ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह सवाल करना चाहती हूं कि इन अधूरे कार्यों को पूरा करने की उनकी क्या योजना है तथा कब तक पूरा करवा देंगे?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार इन कार्यों के अधूरे रहने के कारणों की जांच करवायेगी?

श्री अध्यक्ष : दोनों सवाल एक साथ पूछ लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : नहीं, साहब, मेरा एक सवाल बाकी है ..

श्री अध्यक्ष : दोनों सवाल ही पूछ लिये।

श्री अनंग कुमार जैन : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्या ने कहा कि अधिकतर अधूरे कार्य पंचायत समिति सिरोही और शिवगंज में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति सिरोही के अन्दर 808 कार्य स्वीकृत हुए जिनमें से मात्र 249 कार्य अधूरे हैं। पंचायत समिति शिवगंज के अन्दर 460 कार्य स्वीकृत हुए जिसमें से 50 कार्य अधूरे हैं। तो पंचायत समिति शिवगंज के अन्दर 460 कार्यों में से 50 कार्य अधूरे थे, यह बहुत बड़ी—

श्री अध्यक्ष : कब तक करा देंगे, बता दें।

श्रीमती तारा भण्डारी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा हास्यास्पद है। आठ सौ में से मात्र दो सौ कहना तो हास्यास्पद बात हुई। दो सौ काम की कोई वेल्यू नहीं है?

श्री अध्यक्ष : फिगर्स आ रहे हैं ना।

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना चाही है 1985 से

(श्री अनंग कुमार जैन)

93 तक की स्थिति है और जो अधूरे कार्य हैं उनके लिए भी विभाग को यह निर्देश दिये गये हैं कि जो-जो कार्य अधूरे किये हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर तत्काल पूरा किया जाये। उसके बावजूद माननीय सदस्या यदि कोई विशेष कार्य के लिए मुझे बतायेंगी तो....

श्री अध्यक्ष : तो वह जल्दी हो जायेगा पूरा।

श्री अनंग कुमार जैन : उसके लिए विशेष रूप से....

श्रीमती तारा भण्डारी : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूं टाइम बाउण्ड प्रोग्राम हो। इनको कब तक पूरा करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष : अब आप सवाल दूसरा पूछिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल यह है। मैंने वर्ष 1992 में भी यह सवाल लगाया था और सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि एक महीने के अन्दर सारे जे. आर. वाई. कार्यों की जांच की जायेगी और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। लेकिन न तो जांच हुई, न कोई कार्यवाही हुई और आज भी वह कार्य अधूरे हैं। मान्यवर, हम जब गांवों में जाते हैं, जनता और महिलाएं हमको घेर कर....

श्री अध्यक्ष : आपका सवाल क्या है ?

श्रीमती तारा भाण्डारी : हमको नालियां बताती हैं, खरंजे बताती हैं, लोगों को ठोकर लगती है....

श्री अध्यक्ष : सवाल क्या है आपका ?

श्रीमती तारा भण्डारी : मान्यवर, पशु भी नहीं चर सकते ऐसे खरंजे करके दिये इन्होंने।

श्री अध्यक्ष : अच्छा आप विराजिये। हो गया, बैठ जाइये। आप समय दे सकते हैं, कब तक पूरे होंगे ?

श्री अनंग कुमार जैन : माननीय अध्यक्ष अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विभाग को यह निर्देश दिये गये हैं और विभाग की तरफ से सभी जिलों में यह निर्देश हैं कि जो अधूरे कार्य हैं वे प्राथमिकता के आधार पर पूरे करवाये जायें और मैं इस बात का....

श्री अध्यक्ष : समय नहीं दे सकते। श्री खेतसिंह जी।

श्रीमती तारा भण्डारी : समय नहीं बतायेंगे तो, साहब, 91 से 94 आ गया ...

श्री अध्यक्ष : अब आप क्या....

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, 91 से 94 आ गया और अगर दो हजार की तरफ चलना है तो वैसे बात करें वरना तो टाइम बाउण्ड प्रोग्राम देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : आपके प्रश्न का बहुत असर हुआ है मंत्रीजी पर, जोर-जोर से बोलने का।

श्री खेतसिंह राठौड।

जोधपुर व जैसलमेर जिलों में पर्यटन मेलों पर व्यय

27. **श्री खेतसिंह राठोड़** (शेरगढ़) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या जोधपुर एवं जैसलमेर में पर्यटन विभाग की ओर से प्रत्येक वर्ष मेले लगाये जाते हैं ? यदि हां, तो किस प्रयोजन से ? इन पर गत वर्ष कितना खर्चा हुआ तथा इस खर्च के मुकाबले में आमदनी का क्या स्रोत बढ़ा ?

(2) विभाग राजस्थान में और कहां-कहां ऐसे मेले लगा रहा है ? क्या कुछ और भी नये स्थानों का चयन किया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(3) विभागीय नियमानुसार निदेशक, पर्यटन विभाग को एक मेले में कितनी धनराशि खर्च करने का अधिकार है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन (**श्रीमती नरेन्द्र कंवर**) : (1) जी हां। पर्यटन को प्रोत्साहन देने एवं राजस्थान की समृद्ध संस्कृति से पर्यटकों को अवगत कराने हेतु उक्त मेले आयोजित किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 1992-93 में जोधपुर एवं जैसलमेर में आयोजित मेलों में क्रमश: रुपये 2,15,300/–एवं रुपये 4,11,000/– खर्च हुए। उक्त मेले जगह विशेष में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु आयोजित किये जाते हैं तथा पर्यटन विभाग का कार्य भी राज्य के पर्यटन स्थलों का प्रचार एवं पर्यटन का प्रसार करने का है। विभाग को मेले-त्योहार के आयोजन से कोई आय नहीं होती है, अपितु पर्यटकों की आवक बढ़ने से पर्यटन से जुड़े हुए समस्त व्यवसाइयों एवं संस्थानों को आय होती है जिसका विवरण सम्बन्धित व्यवसाइयों एवं संस्थानों द्वारा रखा जाता है।

(2) विभाग द्वारा राजस्थान में इस वर्ष जोधपुर एवं जैसलमेर के अलावा निम्न स्थानों में मेले आयोजित करने का बजट में प्रावधान रखा गया है :—

1. गणगौर समारोह, जयपुर।
2. तीज समारोह, जयपुर।
3. पुष्कर मेला, पुष्कर (अजमेर)
4. नागौर मेला।
5. एलीफेन्ट मेला, जयपुर।
6. मेवाड उत्सव, उदयपुर।
7. ग्रीष्म समारोह, माउन्ट आबू।
8. शिल्प ग्राम मेला, उदयपुर।

उपरोक्त मेलों के अतिरिक्त विभाग द्वारा इस वर्ष 27-28 जनवरी को बीकानेर में पर्यटक मेले का आयोजन किया जा रहा है। विभाग द्वारा पर्यटन मेलों के आयोजन हेतु स्थान का निर्धारण उस स्थान के पर्यटक स्थल के रूप में विकसित होने की सम्भावनाओं तथा वहां की समृद्ध सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक विरासत को ध्यान में रख कर किया जाता है।

(3) निदेशक, पर्यटन विभाग को एक मेले में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत बजट प्रावधान तक व्यय करने का अधिकार है।

श्री खेतसिंह राठोड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी जवाब दे दें....

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : क्यों, मैं क्यों नहीं देऊं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : कि पहले जब यह मेले लगते थे और आप विभाग से खर्चा नहीं करते थे तब कितने पर्यटक आते थे ? और जब से आपने यह खर्चा शुरू किया है तब से कितने पर्यटक बढ़ गये हैं ? क्या इसका कोई मानीटरिंग होता है या यह अफलातूनी में ही खर्चा किया जाता है ? इसका कोई हिसाब किताब है या नहीं ? दूसरा मेरा प्रश्न यह है, मान्यवर, कि यह खर्चा किन-किन मदों पर करते हैं आप ? यह भी कृपया बतावें कि क्या शराब की बोतलों पर ही खर्चा होता है या कोई और वहां है जिसके लिए खर्च होता है ? कृपापूर्वक यह दोनों जवाब दे दीजिए।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : अध्यक्ष महोदय, माननीय खेतसिंह जी साहब को इस बात का दुःख होगा कि शराब की बोतलों पर खर्चा नहीं किया जाता।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तो फिर पर्यटक आपके अट्रेक्ट भी नहीं होते होंगे ?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : तो आप यह चाहते हैं कि बोतलों पर खर्चा किया जाये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप कर ही रहे हैं, कहते ही हैं। बाकी जितने विदेशी पर्यटक आते हैं या देशी आते हैं, वह इसी मामले के लिए आते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसकी उपलब्धि के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि सारे देश भर में 18 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं उसमें से 6 लाख राजस्थान में आते हैं। अब इससे आप अन्दाज तो लगा लें कि पर्यटकों के लिए आकर्षणकारी व्यवस्था यहां चल रही है और आकर्षक....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मेरा सवाल कुछ और है, अध्यक्ष महोदय, और जवाब कुछ और है माननीय मंत्रीजी का। मैंने यह पूछा है कि आप यह बताइये, यह खर्चा कर रहे हैं आपके डायरेक्टर महोदय और आपने तीसरे प्रश्न के उत्तर में कहा है कि उनको पूरे बजट की छूट है, गोया कि पूरा का पूरा पैसा एक मेले पर ही वह खर्च कर सकते हैं लेकिन यह तो बताइये मुझे कि आप जबसे यह खर्चा कर रहे हैं तब से कितनी संख्या बढ़ गयी और पहले कितनी संख्या थी ? अध्यक्ष महोदय, किस-किस मद पर ...(व्यवधान) नहीं तो जाने दीजिए। कह दीजिये कि मैं तैयार नहीं हूं। मैं छोड़ दूंगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उसके साथ में एक पूछना चाहता हूं कि यह जो खर्चा किया जाता है इसके अन्दर ऐड्स जो फैलती जा रही है उसके नियंत्रण करने के लिए भी खर्चा रखा जा रहा है या नहीं ? नहीं, तो रखना चाहिये। यही मैं पूछना चाहता हूं और कितना ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि ऐड्स के रोगी वहां नहीं जा सकते। भगवान की कृपा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

से इस प्रकार की बात न फैलायें कि इन रोगियों को वहां जाने की छूट मिल जाये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत सीरियस प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : और आज स्थिति यह आ रही है कि जो बढ़ावा, प्रमोशन टूरिज्म को मिल रहा है उसके साथ में ऐड्स इतना आ रहा है कि सात साल के बाद जो एच. आई. वी. हो जायेगा तब पता चलेगा कि कितना क्या हुआ। इसके नियंत्रण के लिए भी इन मेलों के अन्दर व्यवस्था रखनी चाहिये, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप पूछ रहे हैं कुछ ? आप पूछिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला प्रश्न था....(व्यवधान) अभी तो टाइम है, साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा.... (व्यवधान) अब इनका प्रश्न नहीं आने देना चाहते आप....(व्यवधान) आपका प्रश्न तो आयेगा नहीं फिर। हां, बैठिये आप.... (व्यवधान) आप बैठिये। हां, बोलिये आप।

श्री रामस्वरूप मीणा।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के वन क्षेत्रों का विकास

28. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 से 1993 तक कितने पौधे कहां-कहां लगाये गये और वर्तमान में कितने मौके पर हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वनों के विकास के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी तथा कितनी राशि खर्च की गयी ?

(3) क्या विभाग में पूर्व में कोई घोटाला हुआ था ? यदि हां, तो किस प्रकार का ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री सुजानसिंह यादव) : (1) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 से 1993 तक वन विकास की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कुल 11,-67,036 पौधे लगाये गये हैं। वर्तमान में लगभग 63 प्रतिशत पौधे मौके पर हैं। विवरण परिशिष्ट-"क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) उक्त क्षेत्र में वन विकास कार्यों हेतु 1990 से 1993 तक रुपये 1,14,69,884/–स्वीकृत किये गये जिसमें से रुपये 98,68,307/–व्यय किये गये।

(3) टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में उक्त वर्षों में कराये गये वृक्षारोपण कार्यों में हुई अनियमितताओं के सम्बन्ध में विवरण

(28)

(श्री सुजानसिंह यादव)

सदन की मेज पर रख दिया गया है। परिशिष्ट ख 1

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

(12.00 मध्यान्ह)

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने यह जो जवाब दिया कि 63 प्रतिशत पौधे मौजूद हैं 37 प्रतिशत नष्ट हो चुके हैं, यह गणना कब हुई थी ? किस आधार पर जवाब दिया गया है ? मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि यह गणना बहुत पुरानी है। पिछली बार जब यह प्रश्न उठाया गया था तब भी यह गणना का जवाब दिया था, इतने पौधे नष्ट हो गये और इतने प्रतिशत हैं। क्या पुरानी गणना के आधार पर आपने जवाब दिया ? क्या वर्तमान में आपने कोई गणना नहीं कराई ? और नहीं करायी तो अब कब करायेंगे ? मुझे इसका जवाब सही दें कि सही रिकार्ड वास्तव में क्या है, कितने पौधे मौके पर मौजूद हैं और कितने नष्ट हो गये ?

श्री सुजानसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह स्कीम 90-93 तक है और वर्षवार जो संख्या दी गयी है वह इस प्रकार है—1990 में 2 लाख 80 हजार पौधों की संख्या थी जिसमें से 1 लाख 50 हजार 250 पौधे बचे। 1991 में कुल योग 3 लाख 436 था उसमें से 1 लाख 98 हजार 700 बचे।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैंने दूसरा प्रश्न पूछा है जवाब दूसरा दे रहे हैं। आप उसको पढ़ रहे हैं। मेरा निवेदन तो यह है कि जांच करायी और 63 प्रतिशत पौधे वर्तमान में हैं यह पुराने रिकार्ड के आधार पर है या नये ?

श्री सुजानसिंह यादव : पुराने रिकार्ड के आधार पर है।

श्री रामस्वरूप मीणा : कब जांच करायी थी, किस के द्वारा जांच करायी है और 63 प्रतिशत किस आधार पर माना है, यह बतायें।

श्री सुजानसिंह यादव : डी एफ. ओ. की गणना के आधार पर बता रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : डी. एफ. ओ. कब पधारे और कब गणना करायी थी ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : वर्ष बता दें, कौन से वर्ष में गणना करायी थी ?

श्री रामस्वरूप मीणा : तैयारी करके नहीं आये हैं तो दूसरा पूछ लूं ?

श्री सुजानसिंह यादव : 1993 में।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री रामस्वरूप मीणा : अभी तो मेरा दूसरा प्रश्न है इसके बारे में। इन्होंने भ्रष्टाचार के बारे में जो लिखा है, अनियमितता हुई, पूछना चाहूंगा, अनियमितता के बारे में मैंने पिछली बार प्रश्न उठाया था उसके बारे में आपने क्या कार्यवाही की है ?

(श्री रामस्वरूप मीणा)

जवाब में कहीं भी नहीं आयी यह बात····(व्यवधान)····

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ। अब आप व्यवस्था सुन लीजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे भ्रष्टाचार के प्रश्न मैंने किये हैं। विभाग में पिछली बार भी भ्रष्टाचार हुआ था। पौधे नष्ट हो चुके हैं, वहां पर 50 प्रतिशत पौधे भी मौके पर मौजूद नहीं हैं। पिछली बार भी मैंने यह प्रश्न उठाया था और माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार मन्त्री महोदय से पूछा था, तो इन्होंने कहा था जांच करा रहा हूं। आज तक जांच नहीं हुई। वृक्षों के ऊपर सरकार की तरफ से जो धनराशि खर्च की जाती है वह तमाम राशि नष्ट हो रही है। बिल्डिंग बनती चली जा रही है अधिकारियों की। आप उसका जवाब मन्त्री महोदय से नहीं दिला रहे। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, कृपया, इस भ्रष्टाचार का जवाब जरूर दिलावें।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। हो गया आपका। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सदस्य विधान सभा की ओर से····

श्री रामस्वरूप मीणा : यह अनियमितता हुई है, उसके बारे में मन्त्री महोदय, क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? भ्रष्टाचार का तो कम से कम दिला दो, साहब····

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : अनियमितता हुई है, और अनियमितता का जवाब आप मन्त्री महोदय, से नहीं दिलवा रहे, मन्त्री महोदय, चुपचाप बैठ गये, विवरण पढ़कर छोड़ दिया। भ्रष्टाचार हुआ है····

श्री अध्यक्ष : मैं आपको याद दिलाऊं, आपको याद दिलाऊं, (व्यवधान) आप बैठिये, प्लीज सिट डाउन। अब आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिलाया।

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं, अब आप बैठिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : अनियमितता के बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया कि जिन्होंने अनियमितता की उनके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं समझता हूं कि अब तो आप में काफी सुधार हो जाना चाहिए था।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं भी चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप भी दुबारा आये हो मैं भी दुबारा आया हूं, दोनों में सुधार हो जाना चाहिए था। अब तो इनके काम में सुधार हो जाना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : बिराजो आप। आप अब सीनियर्स में हो गये हो। पहली बार तो आप जूनियर थे अब सीनियर हो गये है। बैठिए, अब आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा करबद्ध निवेदन है कि····

श्री अध्यक्ष : अब आप अंकित मत करिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : × × ×

श्री अध्यक्ष : बैठिये। आप बिराजो।

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा सीमित निविदाओं के माध्यम से क्रय सामग्री

18. श्री रामनारायण (नैनवा) : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या विभिन्न विभागों के अधिशाषी अभियन्ताओं को सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के प्रावधानों के अनुसार सीमित निविदाओं के माध्यम से (बिना अखबार में विज्ञापित के) दस हजार रुपये की राशि की सीमा तक सामान क्रय करने के अधिकार है ? यदि हां, तो किस-किस विभाग के अधिशाषी-अभियन्ताओं को किन-किन शर्तों के अधीन ?

(2) उक्त अधिकारों के दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है ?

उत्तर

(1) सीमित निविदा पद्धति साधारणतया ऐसी समस्त निविदाओं के मामले में, जिनमें अनुमानित मूल्य रुपये 10,000/— से कम ही अपनाई जाती है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत अधिशाषी अभियन्ताओं को इस पदनाम से कोई वित्तीय शक्तियां नहीं दी गई है। जहां तक किस-किस विभाग के अन्तर्गत किन-किन शर्तों के अधीन यह प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, वह यह है कि सीमित संख्या में कुछ फर्मों को सीधा आमंत्रण देकर निविदायें प्राप्त की जाती है।

(2) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में उल्लेखित प्रक्रिया/शक्ति के दुरुपयोग करने के खिलाफ कार्यवाही प्रशासनिक स्तर अथवा विभागाध्यक्ष स्तर पर ही की जाती है।

मारवाड़ क्षेत्र के भेड़ पालक

23. श्री जयन्तीलाल कोली (रेवदर) : क्या भेड़ व ऊन राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री जयन्तीलाल कोली)

(1) मारवाड़ क्षेत्र में भेड़ एवं बकरियों की कुल कितनी संख्या है ? जिलेवार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) इन पशुओं के चारे एवं पानी की क्या व्यवस्था उपलब्ध है ?

(3) क्या सरकार उक्त व्यवस्था को पर्याप्त मानती है ? यदि नहीं, तो पर्याप्त व्यवस्था के लिए सरकार की क्या भावी योजना है ?

(4) सरकार भेड़ पालकों को वर्तमान में क्या-क्या सुविधायें प्रदान कर रही है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1992 की राजस्व विभाग द्वारा की गई पशु गणना के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र के 7 जिलों में 58,67,848 भेड़ें व 53,10,368 बकरियां हैं। जिलेवार संख्या नीचे लिखे अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है :—

क्र. सं.	जिले का नाम	भेड़ों की संख्या	बकरियों की संख्या
1.	बाड़मेर	9,40,520	16,21,818
2.	जैसलमेर	3,82,955	2,93,355
3.	जालोर	6,32,375	5,45,873
4.	जोधपुर	11,38,822	9,53,858
5.	नागौर	10,67,409	8,91,584
6.	पाली	13,77,223	6,64,588
7.	सिरोही	3,28,544	3,39,292
	योग :—	58,67,848	53,10,368

(2) इन पशुओं के चारे की व्यवस्था पशु पालकों द्वारा क्षेत्र में उपलब्ध गोचर भूमि, वन क्षेत्र व फसल कटाई के बाद निजी किसानों की जमीन पर चराई से की जाती है। पानी की व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध तालाबों और कुओं से की जाती है।

(3) जी नहीं। यह व्यवस्था भेड़ व बकरी की संख्या को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। वर्तमान में भेड़ व ऊन विभाग द्वारा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है किन्तु अच्छे वन व चारागाह विकास के कार्यक्रम राज्य सरकार के वन विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे हैं।

(भेड़ व ऊन मन्त्री)

(4) राज्य सरकार द्वारा मारवाड़ क्षेत्र के भेड़पालकों को वर्तमान में निम्नलिखित सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है :—

(1) भेड़ों को संक्रामक बीमारियों से बचाने हेतु रोग निरोधक टीके लगाये जाते हैं।

2. भेड़ों को आन्तरिक परजीवियों (पेट के कीड़ों) से रक्षा के लिए कृमिनाशक दवाइयां पिलाई जाती है (डीवरमिग) किया जाता है।

3. भेड़ों को बाहरी परजीवियों (खुजली, चींचड़े, जुओं) आदि से रक्षा हेतु कीटनाशक दवाइयों से नहलाया जाता है।

4. अवांछित मेमनों का बधियाकरण किया जाता है।

5. नस्ल सुधार के लिए भेड़ों में चयनित प्रजनन कराया जाता है।

6. भेड़ पालकों को और युवा भेड़पालकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

7. भेड़ों के मेले एवं प्रदर्शनी आयोजित की जाती है।

8. भेड़ इकाइयों की समय पर देखभाल की जाती है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विडियो थियेटर पर शुल्क

16. **श्री रामनारायण** (नैनवा) : क्या करारोपण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्तमान में विडियो थियेटर पर किस दर से कितना शुल्क (टैक्स) लिया जाता है ? 1 मार्च, 1990 एवं दिसम्बर, 1992 के प्रभावी टैक्स की दरों का मिलान चार्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में बढ़ाये गये टैक्स के कारण व्यवसाय में कार्यरत बेरोजगार युवकों के समक्ष व्यावसायिक समस्या पैदा हो गई है ? यदि हां, तो सरकार कब तक टैक्स कम करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) दी राजस्थान वीडियो फिल्मस (रेगूलेशन आफ एक्जीबीशन) एक्ट, 1990 तथा रूल्स, 1992 दिनांक 1.6.1992 से प्रभावी हुए हैं। इससे पूर्व वीडियो के जरिए फिल्म प्रदर्शन पर करारोपण राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर अधिनियम व नियम 1957 के जरिये ही किया जाता था। विधान में "वीडियो थियेटर" परिभाषित नहीं हैं। वीडियो के जरिये फिल्म प्रदर्शन "विडियो सिनेमा" व "वीडियो पार्लर" में वर्गीकृत किया गया हैं।

राज्य सरकार की अधिसूचना सं. पं. 4 (30) वित्त ग्रुप-4/86–7 दिनांक 6.3.1986 के जरिए मनोरंजन कर की दर समस्त प्रकार के मनोरंजन में प्रवेश हेतु लिए गए शुल्क का 100% अधिघोषित की गई हैं। वर्तमान में भी यही अधिसूचना प्रभावी हैं। अतः मनोरंजन कर की दर

(करारोपण मन्त्री)

दिनांक 1 मार्च, 1990 व 1 दिसम्बर, 1992 को समान 100% रही हैं।

वीडियो के जरिये प्रदर्शन पर मनोरंजन कर चुकाने की एक वैकल्पिक योजना (Composition Scheme) राज्य सरकार द्वारा लागू की गई हैं। यह प्रशमन योजना प्रदर्शन करने वाले की स्वेच्छा पर आधारित हैं। प्रशमन की दरों की तुलनात्मक चार्ट संलग्न हैं।

(2) चूंकि राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 मार्च, 1990 एवं दिनांक 1 दिसम्बर, 1992 के मध्य मनोरंजन कर की सामान्य दर में कोई अभिवृद्धि नहीं की गई हैं। इसलिए कर वृद्धि के कारण इस व्यवसाय में कार्यरत बेरोजगार युवकों के समक्ष व्यवसायिक समस्या पैदा होने का तथा सरकार द्वारा कर की दरों में कमी पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता हैं।

जहां तक मनोरंजन कर की प्रशमन योजना का सम्बन्ध हैं, यह एक वैकल्पिक व स्वैच्छिक योजना हैं जो कि प्रदर्शन कर्त्ताओं की सुविधा के लिए लागू की गई हैं।

(चार्ट के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

थाना कोतवाली बूंदी में दर्ज प्रकरण

17. **श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल** (गंगापुर): एवं

श्री रामनारायण (नैनवा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) वर्ष 1980 से 1989 तक शहर कोतवाली, बून्दी में दर्ज मुकदमों में से कितने मुकदमों में किन-किन मुलजिमान के खिलाफ धारा, 299 क्रिमीनल प्रक्रिया संहिता के तहत न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुलजिमान में से कितनों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा चुका है एवं कितने स्वयं ही न्यायालय में समर्पण कर चुके हैं तथा कितने मुलजिमान को पेश किया जाना शेष है? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) चालान प्रस्तुत करते समय फरार बताये गये मुलजिमान में से अब तक गिरफ्तार नहीं किये गये मुलजिमान को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष कब तक प्रस्तुत कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) वर्ष 1980 से 1989 तक बून्दी कोतवाली में दर्ज अभियोगों में से कुल 22 अभियोगों में कुल 26 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 299 जाप्ता फौजदारी के तहत न्यायालय में चालान पेश किए गए हैं। अभियुक्तों की सूची परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(2) उक्त 26 अभियुक्तों में से पुलिस द्वारा 17 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर

(गृह मन्त्री)

न्यायालय में पेश किया जा चुका है। 3 अभियुक्त स्वयं ही न्यायालय में अपने आपका समर्पण कर चुके हैं। केवल 6 अभियुक्त फरार हैं जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाना शेष है।

(3) जो 6 अभियुक्त फरार हैं उनकी गिरफ्तारी के हर सम्भव प्रयास जारी हैं। गिरफ्तार होते ही उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 8 देखें।)

जिला उदयपुर में चोरी, डकैती, बलात्कार आदि के दर्ज प्रकरण

18. श्री कुबेरसिंह (फलासिया) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में वर्ष 1993-94 में चोरी, डकैती, बलात्कार, नकबजनी आदि के कितने प्रकरण दर्ज हुए ?

(2) क्या यह भी सही है कि पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता से अपराधों में अधिक वृद्धि हुई है ? अपराधों को रोकने के सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में 1 अप्रेल, 1993 से 31.12.93 तक चोरी के 363, डकैती के 7, बलात्कार के 22 व नकबजनी के 355 प्रकरण दर्ज हुए हैं।

(2) यह सही नहीं है कि वर्ष 1993 में अपराधों में वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 में व वर्ष 1992 में चोरी, डकैती, बलात्कार तथा नकबजनी के लिए क्रमशः 819 व 917 प्रकरण दर्ज हुए थे जबकि वर्ष 1993 के दौरान केवल 747 प्रकरण दर्ज हुए हैं।

अपराधों की रोकथाम हेतु हर स्तर पर पुलिस अधिकारी संलग्न है। हर सूचना पर सक्षम अधिकारी द्वारा तुरन्त समुचित व प्रभावी कार्यवाही की जाती है। आवश्यकता अनुसार निरोधात्मक कार्यवाही भी की जाती है।

पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ (अलवर) के ग्रामों का विद्युतीकरण

19. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल द्वारा पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ (अलवर) में गत चार वर्षों (1990-91, 91-92, 92-93 एवं 93-94) में किन-किन गांवों को विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त स्वीकृत ग्रामों में से किस किस ग्राम को कब-कब विद्युतीकृत कर दिया गया ?

(3) उपरोक्त ग्रामों में किस-किस ग्राम के कितने-कितने आवेदकों ने कृषि एवं घरेलू कनेक्शनों के लिए आवेदन किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जुबेर खान)

(4) जिन गांवों में अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं उनमें कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ में वर्ष 1990–91, 91–92, 92–93 एवं 1993–94 में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित किये गये ग्रामों का वर्षवार विवरण सूची "अ" में दर्शाया गया है ।

(2) उपरोक्त प्रस्तावित किये गये ग्रामों में से विद्युतीकृत किये गये ग्रामों की दिनांक सूची "अ" में दर्शा दी गयी है ।

(3) उपरोक्त ग्रामों में कृषि एवं घरेलू आवेदकों की संख्या सूची "ब" में दर्शायी गयी है ।

(4) कृषि कनेक्शन प्रस्तावित लक्ष्यों के अनुरूप वर्षवार आवेदकों द्वारा औपचारिकताएें पूर्ण करने के पश्चात् दिये जा सकेंगे । घरेलू कनेक्शन वरियता अनुसार आवेदकों द्वारा औपचारिकताएें पूर्ण करने के पश्चात् दिये जाने की प्रक्रिया जारी है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–9 देखें ।)

किसानों को विद्युत वितरण

20. **श्री हरीसिंह** (कुम्हेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किसानों की कृषि सिंचन हेतु दिन में कितने घंटे बिजली आपूर्ति की जाती है ?

(2) क्या सभी जिलों में एक समान समयावधि में बिजली आपूर्ति की जाती है ? यदि नहीं, तो अलग-अलग समयावधि के क्या कारण हैं ?

(3) वर्तमान में भरतपुर जिले में प्रतिदिन कितने घंटे बिजली किसानों को मिलती है ?

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि में 7.00 बजे से 10.00 बजे तक सिंगल फेज पर ही विद्युत वितरण किये जाने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) राज्य के सभी स्रोतों से उपलब्धि के अनुसार, किसानों को सिंचाई हेतु 13-12-1993 तक औसतन प्रतिदिन 8 घन्टे ब्लाक्स में (दिन व रात्रि की पारी में) विद्युत आपूर्ति की जा रही थी । वर्तमान में विद्युत उपलब्धि में कमी होने के कारण कृषि हेतु औसतन 6 घन्टे ब्लाक्स में (दिन व रात्रि की पारी में) विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

(2) जी हां । सभी जिलों में समान रूप से किसानों को कृषि सिंचाई हेतु, तकनीकी व्यवधान को छोड़कर समान, समयावधि में ब्लाक्स में (दिन व रात्रि की पारी में) विद्युत उपलब्ध कराई जाती है ।

(3) वर्तमान में भरतपुर जिले में किसानों को सिंचाई हेतु राज्य के अन्य हिस्सों की तरह ही औसतन प्रतिदिन 6 घन्टे (दिन व रात्रि की पारी में) विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है ।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) सायंकालीन समय (पीक लोड हावर्स) में विद्युत की मांग बढ़ जाने के कारण मांग व उपलब्धि में काफी अन्तर हो जाता है जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में 6 बजे से 10 बजे तक सिंगल फेज पर ही घरेलू उपभोग हेतु विद्युत आपूर्ति कराया जाना सम्भव हो पाता है।

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के गांवों का विद्युतीकरण

21. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्तमान में किस-किस गांव को विद्युतीकरण करने का सरकार का लक्ष्य है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ग्राम पंचायत डैमा अम्बाजा जो गुजरात राज्य से सटा हुआ है का विद्युतीकरण करने का सरकार कोई इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) वर्ष 1994-95 में निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में किस-किस गांव का विद्युतीकरण कर दिया जावेगा ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर के अन्तर्गत पड़ने वाली तहसील झाड़ोल के 7 ग्राम वर्ष 1993-94 में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित है। सूची "अ" संलग्न है।

(2) जनगणना पुस्तिका 1981 के अनुसार ग्राम पंचायत डैमा अम्बाजा नाम से कोई ग्राम नहीं है। पंचायत समिति झाड़ोल में ग्राम अम्बाजा (कोड नं. 20/13/229) अंकित है। यह ग्राम पंचायत समिति झाड़ोल में चल रही ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत नहीं है। पंचायत समिति झाड़ोल की वर्तमान में चल रही ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का कार्यकाल पूर्ण होने के बाद अविद्युतीकृत ग्रामों के साथ इस ग्राम को सम्मिलित करते हुए नवीन ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत होने के पश्चात् ही उक्त ग्राम का विद्युतीकरण कर पाना सम्भव हो सकेगा।

(3) वर्ष 1994–95 हेतु ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम अभी तय नहीं किया गया है, जिसके निर्धारित होने के पश्चात् ही निर्वाचन क्षेत्र फलासिया के ग्राम जो कि वर्ष 1994–95 में विद्युतीकरण हेतु चयनित किये जा सकेंगे, के बारे में बता पाना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–10 देखें।)

राज्य की विद्युत् उत्पादन इकाइयों की उत्पादन लागत

22. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य की विद्युत उत्पादन इकाइयों यथा हाइडल, आटोमिक, थर्मल आदि की

(श्री विष्णु मोदी)

लागत उत्पादन के पिछले तीन वर्षों के वर्ष-वार आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में विद्युत की दर अलग-अलग क्षेत्रवार अलग-अलग हैं? यदि हां, तो औचित्य दर्शाते हुए विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की विद्युत उत्पादन इकाइयों यथा हाइडल, थर्मल आदि की लागत उत्पादन की दर की गणना 1991-92 वर्ष तक की गई है। पिछले तीन वर्ष की उत्पादन लागत की दरें संलग्न परिशिष्ट "अ" में दर्शायी गयी हैं जिसमें विभिन्न स्रोतों से महंगी दरों पर खरीदी गई विद्युत की लागत सम्मिलित नहीं है। कालम 12 में उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने की लागत दर (जिसमें प्रसारण एवं वितरण लागत सम्मिलित है) भी दर्शायी गई है। अणु बिजली घर केन्द्र सरकार के अधीन है, जिसकी उत्पादन लागत के आंकड़े केन्द्र सरकार ही दे सकती है।

(2) जी नहीं, पूरे राज्य में अलग-अलग क्षेत्रवार अलग-अलग विद्युत दरें नहीं हैं, अपितु राज्य के उपभोक्ताओं के लिये श्रेणीवार ही अलग-अलग विद्युत दरें लागू हैं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

तहसील भीम एवं देवगढ़ (राजसमन्द) के गांवों का विद्युतीकरण

23. **श्री लक्ष्मण सिंह** (भीम): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजसमन्द जिले की भीम तथा देवगढ़ तहसील के कौन-कौन से ग्रामों को अब तक विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है?

(2) उक्त ग्रामों में से किन-किन ग्रामों में ट्रान्सफार्मर लगाकर विद्युत कनेक्शन दिया जाना बाकी है तथा उक्त ग्रामों में ट्रांस-फार्मर कब तक लगा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले की भीम तहसील के 91 एवं देवगढ़ तहसील के 115 ग्रामों का अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है। विद्युतीकृत ग्रामों की सूची संलग्न प्रपत्र "अ" में दर्शायी गयी है।

(2) उक्त विद्युतीकृत ग्रामों में से भीम तहसील के ग्राम एवं देवगढ़ तहसील के 6 ग्रामों में ट्रान्सफार्मर लगाया जाना शेष हैं। इनमें से जिन ग्रामों में प्रार्थना पत्र प्राप्त हो गये हैं उनमें ट्रान्सफार्मर शीघ्र लगाकर कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा शेष ग्रामों में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ट्रान्सफार्मर स्थापित किया जावेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–12 देखें।)

चोरड़िया तहसील शेरगढ़ में नर्सरी का संचालन

24. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः–

(1) क्या शेरगढ़ तहसील में चोरड़िया में वन विभाग द्वारा नर्सरी चलाई जा रही थी ? क्या इसे बन्द कर दी गई ? यदि हाँ, तो क्यों ?

(2) क्या उक्त नर्सरी की जमीन दानदाता ने मुफ्त में दी थी और पानी पर 600 रु. प्रति मास व्यय होता था ? क्या अब इसके स्थान पर सेरवाला में नर्सरी शुरू की गई है ? यदि हां, तो उस पर माहवार विद्युत व्यय कितना आया है ?

(3) क्या यह सही है कि शेरगढ़ तहसील में अभी नर्सरीज में से स्टाफ हटा देने से सभी खाली पड़ी है और कोई पौध तैयार नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त तहसील में कहां-कहां पर नर्सरी व चारों के लिए तारबन्दी का एनक्लोजर्स है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) चोरड़िया में पूर्व से ही नर्सरी चलायी जा रही है। इसे बन्द नहीं किया गया है।

(2) जी नहीं। सेरवाला नर्सरी, चोरड़िया नर्सरी के स्थान पर प्रारम्भ नहीं की गई है। वर्तमान में इस नर्सरी में माहवारी विद्युत व्यय रुपये 425/– आता है। दानदाता द्वारा खोवसारिया में जमीन नर्सरी एवं अन्य राज्य कार्य हेतु मुफ्त में दी गई थी।

(3) जी नहीं। शेरगढ़ तहसील में नर्सरी एव चारे के लिए तारबन्दी किये गये एनक्लोजरों की सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें।)

जिला सवाईमाधोपुर में वृक्षारोपण

25. श्री रामस्वरूप मीणा (टोड़ाभीम) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला सवाई माधोपुर में वर्ष 1992–93 में कुल कितने पौधे विभाग द्वारा लगाये गये ?

(2) लगाये गये पौधों में से कितने जीवित है एवं कितने नष्ट हो गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला सवाई माधोपुर के विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम में वर्ष 1991 से 1993 में कितने पौधे लगाये गये तथा कितने मजदूरों ने काम किया एवं उसका कितना भुगतान किया गया ?

उत्तर

(1) जिला सवाई माधोपुर में विभाग द्वारा वर्ष 1992-93 में 16 22 लाख पौधे 2958.5 हैक्टेयर क्षेत्र में लगाये गये।

(वन मंत्री)

(2) लगाये गये पौधों में से प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार औसतन 60% पौधे जीवित हैं।

(3) जिला सवाई माधोपुर के टोडा-भीम विधान सभा क्षेत्र में 1991 से 1993 तक 887036 पौधे लगाये गये। इन कार्यों पर मस्टरोल पर पखवाड़ेवार नियोजित श्रमिकों की कुल संख्या जैसनी एवं हलौंदा के अतिरिक्त 14370 हैं। जिसका रुपये 44,00,447 राशि का भुगतान किया गया है।

ग्राम देनोक तहसील फलौदी में अवैध खनन

26. **श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी)** : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील फलौदी जिला जोधपुर के ग्राम देनोक (बरसिगों का बास व इन्दों का बास) में बड़ी मात्रा में चुनाई का पत्थर निकलता है जिस पर स्थानीय अधिकारियों की मिली-भगत से अवैध खनन का धंधा होता है ?

(2) क्या यह भी सही है कि इससे सरकार को लाखों रुपयों की रायल्टी का नुकसान हो रहा है ?

(3) वर्ष 1992-93 में विभाग को कितनी रायल्टी जमा हुई व वर्ष 1993-94 में माह दिसम्बर के अन्त तक कितनी रायल्टी वसूल हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विभाग दोषी लोगों का पता लगाकर उनको दंडित करेगा ?

उत्तर

(1 व 2) जी नहीं। तहसील फलौदी जिला जोधपुर के गांव देनोक (बरसिगों का बास व इन्दों का बास) में बड़ी मात्रा में चिनाई-पत्थर उपलब्ध तो है, लेकिन क्षेत्र में खनिज का उत्पादन कम मात्रा में ही होता है। इसमें स्थानीय अधिकारियों की मिली-भगत से अवैध खनन का धन्धा होने की ओर इससे राज्य सरकार को रायल्टी की हानि होने की कोई सूचना राज्य सरकार को नहीं है।

क्षेत्र में यदाकदा अनाधिकृत खनन कार्य होता है, उसकी जानकारी कर विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र का निरीक्षण कर ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। विभाग ने उक्त क्षेत्र से अवैध खनिज के निर्गमन से वर्ष 1993-94 में 5000/– रुपये की राशि वसूल की है एवं इस वर्ष नवम्बर, 1993 तक 9825/– रु. वसूल किये हैं फिर भी विभाग के वरिष्ठ अधि-कारी-अधीक्षण खनिज अभियन्ता, जोधपुर को निर्देश दिये जा रहे हैं कि वे मामले में अपने स्तर से जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

(3) उक्त क्षेत्र से विभाग को वर्ष 1992-93 में 1,05,647/– रुपये व वर्ष 1993-94 में दिसम्बर, तक कुल 1,21,755/– रुपये रायल्टी से आय हुई।

(खनिज मंत्री)

(4) मामले विशेष में किसी अधिकारी/कर्मचारी के दोषी होने की जानकारी विभाग को नहीं है जहां तक क्षेत्र में यदा-कदा अनाधिकृत खनन करने वाले लोगों का प्रश्न है, विभाग मामले में समुचित कार्यवाही कर रहा है व करता रहेगा।

राज्य को आबकारी से आय

27. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोड़ा-भीम) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में आबकारी विभाग को वर्ष 1992 एवं 1993 में कितनी आय हुई और किन-किन मदों से हुई ?

(2) जिला सवाई माधोपुर में 1992-93 में शराब का ठेका किस-किस को दिया गया और कितनी-कितनी राशि का ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1991-92 व 1992-93 में आबकारी विभाग को विभिन्न मदों में जो आय हुई उसका मानचित्र परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जिला सवाई माधोपुर में निम्न तीन मदिरा समूह हैं। इन तीनों समूहों ठेका वर्ष 1992-93 में जिन्हें दिया गया वह निम्नानुसार है एवं वार्षिक प्राप्त राशि प्रत्येक समूह के नीचे दर्शाई गई हैं:—

1. सवाई माधोपुर समूह

1. श्री शिवदयाल खटीक
2. श्री अनिल खां पुत्र बदरूदीन

(दिनांक 5-5-92 से 31-3-93 तक)

वर्ष 1992-93 की एकाकी विशेषाधिकार की राशि :—

1. देशी मदिरा दुकानात	1,01,00,000/-
2. मा. नि. वि. मदिरा खुदरा	1,39,02,000/-
3. मा. नि. वि. मदिरा थोक	2,00,000/-
4. बीयर खुदरा	9,00,000/-
	2,51,02,000/-

2. हिण्डौन, करौली समूह

1. श्री जगमहेन्द्रसिंह पुत्र श्री मंशीसिंह
2. श्री कृष्णकुमार पुत्र श्री उदाराम
3. श्री रामसिंह पुत्र श्री उदाराम
4. श्री दौलतराम पुत्र श्री सुरजाराम

(दिनांक 1-4-92 से 31-3-93 तक) एकाकी विशेषाधिकार की राशि।

1. देशी मदिरा	1,98,83,500/-
2. मा. नि. वि., मदिरा खुदरा	2,10,31,230/-
3. बीयर खुदरा	6,00,300/-
	4,15,15,000/-

(आबकारी मंत्री)

3. गंगापुर सिटी समूह

1. श्रीमती बदामी देवी पत्नि श्री प्यारेलाल
2. श्री पुष्पेन्द्र तिवारी पुत्र श्री हरिप्रसाद
3. श्री अमरनाथ पुत्र श्री रामनाथ

(दिनांक 1-4-92 से 31-3-93 तक की विशेषाधिकार की राशि ।)

1.	देशी मदिरा	95,00,955/-
2.	मा. नि. वि. मदिरा खुदरा	69,33,005/-
3.	बीयर (खुदरा)	3,68,690/-
		1,68,02,650/-

(मानचित्र के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें ।)

देशी एवं स्वदेशी मदिरा की उत्पादन लागत

28. श्री रामनारायण (नैनवां) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या देशी तथा स्वदेशी, निर्मित विदेशी मदिरा की उत्पादन लागत वर्ष 1989–90 के मुकाबले वर्ष 1991–92 में कम हुई है ? यदि हां, तो कितनी ? मदिरा का किस्मवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मदिरा निर्माण एवं प्रशासनिक खर्चों सहित पूरे विभाग का वार्षिक खर्च कितना है, तथा पूरे खर्चे को कम करने के पश्चात् विभाग से सरकार को शुद्ध आय कितनी मिलती है ? वर्ष 1988–89 से अब तक का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देशी मदिरा का उत्पादन गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा किया जाता है। यहां से प्राप्त सूचना के आधार पर उत्पादन लागत वर्ष 1989-90 में रु. 4.26 पैसे प्रति एल. पी. लीटर निर्धारित किया गया एवं वर्ष 1991–92 में 7.77 रु. प्रति एल. पी. लीटर निर्धारित किया जाकर आबकारी विभाग द्वारा राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. को भुगतान किया गया है। इस प्रकार उत्पादन लागत वर्ष 1991–92 में कम नहीं हुई है।

राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. द्वारा देशी मदिरा चार प्रकार की बनाई जाती है। जिसका निर्गम मूल्य विभाग के माध्यम से राज्य सरकार निर्धारित करती है। जो वर्ष 1989-90 एवं 1991-92 में निम्नानुसार था :—

मदिरा का प्रकार	निर्गम मूल्य 1989-90	निर्गम मूल्य 1991-92
1. 5 यू.पी. केशर कस्तूरी	30.40 प्रति बल्क लीटर	11.40 प्रति बल्क लीटर
2. 35 यू.पी. गुलाब	13.65 "	3.90 "
3. 45 यू.पी. सादा	11.55 "	3.30 "
4. 60 यू.पी. साठिया	7.20 "	2.40 "

(आबकारी मंत्री)

उत्पादन लागत बढ़ने के बावजूद वर्ष 1991-92 में देशी मदिरा के निर्गम मूल्य में कमी का कारण देशी मदिरा से आबकारी शुल्क समाप्त करना था। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि ऐसा करने पर निर्गम मूल्य में भारी कमी हो सकेगी और इससे अनुज्ञाधारियों को आयकर कम भुगतान करना पड़ेगा और इस बची हुई राशि को देशी मदिरा की गारंटी राशि में सम्मिलित कर लिया जायेगा। इस प्रकार अनुज्ञाधारी को तो इस निर्णय का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा परन्तु राज्य सरकार को वित्तीय लाभ होगा क्योंकि भारत सरकार को जाने वाली आयकर की राशि बढ़ी हुई गारण्टी राशि के रूप में राज्य सरकार को स्थानान्तरण हो जायेगी।

स्वदेशी निर्मित विदेशी मदिरा भारत की विभिन्न डिस्टलरी द्वारा निर्मित की जाती है। जिसकी उत्पादन लागत आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित नहीं की जाती है। इस पर राजस्थान में केवल आबकारी शुल्क वसूल किया जाता है। जो 55/– रुपया प्रति एल पी. लीटर है।

(2) विभागीय आय एवं विभागीय प्रशासनिक खर्चों सहित मदिरा निर्माण के खर्च को कम करने के पश्चात् विभाग से सरकार को प्राप्त शुद्ध आय का वर्ष 1988 89 से 92–93 तक का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

विभागीय शुद्ध आय विवरण

(राशि करोड़ रुपयों में)

वर्ष	विभागीय आय	विभागीय प्रशासनिक व्यय मदिरा निर्माण व्यय सहित	शुद्ध आय
1988-89	140.28	11.25	129.03
1989-90	219.76	11.94	199.82
1990-91	260.46	20.99	239.47
1991-92	356.32	34.24	322.07
1992-93	414.15	50.84	363.30

बीसलपुर बांध परियोजना भूमि पर किसानों को खातेदारी

29. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीसलपुर बांध परियोजना क्षेत्र में आने वाले गांवों की कितनी भूमि कृषि योग्य तथा कितनी अकृषि योग्य है ? उसमें से कितनी भूमि कुओं, सिंचाई बांधों तथा अन्य तरीके से सिंचित हो रही है ? ग्राम-वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बांध परियोजना क्षेत्र के गांवों में कुल कितनी भूमि है तथा उसमें से किसानों के खातेदारी अधिकार की कितनी भूमि है ?

(3) क्या उक्त परियोजना क्षेत्र से नैनवां तहसील के अलग किये गये 56 गांवों

(श्री रामनारायण)

की भूमि किसी अन्य बांध से सिंचित होती है ? यदि हां, तो किस गांव की कितनी-कितनी भूमि ?

(4) क्या उक्त परियोजना क्षेत्र से नैनवां तहसील के अलग किये गये गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाने हेतु अन्य कोई सिंचाई योजना बनाया जाना सम्भव है ? यदि हां, तो इस प्रकार की योजना कब तक बना ली जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध परियोजना क्षेत्र में आने वाले गांवों की कुल कृषि योग्य भूमि 1,07,118 हैक्टेयर है, अकृषि योग्य भूमि 11,936 हैक्टेयर है तथा जंगलात, गोचर की भूमि 3763 हैक्टेयर है। इसमें से कुओं, सिंचाई बांध तथा अन्य तरीकों से 18,488 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई हो रही है। ग्रामवार विवरण संलग्न है (परिशिष्ट-अ) बीसलपुर बांध परियोजना से 69300 हैक्टेयर कृषि भूमि (सी. सी ए.) को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

(2) बीसलपुर बांध परियोजना क्षेत्र के गांवों में कुल भूमि 1,22,817 हैक्टेयर है, उसमें किसानों के खातेदारी अधिकारी कुल भूमि का विवरण सम्बन्धित जिलाधीश से प्राप्त किया जा रहा है जो उपलब्ध होते ही अलग से प्रस्तुत किया जावेगा।

(3) नैनवां तहसील के 56 ग्रामों में से 4 ग्रामों की करीब 2350 एकड़ भूमि अन्य तालावों से सिंचित होती है। ग्रामवार सिचाई एवं तालाब जिससे सिंचाई होती है उसका विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" में दिया गया है।

(4) नैनवां तहसील के 56 ग्रामों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अन्य कोई सिंचाई योजना बन सकती हैं या नहीं के बारे में सर्वेक्षण के उपरान्त ही बताया जा सकता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें।)

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में स्वीकृत कार्य

30. श्री कुबेर सिह (फलासिया) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में विभाग द्वारा किस-किस स्थान हेतु क्या-क्या कार्य कब-कब कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये ?

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कौन-कौन से कार्य कब-कब पूर्ण हो गये तथा कौन-कौन से कार्य अभी भी अपूर्ण हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार की नीति अनुसार पहले अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराया जाना चाहिये ? यदि हां, तो अधूरे कार्य रहते हुए कौन-कौन से नये कार्य कब-कब स्वीकृत किये गये ? इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है एवं विभाग

(श्री कुबेर सिंह)

दोषी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या विभाग अब अधूरे कार्य पूरे कराने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलासिया में वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में सिंचाई विभाग द्वारा कोई भी नया कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) जब कोई कार्य स्वीकृत ही नहीं हुआ तो किसी अधिकारी के दोषी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अत: किसी-किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं है।

(4) जी हां। विभाग अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने के लिए प्रयासरत है। वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर ही इन्हें पूरा करवाया जाना सम्भव हो सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम एवं दौसा के किसानों को नहरों से पानी का वितरण

31. श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम एवं दौसा में कहां-कहां बांध स्थित हैं तथा किन बांधों द्वारा किसानों को सिंचाई हेतु नहरों से पानी दिया जाता है ? तहसीलवार ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य सरकार इन नहरों की खुदाई कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि बांध पांचना (करौली) द्वारा नादौती तहसील को पानी दिया जाता है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ग्रामों को दिया जा रहा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या पांचना नहर लिफ्ट द्वारा नादौती क्षेत्र में पानी देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) पांचना नहर जो कैमला के पास है क्या उसका विस्तार करने का सरकार का विचार है ?

(6) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र दौसा सैंथल सागर का पानी काश्त के रूप में उपयोग में लिया जाता है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों को दिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) उक्त नहर की खुदाई एवं टूट-फूट की मरम्मत का कार्य कब तक कराने का सरकार का विचार है ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम एवं दौसा में जहां-जहां बांध स्थित हैं एवं जिन गांवों में इन बांधों से किसानों को सिंचाई हेतु नहरों द्वारा पानी दिया जा रहा है उसकी तहसीलवार सूची परिशिष्ट "अ" व "ब" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त सभी बांधों की नहरें पूर्व में ही बनी हुई हैं। नहरों में प्रतिवर्ष आने वाली सिल्ट की खुदाई का आवश्यक कार्य नहरों को सिंचाई हेतु चलने से पूर्व ही करा दिया जाता है। तथा इस वर्ष (1993) भी यह कार्य करा दिया गया है।

(3) जी हां। नादौती तहसील के जिन ग्रामों को पानी दिया जा रहा है उनकी सूची परिशिष्ट "स" सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(4) जी नहीं। कमाण्ड क्षेत्र में फ्लो द्वारा सिंचाई हेतु वांछित क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण लिफ्ट द्वारा नादौती क्षेत्र में पानी देने की योजना नहीं है। क्योंकि लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण एवं रख-रखाव फ्लो सिंचाई योजना की तुलना में काफी महंगा होने से पांचना परियोजना के सिंचाई योग्य क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हैं।

(5) जी नहीं।

(6) जी हां। जिन-जिन ग्रामों को सिंचाई हेतु पानी दिया जाता हैं उनकी सूची परिशिष्ट "द" सदन की मेज पर प्रस्तुत हैं।

(7) बांध सैंथल सागर से निकलने वाली दोनों नहरें पूर्व में ही बनी हुई हैं। नहरों में प्रतिवर्ष आने वाली सिल्ट की खुदाई एवं टूट-फूट की मरम्मत का आवश्यक कार्य करवा दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें।)

कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रकरण

32. श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा): क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भाषा विभाग के कर्मचारियों के सभी बकाया वेतन निर्धारण के प्रकरण निपटा दिये गये हैं? यदि नहीं, तो कितने कर्मचारियों के प्रकरण शेष हैं? नामों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या भाषा विभाग के कार्यालय सहायक के पद हेतु, अनुसूचित जनजाति का कोटा पूरा किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) चूंकि विभाग में कार्यालय सहायक का एक ही पद है। अतः इसे राज्य सरकार के आदेश संख्या-15/कार्मिक/क-5/75, दिनांक 10-12-76 के अनुसार भरा गया है।

भाषा विभाग के टाइपराइटर्स

33. **श्री किशनगोपाल कोगटा** (मसूदा) : क्या भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या भाषा विभाग के टाइपराइटर्स के स्टाक रजिस्टर गायब हैं ?

(2) स्टाक रजिस्टरों के अनुसार कितने टाइपराइटर्स कम हैं ? अंग्रेजी एवं हिन्दी टंकण यन्त्रों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) कोई टंकण यन्त्र कम नहीं है।

जिला शिक्षा अधिकारी (छात्राएं) उदयपुर द्वारा पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्तियां

34. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जिला शिक्षा अधिकारी (छात्राएं), उदयपुर, डूंगरपुर. बांसवाड़ा वृत्त उदयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक 2 (133) जिशिअ/छात्रा/उदय/संस्था/अ/86–87/4 दिनांक 22-8-86 द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर नियुक्तियां की गई थी ? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कौन-कौन आशार्थी कहां-कहां कब से किस-किस पद पर पद स्थापित है ?

(3) क्या विभाग ने किसी आशार्थी को पद से हटाया ? यदि हां, तो क्यों ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या कोई आशार्थी त्याग-पत्र देकर चला गया ? यदि हां, तो त्याग-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में निम्नांकित आशार्थी उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर पद स्थापित हैं।

क्र.सं.	नाम पुस्तकालयाध्यक्ष	वर्तमान पदस्थापन-स्थान कब से
1	2	3
1.	सुश्री रेखा परदासानी	अजमेर जिले में स्थानान्तरित 10-9-92 से
2.	इन्द्रा शर्मा	रा. बा. मा. वि., सुन्दरवास, उदयपुर 1-10-89 से
3.	सुश्री मनसा सुहालका	कार्य ग्रहण नहीं किया।

(शिक्षा मंत्री)

1	2	3
4.	सुश्री विमा जैन	कार्य ग्रहण नहीं किया।
5.	सुश्री कमला जैन	दि. 5-9-86 को रा. बा. मा. वि., खैरवाड़ा में कार्य ग्रहण किया एवं ये दि. 6-9-86 से उपस्थित नहीं हुए। अतः ये राज्य सेवा में नहीं है।

(3) किसी भी आशार्थी को नहीं हटाया गया। सुश्री कमला जैन के अस्थाई नियुक्ति में 6 माह बाद वृद्धि नहीं की गई।

(4) किसी भी आशार्थी ने त्याग-पत्र नहीं दिया।

(आदेश की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-17 देखें।)

राजकीय बालिका सीनियर हायर सैकण्डरी विद्यालय, जालौर में संगीत विषय

35. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, जालौर की छात्राओं ने संगीत विषय खोले जाने की मांग की थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि विद्यालय ने एवं जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) ने इस आशय का प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में संगीत विषय खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। चालू वर्ष 1993-94 में बजट प्रावधान अनुसार विषय खोले जा चुके हैं। आगामी वर्ष में संगीत विषय खोलने की मांग प्राप्त होने पर, उपलब्ध बजट प्रावधान तथा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर गुणावगुण के आधार पर अन्य प्रस्तावों के साथ राजकीय बालिका सीनियर सैकण्डरी विद्यालय, जालौर के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा सकेगा।

राज्य के विद्यालयों की क्रमोन्नति

36. श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण), श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) एवं श्री जयन्तीलाल (रेवदर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्तमान में कितने वरिष्ठ उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं ? इनमें से बालिका विद्यालय कितने हैं ?

(2) गत चार वर्षों में कितने विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

(3) इस वर्ष कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

(4) सरकार आगामी बजट में कितने विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में 805 सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें से 148 बालिका विद्यालय हैं ।

(2) गत चार वर्षों में निम्नांकित विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है :—

वर्ष	प्रा.वि. से उ.प्रा.वि.	उ.प्रा. वि. से मा.वि.	मा.वि. से उ.मा वि.
90–91	—	—	10
91–92	271	144	62
92–93	96	78	26
93–94	100	49	31

सूची संलग्न है ।

(3) चालू वर्ष 93–94 में 100 प्रा. विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर तथा 31 माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति हेतु क्रमशः 396,253, 535 प्रस्तावित प्राप्त हुए हैं । प्रस्तावों की सूची संलग्न है ।

(4) बजट की उपलब्धता के आधार पर आगामी वर्ष में क्रमोन्नत किये जाने वाले विद्यालयों की संख्या का निर्धारण किया जा सकेगा ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

जिला सवाईमाधोपुर में विद्यालयों की क्रमोन्नति

37. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा-भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993–94 में जिला सवाई माधोपुर में कितने स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया ?

(2) अब इस क्षेत्र में कितने और विद्यालय सरकार क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ?

(3) विद्यालयों के क्रमोन्नति सम्बन्धी सरकार की नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) वर्ष 1993–94 में सवाई माधोपुर जिले में विभिन्न स्तर के निम्न 6 विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है—

(अ) प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय

1. लेदिया पंचायत समिति, सपोटरा
2. गम्भीरा पंचायत समिति, सवाई माधोपुर

(शिक्षा मंत्री)

3. सोप (छात्रा) पंचायत समिति, नादोती

(ब) उच्च प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय में

4. मलारना डूंगर (कन्या) पंचायत समिति, बोली

5. निसरा पंचायत समिति, टोडाभीम

(स) माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय में

6. मंडरायल पंचायत समिति, सपोटरा

(2) वर्ष 1994-95 में बजट उपलब्ध होने पर राज्य में विद्यालय क्रमोन्नत करते समय, सवाई माधोपुर जिले के प्रस्तावों पर निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने एवं गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

(3) विद्यालय क्रमोन्नत करते समय उपलब्ध बजट, क्षेत्र की मांग, गांव की जनसंख्या, छात्रों की संख्या, फिडर विद्यालयों की संख्या तथा निकटतम उपलब्ध सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

राजसमन्द जिले के चिकित्सालयों में रिक्त पद

38. श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजसमन्द जिले की किस-किस तहसील के कौन-कौन से ग्राम/शहर में उप स्वास्थ्य केन्द्र, एडपोस्ट, डिस्पेन्सरी, पी. एच. सी. तथा रैफरल चिकित्सालय खोले जाने के आदेश अब तक जारी हो चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कहां-कहां पर नर्स/कम्पाउण्डर/डाक्टर्स के स्थान रिक्त हैं?

(3) उक्त रिक्त स्थानों को कब तक भर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) राजसमन्द जिले के तहसीलवार स्वीकृत किये गये उप स्वास्थ्य केन्द्र, एडपोस्ट, डिस्पेन्सरी, पी. एच. सी. तथा रैफरल चिकित्सालयों की सूची सदन की मेज पर दी गई है।

(2) उक्त संस्थानों में रिक्त पदों की सूची संलग्न है।

(3) रिक्त पदों को लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी, पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नत करने पर तथा प्रशिक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर निकट भविष्य में भरना संभव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–18 देखें।)

राज्य की तीस जिले तीस काम योजना में स्वीकृत राशि

39. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री परसादीलाल मीणा)

(1) तीस जिले तीस काम योजना में पिछले दो वर्षों में एवं चालू वित्तीय वर्ष में कितनी-कितनी राशि जिलेवार राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गयी थी ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आवंटित राशि जिलेवार खर्च कर ली गयी है ? यदि हां, तो वर्षवार खर्च की गयी राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत राज्य के सभी जिलों को वर्ष 1991–92 में कुल रुपये 2000.00 लाख, 1992–93 में कुल रुपये 2000.00 लाख तथा चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 में कुल प्रावधान की राशि रुपये 2000.00 लाख के विरुद्ध माह दिसम्बर, 1993 तक रुपये 1858.76 लाख आवंटित किये गये हैं। आवंटित राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट–I पर उपलब्ध है।

(2) हां। आवंटित राशि में से जो राशि व्यय की है का विवरण वर्षवार, जिलेवार परिशिष्ट–II संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–19 देखें।)

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) की पंचायतों को आवंटित राशि

40. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में वर्ष 1992–93 में विभिन्न योजनाओं के तहत किस-किस पंचायत को कितनी-कितनी राशि का आवंटन किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि का किस-किस पंचायत ने कितना-कितना उपयोग किया ? क्या प्रत्येक पंचायत द्वारा पूर्ण लेखा जोखा रखा गया ? क्या इसका ऑडिट कराया गया ? यदि हां, तो किस स्तर के अधिकारी द्वारा ?

(3) क्या इसमें कोई आपत्तियां थी यदि हां, तो क्या ? क्या ऑडिट आक्षेपों का निराकरण कर दिया गया ? यदि हां, तो किस तरह ? यदि नहीं तो, क्यों ?

(4) क्या इसमें कोई दोषी पाया गया ? यदि हां, तो दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

(1) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा सीधे पंचायतों को केवल जवाहर रोजगार योजना के पंचायत मद में ही राशि स्थानान्तरित की जाती है। निर्वाचन क्षेत्र फलासिया में वर्ष 1992–93 में पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना में स्थानान्तरित की गयी राशि का विवरण संलग्न मानचित्र में अंकित है।

(विशिष्ट योजना संगठन मंत्री)

(2) पंचायतों द्वारा उपयोग की गई राशि का विवरण भी संलग्न मानचित्र में अंकित है। उपयोग की गई राशि का लेखा जोखा सम्बन्धित पंचायत द्वारा रखा जाता है तथा इसी लेखे का ऑडिट स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के ऑडिट दल से कराया जाता है। ऑडिट दल के प्रमुख सामान्यतः सहायक लेखाधिकारी होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र फलासिया की कुल 37 पंचायतों में से निम्न 9 पंचायतों का वर्ष 1992–93 का ऑडिट अभी तक नहीं हुआ है :—

1. अटाटिया
2. ओगणा
3. गेजवी
4. थोबावाडा
5. बिछावेडा
6. आमीवाडा
7. भूडा
8. ढेडमारिया
9. जोगीवड

(3) जिन 28 पंचायतों का ऑडिट हुआ है उनमें से केवल पंचायत समिति झाडोल क्षेत्र की 20 पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट उप निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, उदयपुर कार्यालय से दिनांक 21-12-1993 को जारी हुई थी। शेष 8 पंचायतों की प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट्स का अध्ययन करवाया जा रहा है। इनमें प्रमुख आपत्तियां निम्न प्रकार की हैं :—

1. अग्रिम राशि समायोजन का अभाव
2. अमानत का अधिक भुगतान
3. गबन/अपहरण
4. लेखा संधारण में अनियमितता
5. टास्क के अभाव में अनियमित व्यय
6. अनियमित क्रय
7. क्रय सामग्री के उपयोग का अभाव

जिन 20 पंचायतों की ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 21-12-93 को जारी हुई है, वह भी पंचायत समिति को लगभग एक सप्ताह पूर्व ही प्राप्त हुई है। अतः अभी तक ऑडिट आक्षेप का निराकरण नहीं हुआ है। अतिरिक्त कलक्टर (विकास), उदयपुर ने विकास अधिकारी पंचायत समिति झाड़ोल को इनका शीघ्र निराकरण करवाने हेतु निर्देश दे दिये है।

(4) ऑडिट रिपोर्ट के परीक्षण एवं आवश्यक जांच तथा उत्तरदायित्व निर्धारण के पश्चात् ही यह कहा जा सकता है कि ऑडिट आक्षेप में वर्णित कथित अनियमितता के लिए कोई दोषी है अथवा नहीं ? तदुपरान्त ही दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। जैसा कि प्रश्न के भाग संख्या 3 के उत्तर में उल्लेख है, ऑडिट रिपोर्ट्स हाल ही में प्राप्त हुई है तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु विकास अधिकारी को निर्देश दिये जा चुके हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–20 देखें।)

तहसील फलौदी (जोधपुर) में स्वीकृत कार्य

41. **श्री पूनमचन्द विश्नोई** (फलौदी) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

श्री (पूनमचन्द विश्नोई)

(1) फलौदी तहसील जिला जोधपुर में वर्ष 1992-93 में कितने गांव अकाल से प्रभावित थे और इनमें से प्रत्येक गांव में कितने प्रतिशत फसल में नुकसान था ? प्रत्येक गांव व उसमें खराबे की स्थिति दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वर्ष में सड़क निर्माण अथवा तालाबों की खुदाई के कितने कार्य फलौदी तहसील में स्वीकृत किये गये एवं उनमें प्रत्येक पर कितना व्यय हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखे।

(3) इस वर्ष कितने गांवों में अकाल की स्थिति है और उनमें से प्रत्येक में फसल का कितने प्रतिशत नुकसान है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) फलौदी तहसील जिला जोधपुर में वर्ष 1991-92 (संवत् 2048) में समस्त 179 गांव अभावग्रस्त थे। इनमें से 173 गांवों में 75% से 100% तक तथा 6 गांवों में 75% से 100% तक खराबा हुआ था। गांववार खराबे की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"अ")

(2) तहसील फलौदी में 20 सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे, जिन पर 55.427 लाख रुपये व्यय हुए तथा सिंचाई विभाग द्वारा बांध/तालाबों की मरम्मत पर कुल आठ कार्यों पर राशि 2,53,278/- रुपये व्यय किये गये। कार्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-"ब")

(3) इस वर्ष (संवत 2050) में फलौदी तहसील के समस्त 179 गांवों में 75% से 100% फसल खराब है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "स")

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राज्य के अकालग्रस्त घोषित जिले

42. श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या अकाल सहायता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1993-94 में कितने जिलों में अकाल घोषित किया जा रहा है ?

(2) क्या यह सही है कि शेरगढ़ तहसील के सभी गांव अकालग्रस्त हैं ? यदि नहीं, तो कौन-कौन से गांवों को किस कारण से अकालग्रस्त घोषित नहीं किया गया ?

(3) अकाल सहायता के लिये राज्य सरकार के पास कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है तथा उक्त धनराशि जिलेवार किस मानदण्ड से आवंटित किया जाना प्रस्तावित है ?

(4) अकाल राहत कार्यों में शेरगढ़ तहसील में सड़कों की मरम्मत, नई सड़कें बनाने, नये पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने पर कितना व्यय प्रस्तावित है ?

(5) राज्य सरकार अकालग्रस्त शेरगढ़ तहसील में पेयजल हेतु क्या व्यवस्था करने जा रही है ?

(अकाल सहायता राज्य मन्त्री)

उत्तर

(1) 25 जिलों में फसल खराबा होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इन जिलों को अभावग्रस्त घोषित करने का मामला विचाराधीन है।

(2) जी हां, शेरगढ़ तहसील के सभी गांवों में फसल खराबा की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(3) प्राकृतिक आपदा कोष में 273.27 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध है। राशि का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं पर जिले की आवश्यकतानुसार किया जाता है।

(4) अभावग्रस्त घोषित होने के बाद राहत कार्य जिला कलक्टर द्वारा जिले की प्राथमिकतायें निश्चित की जाकर व राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार चलाये जाते हैं।

(5) तहसील शेरगढ़ में जिन गांवों में पेयजल व्यवस्था हेतु साधन उपलब्ध नहीं है वहां पर पेयजल टैंकरों द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सदस्य, विधान सभा की ओर से भरतपुर जिले के किसानों को कृषि सिंचाई हेतु बिजली नहीं मिलने से किसानों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामस्वरुप (टोडाभीम) सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला सवाई-माधोपुर की तहसील नादौती एव टोडाभीम में बिजली की सप्लाई पर्याप्त नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से बीकानेर जिले के अधिकांश गांवों में इस वर्ष वर्षा की कमी से उत्पन्न अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में

(4) श्री भीमराज भाटी और श्री जुबेरखान, सदस्य विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र पाली के स्थान नया गांव सदर थाना कोतवाली में दिनांक 13 दिसम्बर, 1993 को कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा भंवरिया बावरी पुत्र श्री कुम्भाजी की कथित हत्या से वहां की जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमराराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के ग्रामीण इलाकों में बिजली की सप्लाई पर्याप्त न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री रतनलाल ताम्बी, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विद्युत आपूर्ति नियमित एवं पर्याप्त करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य विधान सभा की ओर से राज्य में विद्युत कटौती के कारण किसानों में व्याप्त भारी असन्तोष के सम्बन्ध में।

(8) श्री विष्णु मोदी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य में विद्युत संकट उत्पन्न होने के कारण राज्य की औद्योगिक

(श्री अध्यक्ष)

ईकाइयों, कृषि कार्यों में उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सूचनायें

(1) श्री रामनारायण वर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बून्दी जिले से "लीजदार" एवं "खातेदार" सरकार के नाम पर राजस्व रिकार्ड में किये गये पूर्व के इन्द्राजात से किसानों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से सवाईमाधोपुर जिले की तहसील टोडाभीम एवं नादौती में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान राज्य बीज निगम में ऑडिट आक्षेपों की ओर ध्यान न दिये जाने एवं निगम में प्रतिवर्ष बढ़ रहे घाटे के सम्बन्ध में।

(4) श्री हरिसिंह (कुम्हेर) सदस्य, विधान सभा की ओर से "भरतपुर फीडर" नामक नहर में यमुना का पानी दो सौ क्यूसेक प्रतिदिन एक माह तक प्राप्त करने हेतु प्रभावी कदम उठाने के सम्बन्ध में।

(5) श्रीमती तारा भण्डारी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सुमेरपुर ट्रक आपरेटर यूनियन द्वारा शिवगंज औद्योगिक क्षेत्र में कथित हमले व आतंक से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री जगदीप धनखड़, आप बोलें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 सितम्बर, 1993 को भारत के प्रधान मन्त्री, नरसिम्हा राव जी ने सभी दलों के सांसदों की ओर से जो डिमाण्ड उठायी गई उसको स्वीकार करते हुए भारत की संसद में यह घोषणा की कि हर सांसद को प्रतिवर्ष अपने इलाके में विकास कार्य करने हेतु एक करोड़ रुपया मिलेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, यह 295 का है या क्या है ? व्यवस्था का प्रश्न है ? 295 है तो पढ़ दीजिये और व्यवस्था का प्रश्न है तो पूछ लीजिये। भाषण नहीं होगा इस तरह।

श्री जगदीप धनखड़ : घनश्याम तिवाड़ी, यह जीरो आवर का मामला है। अध्यक्ष महोदय, की इजाजत से मैं बोल रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं इजाजत से तो बोल रहे हो लेकिन किस नियम के तहत बोल रहे हो ?

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : स्पेशल मेन्शन है।

श्री अध्यक्ष : इनको बोलने दीजिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्षजी, सभी राजनैतिक दलों के सांसदों ने प्रधान मन्त्री और लोक सभा के अध्यक्ष के समक्ष मुद्दा रखा । सरकार ने इसको स्वीकार किया, एम. पीज लोकल डवलमेण्ट फण्ड की घोषणा की गयी । हर वर्ष एक सांसद को अपने इलाके में छोटे-मोटे विकास कार्य कराने हेतु एक करोड़ का बजट दिया गया । सभी ओर से इसका स्वागत हुआ । मान्यवर, सांसद के साथ विधायक का भी भाग्य जुड़ा हुआ है । चुनाव के पश्चात् हम गांव-गांव में गये, कई छोटे-मोटे कामों की बड़ी समस्या हुई । विधायक का मन करता है, जनप्रतिनिधि होने के नाते कि कुछ काम शीघ्र स्वीकार होने चाहिए पर उसके हाथ बंधे होते हैं । सत्ता पक्ष के विधायक तो अवश्य कुछ न कुछ इधर-उधर हाथ पैर मार सकते हैं लेकिन प्रतिपक्ष की ओर से बड़ी समस्या है । विधायकों के लिए यह सुविधा सांसदों से पहले की गई है····

श्री अरुण सिंह (डीग) : शुरूआत राजस्थान से पहले हुई थी ।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : महाराष्ट्र में पिछले कई वर्षों से व्यवस्था है ।

श्री जगदीप धनखड़ : महाराष्ट्र में पिछले कई वर्षों से यह स्कीम चल रही है जहाँ एक विधायक को 50 लाख रुपये सालाना दिये जाते हैं ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपका तो पहला इम्प्रेशन ही खराब हो गया । राजस्थान में पहले से है । 10 लाख रुपये की व्यवस्था है । आपका सारा भाषण ही बेकार हो गया, धनखड़ साहब ।

श्री रामस्वरूप : माननीय मुख्य मन्त्री जी पहले वाली को चालू रखेंगे और उस राशि को और बढ़ायेंगे (व्यवधान)····

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, घनश्याम तिवाड़ी जी को जब तक झण्डी नहीं लग जाती, तब तक बड़ी समस्या होगी । यह बोलने से कभी नहीं चूकेंगे

श्री घनश्याम तिवाड़ी : झण्डी लगाने से आपकी वाली हालत हो जायेगी, झण्डी नहीं लगनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी । समाप्त करिये ।

श्री जगदीप धनखड़ : मान्यवर, मेरा आपसे अनुरोध है कि जो स्कीम "एम. पीज. लोकल डवलपमेंट फण्ड" है उसी प्रकार की स्कीम राज्य सरकार विधायकों के लिए यहां स्वीकार करे और महाराष्ट्र की भांति कम से कम 50 लाख रुपये हर विधायक को····

श्री चुन्नीलाल गरासिया : पहले से ही 10 लाख रुपये राज्य सरकार ने कर रखे थे, उसके बाद ही प्रधान मन्त्री जी ने किये ।

श्री जगदीप धनखड़ : 50 लाख । इस मामले में सरकार शीघ्र निर्णय ले ताकि इस वर्ष का जो अंश मिले उससे हम जनता को कुछ राहत दिला सकें ।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा। स्पेशल मेंशन।

श्री रामनारायण वर्मा (नैनवां) : मैं एक लाइन में आपसे निवेदन करना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष : पहले स्पेशल मैंशन पढ़िये आप। मेरे पास कोई चिट नहीं है, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। जिनको शून्यकाल में बोलना है वे चिट मेरे को पहले दे दें। इसलिए आप अपना स्पेशल मैंशन पढ़िये। आपने मुझे चिट्ठी दी थी मैंने बुला दिया।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ (राज्य मन्त्री, चिकित्सा) : आज यह काली टोपी क्यों ?

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : You are not supposed to ask me this question, what type of dress I am putting on. Don't be + + +

सर, मैं यह कह रहा था कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किशनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया।

श्री अध्यक्ष : आप लोग बैठकर बात कर लें।

श्री परसराम मदेरणा : मैं उत्तर की अपेक्षा नहीं करता हूं....

श्री अध्यक्ष : हां, बात कर लेंगे।

श्री परसराम मदेरणा : लेकिन मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आपके चैम्बर में इस सम्बन्ध में चर्चा होनी चाहिए

श्री अध्यक्ष : कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे इस पर। ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : इसका सम्बन्ध पूरे सदन से है। इस ओर, उस ओर बैठने वाली बात तो और है। हाथ-पैर जो मारेंगे सो मारेंगे। कई हाथ पैर मारते-मारते भी माओ-त्से-तुंग की तरह लम्बी डिच में चले जायेंगे और इनसे कोई लम्बी छलांग भी नहीं मारी जायेगी सिवाय मन्त्रियों के अन्य जितने भी पार्टी इन पावर के विधान सभा सदस्य हैं। पहले क्या था, पहले का मनी तो यूटिलाइज हो गया। विधान सभा दूसरी आयी है, इसलिए इनके पास कुछ फण्ड्स हों ताकि वे अपने मतदाताओं की सेवा कर सकें।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बून्दी जिले में कृषकों का 'जोता' अथवा 'लीजदार' के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकन

श्री रामनारायण वर्मा : मान्यवर, बून्दी जिले में राजस्व रिकार्ड दुरुस्त नहीं होने तथा राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं करने के कारण किसानों को परेशानियां आ रही हैं। कितने ही प्रकरणों में 20 वर्ष से अधिक समय से कृषकों का नाम कृषि भूमि में "जोता" या "लीजदार" अंकित किया हुआ होने से किसान अपनी कृषि भूमि का विकास नहीं करवा पा रहे हैं तथा उन्हें कुआं खोदने

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रामनारायण वर्मा)

व कृषि यंत्रों के लिए बैंक से ऋण उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ग्राम डेलपुरा तहसील नैनवां की कृषि भूमि खसरा नम्बर 432 के राजस्व रिकार्ड में कृषक सूजा आत्मज ओंकार मीणा का नाम लीजदार अंकित किया हुआ है जबकि उसका उक्त कृषि भूमि में पुश्तैनी कब्जा काश्त होने से खातेदारी स्वतः अंकित कर दी जानी चाहिए थी। कृषक सूजा कब से तथा किस हैसियत से लीजदार कृषक हैं इसकी जानकारी राजस्व अधिकारियों को नहीं होना दुर्भाग्यपूर्ण है। भूमि धारक सरकार होने से भूमि की वास्तविक स्थिति की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की है कि वह भूमि से सम्बन्धित पुराने राजस्व रिकार्ड की जानकारी रखकर अनपढ़ एवं ग्रामीण किसानों से राजस्व रिकार्ड की जानकारी चाहने की बजाय स्टाफ को सही जानकारी देने एवं सहयोग करने का आदेश दे।

तहसील हिण्डोली में 1990 से 1991 तक की अवधि में 344 लीजदार कृषकों को खातेदारी तथा 42 लीजदार कृषकों को गैर खातेदारी दी जा चुकी है। किन्तु इस प्रकरण में कृषक का नाम लीजदार की जगह खातेदार अंकित नहीं कर भेदभाव किया जा रहा है। राजस्व अधिकारियों को अनपढ़ ग्रामीण कृषकों से सबूत मांगने की बजाय हिण्डोली तहसील के किसानों को दी गयी राहत की भांति इस प्रकरण में भी कानूनी एकरूपता रखते हुए खातेदारी अधिकार देने चाहिए तभी कृषक भूमि के विकास के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करके परिवार का सही तरीके से पालन-पोषण कर सकेगा।

ग्राम गोपाल निवास में भी राजस्व रिकार्ड में खातेदार के स्थान पर सरकार का नाम अंकित करके कृषकों के नाम "जोता" की हैसियत से अंकित किये हुए हैं। चूंकि अभी तक भी ऐसे मामलों में किसानों की समस्या के निराकरण हेतु सरकार हेतु निर्देश जारी नहीं किये गये हैं, निचले स्तर के राजस्व कर्मचारी कानूनी अनभिज्ञता के कारण भोले-भाले किसानों को सहयोग नहीं कर पाते हैं। राज्य सरकार का दायित्व है कि इस प्रकार की कानूनी पेंचीदगियों को दूर करने के लिए परिपत्र जारी कर कृषकों के हितों की रक्षा करे। पिछले बन्दोबस्त के समय बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्राम गोपाल निवास के कुछ खसरा नम्बरों में खातेदार सरकार अंकित करके पुराने राजस्व रिकार्ड को बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये बदल दिया गया है, किन्तु उनके खिलाफ अभी तक भी सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की गयी है। इस प्रकरण में सरकार की ओर से तुरन्त आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। आशा है, सरकार द्वारा किसान हित में उपरोक्त वर्णित मामलों में कृषकों के हितों के अनुरूप उचित दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।

मैं एक सैकण्ड लेना चाहूंगा।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : पाइण्ट आफ आर्डर, सर।

श्री रामनारायण वर्मा : जीरो आवर में पाइण्ट आफ आर्डर होता है क्या?

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इस पर नहीं मैं दूसरी बात कह रहा हूं। रूल नम्बर 50. काफी चर्चा का विषय रहा है कि जीरो ग्रावर कितना लम्बा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जीरो ग्रावर बहुत महत्व रखता है असेम्बली के अन्दर। आप भी इण्टरनेशनल लैजिस्लेचर्स में पधारे हैं, इस पर कोई व्यवस्था दे सकें। कभी पांच बजे तक चलता है कभी आठ बजे तक चलता है, कभी दो घण्टे चलता है कभी आधा घण्टे ही चलता है। यहां जीरो ग्रावर का जो महत्व है, एक और जीरो ग्रावर का महत्व होता था कि जान की बाजी लगाकर एयर फोर्स के पायलट सैकण्ड वर्ल्ड वार में निकलते थे। वे भी जीरो ग्रावर पर निकलते थे, 12 बजे रात के, वह भी जीरो ग्रावर होता था। मैं तो आपसे यह व्यवस्था चाहता हूं कि यह जीरो टू जीरो ग्रावर है या डबल जीरो ग्रावर है ?

श्री अध्यक्ष : यह जीरो ही है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : कितना लम्बा है ?

श्री अध्यक्ष : जीरो में से जीरो निकाला जाये तो जीरो ही बचता है। जीरो में जीरो जोड़िये जीरो ही रहता है, इसलिए जीरो ही है।

श्री चन्दनमल बैद : जीरो में जीरो का भाग दीजिए तो भी जीरो ही आता है और जीरो से जीरो मल्टीप्लाई कीजिए तो भी जीरो ही रहता है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रामस्वरूप।

टोडाभीम में पेयजल समस्या

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से 295 के तहत विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पानी की समस्या को हल करने के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में जहां दो तहसीलें हैं-नादौती और टोडाभीम, दोनों तहसीलों में पानी की भयंकर समस्या बनी हुई है। नादौती तहसील में एक भी कुएं में पानी नहीं है। यहां केवल वर्षा के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है और तालाब भरने पर ही जानवर एवं आदमियों को पानी मिल पाता है। विगत कई वर्षों से वर्षा नहीं होने के कारण तालाब नहीं भरे हैं इस कारण पानी की भयंकर समस्या पैदा हो गयी है। पिछले साल कुछ योजनाएं स्वीकृत हुई थीं जिनमें हैं : सांकरवाड़ा, भजेड़ा, भनकपुरा, मातासूला और गोरडा। इनकी बोरिंग हो गयी पर आज तक इनको चालू नहीं किया गया है। न कनेक्शन हुआ न पाइप लाइन डाली गयी। लाखों रुपया सरकार द्वारा खर्च किया जा चुका है पर आज तक इनको चालू नहीं करने के कारण कोई लाभ नहीं मिला। इसके साथ-साथ बोरिंग की स्कीम पास होने के बावजूद आज तक कोई कार्यवाही हुई है। इस क्षेत्र की पुरानी नल योजना में से टुडावली करसेना तहसील टोडाभीम में बोरिंग भी करा दी पर आज तक पानी नहीं भरा। तहसील नादौती में कोमरी कस्बे की टंकी बने बहुत दिन हो गये पर आज तक उसमें पानी नहीं भरा न ही उसकी ढाणियों का पानी दिया गया। इस क्षेत्र में हिण्दुस्तान लेवल के

(श्री रामस्वरूप मीणा)

तीन स्थानों जगदीश जी महाराज जो गूजरों का सबसे बड़ा स्थान है, ग्राम कोमरी और ढाणियों में पानी की भयंकर समस्या है। टंकी बने 10 साल हो गये हैं पर टंकी में आज दिन तक एक बूंद पानी नहीं गया है। गड़खेड़ा में पाइप लाइन और दी जाये और हरिजन बस्ती को पानी दिया जाये। टोडाभीम के ग्राम शहराकर दादनपुरा रोडी मानोज आदि की एक योजना जिसमें एक बोरिंग से सारे गांव कवर होते हैं, पूर्व में दर्शायी गयी थी उसकी कोई कार्यवाही नहीं हुई। तहसील नादौती के ग्राम राजपुर की नल योजना, ग्राम होदाती होली की मोजा व तहसील टोडाभीम के ग्राम भाडी तथा भैंसा की नल योजना बनाई जाये। मेंडेरू ग्राम, करीरी ग्राम और राइसर की नल योजना प्रस्तावित है, उसको भी मंजूर किया जाये। ऐदलपुर की मोहनपुरा गावड़ी, धवान, शेखपुरा, किरवाड़ा, अधियापुर आदि ग्रामों की नल योजना बनाकर पानी दिया जाये।

पुराने हैण्डपम्प जिनको खराब हुए साल भर हो गया है लेकिन वे आज तक ठीक नहीं हुए। कुछ ऐसे हैं जो ठीक नहीं हो सकते, उनकी जगह नये लगवाये जाएं। मेरे क्षेत्र की जो नल योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं जिन पर लाखों रुपए खर्च हो चुके हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाये और गांवों को पानी दिया जाये। स्वीकृति के लिए जो योजनाएं सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हैं उनको जल्दी से जल्दी स्वीकृत किया जाये।

तीसरा, जो हैण्डपम्प खराब हो गये हैं उनके स्थान पर, जो बिल्कुल ही बेकार हो गये हैं नये लगवाये जायें और खराब हैण्डपम्पों को जल्दी से जल्दी चालू करवाया जाये। साथ में मेरा यह भी सुझाव है कि हैण्डपम्प ठीक करने के लिए जो दोहरी नीति सरकार ने अपना रखी है पंचायत समिति और वाटर वर्क्स की, उसको समाप्त करके गांव के ट्रेण्ड आदमियों से उसको ठीक करने की व्यवस्था करायी जाये ताकि हैण्डपम्प चालू हालत में रह सकें।

अतः, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया यह बतायें कि पानी की इस भयंकर समस्या के लिए आप क्या कर रहे हैं। माननीय मंत्रीजी आप बातचीत कर रहे हैं, मैं पुकार रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है बात की ओर।

श्री अध्यक्ष : बात रिकार्ड हो रही है।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री जी मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। इतनी भयंकर पानी की समस्या, जब मेरे क्षेत्र की जनता प्यासी मर रही है और माननीय मंत्रीजी बातचीत में लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आपको तो बोलने का बहुत शौक है। मंत्रीजी को बहुत काम है।

श्री रामस्वरूप मीणा : तो मंत्रीजी को बुलवा दो एक बार।

श्री अध्यक्ष : आपकी सारी बात रिकार्ड हो रही है। मंत्रीजी आपको इसका जवाब देंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मुझे जवाब दे दें, माननीय मंत्री महोदय।

श्री अध्यक्ष : लिखित में आयेगा जवाब। श्री हरजीराम बुरड़क।

राजस्थान राज्य बीज निगम का घाटा

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य बीज निगम जो कि राज्य सरकार की कम्पनी है, यह कम्पनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। इस कम्पनी की जो अब तक की आडिट रिपोर्ट प्रकाशित हुई है उनको देखने से प्रतीत होता है कि अधिकारियों ने न तो आडिट एतराजों की तरफ ध्यान दिया, न किसी कानून का ध्यान रखा और जो कानून के रक्षक हैं उन्होंने ही कानून को ताक में रखकर मनमाने तरीके से कार्य किया है और इस कम्पनी को करोड़ों रुपये के घाटे में पहुंचा दिया है।

कम्पनी की बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि कम्पनी की हिस्सा राशि 133 लाख है और घाटा 534 लाख है इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है कि कम्पनी की हालत क्या है और कम्पनी की पूंजी से कितने गुणा घाटा हो चुका है जो हर साल बढ़ता जा रहा है।

इसके अलावा आडिट में जो एतराज किये गये हैं उनकी अनुपालना की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है जिसमें मुख्य एतराज यह है कि जो हर साल की आडिट रिपोर्ट में है :–

(1) यह है कि कम्पनी को राज्य सरकार ने जो सम्पत्ति दी उसका मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ है जिसके फलस्वरूप कम्पनी की बैलेन्सशीट गलत है क्योंकि इसमें मूल्य ह्रास सही नहीं दर्शाया जा सकता क्योंकि जब मूल्य ही सही नहीं और भवन, भूमि और मशीनरी का ह्रास की अलग-अलग दरें है। यह कम्पनी कानून के तहत एक अपराध है। जो शुरू से लेकर अब तक बराबर जारी है।

(2) यह है कि कम्पनी द्वारा हर वर्ष लाखों रुपये का सामान नीलाम कर बेचा गया है लेकिन अब तक नीलामी के कोई कागजात आडिटरों के सामने नहीं रखे। इस सम्बन्ध में आडिटरों ने प्रतिवर्ष की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि नीलामी के लिये क्या कार्यवाही की, किसने बोली लगायी आदि का पता नहीं चल रहा है। अब तक करोड़ों रुपये की नीलामी की गयी है, यह भयंकर अनियमितता है।

उदाहरण स्वरूप दो एतराजों की ओर ध्यान आकर्षित किया है और कई गंभीर एतराज है जो बराबर प्रथम वार्षिक रिपोर्ट से लेकर आखिरी तक है जिसको सुधारने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया। आडिटरों ने अपनी आटिट सर्टिफिकेट में यहां तक अंकित किया है कि कम्पनी द्वारा बहीखातों के संधारण से हम सन्तुष्ट नहीं हैं। जो कम्पनी कानून में गम्भीर मामला

(श्री हरजीराम बुरड़क)

है जिस पर न तो कम्पनी ने अब तक ध्यान दिया है और न सरकार ने ।

अतः मैं इस मामले की ओर नियम 295 के तहत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आशा करता हूं कि सरकार इसे गम्भीरता से लेगी और कम्पनी के कार्यकलापों को सुधारने के साथ ही दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी और कम्पनी के ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करेगी ।

श्री अध्यक्ष : श्री हरीसिंह कुम्हेर ।

भरतपुर फीडर में यमुना से जल-प्राप्ति हेतु प्रयास

श्री हरीसिंह (कुम्हेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत निम्नलिखित लोक महत्व का विषय प्रस्तुत करता हूं :-

भरतपुर जिले में भरतपुर फीडर नामक नहर, यमुना का पानी डीग व कुम्हेर तहसील के ग्रामों में उपलब्ध कराती है । उत्तर प्रदेश सरकार के समझोते के अनुसार पानी की उपलब्धता के आधार पर पानी गत वर्षो में देती रही है । यह पानी खेती की सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल के अभाव को भी दूर करता है । पशुधन को पानी पीने के लिए क्षेत्र की पोखरों को भरता है तथा पेयजल योजनाओं के ट्यूब-वैलों में पेयजल की मात्रा बढ़ाता है । इस समय पोखर सूखने जा रही है तथा पशुधन को पेयजल आने वाले समय में उपलब्ध नहीं होगा । कोई दूसरा विकल्प पेयजल उपलब्ध कराने का नहीं है । मनुष्यों को पेयजल उपलब्ध होने के लिए भी इस नहर में पानी आना बहुत जरूरी है जिससे पेयजल योजनाओं के ट्यूब-वैल पानी पर्याप्त मात्रा में दे सकें । इस क्षेत्र के निवासियों को एव पशुधन को आने वाले महीनों में बचाने के लिए राजस्थान सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से इस नहर में एक महीने तक दो सौ क्यूसेक पानी प्रतिदिन देने के लिए प्रभावी कदम उठाना जनहित में आवश्यक है । यदि पानी नहीं आया तो गम्भीर संकट उत्पन्न होगा इसलिए अविलम्ब कार्यवाही सरकार के स्तर पर होना आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी ।

शिवगंज औद्योगिक क्षेत्र में आतंक

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत ट्रक आपरेटर यूनियन, सुमेरपुर द्वारा शिवगंज औद्योगिक क्षेत्र में बार-बार हमले करने एवं आतंक फैलाने से उत्पन्न भय एवं तनावपूर्ण स्थिति के बारे में विशेष उल्लेख के जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।

अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर की ट्रक आपरेटर यूनियन की तानाशाही के कारण सुमेरपुर एवं शिवगंज का व्यापारी वर्ग बहुत परेशान है । यूनियन द्वारा मनमाने

(श्रीमती तारा भण्डारी)

भाड़े वसूल करना तथा बाहर से आने-जाने वाले ट्रकों से चौथ वसूली करना आम बात हो गयी है। दूसरे शहरों की बजाय इस यूनियन के किराये दुगने होने के कारण वहां के व्यापार पर भी भारी असर पड़ रहा है। यूनियन की मोनोपोली के कारण शिवगंज की कोटा स्टोन की कई फैक्ट्रियां बन्द भी हो गयी हैं जिन पर आर. एफ. सी. का ऋण बाकी है। गंगानगर इत्यादि लम्बी दूरी वाले स्थानों का मनमाना किराया वसूलने के कारण परेशान होकर शिवगंज के व्यापारियों ने दिनांक 27-12-93 को एक नयी यूनियन का गठन किया।

शिवगंज के लोगों द्वारा नयी यूनियन गठित करने पर नाराज होकर सुमेरपुर ट्रक यूनियन के लोगों ने भारी मात्रा में हथियार, पत्थर आदि ट्रकों व जीपों में में भरकर शिवगंज औद्योगिक क्षेत्र में हमला किया और वहां की एक फैक्ट्री के मालिक श्री रतनाराम चौधरी पर दिनांक 28-12-93 को जान लेवा हमला किया। इसके पश्चात् दिनांक 29 12 93 को वहां जाकर इन लोगों ने शिवगंज औद्योगिक क्षेत्र में विशाल काटन फैक्ट्री को जलाने की कोशिश की तथा वहां पर तोड़-फोड़ करके वहां की जीप तोड़ी व आतंक फैलाया। इस प्रकार दिन दहाड़े गुण्डागर्दी करने के बावजूद भी जब सुमेरपुर पुलिस एवं डी. वाई. एस. पी. श्री कल्याण सिंह ने कोई कार्यवाही नहीं की, उलटे शिवगंज के व्यापारी श्री रतनाराम को बुरी तरह डराया धमकाया। पुलिस से शह मिलने के कारण सुमेरपुर यूनियन के लोगों ने शिवगंज औद्योगिक संघ के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश्वर को जान से मारने की धमकी दी। इस प्रकार धमकी मिलने पर श्री ज्ञानेश्वर ने सुमेरपुर पुलिस से अपनी रक्षार्थ निवेदन किया। सिरोही एस. पी., कलक्टर, मुझसे और सभी से रो-रोकर अपनी विपदा सुनायी तथा टेलीफोन पर सम्पर्क किया। अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक बात सिरोही एस. पी. को कही थी कि इस तरह की बात होने वाली है। परन्तु सुमेरपुर पुलिस द्वारा कोई भी, किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं करने पर उत्साहित होकर दिनांक 31 12·93 को व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश्वर की गाड़ी को दो ट्रकों के बीच के बीच में डालकर टक्करी मारी। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से धमकी दी और टक्कर मारी ऐसी कल्पना फिल्मों में तो की जा सकती है परन्तु जब दृश्य देखने को मिलता है तो बड़ा अचरज होता है।

श्री अध्यक्ष : आप पढ़ रही हैं या भाषण दे रही हैं ?

श्रीमती तारा भण्डारी : भाषण नहीं, अध्यक्ष महोदय, पढ़ रही हूं। अगर आप अपनी एजेन्सी से जांच करवाकर उस गाड़ी को दिखवा लें तो ऐसा लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ ?

श्री अध्यक्ष : यह इसमें लिखा है ?

श्रीमती तारा भण्डारी : दो ट्रक आगे पीछे करके उस अध्यक्ष को मारने की कोशिश की। परमात्मा की दया से वे अध्यक्ष तो बच गये परन्तु गाड़ी की स्थिति देखने से सहज ही कल्पना की जा सकती है कि इन लोगों ने किस प्रकार से साजिश

(श्रीमती तारा भण्डारी)

की ओर हमला किया होगा। इस बात के कारण शिवगंज के प्रतिष्ठान और सुमेरपुर के प्रतिष्ठान भी बन्द रहे। औद्योगिक क्षेत्र के लोगों ने रैली निकालकर रोष प्रकट किया। अध्यक्ष महोदय, सुमेरपुर पुलिस द्वारा अपराधियों को शह देने के कारण सुमेरपुर एवं शिवगंज दोनों नगरों का वातावरण बहुत ही तनावपूर्ण एवं भययुक्त बना हुआ है। अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त सारे प्रकरण की सी. आई. डी. से जांच करायी जावे तथा यूनियन के खातों को सीज करके यूनियन द्वारा गलत तरीके से इकट्ठे किये गये धन की भी जांच करवायी जावे। साथ ही दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जावे।

समिति का प्रतिवेदन

जनलेखा समिति, 1992-93 का 83 वां 84 वां, 85 वां. एवं 86 वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : सचिव, विधान सभा, जनलेखा समिति, 1992-93 के 4 प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री नन्दलाल छांगाणी) : महोदय, मैं जनलेखा समिति, 1892-93 के निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) जनलेखा समिति, 1987-88 के बाइसवें प्रतिवेदन (आठवीं विधान सभा) में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना विभाग से सम्बन्धित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही विषयक समिति का 83 वां प्रतिवेदन :

(2) जनलेखा समिति, 1977-78 के दूसरे प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की कार्यवाही विषयक समिति का 84 वां प्रतिवेदन;

(3) वर्ष 1981-82 से 1982-83 व 1984-85 से 1987-88 तक के लिए भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) से समाविष्ट वन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर समिति का 85 वां प्रतिवेदन;

(4) जनलेखा समिति, 1978-79 के दसवें प्रतिवेदन (छठी विधान सभा) में पंजीयन मुद्रांक तथा खनिज एवं भू-गर्भ विभागों से सम्बन्धित समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गयी कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक समिति का 86 वां प्रतिवेदन;

(उपरोक्त प्रतिवेदनों को गत समिति ने सदन में उपस्थापित करने हेतु अनुमोदित कर दिया था व प्रक्रिया के नियम 307 द्वारा प्रदत्त शक्तियो के अनुसरण में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जारी किये गये निदेश 3 के अन्तर्गत उक्त प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने उपस्थापित कर दिये गये थे। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रक्रिया के नियम 205 के अन्तर्गत इनके मुद्रण प्रकाशन के आदेश भी प्रदान कर दिये गये। परन्तु विधान सभा का विघटन हो जाने के कारण उन्हें सदन की मेज पर नहीं रखा जा सका था।)

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि

अधिसूचनाएं

श्री अध्यक्ष : श्री ललित किशोर चतुर्वेदी, उद्योग मंत्री उद्योग (ग्रुप-1) विभाग की 6 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (उद्योग मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं, उद्योग (ग्रुप-1) विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :—

(1) राजस्थान वित्त निगम की अधिसूचनाएं दिनांक 27-6-1991 जिसके द्वारा स्टेट फाइनेन्सियल कारपोरेशन अधिनियम, 1951 की धारा-48 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेगूलेशन, 1958 के रेगूलेशन संख्या 104 में संशोधन किया गया है ।

नम्बर दो····(व्यवधान)····

व्यवस्था का प्रश्न

अधिसूचना सदन की मेज पर रखने में विलम्ब

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : पाइन्ट आफ आर्डर ।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आप बैठिये ।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्रीजी जो अधिसूचनाएं प्रस्तुत करने जा रहे हैं यह पहली अधिसूचना 27 जून, 1991 की है और 9वीं विधान सभा में 27 जून के बाद में कई सत्र आहूत हुए थे । आपने उस वक्त इन अधिसूचनाओं को सदन की मेज पर क्यों नहीं रखा ? और आपने नहीं रखा तो इसका मतलब यह हुआ कि आपने सदन को अन्धकार में रखा, डार्क में रखा । उस वक्त इन अधिसूचनाओं के बारे में उस विधान सभा के सदस्य अपने संशोधन पेश करते या उसका लाभ लेते या इनमें कुछ खामियां हैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करते, उस अधिकार से वह वंचित रह गये हैं । इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ये अधिसूचनाएं इतनी दर से इन्होंने प्रस्तुत की हैं, गवर्नमेंट के पार्ट पर बहुत बड़ा लैप्स है । उस समय क्या कुम्भकरणी नींद में सो रहे थे ? उस समय यह अधिसूचनाएं क्यों नहीं हाउस की मेज पर रखी ।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता महोदय जानते हैं कि इस प्रकार की स्थिति पहले भी कई बार आयी है और उस स्थिति में सरकार की ओर से खेद प्रकट किया गया है । आज उस परम्परा का निर्वहन करते हुए मैं भी इस सम्बन्ध में खेद प्रकट करता हूं । अध्यक्ष महोदय, जब विधान सभा का सत्र बुलवाया गया था उसके पहले ही मैंने इस सम्बन्ध में सारे सरकारी अधिकारियों को सावधान किया था कि इस प्रकार की कोई अधिसूचना बाकी नहीं रहनी चाहिए । आप जो कह रहे हैं वह बिलकुल सही है कि 1991 की अधिसूचना बहुत पहले सदन की मेज पर रखी जानी चाहिए थी । मैं इस सम्बन्ध में जानकारी करूंगा और जैसा आपने कहा है कि माननीय सदस्यों के अधिकारों से उनको वंचित रखा

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

गया है, वह वंचित रहने की स्थिति नहीं है। जब भी अधिसूचना रखी जाय उसके निर्धारित समय में यदि कोई आपत्ति उठाना चाहे तो आपत्ति उठा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न बार-बार सदन में उठता है और इसलिए मैं चाहता हूं कि····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : बार-बार मुझे भी शर्म आती है खेद प्रकट करने में।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, टोपिकल वैल्यू जो है उसकी, समाप्त हो जाती है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आज तो और भी ठीक है कि 1991 की हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी बात से मैं एग्री करता हूं।

श्री अध्यक्ष : 1991 की हैं, बहुत पुरानी नहीं हैं। 6-6, 7-7 साल की सूचनाएं रखी जाती रही हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं यह कहना चाहता हूं कि····

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसलिए आपने भी खेद प्रकट किया है, मैंने भी कई बार किया है। कई लोगों ने खेद प्रकट किया है। तो हम सब खेद प्रकट करने वालों की स्थिति में शामिल हैं। (व्यवधान)····नहीं, नहीं, मैं आपको इतना विश्वास दिला देता हूं····

श्री परसराम मदेरणा : तत्परता हो सकती है, लैप्स हो सकता है, आपके पार्ट पर मैं नहीं कह रहा हूं। कम से कम यह तो अधिकारियों के देखने की बात कह रहा हूं कि कोई लैप्स है तो ···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, नहीं लैप्स है तो उसका ···

श्री परसराम मदेरणा : आप इस प्रकार का सर्क्यूलर सभी विभागों और सैक्रेटरी टू दी गवर्नमेंट को प्रसारित कर दीजिए कि कोई अधिसूचना इस तरह से रह गयी हैं तो भविष्य में वह सूचनाएं हाउस की मेज पर रखी जानी चाहिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपको अर्ज किया सत्र आरम्भ होने के साथ ही मुझे लगता था कि कोई न कोई अधिसूचना विलम्ब से यहां प्रस्तुत की जायेगी और उस अधिसूचना के लिए मुझे खेद प्रकट करना पड़ेगा। उस स्थिति से मैंने अधिकारियों को सावधान किया था कि कोई अधिसूचना बाकी नहीं रहनी चाहिए और यदि बाकी है तो 4 तारीख को सारी अधिसूचनाएं पेश हो जायें। हो सकता है कि उसी के कारण से यह निकल कर आ सकती है, मैं कोई गारण्टी नहीं ले सकता लेकिन मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का भविष्य में विलम्ब नहीं हो।

श्रीमती कमला (बैराठ) : अध्यक्ष महोदय, बहुत बार बहुत सी सरकारों ने, बहुत से मुख्य मंत्री साहिबान ने, मंत्री साहिबान ने इस सम्बन्ध में खेद प्रकट किया है जिनके कारण से आपको खेद प्रकट

(श्रीमती कमला)

करना पड़ता है, दोनों ही तरफ से। मेरा निवेदन यह है कि उनकी आगाही के लिए कुछ न कुछ ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था कायम की जानी चाहिए कि उनकों प्रताड़ना मिले। कोई निर्देश या कुछ इस प्रकार का उल्लेख उनके लिए हो जिससे कि इस तरह की परम्परा या इस तरह कि बात आगामी सत्रों में उपस्थित न हो।

सदन की मेज पर रखे गये पत्रादि
अधिसूचनाएं

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नम्बर (2) राजस्थान वित्त निगम की अधिसूचना दिनांक 11-9-1991 जिसके द्वारा स्टेट फाइनेन्सियल कारपोरेशन अधिनियम, 1951 की धारा 48 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेगूलेशन, 1958 के रेगूलेशन संख्या 109 (ए) में संशोधन किया गया है।

(3) राजस्थान वित्त निगम की अधिसूचना दिनांक 14-9-1992 जिसके द्वारा स्टेट फाइनेन्सियल कारपोरेशन अधिनियम, 1951 की धारा 48 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम (स्टाफ) रेगूलेशन 1958 के रेगूलेशन संख्या 17 (III) (ए), 17 (III) (सी) 75 (I), 75 (2) व 76 में संशोधन किया गया है।

(4) राजस्थान वित्त निगम की अधिसूचना दिनांक 28-4-1992 जिसके द्वारा स्टेट फाइनेन्सियल कारपोरेशन अधिनियम, 1951 की धारा 48 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम एम्प्लाइज जनरल प्रोविडेण्ट फण्ड रेगूलेशन, 1990 की संरचना की है।

(5) राजस्थान वित्त निगम की अधिसूचना दिनांक 21-12-1992 जिसके द्वारा स्टेट फाइनेन्सियल कारपोरेशन अधिनियम, 1951 की धारा 48 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम हाउस बिल्डिंग एडवांस टू एम्प्लाइज रेगूलेशन 1978 के रेगूलेशन क्रमांक 2 (1) में संशोधन किये गये हैं।

(6) राजस्थान वित्त निगम की अधिसूचना दिनांक 26-8-1992 जिसके द्वारा स्टेट फाइनेन्सियल कारपोरेशन अधिनियम, 1951 की धारा 48 के अन्तर्गत राजस्थान वित्त निगम हाउस बिल्डिंग एडवास टू एम्प्लाइज रेगूलेशन, 1976 के रेगूलेशन क्रमांक 7 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : श्री नाथूसिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की आठ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4····

श्री अध्यक्ष : जोर से बोलिये थोड़ा।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, अधिसूचनाओं को राज्य सभा में रखा जाता है, यहां सदन में भी मैं रखता रहा हूं।

(श्री परसराम मदेरणा)

आप इनको पढ़ने की बजाय, क्योंकि मैम्बर्स पढ़कर आते हैं····

श्री अध्यक्ष : फिर 1 से 8 करवा दें। इसलिए 1 से 8 एक साथ बोल दें।

श्री परसराम मदेरणा : अब ये स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन के स्टाफ की····

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा : सभी अधिसूचनाएं हैं जो माननीय मंत्री महोदय ने रखी है। इसका मतलब है कारपोरेशन एक कारपोरेट बोडी होते हुए भी कोई नेग्लीजेंस रही है उसके पार्ट पर, और वो ही एम्प्लाइज के सम्बन्ध में है। आप अजीब तरीके से कह रहे हैं संशोधन इसका मतलब है कि एम्प्लाइज समय-समय पर अपनी डिमांड रखते रहे और वे प्रेशर लाते रहे और आप रेगूलेशन निकालते रहे। मैं निवेदन करूंगा प्रभारी मंत्रीजी से, आप अधिसूचनाएं पढ़ने की बनिस्बत इनको एक से लेकर 8 तक सदन की मेज पर रख दें। यह परम्परा लोक सभा में है, मैं इसलिए कह रहा हूं···

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एग्रीड।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

श्री परसराम मदेरणा :····कि माननीय मंत्रीजी लोक सभा के सदस्य रहे हैं और वहां की प्रक्रिया की आप भी जानकारी रखते हैं।

श्री अध्यक्ष : वे यहां पर भी सदस्य रहे हैं, इसलिए यहां भी जानते हैं। आप एक से आठ रख दें।

श्री नाथूसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से ग्रामीण और पंचायती राज विभाग की 1 से 8 तक की अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (22) विधि/ग्रा. वि. प./91/27 दिनांक 1 फरवरी, 1993 जिसके द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों (ग्राम सेवकों एवं पदेन सचिवों तथा भू-अभिलेख पटवारियों) की कार्यावधि बढ़ाई गयी है,

(2) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (22) विधि/ग्रा वि. पं./91/2472 दिनांक 19 जून, 1993 जिसके द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में नियुक्त, प्रशासकों की कार्यावधि में दो माह की वृद्धि की गयी है,

(3) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (22) विधि/ग्रा. वि. प./91/3227 दिनांक 19-7-1993 जिसके द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों की कार्यावधि में एक माह की वृद्धि की गयी है,

(4) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (22) विधि/ग्रा. वि. प./91/3728 दिनांक 17-9-1993 जिसके द्वारा समस्त ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों (ग्राम सेवकों) की कार्यावधि 6 माह बढ़ायी गयी है,

(5) अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (22) विधि/ग्राम. वि. प./91/28 दिनांक 1 फरवरी, 1993 जिसके द्वारा समस्त

(श्री नाथूसिंह)

पंचायत समितियों में नियुक्त प्रशासकों (विकास अधिकारी) की कार्यावधि बढ़ाणी गयी है.

(6) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (22) विधि/ग्रा. वि. प/91/2471 दिनांक 19 जून, 1993 जिसके द्वारा समस्त पंचायत समितियों में नियुक्त प्रशासकों (विकास अधिकारी) की कार्यावधि में 9 माह की वृद्धि की गयी है,

(7) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (22) विधि/ग्राम. वि. प./91/29 दिनांक 1 फरवरी, 1993 जिसके द्वारा समस्त जिला परिषदों में नियुक्त प्रशासकों (सम्बन्धित जिला कलक्टर) की कार्यावधि बढ़ायी गयी है, एवं

(8) अधिसूचना क्रमांक एफ. 4 (22) विधि/ग्राम. वि. प./91/2470 दिनांक 19 जून, 1993 जिसके द्वारा समस्त जिला परिषदों में नियुक्त प्रशासकों (सम्बन्धित जिला कलक्टरों) की कार्यावधि में 9 माह की वृद्धि की गयी है।

श्री अध्यक्ष : भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन। श्री भैरोंसिह शेखावत, मुख्य मंत्री--भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-2 (वाणिज्यिक) सदन की मेज पर रखेंगे।

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 1992 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन संख्या-2 (वाणिज्यिक) सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुपूरक अनुदान की मांगों (प्रथम संकलन) (वर्ष 1993-94) का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम संकलन) का उपस्थापन। श्री भैरोंसिह शेखावत।

श्री भैरोंसिह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1993-94 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (प्रथम सकलन) उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : वर्ष 1985-86 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थान। श्री भैरोंसिह शेखावत।

अतिरेक अनुदान की मांगों (वर्ष 1985-86) का उपस्थापन

श्री भैरोंसिह शेखावत (मुख्य मत्री) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 1985-86 के लिए अतिरेक मांगें उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य : विधेयकों का पुरःस्थापन राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियों और पेंशन) (सशोधन) विधेयक, 1994

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य। पुरः स्थापित किये जाने वाले विधेयक। श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों

(श्री अध्यक्ष)

की परिलब्धियों और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जायं ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्री जिसको पुरःस्थापित करने जा रहे हैं, जो इन्वर्टेड कोमा में है, ब्रेकेट, क्लाज, वह तो दूसरा बिल है। यह कहां से पढ़ रहे हैं? राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए विधेयक····

श्री अध्यक्ष : हां, 1994 को····

श्री परसराम मदेरणा : पुरःस्थापित के नीचे तो यही है।

श्री अध्यक्ष : हां, यही है।

श्री परसराम मदेरणा : यह तो है ही नहीं। आप तो अभी 1994 कह रहे थे।

श्री अध्यक्ष : 1994 ही है।

श्री परसराम मदेरणा : यह कहां दिया हुआ है ? 1956 दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, वह आगे का पढ़ रहे हैं। 1956 तो नगरपालिका का होगा।

श्री परसराम मदेरणा : मैं आगे से कहां पढ़ रहा हूं। मैं इसी को पढ़ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : कहां लिखा है ? (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा : कार्य सूची में तो यही है (व्यवधान) संशोधन है तो संशोधन के लिए बोले थोड़े ही कि मैं 1956 में संशोधन करने का नये विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिए····

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह ओरिजिनल अधिनियम, 1956 का है, इसमें संशोधन 1994 का है। संशोधन विधेयक के लिए कह रहे हैं।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे पास में काय सूची है, आपके पास में तो बिल्कुल तैयार होकर आती है, इसमें इन्होंने क्या किया है, यह तो है होशियारी आपके सचिवालय की, जिसको आप पुर:स्थापित कर रहे हैं, उसको तो दे दिया है इन्होंने मार्जिन में और इस ओरिजिनल एक्ट को, विधेयक को इन्होंने कार्य सूची में लगा दिया है। यह नहीं लगाना चाहिये। यह गलत लगाया है आपने।

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री अध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा, प्रभारी मंत्री राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे ।

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी ।

प्रभारी मंत्री जी, विधेयक को पुर: स्थापित करेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करता हूं।

राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री अध्यक्ष : श्रीमती शशीदत्ता, प्रभारी मंत्री राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी ।

श्रीमती शशीदत्ता (राज्य मंत्री, विधि): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी ।

प्रभारी मंत्री जी, विधेयक को पुर: स्थापित करेंगी ।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुर:स्थापित करती हूं। '

घोषणा

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष : राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के सम्बन्ध में समय निर्धारित किया गया है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद के लिए लगभग 13 घण्टे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिये जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा इस प्रकार करता हूं:—

भारतीय जनता पार्टी	7 घण्टे
कांग्रेस (इ)	5 घण्टे
जनता दल	23 मिनट
सी. पी. एम.	5 मिनट
निर्दलीय	32 मिनट

श्री राजपाल सिंह शेखावत।

अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

श्री राजपालसिंह शेखावत (बनीपार्क) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्तुत किया जाय:—

"इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गये अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, चूंकि सदन में जनादेश की बड़ी चर्चा चली है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, हर चुनाव अपने आप में एक जनादेश होता है, सरकार किसको चलानी है, सरकार किसको नहीं है केवल इतना मात्र जनादेश नहीं है, जनादेश कई रूपों में हो सकता है, इसके कई मतलब हो सकते हैं, कई आयाम हो सकते हैं, कई अर्थ हो सकते हैं। इस बार का जनादेश भी कई मतलब लेकर आया है। एक मतलब जो स्पष्ट है वह यह है कि इस बार के जनादेश ने दिल्ली की सरकार द्वारा हिन्दुस्तान की 4-4 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू करने के निर्णय को नकार दिया है। इस बात का बड़ा स्पष्ट मेण्डेट है। यह कोई सरकार बनाने का मेण्डेट नहीं है। यह अपने आप में मिनी इलेक्शन का मिनी आम चुनाव का, मिनी जनरल इलेक्शन का मेण्डेट है जिसमें करीब 26 करोड़ की जनसंख्या कवर होती है। 10 करोड़ के करीबन वोटर्स ने वोट दिया। पौने सत्रह करोड़ टोटल वोटर्स थे। इसमें एक करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से ज्यादा मिले। चाहे सरकारें और प्रदेश में नहीं बनीं।....(व्यवधान) यह मेण्डेट किसी सरकार की परफारमेंस और नान-परफारमेंस का मेण्डेट हो सकता है, मैं इस बात को नकारता नहीं। लेकिन यह मेण्डेट क्यों मिला? लोकतान्त्रिक सरकारों को बर्खास्त करके एक ऐसे व्यक्ति द्वारा एक साल तक शासन चलाया जाना जो संविधान के अन्दर किसी भी रूप में उत्तरदायी न हों।....

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान के संविधान में राष्ट्रपति से लेकर मुख्य न्यायाधीश तक हर पद को संविधान के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, जवाबदेह बनाया गया है। केवल राज्यपाल का एकमात्र ऐसा पद है जिसको जवाबदेह नहीं बनाया गया है। तो जवाबदेह जिसको नहीं बनाया जा सके उस व्यक्ति का जब शासन चलता है और एक लम्बे समय तक चलता है तो इस प्रकार की सत्ता के एकाधिकार से निरंकुशता पनपती है, भ्रष्टाचार पनपता है, प्रशासनिक अकर्मण्यता पनपती है, भाई-भतीजावाद पनपता है। इस बार का मेण्डेट खास-तौर से राजस्थान के सन्दर्भ में स्वच्छ सरकार के लिए मेण्डेट है, कुशल प्रशासन के लिए मेण्डेट है, भ्रष्टाचार के विरोध की जो मुहिम शुरू की थी उसमें तेजी लाने के लिए मेण्डेट है, एक जबरदस्त इच्छा शक्ति वाले राजनीतिज्ञ को विकास की योजनाओं को पूरा करने का मेण्डेट है, यह एक पाजीटिव मेण्डेट है। इस पाजीटिव मेण्डेट के कारण जहां एक ओर जनता की आकांक्षायें जगी हैं, जनता इस सरकार की तरफ देख रही है वहीं दूसरी तरफ इस सरकार का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। हमें विकास की योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमें इस राज्य को बहबूदी की तरफ आगे ले जाना पड़ेगा। राजस्थान जो विकास की दौड़ में पीछे चला गया है, राजस्थान जो विकास की दौड़ में पहले से पीछे था और राष्ट्रपति शासन के दरमियान और पीछे चला गया है उस कमी को पूरा करना है। उस कमी को पूरा करने के लिए त्वरित विकास करना है। इस त्वरित विकास का जो उत्तरदायित्व सरकार पर है, मैं सोचता हूं, सरकार उस उत्तरदायित्व को पूरा करेगी।

जैसा कि मैं आपसे अर्ज कर रहा था, राष्ट्रपति शासन के दरमियान जनता, प्रशासन और सरकार के बीच एक खाई पैदा हो गयी थी। जनकल्याण किसे कहते हैं, जनता के हित कौनसे हैं, जन-विकास के कौनसे कार्य किये जाने चाहिए, इसके बारे में न तो प्रशासन को कोई वाकफियत थी, न सरकार को कोई वाकफियत थी। यही कारण है कि इस तरह की जनता और प्रसासन के बीच जब एक खाई पैदा हो जाती है तो सरकार जो होती है वह रेस्पांसिबल गवर्नमेंट नहीं रह पाती, एक सैंसिटिव गवर्नमेंट नहीं रह पाती। एक संवेदनहीन सरकार बनती है, एक रेस्पांसिबल गवर्नमेंट बनती है और इस प्रदेश ने दुर्भाग्य से एक साल तक इस प्रकार के राज को यहां पर देखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय इस एक साल के राष्ट्रपति शासन काल के अन्दर जनहित की भावनाओं की कद्र नहीं हुई, दलहित को देखते हुए सारे काम किये गये हैं। यहां पर "राज भवन" "ट्रांसफर-भवन" बनकर रह गया, लोगों को मनोनयन करने का भवन बनकर रह गया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, शेषन साहब ने पलटकर करारा जवाब दिया, इससे लोकतान्त्रिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हुई। मैं सोचता हूं, इस प्रकार के शासन से राजस्थान विकास के अन्दर कई साल पीछे चला गया।

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर और राजस्थान के कई अन्य शहरों के अन्दर कृषि भूमि का रूपान्तरण किया जाने वाला था, उसका नियमन किये जाने वाला था, हजारों-लाखों लोगों को इससे फायदा पहुंचने वाला था, इधर बैठने वाले लोग और उधर बैठने वाले लोग दोनों की सहमति से काम हो रहा था, सरकार ने वो काम किया, लेकिन उस सरकार के आदेश पर रोक लगायी गयी और उस तरफ के लोगों ने इस रोक का कोई विरोध नहीं किया ? मैं पूछना चाहता हूं क्या वे नियमन के विरोधी हैं ? राजस्थान की जनता के लिये जिस समस्या का जन्म उन्होंने किया उस समस्या का सरकार ने निराकरण करना चाहा, उस निराकरण का क्या वे विरोध करते हैं ? उस तरफ से चुप्पी साधी गयी। वहां से केवल एक काम होता रहा, डिजायरें भेजी जाती रहीं, ट्रांसफर करवाये जाते रहे। राजस्थान का प्रशासन आम तौर पर स्वच्छ है, निष्पक्ष है, उस प्रशासन का राजनीतिकरण करने की साजिश की गयी। यह तो राजस्थान का सौभाग्य था कि प्रशासन के राजनीतिकरण की कोशिश के बावजूद, राजस्थान के प्रशासन का राजनीतिकरण जिस रूप में वे करना चाहते थे उस रूप में राजनीतिकरण नहीं हो पाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति शासन के दरमियान और जो हुआ सो हुआ लेकिन एक बात कहना चाहूंगा कि पौने तीन साल तक माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार ने जिस मितव्यतता के साथ में सरकार चलायी, बिना टैक्स इम्पोज किये जिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट से राजस्थान को आगे बढ़ाया, राजस्थान के विकास की गति को तेज किया, राज्य के अन्दर जितनी बहबूदी, जितना विकास किया जाने वाला था उसके साधनों का अपव्यय किया गया, मितव्ययता जो बरती जा रही थी उस मितव्ययता को तोड़ा गया, साधनों का दुरुपयोग किया गया, बेदर्दी से उसका दोहन किया गया।

सातवीं योजना 3 हजार करोड़ की थी, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत के फाइनेन्शियल मैनजमेंट से आठवीं योजना 11500 करोड़ के आकार की बनी और पांच साल के अन्दर 2 हजार करोड़ के रिसोर्सेज मोबिलाइज किये जाने वाले थे, 1704 करोड़ के इस एनुअल प्लान में जो एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइज होने चाहिये थे वह एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन नहीं हुआ। 57 करोड़ रुपये कम पड़े और राष्ट्रपति शासन से पैदा हुई प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन नहीं हो पाया। मैं इस बात के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार मानता हूं और इस सदन की तरफ से यह मांग करता हूं कि सदन एकमत से, एक स्वर से इस बात का रिजोल्यूशन पास करे कि राष्ट्रपति शासन के दरमियान फैली हुई अकर्मण्यता के कारण जो एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन नहीं हो पाया उस 57 करोड़ रुपये के घाटे को दिल्ली की सरकार कम्पेनसेट करे। इस तरह से प्रदेश की आर्थिक योजनाओं को जो धक्का पहुंचाया गया है, एक बार तो स्थिति यह आ गयी थी कि....

72

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

(12.56 बजे)

(श्री रघुवीर सिंह कौशल, सभापति, पदासीन)

राजस्थान का एनुअल प्लान घट जायेगा, छोटा हो जायेगा, टूट जायेगा। ऐसी आशंकायें पैदा हो गयी थीं लेकिन शुक्र है खुदा का कि माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब को ऐसा जनादेश मिला कि जाओ, जिन विकास की योजनाओं को आपने शुरू किया उसको जाकर पूरा करो। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब की सरकार ने आते ही, इस अभिभाषण में झलक मिलती है, पहला काम यह किया कि चाहे 57 करोड़ का एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन नहीं हो पाया हो लेकिन इस प्रदेश के लिए योजना की कटौती बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसलिए एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन का जो आत्मविश्वास दिखाया गया है, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखायी गयी है, मैं सोचता हूं....

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सदस्य, मैं व्यवधान नहीं डाल रहा हूं लेकिन राज्य की आठवीं योजना से सम्बन्धित जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, 31 मार्च, तक योजना के 2 साल तो समाप्त होने जा रहे हैं, 2800 करोड़ की योजना पर-एनम होगी तो आप 11500 करोड़ रुपये आउट-ले तक पहुंच पायेंगे दो हजार करोड़ के रिसोर्सेज रेज करके? क्या यह सम्भव है कि आने वाली प्रत्येक वार्षिक योजना 2800 करोड़ रुपये की हो सकेगी? 2800 करोड़ का आउट-ले प्लान बन सकेगा क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चाहें तो अभी उत्तर देऊं, नहीं तो बाद में दे देऊं?

श्री परसराम मदेरणा : आप अभी देना चाहें तो सदन का ज्ञानवर्द्धन हो जायेगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने आपके पाइण्ट को नोट कर लिया है, मुझे जब जवाब देना है, मैं दे दूंगा।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, इस बार की योजना के अन्दर एडीशनल रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन नहीं किया जा सका। इस बार योजनागत व्यय केवल 46 पर्सेण्ट तक हो पाया है। जिस प्रकार गैर-योजना मद में खर्चा बढ़ा, एक योजनाबद्ध विकास के काम के अन्दर राजस्थान के अन्दर विनियोग की दर कम हुई, राजस्थान में विकास की रफ्तार कम हुई है। यहां पर स्थिति ऐसी बनी रही जैसा कि राजस्थानी में कहावत है कि राष्ट्रपति शासन तो एक ऐसा राज था जहां "अंधी पीसे कुत्ता खावें"। इस प्रकार की स्थिति बनी हुई थी उस स्थिति से निकालने की जो चुनौती राजस्थान की सरकार के सामने इस बार आयी है। उस चुनौती को पूरा करने के लिए मैं सोचता हूं कि इस सरकार के अन्दर इच्छाशक्ति भी है और संकल्प भी है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं और जैसा कि सदन को

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

मालूम है, राजस्थान एक साधन सम्पन्न राज्य है। लेकिन राज्य सम्पन्न राज्य होने के बावजूद भी विकास के मापदण्डों में राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले काफी पीछे है। इसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि राज्य सरकार के हितों के साथ में केन्द्रीय सरकार लगातार अनदेखी करती रही है। माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकारों की वास्तविक स्थिति यह है कि आज पेयजल की समस्या है चिकित्सा की समस्या है इन सब चीजों की सुविधा देने के लिए पैसा मुहैया नहीं है। बिजली पानी और सिंचाई परियोजनाओं का जितना विकास होना चाहिये था उस विकास के अन्दर केन्द्र सरकार का जो सहयोग होना चाहिए था उस सहयोग की बजाय उसमें रोड़े अटकाये गये। पानी का मामला हो चाहे विद्युत का मामला हो, उस मामले में केन्द्रीय सरकार का जो सहयोग राजस्थान को मिलना चाहिये था वह सहयोग नहीं मिला है। मुझे यह कहते हुए खेद है कि राजस्थान के हितों के साथ कांग्रेस के राज के अन्दर अनदेखी की गयी, उन पर कुठाराघात किया गया।

(13.00 बजे)

पानी के मामले में कुठाराघात किया गया, बिजली के मामले में कुठाराघात किया गया और हालात यह है कि जो बात कर रहे थे एक्यूट पावर क्राइसिस की, एक्यूट पावर क्राइसिस इसलिये है कि डिमाण्ड और जनरेशन में गैप है। डिमाण्ड और जनरेशन में गैप में इसलिए है कि राजस्थान के द्वारा भेजी गयी परियोजनायें दिल्ली के अन्दर जाकर अटक गयीं। कांग्रेस के राज में उन परियोजनाओं को दिल्ली की सरकार से क्लियर करवाने के कोई प्रयास नहीं किये गये। इसके साथ ही सिंचाई के लिये पानी का जो हिस्सा राजस्थान को मिलना चाहिये था वह राजस्थान को हिस्सा नहीं मिला। ....(व्यवधान)....राजस्थान के हितों पर न केवल पानी के रूप में, न केवल बिजली के रूप में बल्कि फाइनेन्शियल रिसोर्सेज का का भी एन्क्रोचमेण्ट किया गया। हिन्दुस्तान में संघीय व्यवस्था है और संघीय व्यवस्था के अन्दर राज्य और केन्द्र को मिलकर काम करना पड़ता है। देश के विकास को आगे बढ़ाने के लिए जब तक केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर काम नहीं करेंगी तब तक प्रदेश और देश का विकास सम्भव नहीं है। लेकिन स्टेट्स के रिसोर्सेज पर लगातार जिस प्रकार का एन्क्रोचमेण्ट सेण्ट्रल गवर्नमेंट का हुआ उस एनक्रोचमेण्ट के कारण प्रदेशों की सरकार के रिर्सोसेज इतने कम हो गये हैं कि सामाजिक सेवाओं के अन्दर जितना व्यय उन्हें करना चाहिए था उतना व्यय करने में तकलीफ आ रही है।

माननीय सभापति महोदय, कभी फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट एनवायरमेण्ट के नाम पर नोटिफिकेशन, एनवायरमेंट के नाम पर प्रोजेक्ट्स को रोकना, इन सबके कारण जो स्थिति बनी है, इससे स्टेट की ऑटोनोमी करटेल हुई है। माननीय सभापति महोदय, कुल मिलाकर देखा जाये तो आज की स्थिति के अन्दर जिस प्रकार से फाइनेन्शियल राइट्स का इनक्रोचमेण्ट

(7.4)

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

हुआ है, जिस प्रकार की स्थिति के अन्दर कानूनी अधिकारों को नियन्त्रित करने की कोशिश की गयी है उससे राज्यों की सरकारें एक नगरपालिकाओं से बेहतर सरकारें नहीं रह गयीं। मैं कहना चाहता हूं कि वोट आफ कांफिडेन्स के दिन इस तरह की चर्चाएं प्रतिपक्ष की ओर से उठ रही थीं कि सहयोग के साथ प्रदेश का विकास किया जाये। प्रदेश का विकास करने के लिए सहयोग देना चाहते हैं तो मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले तो फाइनेन्शियल राइट्स जो एन्क्रोच किये गये हैं, उन फाइनेन्शियल राइट्स को सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट के क्लचेज से बाहर निकालने के लिए पूरे सदन को एक मत होकर प्रयास करना चाहिये। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इन रिसोंसिज के एन्क्रोचमेण्ट के खिलाफ एन. डी. सी. और विभिन्न इलाकों के अन्दर अपनी आवाज उठायी है लेकिन केन्द्र की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला है। लगातार केन्द्र द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है जिससे स्टेट्स के फाइनेंशियल राइट्स फाइनेंशियल पावर्स करटेल हो रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि कारपोरेशन टैक्स जो अपने आप में एक इनकम टैक्स का हिस्सा है, 1959 से पहले कारपोरेशन टैक्स लागू नहीं था केवल इनकम टैक्स के अन्दर स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है लेकिन कॉरपोरेशन टैक्स के ऊपर स्टेट गवर्नमेण्ट का शेयर नहीं होता है। सरकारिया कमीशन ने कारपोरेशन टैक्स को परमीजीबली शेयरेबल माना है। मैं सोचता हूं, चूंकि कारपोरेशन टैक्स इनकम टैक्स का एक पाट है, इनकम टैक्स इन्डिविजुअल्स का होता है और कारपोरेशन टैक्स फर्म्स की इनकम पर होता है, इसलिए इनकम टैक्स का पाट मानते हुए कारपोरेशन टैक्स के अन्दर स्टेट का शेयर दिया जाना चाहिये। इसी प्रकार से आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर अधिभार लगाया गया है। अधिभार के अन्दर स्टेट गवर्नमेण्ट का शेयर नहीं होता है। सरचार्ज पर स्टेट गवर्नमेण्ट का शेयर नहीं होता है। इनकम टैक्स और यूनियन एक्साइज ड्यूटी पर अधिभार नहीं लगाया जाना चाहिये और अधिभार अगर लगाया जाये तो अधिभार के अन्दर स्टेट का शेयर होना चाहिये।

मैं सोचता हूं कि अधिभार लगाने के बजाय इसको समायोजित करना पड़े केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में और इनकम टैक्स में, तो वह राज्यों के हितों में ज्यादा होगा। लेकिन इस प्रकार की कायवाही करके, अधिभार लगाकर, अधिभार को बढ़ाकर राज्यों के साधनों को एन्क्रोच करने की कोशिश केन्द्र सरकार लगातार कर रही है। इसी प्रकार एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया जाना चाहिए। उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेज को नहीं बढ़ाया जाना चाहिये। एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेज का हिस्सा स्टेट गवर्नमेण्ट का नहीं होता है इसलिए एक्साइज ड्यूटी पर बढ़ोतरी होनी चाहिये, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेज पर बढ़ोतरी नहीं नहीं होनी चाहिए उसे खत्म कर देना चाहिये।

माननीय सभापति महोदय, एडीशनल एक्साइज ड्यूटी की श्रेणी में कुछ चीजों को

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

लिया गया है, कुछ आइट्म्स को लिया गया है। हालांकि उसका हिस्सा राज्यों को मिलता है लेकिन उसमें सैल्स टैक्स नहीं मिलता। सैल्स टैक्स की बोयेन्सी ज्यादा है। सैल्स टैक्स की बोयेन्सी ज्यादा होने के कारण राज्यों को सैल्स टैक्स के रूप के अन्दर मिलने वाली आय ज्यादा फायदेमन्द होगी वनिस्पत इस अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शुल्क के। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के आर्थिक संसाधनों के हितों में, उसके अधिकारों के हितों में इस लिस्ट को या तो करटेल कर दिया जाये या इस लिस्ट को आगे बढ़ाया नहीं जाये या फिर सैल्स टैक्स के अन्दर इसको दे दिया जाये।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार कन्साइनण्ट टैक्स की बात लगातार कई सालों से उठ रही है। इस संविधान का संशोधन हो गया, सरकारिया कमीशन की इस बारे में बड़ी स्पष्ट राय है कि खेप कर लगना चाहिये। प्रोडक्शन यहां होता है, सेल यहां ही दिखाई जाती है, डिपो कहीं बाहर बनाया जाता है और बाहर के डिपो में माल भेजा जाता है। तो जो माल एक स्टेट से दूसरी स्टेट्स में ट्रांसफर होता है उस पर कन्साइनमेण्ट टैक्स लगना चाहिये। कन्साइनमेण्ट टैक्स लगाने की बात को स्वीकार करने के बावजूद, संविधान में संशोधन होने के बावजूद पार्लियामेण्ट के अन्दर कोई लेजिस्लेशन इस बारे में लाया नहीं जायेगा तब तक मैं सोचता हूं राज्यों को उनके अधिकारों से वंचित करने का यह प्रयास मात्र ही होगा।

इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, सैल्स टैक्स के स्ट्रक्चर में इनफर्मिटी है। किसी भी स्टेट के आस-पास के स्टेट के अन्दर सैल्स टैक्स के अन्दर यूनिफारमिटी होनी चाहिये लेकिन ऐसी यूनिफारमिटी नहीं है। जो रिसोंसफुली रिच स्टेट्स हैं वह अपने यहां पर टैक्स का लेवल नीचे रखते हैं। इस बारे में प्रधान मंत्रीजी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और मीटिंग में यह तय हुआ था कि मिनिमम फ्लो लेवल तय किया जाये। मिनिमम फ्लो लेवल तय भी हो गया लेकिन मिनिमम फ्लो लेवल तय होने के बावजूद अभी सैल्स टैक्स की इनफर्मिटी को खत्म नहीं किया गया। इस सैल्स टैक्स की इनफर्मिटी को खत्म नहीं करने से जो लैस रिसोंसफुल स्टेट्स हैं उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है और ज्यादा रिसोर्सफुल स्टेट है उनको लगातार इस बात का फायदा भी हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, माइन्स एण्ड मिनरल्स रॉयल्टी डवलपमेण्ट एक्ट के तहत हर तीन साल के अन्दर रायल्टी बढ़ाने का प्रावधान है, वृद्धि का प्रावधान है। हर तीन साल के अन्दर, ब्लाक फार्म के अन्दर रायल्टी बढ़ाने का प्रावधान होने के बावजूद आठ-आठ, दस-दस साल तक रायल्टी की दरों में वृद्धि नहीं की जाती। रायल्टी की दरों में वृद्धि करने का समय इस एक्ट के तहत तीन साल के बजाय दो साल हो जाय, इस बात की सरकारिया कमीशन ने रिकमण्डेशन की है। असली बात तो यह हैं कि मेजर मिनरल्स को रायल्टी का मामला केन्द्र सरकार के बजाय स्टेट गवर्न-

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

मेण्ट के हाथ में दिया जाये तो वह राज्य के ज्यादा हित में है। स्टेट गवर्नमेण्ट का उस पर राइट बनता है।

माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार अल्प बचत विनियोजन का 75 प्रतिशत स्टेट को ऋण के रूप में मिलता है। लेकिन आजकल स्माल सेविंग स्केल की स्कीम के सामने एच. डी. एफ. सी., म्युचुअल फण्ड आदि की ज्यादा एट्रेक्टिव स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के कारण अल्प बचत के अन्दर लोग कम इनवेस्ट कर रहे हैं। इसलिए इसको ज्यादा एट्रेक्टिव बनाया जाये या म्युचुअल फण्ड को इनके साथ राइवलरी नहीं करने दी जाये। अल्प बचत के अन्दर जो 75 प्रतिशत ऋण मिलता है उस ऋण को 90 प्रतिशत करना चाहिए क्योंकि अल्प बचत के अन्दर जितनी भी डिपोजिट्स होती हैं उन डिपोजिट्स का पूरा-पूरा एफर्ट्स स्टेट गवर्नमेण्ट करती है। स्टेट गवर्नमेण्ट को उसका शेयर मिलना चाहिए, साथ ही जो इण्टरेस्ट चार्ज किया जाता है वह सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट को उतना ही चार्ज करना चाहिए जितना कि वह डिपोजिट्स उसको दे रही है।

माननीय सभापति महोदय, आज सेण्ट्रल गवर्नमेण्ट के पास एक्सटर्नल एडेड प्रोगाम्स हैं। एक्सटर्नल एडेड प्रोगाम्स का जब ट्रांसफर स्टेट गवर्नमेण्ट को होता है तो पहले स्टेट गवर्नमेण्ट को स्टेट प्लान से खर्चा करना पड़ता है और जो स्टेट्स रिर्सोसफुली कमजोर हैं, उनके लिए यह सम्भव नहीं रह पाता। इसलिए जो स्टेट रिर्सोसफुली कम हैं उनके इण्टरेस्ट में यह है कि फार्म के अन्तर्गत एक्सटर्नल एडेड प्रोग्राम दिल्ली को मिलते हैं उसी फार्म में स्टेट गवर्नमेंट्स को ट्रांसफर कर दिये जायं। इसी प्रकार माननीय सभापति महोदय, डी. ए. के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकारिया आयोग ने बड़े स्पष्ट तौर पर सिफारिश की है कि डी. ए. बढ़ने के साथ-साथ जो एडीशनल बर्डन एक्सचेकर पर पड़ता है उससे नान प्लान एक्सपेंडीचर बढ़ता जाता है। नान प्लानिंग एस्सपेंडीचर जो अचानक बढ़ता है उसको मीट आउट करने के लिए प्लानिंग कमीशन को कुछ रिलीफ मेजर्स अडाप्ट करने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के इन आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए माननीय मुख्य मंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत साहब ने दिल्ली के अन्दर एन डी. सी की मीटिंग में और कई फोरम के माध्यम से अपनी बात को रखा है लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सकारात्मक रूख अख्तियार नहीं किया गया। जिस प्रकार का एनक्रोचमेंट स्टेट राइट्स का रिसोर्सेज के मामले में हुआ है, उसके कारण राजस्थान के अन्दर ड्राट एण्ड फेमिन की समस्या लगातार बढ़ रही है। उस समस्या से निपटने के लिए राजस्थान में पानी की कमी है। राजस्थान में चम्बल के अलावा कोई नदी नहीं है जो पूरे 12 महीने बहती हो। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर पूरे देश की 10 प्रतिशत जमीन कृषि योग्य है इसमें केवल एक प्रतिशत वाटर रिसोर्सेज हैं और पांच प्रतिशत जनसंख्या है। पांच प्रतिशत जनसंख्या एक प्रतिशत वाटर रिसोर्सेज के साथ रहती है और 10 प्रतिशत कल्टीवेबल लैण्ड उसके पास है। यहां पर

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

एवरेज रेन फाल पंजाब और हरियाणा के मुकाबले में काफी कम है। माननीय सभापति महोदय, रावी-व्यास के पानी के मामले के अन्दर राजस्थान के हितों की लगातार अनदेखी हो रही है। एग्रीमेंट हुए लेकिन एग्रीमेंट राज्य के हितों की अनदेखी करके हुए। उसके बावजूद इन एग्रीमेंट्स को एक्जीक्यूट नहीं किया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, रावी-व्याज का पानी पश्चिमी राजस्थान के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। पश्चिमी राजस्थान की अनदेखी कर राजस्थान का विकास सम्भव नहीं है। सभापति महोदय, आपको पता है, सदन को पता है कि सिंधु जल संधि पाकिस्तान के साथ हुई उस समय भी इस पानी को इसलिए रोका गया कि यह पानी राजस्थान के रेगिस्तान को मरु उद्यान में बदलने के काम आयेगा। माननीय सभापति महोदय, 1955 के समझौते के तहत जो राजस्थान को पानी का हिस्सा मिलना चाहिए था वह मिल नहीं पा रहा था उसके बावजूद इराडी पंचाट और 1981 के समझौते के अनुसार राजस्थान के पानी के शेयर को गिरा दिया, माननीय सभापति महोदय, और गिरे हुए हिस्से का राजस्थान को जो पानी मिलना चाहिए था वह पानी राजस्थान को नहीं मिल रहा है। पंजाब का यह तर्क कि राजस्थान के पास इस पानी को यूटिलाइज करने का पोटेंशल नहीं है, अपने आपके अन्दर सही नहीं है। माननीय सभापति महोदय, 1981 के समझौते में इराडी आयोग के पंचाट के अनुसार 17.17 मिलियन एकड़ फीट पानी में से 8.6 मिलियन एकड़ फीट पानी राजस्थान को मिलना चाहिए और 8.6 मिलियन एकड़ फीट में से 7.59 मिलियन एकड़ फीट पानी इन्दिरा गांधी नहर योजना के काम आयेगा। इन्दिरा गांधी नहर योजना के फेज-I में 3.59 मिलियन एकड़ फीट पानी यूज हो रहा है और II फेज के अन्दर 4 मिलियन एकड़ फीट पानी यूज हो रहा है। राजस्थान कैनाल की पूरी फीडर बन चुकी है, 459 किलोमीटर लम्बी मैन कैनाल बन चुकी है और इस 7.59 मिलियन एकड़ फीट पानी को यूटिलाइज करने के लिए सफिशियेंट है। माननीय सभापति महोदय, इस सबके बावजूद राजस्थान को अपने हिस्से का पानी नहीं मिला है। राजस्थान के हिस्से का पानी जो 1982 से लेकर 1983 तक कुल जल की उपलब्धता 12.890 मिलियन एकड़ फीट के ऊपर 1951 के पंचाट के अनुसार 6.63 मिलियन एकड़ फीट होनी चाहिए थी वह 5.2 मिलियन एकड़ फीट हुई। 1-7-1983 के बाद 13.76 मिलियन एकड़ फीट पानी की कुल उपलब्धता के मुकाबले के अन्दर 6.73 मिलियन एकड़ फीट पानी 1981 के पंचाट के अनुसार मिलना चाहिए था, उसमें से केवल 5.46 मिलियन एकड़ फीट पानी मिला।

इस प्रकार, सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि इराड़ी कमीशन और 1981 के एग्रीमेंट में राजस्थान के हितों की अनदेखी की गयी लेकिन उस हिस्से के अनुसार भी जो पानी राजस्थान को उपलब्ध होना चाहिए था वह पानी अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। मैं सोचता हूं कि राजस्थान में सिंचाई व्यवस्था के लिए, राजस्थान को खुशहाल और हरा-भरा करने

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

के लिए राजस्थान के सभी लोगों का दायित्व है। कांग्रेस का दायित्व भी है, जनता दल का दायित्व भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी दायित्व है और, मैं सोचता हूं, इसके लिए पंजाब की सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए, केन्द्र सरकार पर इस बात का दबाव बनाया जाना चाहिए कि समझौते की पालना हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूंगा कि इराड़ी पंचाट का मामला हो, चाहे यमुना के पानी का मामला हो, यमुना के पानी के मामले में 1.19 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी राजस्थान के हिस्से में आना चाहिए लेकिन राजस्थान के हिस्से में जो पानी आना चाहिए उस पानी को राजस्थान को देने के लिए हरियाणा आना-कानी कर रहा है। हरियाणा चाहता है कि राजस्थान के हिस्से की बात पानी के स्टोरेज करने के बाद में हो। प्रश्न यह नहीं है कि राजस्थान का हिस्सा स्टोर पानी में मिले या फ्लो कर पानी में मिले। बहते हुए पानी में हो या स्टोरेज पानी में हो राजस्थान का जो 1.19 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी का जो हिस्सा है वह हिस्सा राजस्थान को मिलना चाहिए और राजस्थान के हिस्से को मिलने के लिए न्यायाधिकरण में जाने की बात है, मैं सोचता हूं, न्यायाधिकरण में जाने की जरूरत नहीं है, केन्द्र सरकार में अपने प्रभाव का उपयोग करें। अगर यह सदन पूरा का पूरा अपने प्रभाव का उपयोग करें तो राजस्थान का जो हिस्सा यमुना के पानी से मिलना चाहिए वह हिस्सा राजस्थान को मिलेगा। इस बात के लिए सदन के सभी सदस्यों को प्रयास करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार की समस्या यहां पर इरिगेशन में है, उससे भी ज्यादा एक्यूट समस्या यहां बिजली की है। बिजली का जहां नाम उठता है वहीं इण्डस्ट्रियल ग्रोथ की बात सामने आती है, वहीं एग्रीकल्चर ग्रोथ की बात सामने आती है, वहीं आम जनता का विकास सामने आता है। विद्युत के मामले में राजस्थान हमेशा कमजोर रहा है। राजस्थान के अन्दर इतनी मात्रा में पानी नहीं है कि बहुत ज्यादा हाइडल प्रोजेक्ट लगा पायें। राजस्थान के पास में इस तरह के कोई डिपोजिट्स नहीं हैं कि राजस्थान अपना कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना पाता। इसलिए राजस्थान को आस-पास के राज्यों की नदियों पर निर्भर रहता पड़ता है। राजस्थान की सरकार के साथ में पानी के समझौते भी हुए हैं और चूंकि पानी के समझौते हुए हैं उसी फार्मूले के ऊपर उन पर बने हुए हाइडल प्रोजेक्ट्स पर राजस्थान का हिस्सा बनता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर 1980 से लगातार विद्युत कटौती चल रही है, विद्युत की कमी नजर आ रही है। राजस्थान में इस वक्त 41.7% विद्युत की कमी है, 38.8% एनर्जी की कमी है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर इस वक्त दो लाख कुओं के कनेक्शन की एप्लीकेशन पेंडिंग हैं। अगर उन सारे कुओं को कनेक्शन दिया जाये तो 2 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पड़ेगी। इसी प्रकार, माननीय सभापति महोदय, पी. एच. ई. डी. की स्कीम्स के लिए 105 मेगावाट की जरूरत है। इण्डस्ट्रियल एप्लीकेशन 10,000 पड़ी हुई हैं उन सब 10,000 एप्लीकेशन को बिजली का कनेक्शन दिया जाये तो राजस्थान को 250 मेगावाट की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार राजस्थान की विद्युत की समस्या दिन-प्रतिदिन एक्यूट होती चली जा रही है। राजस्थान की जो स्कीम्स दिल्ली की सरकार को भेजी थीं, चाहे धौलपुर की भेजी हो और चाहे कोई और भेजी हो, दिल्ली के अन्दर राजस्थान की भेजी हुई स्कीम्स दबकर रह गयीं। दूसरा राजस्थान का जो हक आस-पास के राज्यों के पानी के ऊपर पन विद्युत योजनाओं में मिलना चाहिए था वह उसे नहीं मिला है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि राजस्थान का जो हिस्सा विद्युत में मिलना चाहिए था, जिस प्रकार का राजस्थान का दावा है वह दावा लेजिटिमेट दावा है, पानी का जो फार्मूला है उस फार्मूले के हिसाब से राजस्थान को पंजाब के अन्दर थीन विद्युत गृह की 600 मेगावाट की क्षमता पर राजस्थान का दावा 52.60 प्रतिशत है, आनन्दपुर साहिब के 134 मेगावाट पर राजस्थान का दावा 20 प्रतिशत है, मुकेरियां के 207 मेगावाट पर राजस्थान का दावा 58.50 प्रतिशत हैं, यू. बी. डी. सी-II के 45 मेगावाट कैपेसिटी के पावर जनरेशन सेन्टर पर 52.60 प्रतिशत का राजस्थान का दावा है और शाहपुर ब्राण्डी के 94 मेगावाट के ऊपर 52.60 प्रतिशत का दावा है।

माननीय सभापति महोदय, इसमें से तीन योजनाएं लगभग पूरी हो चुकी हैं। माननीय सभापति महोदय, तीनों योजनाओं के ऊपर राजस्थान का बिजली का हिस्सा मिलना शुरू हो जाना चाहिए। राजस्थान को न आनन्दपुर साहिब से, न मुकेरियां से और न यू. बी. डी. सी.-II फेज से बिजली की एक यूनिट मिल रही है। माननीय सभापति महोदय, पूरे सदन के सदस्यों को राजस्थान के बेहतर हित में, मैं सोचता हूं, इन सब प्रोजेक्ट्स के मामलों को दिल्ली में ले जाना चाहिए और दिल्ली की सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। जिस प्रकार के सहयोग से हम राजस्थान की बहबूदी की बात कर रहे हैं, उस बहबूदी के लिए हमें राजस्थान के हिस्से की बिजली दिलायी जानी चाहिए और राजस्थान के हिस्से के पानी के लिए भी प्रयास किये जाने चाहिए।

दूसरी तरफ राजस्थान ने जितने पावर प्रोजेक्टस दिल्ली को सब्मिट किये थे। उन पावर प्रोजेक्ट्स के अन्दर, मैं धन्यवाद देना चहता हूं माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब को कि उन्होंने सूरतगढ़ का क्लियरेंस जो गवर्नमेण्ट ने वापस ले लिया था उसे वापस क्लियरेंस दिलाया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी कि राष्ट्रपति शासन के दौरान इस क्लियरेंस को वापस लिया गया और उसके लिये कोई प्रयास नहीं हुए। माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब ने सरकार में आते ही इसके प्रयास किये और जो क्लियरेंस विथड्रा कर ली गयी थी, क्लियरेंस कराके सूरतगढ़ तापीय विद्युत योजना पर काम शुरू करवा दिया गया है। रामगढ़ के लिए भी गैस की जो बात चल रही थी,

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

रामगढ़ के लिए भी गैस का काम शुरू हो गया है। 1994 के अन्दर कोटा थर्मल की फिफ्थ यूनिट भी काम शुरू कर देगी, रामगढ़ का भी काम शुरू कर देगा। सूरतगढ़ के अन्दर काम शुरू हो गया है और 700 मेगावाट पावर जनरेशन पावर इससे होगा। इससे राजस्थान को काफी रिलीफ मिलेगी।

माननीय सभापति महोदय, जो और बाकी प्रोजेक्ट्स राजस्थान के दिल्ली में पड़े हुए हैं और जिनका क्लियरेंस करने की जरूरत है, उन प्रोजेक्ट्स की क्लियरेंस नहीं होने से प्राइस का एस्कलेशन हो रहा है। इस प्राइस के एस्कलेशन होने से जो प्रोजेक्ट सूरतगढ़ का 493 करोड़ का था वह 1084 करोड़ का हो गया, जो चित्तौड़ का प्रोजेक्ट 451 करोड़ का था वह 1000 करोड़ से भी ज्यादा का हो गया। सभापति महोदय, इसी प्रकार 599 करोड़ का माण्डलगढ़ का प्रोजेक्ट 1600 करोड़ से ऊपर का हो गया है। इस प्रकार जो प्राइसेज एस्कलेट हो रही हैं उससे यह बनने वाले प्रोजेक्ट राजस्थान के आर्थिक संसाधनों की सीमाओं से बाहर चले जायेंगे।

माननीय सभापति जी, धौलपुर का मामला उठा। धौलपुर का 1984 का प्लान है। 1984 का राजस्थान का गया हुआ प्रपोजल, जो कांग्रेस के जमाने में गया, ठंडे बस्ते में चला गया। एक तरह से धौलपुर प्रोजेक्ट मर गया। यह माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब थे जिन्होंने धौलपुर प्रोजेक्ट को रिवाइव किया गया। धौलपुर के प्रोजेक्ट के बारे में एनवायरनमेंट के जितने भी आब्जेक्शन्स थे उन आब्जेक्शन्स का प्रोपर रिड्रेसल होने के बावजूद दिल्ली की सरकार ने धौलपुर प्रोजेक्ट की क्लियरेंस नहीं दी। अब धौलपुर प्रोजेक्ट में दिल्ली की सरकार ने कुछ नये इम्प्रोवाइज्ड आगमेण्टेड एनवायरमेंट इन्स्ट्रूमेंट्स आने के कारण उस प्रपोजल को सेक्शन देने की बात की है। अब नये प्रकार की जो टैक्नीक है उसमें पोल्यूशन क्रियेट नहीं होता होगा या कम अमाउण्ट में होता होगा, उस पर बीस प्रतिशत एडीशनल कास्ट पे करनी पड़ेगी। मैं सोचता हूं....

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर) : उसकी कास्ट का अन्दाजा है आपको ? उसकी कास्ट कितनी है इसका अन्दाजा है ?

श्री राजपाल सिंह शेखावत : तकरीबन 1600 करोड़ की कास्ट पहले एस्टीमेट की गयी थी धौलपुर के लिए, उसको बीच में रिड्यूस करने की चर्चा चल रही थी, अब 1600 करोड़ से कितनी रिड्यूस कर पाते हैं उसके बाद में बीस प्रतिशत का एस्कलेशन कितना हो पाता है यह इस पर निर्भर करता है। लेकिन इतना स्पष्ट है और राज्यपाल के अभिभाषण में भी इस बात का बड़े स्पष्ट रूप से संकेत दिया गया है और माननीय मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत साहब जब वोट आफ कान्फीडेंस पर बोल रहे थे उस दिन बड़ा स्पष्ट किया गया कि धौलपुर के प्रोजेक्ट पर चाहे बीस प्रतिशत की एडीशनल कास्ट लग जाय,

(श्री राजपालसिंह शेखावत)

धौलपुर के प्रोजेक्ट को शुरू करने के अन्दर, राजस्थान को विद्युत पहुंचाने की कोशिश के अन्दर कोई कमी नहीं छोड़ी जायेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं रहना चाहिए। इसी प्रकार की स्थिति नेवेली लिग्नाइट, बरसिंगसर के बारे में थी। बरसिंगसर के मामले के अन्दर नेवेली लिग्नाइट वालों से एम. ओ. यू. साइन किया गया। बाद में नेवेली लिग्नाइट किसी कारण से विथड्रा कर गयी ...

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : वह कारण भी बता दें, माननीय सदस्य।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : कारण मान लो जयललिता थीं। मुख्य मंत्रीजी बतायेंगे, आप भी जानते हैं। जयललिताजी का कांग्रेस का छोड़ने का क्या कारण था, यह आप बता दें।

श्री सभापति : परस्पर बातें न करें।

श्री जुबेर खान : आपने खुद ने ही जिक्र किया तो बता क्यों नहीं देते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : बता देंगे आपको।

श्री राजपाल सिंह शेखावत : नेवेली लिग्नाइट के मामले में एक इस तरह की अन्डरस्टेण्डिग हुई कि नेवेली लिग्नाइट के रिसोर्सेज केवल तमिलनाडु के अन्दर ही यूज किये जायें। इस बात को नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने शायद माना है और इस कारण से उसने अपने आप को विथड्रा किया है। लेकिन एक कौलमेन नाम की कम्पनी जल्दी ही यह एम.ओ.यू. साइन करने वाली है। वह उस बारे में एग्जामिन कर रही है। बरसिंगसर, जो राजस्थान के अन्दर है, किसी भी रूप में पूरे हिन्दुस्तान की तस्वीर में पहले कभी जाना नहीं जाता था, लिग्नाइट के रूप में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब ने दुनिया को जनवाया और उसी बरसिंगसर के अन्दर लिग्नाइट से जनरेटेड पावर प्रोजेक्ट लगेगा। अब वह कौलमेन नाम की कम्पनी, मैं सोचता हूं, बातचीत करने के लिए राजस्थान में आ चुकी है या आने वाली है, उसके बाद में बरसिंगसर का प्रोजेक्ट जल्दी ही इस बारे में स्वीकृत कर दिया जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान के हितों पर जिस तरह से कुठाराघात किया गया है और जिस तरह से केन्द्रीय सरकार धीरे-धीरे राज्य सरकरों के अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है उस अतिक्रमण के करने से राज्य सरकारें अपने आप एक म्यूनिसिपैलिटी बन जायेंगी और राज्य सरकारें म्यूनिसिपैलिटी नहीं बनें, हिन्दुस्तान की संघीय व्यवस्था के ढांचे को कोई खतरा पैदा न हो, राज्यों का विकास लगातार चलता रहे, राज्यों के अधिकार राज्यों को मिलते रहें, इसके लिए, मैं सोचता हूं, सभी को एकजुट होकर संविधान की मूल भावना के अनुकूल प्रयास करने चाहिये और इस प्रयास में सब लोगों का सहयोग होना चाहिए।

जहां तक एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के दो नोटिफिकेशंस का सवाल है और फारेस्ट

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

कन्जर्वेशन एक्ट का ताल्लुक है, मैं सोचता हूं, फारेस्ट कन्जर्वेशन एक्ट और उन दो नोटिफिकेशन्स के हिसाब से अगर चलें, पूरी अरावली की डिस्ट्रिक्ट्स को उसमें कवर कर लिया गया तो राजस्थान के पास में ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बचेगा जो उस नोटिफिकेशन से कवर नहीं होगा। ऐसी स्थिति के अन्दर राजस्थान के अन्दर विकास की किसी भी प्रकार की कोई योजनाएं लग पायें इसकी सम्भावना नहीं रहेगी। अभी भी जो दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कुछ इण्डस्ट्रीज को कैटेगराइज किया गया है। कुछ इंडस्ट्रीज के लिए क्लियरेंस दिल्ली की सरकार देगी। राजस्थान की सरकार भी जिन कैटेगरीज को क्लियरेंस देगी उनकी क्लियरेंस अगर गलत दे दी गयी है, इस बात की कोई कम्पलेंट हुई तो दिल्ली की सरकार उसको एग्जामिन करेगी। यह स्टेट्स के राइट्स का एनक्रोचमेंट है, यह उसकी आटोनोमी पर एक आक्रमण है।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की बहबूदी के लिए जिस तरह का आत्म विश्वास और जिस तरह का संकल्प इस राज्यपाल के अभिभाषण में दिखाया गया है और जिस प्रकार की नयी योजनाएं लाकर जनता का विकास और कल्याण करने की भावना इसमें दिखाई गयी है, जो संकल्पबद्धता दिखाई गयी है उस संकल्पबद्धता के कारण मैं कह सकता हूं कि राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर जो कई चीजें आयी हैं, पेयजल योजना के लिए चूरू और गंगानगर के अन्दर....

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : पंचायत चुनाव के बारे में तो बोलो, माननीय सदस्य।

श्री सभापति : आप, माननीय सदस्य, चेयर की ओर देखिये —(व्यवधान)....

श्री हरिसिंह (महुआ) : घनश्यामजी, आप अपनी परफारमेंस दिखाइये।

श्री सभापति : आप, माननीय सदस्य····

श्री राजपाल सिंह शेखावत : माननीय सभापति महोदय, मैं सोचता हूं, जिस प्रकार से चूरू और गंगानगर के अन्दर गांवों को पेयजल पहुंचाने की योजनाएं बनी हैं जर्मनी के सहयोग से, जिस प्रकार जर्मनी के सहयोग से लघु सिंचाई योजनाएं हाथ में ली गयी हैं, जिस प्रकार की एडवर्स सरकम्सटासेज के अन्दर राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने परफारमेंस दी है, राजस्थान का प्लांट लोड फैक्टर भी अच्छा है, इन सब स्थितियों में एक ऐसी दिशा मिलती है कि राजस्थान की जो योजनाएं गयी सरकार ने विकास की शुरू की थीं, उन विकास की योजनाओं को नयी गति के साथ इम्प्लीमेंट किया जायेगा, राजस्थान के विकास के लिए नयी योजनाएं बनायी जायेंगी और नयी योजनाओं का भी इस प्रकार से क्रियान्वयन किया जायेगा कि राजस्थान देश के किसी भी प्रदेश से किसी मामले में पीछे नहीं रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण में डंकल प्रस्ताव से पड़ने वाले कृषि

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

पर प्रभाव की भी चर्चा की गयी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्यपाल महोदय को इस बात के लिए-कि डंकल, गैट, विश्व बैंक और आई. एम. एफ., यह जो चौगट्टा है. नव उपनिवेशवाद की ओर उनका जो पलायन है, उसके सामने दिल्ली की सरकार ने जिस प्रकार से घुटनेटेके हैं, उसका जो प्रभाव राजस्थान में पड़ने वाला है या वह पूरे देश में पड़ने वाला है और राजस्थान के गरीब और सीमांत किसानों पर ज्यादा पड़ने वाला है उसके प्रोटेक्शन की जो बात की गयी है, मैं सोचता हूं, वह अनुकरणीय है। अन्य राज्यों को भी इसका अनुकरण करना चाहिए। डंकल प्रस्ताव के तहत और आई. एम. एफ., विश्व बैंक के दबाव के तहत फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी कम की गयी और यही कारण है कि, पैरा द्वीप समूह जैसी इण्डस्ट्री बंद हो गयी है। फर्टिलाइजर्स को इम्पोर्ट करने की परमिशन दी, हिन्दुस्तान के अन्दर पैदा होने वाली खाद के कारखाने बंद हो गये, बेरोजगारी हो गयी. हिन्दुस्तान के अन्दर खाद के उपयोग में गिरावट आयी और इसके कारण गये साल पचास लाख टन रबी की फसल में कमी आयी। पचास लाख टन रबी की फसल में कमी, यह हिन्दुस्तान के अन्दर, विदेश के लोगों द्वारा जनित कृषि उपज को हिन्दुस्तान में आयात करने के लिए बाध्य करने की साजिश है। राजस्थान के किसानों के हितों का संरक्षण करने की बात जिस संकल्प के साथ अभिभाषण में कही गयी है, मैं सोचता हूं, उसके लिए साधुवाद देना चाहिए।

सभापति महोदय, मैं इस बात के लिए भी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जयपुर और जयपुर जैसे कई और शहरों के नियमितीकरण की जो समस्या थी, भूमि रूपान्तरण की जो समस्या थी, उस समस्या के निराकरण के लिए अभिभाषण में कहा गया है। बीस-तीस साल से राजस्थान का हरेक कस्बा, हरेक शहर इस समस्या से जूझता रहा है और इस समस्या के निराकरण हेतु हरेक व्यक्ति सरकार की तरफ देखता रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत साहब को, जिन्होंने जयपुर की कसक को, राजस्थान की इस कसक को समझा है और नियमितीकरण का वादा किया है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सरकार एक स्वच्छ प्रशासन देने की ओर है, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने की ओर है। यह सरकार तेजी से विकास करने के लिए है, यह सरकार गरीब को गणेश मानकर उसकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस सरकार में जो संकल्पबद्धता दिखती है और जो सरकार की इस अभिभाषण में दिशा नजर आती है उस दिशा और संकल्पबद्धता को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव को इस सदन को पारित कर देना चाहिए।

धन्यवाद।

धन्यवाद-प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर सनाढ्य।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : सभापति महोदय, बनीपार्क से आने वाले

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

माननीय सदस्य ने राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं।

मैं आपके माध्यम से सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह की राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य सरकार ने राजस्थान की जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई है उससे लगता है कि राज्यपाल का अभिभषण केवल औपचारिकता निभाने के लिए नहीं है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता जनता के प्रति है, राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को शासन करने की स्थिति में लाकर हम लोगों में जो विश्वास व्यक्त किया है उसके प्रति यह अभिभाषण है। इसके अन्दर सरकार की प्रतिबद्धता है। इस अभिभाषण के अन्दर दिया गया है कि जनजाति, अनुसूचित जाति के बारे में अनेक वर्षों तक, इन पिछले 45–46 साल के शासन में कहा तो बहुत गया, केन्द्र से रुपया भी बहुत आया लेकिन उसके बाद भी उनका विकास नहीं हो सका। उनका सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से विकास नहीं हुआ। राज्य सरकार ने जिस तरीके से उसमें प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि हम उनका सामाजिक और आर्थिक विकास करेंगे, उसके अनुरूप हमारे जनजाति मिनिस्टर, श्री नन्दलाल जी मीणा अभी राजस संघ के माध्यम से जो योजनाएं प्रस्तुत की हैं उन योजनाओं के माध्यम से डेयरी, कुक्कुट शाला का विकास होगा। तेंदूपत्ता अब तक हमारा बाहर खरीद कर ले जाते रहे लोग। अभी बीड़ी निर्माण के काम को प्रोत्साहन देकर जनजाति क्षेत्र के लगभग 55 हजार लोगों को रोजगार देने की जो योजना बनायी है, मैं समझता हूं कि उसकी वजह से उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और वह विकास की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और जो वनवासी आज तक कष्ट भोगते रहे हैं राहत मिलेगी।

मैं इस के साथ राज्य सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि वनवासियों की बहबूदी के लिए 55 हजार लोगों को रोजगार देने की बात कही गयी है लेकिन अगर इन वनों को बचाना है, बन विकास करवाना है, यह जो आज वनों की रक्षा के लिए लगे हुए हैं यह तो विनाश कर देंगे क्योंकि अब तक विनाश होता रहा है, तो इन्हीं वनवासियों को हमें अधिकार देना होगा और यदि यह सुरक्षा के अधिकार हमने वनवासियों को दे दिये तो निश्चित रूप से हमारे जंगल पनप सकेंगे। मैं राज्य सरकार से अपील करूंगा कि वह इस तरह की योजनाएं बनावे कि जो जंगल शेष रह गये हैं उनको उन्हीं क्षेत्र के रहने वाले गांवों के जो वनवासी लोग हैं उनको आवंटित कर दें ताकि वह उनकी सुरक्षा भी कर सकें। जंगल से लकड़ी काटकर लाने में तो ट्रक के ट्रक भरकर चले जाते हैं और कहीं पहुंच जाते हैं लेकिन वह वनवासी जो केवल अपनी रोटी के लिए सूखी लकड़ी इकट्ठी करके लाता है उसको जिस तरीके से यह वन विभाग के लोग रोकते हैं और इनके ऊपर केसेज बनाये जाते है, निश्चित रूप से सरकार को यह करना होगा कि वह जो जंगल से सूखी लकड़ी लाने वाले लोग हैं उन गरीबों को लकड़ी बेचने की इजाजत

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

दी जाये क्योंकि बरसों तक उनके पुरखे यही काम करते रहे हैं।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 45 जिन्से ऐसी हैं जो वन की उपज है और कृषि उपज है उस कृषि उपज को लेने के लिए जो लैम्पस दिवालिया हो गये जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रही, जो अब तक साधारण चीजों का वितरण करते रहे हैं योजना बनायी गयी है कि उनकी कृषि उपज भी खरीदी जाये और वन की उपज भी खरीदी जावे। इस तरीके से इन वनवासियों का आर्थिक शोषण रोका जा सकता है जो शोषण अब तक बिचौलिए करते रहे हैं।

मैं राज्य सरकार को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछली बार जब भैरोंसिह जी की सरकार थी तब उन्होंने कुछ आरक्षण जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए किया था नौकरियों के लिए। लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान उन जनजाति क्षेत्र के लोगों को जो आरक्षण राजस्थान की पूर्व की सरकार ने दिया था उसको रोक दिया और उसकी वजह से उनकी नौकरियों में रूकावट आयी है। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि वह पुनः उस आरक्षण को लागू करें। जनजाति क्षेत्र के लोगों के लिए और अनुसूचित जाति के लिए वह आरक्षण प्रारम्भ किया जाये ताकि उन लोगों को नौकरी मिल सके। मैं राज्य सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो नौकरियों पर रोक लगी हुई है इसको हटाना चाहिए। जब तक हम नौकरियों पर से रोक नहीं हटायेंगे तक हम किसी भी तरीके से लोगों को रोजगार नहीं दे सकेंगे। रोजगार देने की दृष्टि से यह उपक्रम हमें करने चाहिए।

अभी माननीय भैरोंसिह जी शेखावत साहब ने चुंगी टैक्स और उद्योगों की दृष्टि से एक समारोह में बयान दिया। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे उद्योग राजस्थान में लगाये जाने चाहिए जिनके कारण से लोगों को रोजगार मुहैया हो सके। इन उद्योगों के बारे में जो नयी औद्योगिक नीति बनायी थी पिछली राज्य सरकार ने, उससे उद्योग लगाने के लिए एक क्रम पैदा किया था लेकिन वह सफल नहीं हुआ और इसीलिए राजस्थान से अनेकों उद्योग गुजरात, मध्य प्रदेश....(व्यवधान)....इसलिए नहीं हुआ कि राष्ट्रपति शासन में जो संवेदनशीलता होनी चाहिए थी प्रशासन की, वह खतम हो गयी। संवेदनशीलता नहीं रहने के कारण पैसा ज्यादा मांगा जाने लगा।

मान्यवर, जिस तरह का राष्ट्रपति शासन में भ्रष्टाचार पनपा है मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता, मैं तो एक दो उदाहरण ही प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह जो एकलिंग जी का मन्दिर है, जो मेवाड़ के शासक कहलाते हैं, मेवाड़ का राजा तो उसका दीवान कहलाता था उस मन्दिर के पास में नागदा की भूमि पर राष्ट्रपति शासन के दौरान आनन फानन में होटल निर्माण की स्वीकृति दी गयी। मान्यवर, बहुत तेजी से काम हुआ जब कि अनेक होटलों की आज भी मन्जूरियां रुकी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

पड़ी हुई हैं वर्षों से। इस रिजार्ट होटल के निर्माण में सबसे बड़ी बात यह है कि रामसिंह वल्द देवीसिंह ने 2-2-93 को आवेदन किया गिरवा तहसील के अन्दर कि इस जीमन के ऊपर मेरा अवैध निर्माण है इसे रेगूलराइज कर दिया जाये, इसे नियमित कर दिया जाये। जब राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत देखा गया तो इसका कहीं अवैध कब्जा नहीं पाया गया, कहीं रिकार्ड में उपलब्ध नहीं है कि रामसिंह वल्द देवीसिंह, जो नागदा का निवासी है, का उस भूमि पर कब्जा है। लेकिन आप देखियेगा, सितम्बर के फर्स्ट वीक के अन्दर यही रामसिंह होटल रिजार्ट, जो लिमिटेड कम्पनी थी, के डायरेक्टर के रूप में उभर करके आये। 2 सितम्बर को एप्लीकेशन दी गयी कि होटल की परमिशन दे दी जाये और 8 सितम्बर को होटल की परमिशन मिल जाती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से कि इसी तरीके से जो वहां पर वन भूमि के अंदर खानें आवंटित की गयी हैं जो देवस्थान की जमीन पर आबंटित की गयी हैं, जनता का विश्वास है कि इनमें लाखों रुपयों का लेनदेन हुआ है। इसी तरीके से इस होटल की जो स्वीकृति दी गयी है इसकी भूमि को जिस तरीके से नियमित किया गया है, जयपुर का सचिवालय और उदयपुर का कलेक्टोरेट जैसे एक हो गये हों। मैं निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार से कि यह भ्रष्टाचार जिस तरीके से उजागर हुआ है, दिखाई पड रहा है....

श्री परसादीलाल मीणा : कालूरामजी मंत्री थे तब बहुत स्वीकृतियां दी गयी थीं और बंशीलालजी पटवा ने उन पर बहुत आरोप लगाये थे। आपके टाइम में बहुत भ्रष्टाचार हुआ था। खाने आबंटित करने में....(व्यवधान) वह तो आपकी ही पार्टी के सदस्य लगा रहे थे इसी लिये उनका टिकट काटा। आपने भी बहुत कबाड़े किये हैं।

श्री सभापति : आपका नम्बर आये तब आप बोलिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार चाहे कभी भी हुआ हो, अगर भ्रष्टाचार है तो वह भ्रष्टाचार निश्चित रूप से रोका जाना चाहिये। यह भ्रष्टाचार रुकना चाहिये, निश्चित रुकना चाहिये।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं कह रहा था कि आपकी पार्टी के सदस्य ने आरोप–प्रत्यारोप बहुत लगाये थे खानों के आबंटन में। क्या उनकी जांच के लिये भी आप मुख्य मंत्रीजी से मांग करेंगे? वह वैसे के वैसे ही रह गये ...(व्यवधान)

श्री सभापति : वह मांग आप कर लेना। आपका नम्बर आये तब आप कर लेना वह मांग।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार राष्ट्रपति शासन के दौरान हुआ है या किसी सरकार के बीच में हुआ है, भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आयेगा। हम जन प्रतिनिधि यहां चुन कर आते हैं और

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

सरकार बनाते हैं उन सबका दायित्व है कि यह भ्रष्टाचार रोका जाना चाहिये चाहे किसी भी तरीके से हो। उसके लिये इस अभिभाषण के मन्दिर भी और राज्य सरकार में भैरोंसिंहजी की प्रतिबद्धता है जिसके लिये अनेक बार कहा गया है, उनकी प्रतिबद्धता है और मैं विश्वास करता हूं कि इस भ्रष्टाचार को मिटायेंगे, राजस्थान में यह जो भ्रष्टाचार बरसों से पनपता चला आया है और आपके शासन काल से शुरू हुआ है। कांग्रेस के लोगों ने और कांग्रेस के मंत्रियों ने तो वनवासियों की जमीनें नहीं छोड़ी, कंजरों की जमीन नहीं छोड़ी, सांसियों की भूमि नहीं छोड़ी उनके ऊपर अधिकार कर लिया। तो आपको तो यह कहने का अधिकार ही नहीं है। किस तरीके से भ्रष्टाचार उस सरकार में पनपा है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपके इसी लिये तो हारे कि वह सारे भ्रष्ट थे।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि यहां तो यह हालत हो गयी। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार बरसों तक चली आयी उसके सारे लोग कैसे हार गये ? केवल 28 लोग ही उसमें आ सके....

श्री परसादीलाल मीणा : आपके मन्दिर का क्या हुआ वहां ?

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : मैं तो यही कह रहा हूं कि मन्दिर बनेगा, मन्दिर बन गया अब तो केवल भव्य बनने वाला है मन्दिर और इसका इन्तजार कीजियेगा। आने वाले समय में जब भव्य बन जाये तो आप भी मेरे साथ दर्शन के लिये चलना।

श्री परसादीलाल मीणा : हमारी शुभ कामना है एक बार और जाओ पहले की तरह कि जैसे 6 दिसम्बर को गये ना वैसे ही एक बार और जाओ।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : हम जरूर जायेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन की ओर देख करके बोलें।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आसन की तरफ ही देखूंगा लेकिन परसादीलालजी का प्रसाद जब कभी प्राप्त हो जाता है तो ब्राह्मण होने के नाते ललचा करके उधर देख लेता हूं।

जिस तरीके की प्रतिबद्धता इसमें दर्शायी गयी है, यह जो राष्ट्रपति शासन रहा इस राष्ट्रपति शासन के अन्दर प्रशासन में संवेदनशील नहीं रहा, अधिकारी जिम्मेदार नहीं रहे क्योंकि उनसे कोई भी जनप्रतिनिधि पूछने वाला नहीं था, जनता किसके पास जाये, उसके अन्दर जिस तरीके से अन्याय होता रहा, मैं बधाई देना चाहता हूं राज्यपाल महोदय को और सरकार को कि उसने संवेदनशीलता बरतने के लिये प्रशासनिक दृष्टि से जो सचिव हैं विभागाध्यक्ष हैं, उपक्रमों के अधिकारी हैं उनके लिये तय किया है कि हम साल के पहले ही उनको जिम्मेदारी सौंपेंगे और जिम्मेदारी सौंपने के बाद जब वर्ष समाप्त होगा तो

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

उनकी उपलब्धियों का आंकलन किया जायेगा। मैं इसके लिये बधाई देना चाहता हूं लेकिन मैं इसी के साथ माननीय भैरोंसिह जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से शासन सचिव और विभागाध्यक्ष शासन चलाने के लिए होते हैं उसी तरीके से जो कर्मचारी हैं वह सारे कर्मचारी इस प्रशासन का अंग है प्रशासनिक अंग होने के नाते यदि कर्मचारियों में किसी तरह का असन्तोष पनपनता है तो ठीक तरह से वह जनता की सेवा नहीं कर सकते, जब राजस्थान सरकार ने नीतिगत निर्णय यह कर लिया कि जो दिल्ली के वेतनमान होंगे वही वेतनमान राज्य सरकार के एम्पलाइज के होंगे उनके भत्ते भी वही होंगे, उनको जो सुविधायें दी जाती हैं वहीं सुविधायें दी जायेंगी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारियों को केन्द्र के समान जो वेतनमान दिये गये हैं उनमें जो विसंगतियां रह गयी हैं उन विसंगतियों को दूर करने के लिये निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को प्रयत्न करने चाहिये।

अभी केन्द्र सरकार में नया वेतन आयोग नहीं बना है और नये वेतनमान की घोषणा नहीं हुई है। इन्टरिम रिलीफ केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को दी गयी है। केवल केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को नहीं बल्कि कुछ अन्य राज्यों के कर्मचारियों को भी इन्टरिम रिलीफ दी गयी है। राजस्थान के कर्मचारी भी इसके लिये आन्दोलनरत हैं। कुछ लोग सचिवालय पर बैठे हैं, कुछ राजस्थान की विधान सभा के बाहर ऋषभचन्द जैन और भंवर सेठ की अध्यक्षता में आज बैठे हैं और उनकी डिमाण्ड है कि जब नीतिगत निर्णय हो गया है तो नीतिगत घोषणा करने में राज्य सरकार क्यों विलम्ब कर रही है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि संगठनों की मान्यता नहीं होने के कारण लैटर हैड के आधार पर बहुत से संगठन चल रहे हैं। राज्य सरकार से मेरा निवेदन है कि 1977 में माननीय भैरोंसिहजी की सरकार थी तब उन्होंने सचिवालय में एक सैल का गठन किया और एक सीनियर सचिव को उस सैल में प्रभारी लगाया गया। संगठनों को और राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों को को-आर्डिनेट करके जो डिमाण्ड्स राज्य सरकार के कर्मचारी रखते हैं उन डिमाण्ड्स के ऊपर राज्य कर्मचारियों की वार्ता कराने के लिये एक सैल बनाया गया था। उसी तरह का सैल बना करके राज्य कर्मचारियों की जो डिमाण्ड्स हैं उन डिमाण्ड्स पर चर्चा करायें। क्योंकि जब संवादहीनता हो जाती है तो उसके बाद लोगों में फ्रस्टेशन पैदा होता है उसकी वजह से प्रशासन चलाने में कठिनाई होती है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस दिशा में प्रयत्न करें।

राजस्थान के अन्दर न्यूनतम वेतन सलाहकार मण्डल बना हुआ है। प्रदेश के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिये जाने के बारे में एक फार्मूला निश्चित किया हुआ है। इसका 1990 में गठन हुआ था। इसमें उद्योगों के लोग थे, सरकार के प्रतिनिधि थे, श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि थे। इस तरीके से इस समिति का गठन किया लेकिन इसमें श्रमिकों को जो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिये उसके सन्दर्भ में

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

1990 के बाद में तय नहीं किया गया। मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि न्यूनतम वेतन के लिये अविलम्ब समिति बैठायी जानी चाहिये। यह जो बैठी थी 1990 में बैठी थी अब 1993 आ गया। इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिये। श्रमिक संगठनों के लिये भी नियम नहीं बनाये। हर सरकार इन नियमों को टालती रही है। श्रमिक सगठनों में जो असन्तोष व्याप्त है इस असन्तोष को समाप्त करने की दृष्टि से श्रमिक संघों के लिये नियम बनाये जाने चाहिये। इसी तरह से राज्य कर्मचारियों को मान्यता देने के संबंध में भी बनाये जाने चाहिये मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इसे करे।

मैं जिक्र कर रहा रहा था कि राष्ट्रपति शासन का। राष्ट्रपति शासन के दौरान जिस तरह की नीतियां राज्य सरकार ने चलायीं उस पर मैं उच्च शिक्षा मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(14.00)

जो लोग एक लम्बे समय से कालेजज के अन्दर और यूनिवर्सिटी के अन्दर एडहाक रूप से काम कर रहे थे उन लोगों को रेगूलर करने के लिए उस समय भैरोंसिंह जी ने कार्य प्रारम्भ किया लेकिन सरकार जाने के कारण से उसमें रुकावट आयी। उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने उन कर्मचारियों को, जो एक लम्बे समय से वहां पर काम कर रहे थे, रेगूलराइज किया है। मैं निवेदन करूंगा कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों में काम करने वाले जो कार्यरत शिक्षक हैं उन लोगों को भी अध्यादेश द्वारा राज्य सरकार रेगुलराइज करे। बिल ले आये तो भी ठीक है और अध्यादेश लाये तो भी ठीक है। लेकिन यह जो पढ़ाने वाले लोग हैं जो पिछले आठ-आठ, दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल से पढ़ा रहे हैं, सर्विस की कोई सरंटेनिटी नहीं होने के कारण से इन लोगों के अन्दर जिस तरह का आक्रोस फैल रहा है और वेदना है उससे शिक्षा में रुकावट आती है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको दूर किया जाना चाहिए।

राष्ट्रपति शासन के दौरान जिस तरह से राजस्थान के कुलपति डाक्टर रामेश्वर प्रसाद को हटाया गया, उसमें सचिव जाते हैं, एस. पी. जाते हैं, पुलिस जाती है, कलक्टर जाता है, यह विश्वविद्यालय की स्वायत्ता के ऊपर अतिक्रमण था। मैं निवेदन करूंगा राज्य सरकार से कि यह जो अपमान शिक्षकों का हुआ है उन्हें पुनः विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया जाय। उस समय कुलपति का चार्ज ऐसे आदमी को दिया गया जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप और अनेक तरह के आरोप थे। उस आदमी को कुलपति बनाकर के ठीक नहीं किया। इसी तरह से उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में जो मंगल बिहारी कमेटी बैठी थी उस मंगल बिहारी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद माननीय राज्यपाल महोदय ने 5-12-92 को कृषि विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल को यह निर्देश दिये थे कि जो लोग इसमें दोषी पाये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

सभापति महोदय, आश्चर्य इस बात का है कि राज्यपाल महोदय के यहां से पुनः निर्देश आता है, क्योंकि वह राज्यपाल तो बदल गये जिन्होंने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए मंगल बिहारी कमेटी के माध्यम से उन लोगों को सजा देने की बात कही थी। प्रशासनिक अधिकारी उस समय कुलपति थे चाहे वह हूजाजी रहे हों चाहे वह मिसेज हल्दियाजी रही हों, वहां पर जो आर. ए. एस. अधिकारी लगे हुए हैं इन तीनों के माध्यम से नये राज्यपाल महोदय ने 17-3-93 को वापस निर्देश दिया कि उस मंगल बिहारी की रिपोर्ट को वापस भेज दिया जाय। राजस्थान सरकार को यह नहीं करना चाहिए था। विश्वविद्यालय को स्वायत्ता दी हुई है और उसके प्रबन्ध मण्डल में ही राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं विश्वविद्यालय के, उनके निर्देशानुसार उन अधिकारियों, कर्मचारियों, जिन पर भ्रष्टाचार के, अनियमितताओं के आरोप थे, को सजा देनी थी लेकिन वह रिपोर्ट मंगा करके लीपापोती करने की कोशिश की गयी। यहीं नहीं राष्ट्रपति शासन के दौरान जिन लोगों ने वित्तीय अनियमितताएं की थीं, भ्रष्टाचार के आरोप थे, मंगल बिहारी ने जिनका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था उन लोगों को पुनः प्रबन्ध मण्डल का सदस्य बनाया जबकि चुनाव होने वाले थे, चुनी हुई सरकार आने वाली थी। जो उस समय की कुलपति महोदया थीं उन्होंने प्रबन्ध मण्डल में यह बयान दिया, मैं इसे रोक नहीं सकती क्योंकि राज्यपाल महोदय के यहां से 4 नाम आये हैं, मुझे इनमें से एक नाम को सलेक्ट करके भेजना है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने इसका विरोध किया, प्रबन्ध मण्डल के लोगों ने इसका विरोध किया लेकिन आई. ए. एस. अधिकारी होने के नाते शायद वह नतमस्तक थीं राज्यपाल भवन के सामने, उनके निर्देशों का भी उल्लंघन नहीं कर सकती थीं। इस लिए यह विश्वविद्यालय की स्वायत्ता के ऊपर अतिक्रमण है।

मैं राजस्थान सरकार से यह निवेदन करूंगा कि इसी तरह का भ्रष्टाचार और अनियमितताएं आर. पी. एस. सी. के अन्दर जो नियुक्तियां की गयी हैं उसमें हुई हैं। आर. पी. एस. सी. किनका सलेक्शन करने वाली है ? आर. पी. एस. सी. संविधान के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्था क्यों बनायी गयी ? यह ऐसे प्रश्न खड़े हो गये हैं जिन पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। जिस तरह के लोग बैठे हैं आर. पी. एस. सी. में, क्या हम उन पर यह विश्वास कर सकेंगे, क्या हिन्दुस्तान की जनता और राजस्थान की जनता विश्वास कर सकेगी कि वहां जो बैठने वाले लोग हैं वह लोगों के साथ में न्याय कर सकेंगे ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, मैं मेरी बात को बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी तरफ राजस्थान सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

चुंगी समाप्त करने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है, यह माननीय शेखावतजी

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

ने कहा है। आज चुंगी के कारण से बहुत परेशानियां पैदा हो रही हैं, हड़तालें हो रही हैं। मथुरादास माथुर कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है अगर हम इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेंगे तो इससे जो व्यापारी हैं उनको लाभ होगा।

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा अभी जनता द्वारा जन प्रतिनिधि चुने जाने थे और 15.11. को नोटिश दिया जाता है हिन्दुस्तान एग्रो केमिकल्स लिमिटेड को, जो बीछड़ी में है। वह लिखते हैं लेकिन उनकी बात सुनी नहीं जाती। 28. 11. को तो चुनाव होने वाले थे और सब को दिखाई पड़ रहा था कि माननीय भैरोंसिहजी ही सरकार बनाने वाले हैं, यह जन आकांक्षाएं थीं, लेकिन 26.11. को उस इंडस्ट्री को प्रदूषण के नाम पर बन्द कर दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, वहां के ठेकेदार के श्रमिक कम से कम एक हजार की संख्या में हैं। यह केवल राजनीति द्वेष के कारण से किया गया क्योंकि वह जो इण्डस्ट्री चलाने वाला व्यक्ति है वह कांग्रेस का सदस्य था, वहीं रहने वाला था। उसको नीचा दिखाने की दृष्टि से यह नोटिस भेजा गया केवल इस लिए कि चुनाव होने वाले थे और चुनाव के लिए उन सज्जन को पैसा चाहिए था, जो वहां के प्रभावशाली व्यक्ति हैं वह रुपया लेकर अगर राज्यपाल भवन में चला जाता तो शायद यह इण्डस्ट्री बंद नहीं होती। लेकिन आज एक हजार आदमी सड़कों पर बैठे हुए हैं और इनके साथ लगे हुए पांच व्यक्ति भी एक परिवार के अगर मानें तो आज पचास हजार लोगों की रोटी का सवाल पैदा हो गया है। मैं राजस्थान के मुख्य मन्त्री भैरोंसिहजी जो संवेदनशील हैं जनता के प्रति, श्रमिकों के प्रति, किसानों के प्रति, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रदूषण मंडल के नाम पर जो भ्रष्टाचार फैल रहा है इसे रोकने के लिए इसकी जांच करायें। मैं स्वयं उस इण्डस्ट्री को देखने के लिए गया। जिस पानी के प्रदूषण के लिए इन्होंने कहा, मैंने स्वयं उससे अपने हाथ धोये, हाथ ही नहीं मैंने अपनी आखें भी धोयीं और मेरी आखें आज भी देखने लायक हैं। वह किस आधार पर यह कह सकते हैं कि वह प्रदूषण कर रही है जमीन के अन्दर। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस इण्डस्ट्री को तुरन्त चालू कराने की कृपा करें।

मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि कृषि विश्वविद्यालय के अन्दर जिस तरह की नियुक्तियां हुई हैं, कृषि विश्वविद्यालय के अन्दर जिस तरह से ट्रांसफर हुए हैं, जिस तरीके से प्रशासनिक आदेश गये सचिवालय से....

सभापति : आप यह बोल चुके हैं। माननीय सदस्य, आपको आधा घण्टा हो गया है बोलते हुए, समाप्त करिये।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करता हुआ कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में हम जो पक्ष और प्रतिपक्ष के लोग चुन कर आये हैं उन सब लोगों से यह कामना की है कि हम राजस्थान की जनता को खुशहाल देखें। सरकार उसके लिए प्रति-

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

बद्ध है। मैं प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर राजस्थान की जनता, जिसने आपको चुनकर के भेजा है, पर उपकार करें। मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री विष्णु मोदी, संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : कार्य सूची के हिसाब से करायें। पाइन्ट आफ आर्डर, सर। कार्य सूची के हिसाब से करायें।

श्री सभापति : आप कर दीजिये। श्री रामनारायण संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सभापति महोदय, मैं हाजिर हूं।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : सभापति महोदय, मैं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्न शब्द जोड़े जायें।

"किन्तु खेद है कि अभिभाषण में पूर्वी राजस्थान के भरतपुर व धौलपुर जिलों में गम्भीर पेयजल संकट को दूर करने के सम्बन्ध में किसानों के लाभ हेतु फसल बीमा योजना की व्यवस्था के सम्बन्ध में तथा राज्य में पर्यावरण सुधार कार्यक्रम के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं है।

सभापति महोदय, महामहिम ने जो अपना अभिभाषण दिया है उसके अन्त में इस बात की कामना की है, "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।"

राजस्थान के सभी नागरिक सुखी रहें, निरोग रहें, ऐसी उन्होंने कामना की है लेकिन, श्रीमान, इस अभिभाषण में कोई भी ऐसी चीज है नहीं, जो राजस्थान की जनता के लिए सुखद सूचक हो। यह अभिभाषण सुख का द्योतक तो है ही नहीं। इस अभिभाषण के पढ़ने से ऐसा पता चलता है कि इसमें सरकार ने केवल समस्याओं का संकलन किया है। इसके पढ़ने से निराशा ही किसी व्यक्ति को होगी। उस निराशा से यह स्पष्ट होता है कि यह सरकार जिस पार्टी की है उसकी मनः स्थिति क्या है। इसको यह अभिभाषण स्पष्ट रूप से उजागर करता है। श्रीमान, यह अभिभाषण यह जाहिर करता है कि भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार की जो स्थिति है वह अधोमुखी स्थिति है। और होनी भी चाहिए क्योंकि गत चुनावों के परिणामों का श्रेय ले रहा है सत्ता पक्ष, उन परिणामों से पहले आपने नारा क्या दिया था? आपने इस बात की कल्पना की थी, आपने कामना की थी इस बात की कि अभी चार प्रदेश और फिर सारा देश। उस नारे का क्या हुआ, श्रीमान? कितने प्रदेशों में आप सरकार बना पाये? इन चुनावों के परिणामों के बाद में मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता कि आपके अखिल भारतीय पार्टी के अध्यक्ष स्वयं इतने विचलित हुए की त्यागपत्र देने की पेशकश की

(श्री हरिसिंह)

और आपका वह नारा, अब चार प्रदेश और फिर सारा देश····

एक माननीय सदस्य : चार प्रदेश नहीं, पांच प्रदेश।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : पांच नहीं छह प्रदेश। 'पांच प्रदेश और फिर सारा देश, आपके इस नारे का क्या हुआ ? श्रीमन, आज भारत की सड़कों पर आपका वह नारा बिलख रहा है, विलाप कर रहा है, रो रहा है इस बात को लेकर कि जिस कामना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था उसकी स्थिति क्या हो गयी। जर्जर स्थिति आज अगर नहीं हुई तो क्या कारण था, श्रीमन, मैं निस्संकोच आपके माध्यम से इस बात को पूछना चाहता हूं कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने स्वयं पेशकश की इस बात की कि वे त्याग पत्र देना चाहते हैं ? मैं आपका ध्यान इस लिए दिलाना चाहता हूं, श्रीमन कि इस अभिभाषण में निश्चित तौर से किन्हीं क्षेत्रों में आपने सौतेला व्यवहार करने की एक कोशिश की। मैं आपका ध्यान पूर्वी राजस्थान की ओर इंगित करना चाहता हूं। क्या राजस्थान के अन्दर पेयजल की की समस्या, जिसका इसमें वर्णन किया गया है, केवल कुछ ही स्थानों पर है ? मैं इसमें से कुछ उद्धरण पढ़ना चाहता हूं, "सरकार पेयजल की समस्या से गम्भीरता से पूर्णतया परिचित है और अधिकाधिक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए कृप-संकल्प है।" जोधपुर जलोत्थान योजना को पूर्ण करवाने के लिए श्री शेखावत की पूर्व सरकार ने वर्ष 1991-92 में इतने रुपये खर्च किये थे।

उसके बाद में यह चर्चा की गई है कि बीकानेर की योजना के सम्बन्ध में इतने रुपये खर्च किये गये थे। तो, श्रीमन, क्या राजस्थान के अन्दर जोधपुर और बीकानेर ही दो ऐसी जगह हैं जो पूरे राजस्थान की व्याख्या करती हैं ? पूर्वी राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर जिलों के अन्दर जहां पानी की इतनी विकराल स्थिति है अभी जाड़ों के मौसम में, मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले मौसम के अन्दर पेयजल उनको उपलब्ध नहीं हो सकेगा। उसके सम्बन्ध में अभिभाषण के अन्दर कोई चर्चा नहीं की गई। और चर्चा इसीलिए नहीं की गयी कि सरकार का जो दृष्टिकोण है वह बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण है। वह पूरे राजस्थान को एक राजस्थान की नीयत से देखना नहीं चाहती। राजस्थान के पूरे जिलों की समस्याओं पर उनकी योजनाओं पर उनका ध्यान इंगित नहीं है। और इंगित होता तो कोई वजह नहीं थी कि जो राजस्थान के पूर्वी जिलों, धौलपुर और भरतपुर के लिए चम्बल से लिफ्ट के पीने के पानी की योजना राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है उसके सम्बन्ध में इस अभिभाषण में बात दर्ज नहीं की जाती।

श्रीमन, मैं आपके सामने इस अभिभाषण की दूसरी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। वह यह है कि आप स्वयं इस बात को मानते हैं, आपने अभिभाषण में लिखा है कि राजस्थान में

(श्री हरिसिंह)

औसत बरसात कम हो गयी। क्या कारण है, श्रीमन् औसत बरसात कम होने का? स्पष्ट कारण यह है कि राजस्थान के पर्यावरण सुधार के ऊपर, राजस्थान के वनों की वृद्धि के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। यह कितनी खेद की बात है। आज जो मसला पूरे विश्व के सामने विचाराधीन है, आज पूरा विश्व इस बात पर एक मत है कि वनों की वृद्धि होनी चाहिए, पर्यावरण सुधार होना चाहिए। उस सब के सम्बन्ध में इस पूरे अभिभाषण के अन्दर एक शब्द तक नहीं लिखा हुआ है। पर्यावरण सुधार के सम्बन्ध में एक शब्द अभिभाषण के अन्दर नहीं लिखा हुआ है। वजह इसकी यह है कि पर्यावरण सुधार की जो भी सरकार की बाधित योजनायें हैं, जहां कहीं भी सैंक्चुरीज के अन्दर खानें चलती हैं उन खानों को निजी स्वार्थ की वजह से यह सरकार बढ़ाना चाहती है अन्यथा कोई वजह नहीं, श्रीमन्, कि पर्यावरण सुधार के सम्बन्ध में इस अभिभाषण में कोई बातें लिखी नहीं गई होतीं।

मैं आपका ध्यान, श्रीमन्, आकर्षित करना चाहता हूं राजस्थान के अन्दर सामाजिक वानिकी योजना समाप्त हो चुकी है। जिस सामाजिक वानिक योजना से गरीबों के लिए ईंधन मिलता है, जिस से कि गरीबों के लिये फ्यूल मिलता है। वह योजना बन्द होने के बाद भी आज राजस्थान सरकार पर्यावरण के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं करती। ऐसी कितनी इण्डस्ट्रीज हैं? क्योंकि इण्डस्ट्रीज वालों से तो आपका एक प्रकार से कोई हिसाब-किताब है न कि जितना चाहें उस हिसाब से पर्यावरण के अन्दर प्रदूषण करें, इधर ध्यान देना ही नहीं चाहते हैं। गरीब मरे, मरे, राजस्थान की जनता मरे इससे कोई ताल्लुक नहीं लेकिन आपका हिसाब-किताब ठीक बैठना चाहिए इसलिए इसमें पर्यावरण सुधार के सम्बन्ध में, श्रीमन्, कोई चर्चा ही नहीं की गयी है। यह तो जैसा कहते हैं न कि लार परोसा में बैंगन आये और ब्याह के समाचार सब पाये।

इस अभिभाषण से यह जाहिर हो रहा है कि राजस्थान सरकार राजस्थान की जनता की प्रगति के लिए, उन्नति के लिए उत्थान के लिए, राजस्थान में पर्यावरण सुधार के लिये, किसानों के लिए कतई किसी बात के लिए चिन्तित हैं ही नहीं। और अगर चिन्तित होती तो क्या वजह है कि राजस्थान के किसानों की फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में कोई चर्चा ही नहीं? आज 80 प्रतिशत किसान हिन्दुस्तान का गावों के अन्दर बसता है। उसकी फसल पर जब प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, फसल बरबाद हो जाती है। उसके बीमा के सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं है। बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज का बीमा हो सकता है, सेठ-साहूकारों की सम्पत्ति का बीमा हो सकता है लेकिन किसान की फसल के बाद में उसके घर में उसके बच्चों को खाने के लिए अन्न तक पैदा नहीं रहेगा, दाने तक नहीं रहेंगे, उसकी चर्चा इस अभिभाषण के अन्दर, श्रीमन्, नहीं है।

इसके अलावा बड़े अच्छे ढंग से बड़ी सफाई से राजस्थान की सरकार ने पंचायतों

(श्री हरिसिंह)

को भंग करके वहां जो सैक्रेटरी लगाये उस व्यवस्था को आप चालू रखना चाहते हैं। आपने इसके अन्दर कोई समयबद्ध कार्यक्रम नहीं दिया, श्रीमन्, कि हम जब तक पंचायतों के चुनाव करा देंगे। पंचायतों के चुनाव के इस सम्बन्ध में अभी हम पुर्नसिमन करेंगे, एक एक्ट लायेंगे, एक बिल पास करायेंगे उसके बाद में पंचायत चुनाव करवाना चाहते हैं। कोई सीमा नहीं है। मैं समझता हूं कि आने वाले एक साल के अन्दर तो यह सरकार पंचायत चुनाव कराने के लिए अपना मानस बनायेगी नहीं। क्यों नहीं बनाना चाहती इसलिए बनाना नहीं चाहती कि उसके बाद में आपकी स्थिति क्या होगी। गांवों की जनता का जो मानस आपके सामने, आयेगा, पोल खोल देगी आपके मानस की आप बहुत देर से कह रहे थे कि हमने जनादेश ले लिया है, उस जनादेश की स्थिति क्या होगी, उस पोल से बचने के लिये आप ग्राम पंचायतों के चुनाव करवाने के लिए कोई सक्रिय कार्यक्रम नहीं रखना चाहते।

इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, भरतपुर फीडर के बारे में आज भी मैंने अपना स्पेशल मेन्शन दिया था, भरतपुर जिले में एक बहुत पुरानी नहर है, 25-30 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार से इस समझौते के साथ बनी थी कि उनके पास जब कभी पानी उपलब्ध होगा तब भरतपुर के लोगों को पानी उपलब्ध करवाने के लिये इस नहर में पानी दिया जायेगा। इस नहर में पानी आयें बगैर न तो मवेशियों को पीने के लिए पानी मिल सकता है और न ही मनुष्यों को पीने के लिये पानी मिल सकता है। यह सब कुछ हो सकता है जब राजस्थान और उत्तर प्रदेश का यमुना के पानी के उपर एक कोई निश्चित समझौता हो जाये। इस सरकार ने कहीं कोई इस बात की चर्चा नहीं की कि हम बहुत जल्दी इस काम को करवाने जायेंगे। क्यों चर्चा नहीं की ? इसलिये कि जितने भी मामले हैं वह सब केन्द्रीय सरकार पर डालना चाहती है। कि वह योजना केन्द्र सरकार के पास में है, वह योजना कांग्रेस सरकार के पास में है। इन सब को भुलावों में आप राजस्थान की जनता को कब तक रख सकेंगे ? लेकिन आप रखना चाहते हैं क्योंकि न आप नगरपालिकाओं के चुनाव करवाना चाहते हैं, न पंचायतों के चुनाव करवाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, श्रीमन्, जैसे कि मैंने अभी आपको निवेदन किया था, बहुत देर से चर्चा हो रही है कि हम आवासीय समस्या को सुलझाने के लिए नियमन करना चाहते हैं। एक गलत कदम, श्रीमन्, पहले सरकार उठाती है। जैसे मैंने भरतपुर में देखा है, खेती की जमीन पर मकान बनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर देती है, इजाजत दे दी जाती है, मकान बनते हैं, धड़ाधड़ मकान बन जाते हैं, कालोनी की कालोनी डवलप हो जाती है और फिर उसके बाद में लोगों को इतनी परेशानी होती है, न वहां बिजली मिलती है, न वहां पानी मिलता है, न वहां सड़क मिलती है, कोई चीज नहीं मिलती। लोग सस्ते भावों पर जमीन खरीद लेते हैं लेकिन मकान बनने के बाद इस कदर परेशानी होती है उनको सड़क के लिए, बिजली के लिए,

(श्री हरिसिंह)

पानी के लिए और फिर वहां कुछ लोग पहुंचते हैं कि हम इसको रेगूलराइज कर देंगे। रेगूलराइजेशन के नाम पर पैसे बटोरे जाते हैं। इस तरह से बड़े छल के साथ भ्रष्टाचार पनपता है। उस भ्रष्टाचार को रेगूलराइज करने के लिए बहुत ही हिम्मत के साथ में, बड़ी खूबी के साथ कहा जाता है कि हम समस्याओं का समाधान रेगूलराइज कर के करना चाहते हैं। तो मैं आपसे, श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि इस आवासीय समस्या के हल के लिए होना तो यह चाहिए कि प्रारम्भ में जब आप किसी कालोनी को बनाना चाहते हैं तो पहले उसकी एक योजना बने, उसको अप्रूव करके उस पर मकान बनाने की इजाजत देनी चाहिये। जो भी उसके लिए जिम्मेदार हो....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

मैं एक मिनट लूंगा। उस योजना को पूर्ण रुपेण स्वीकृति देने के बाद उस पर मकान बनना चाहिये। तो मैं आपको यही निवेदन कर रहा था इस अभिभाषण पर कि मुझे इस बात की आशंका है कि कोई इस प्रकार की चेतना इनके दिमाग में नहीं है कि पूरे राजस्थान को एक करके चला जाय और साथ में मुझे यह भय है कि कोई न कोई सौतेला व्यवहार पूर्वी राजस्थान के सम्बन्ध में करने की इनकी मनोकामना है। इसलिए मैंने आपका ध्यान अपने इस संशोधन प्रस्ताव के जरिये जो प्रमुख समस्याएं पूर्वी राजस्थान की हैं उन की ओर दिलाया। इस संशोधन प्रस्ताव के साथ मैं जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका समर्थन करता हूं।

धन्यवाद। जय हिन्द।

एक माननीय सदस्य : समर्थन, क्या ?

श्री हरिसिंह : सारी। मेरे संशोधन प्रस्ताव का समर्थन है।

श्री सभापति : श्री विष्णु मोदी।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा संशोधन प्रस्ताव है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के अन्त में निम्न शब्द जोड़े जायें;

"किन्तु खेद है कि इस अभिभाषण के पैरा–2 एवं पैरा–5 में राष्ट्रपति महोदय एवं तत्कालीन राज्यपाल महोदय के संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में की गयी कार्यवाही के प्रति परोक्ष रूप से अध्यारोपण तथा दोषारोपण किया गया है जो संसदीय परम्परा के अनुरुप नहीं कहा जा सकता।"

माननीय सभापति महोदय, इस अभिभाषण के पैरा–2 में कहा गया है, "15 दिसम्बर सन् 1992 को चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इस आदेश की वैधता का विषय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस पर कोई टिप्पणी करना समीचीन नहीं होगा।"

और पैरा–5 में कहा गया है, "15 दिसम्बर, 1992 से 4 दिसम्बर, 1993 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू

(श्री विष्णु मोदी)

रहा। इतनी लम्बी अवधि तक राजस्थान में कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं रहा। अगर चुनाव शीघ्र करवाये जाते तो जनता के प्रति उत्तरदायी शासन स्थापित होता।"

माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी का कभी संविधान में विश्वास नहीं रहा। इन्होंने जिस तरह से देश का वातावरण बिगाड़ा, जिस तरह से देश में साम्प्रदायिक स्थिति पैदा की, जिस तरह से हमारे देश का जो मूलभूत सिद्धान्त था—धर्मनिरपेक्षता, उसके ऊपर हमला किया, 6 दिसम्बर को सर्वोच्च न्यायालय में दिये गये हलफनामों लोक सभा में दिये गये बयान नेशनल डवलपमेण्ट कौन्सिल में दिये गये आश्वासनों के बावजूद जिस तरह 6 दिसम्बर को मस्जिद को ढहाया, गया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में राज्यपाल के पद की गरिमा को ठेस पहुंचायी और इतनी पहुंचायी कि इन्होंने अपने मैनीफेस्टो में इस बात को कहा कि राज्यपाल का पद इस लायक नहीं है कि वह दलगत राजनीति में उतरें और जिस तरह से इस अभिभाषण को पढ़ाया गया, मैं समझता हूं, वह ठीक नहीं है। राज्यपाल महोदय ने अपनी गरिमा को रखा, संविधान की मर्यादाओं को निभाया लेकिन, मान्यवर, मैं आपके सामने कौल एण्ड शकधर की एक नजीर पेश करना चाहता हूं। ऐसा ही मौका एक बार वेस्ट बंगाल विधान सभा में आया जब राज्यपाल महोदय अभिभाषण पढ़ने आये, उन्होंने दो पैराग्राफ नहीं पढ़े और एक बार पंजाब विधान सभा के अन्दर इस तरह का मौका आया जब उन्होंने नहीं पढ़े। तो मैं इस सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सरकार बना ली, आप राज में आ गये लेकिन जो संविधान है, जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं उनकी तो आप कम से कम पालना करें। मैं बहुत विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि जो अनावश्यक बातें थीं, जिनको आपने लिखवाया, मैं यह समझता हूं कि आपकी मानसिकता इस तरह की बन गयी है, सिर्फ किसी चीज का क्रिटीसाइज करने में ही आपको ऐसा लगता है कि यह ठीक है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी अब सरकार में हैं। एक सरकार के शासनाध्यक्ष की दूसरी जिम्मेदारी होती है। वैसे लगातार आप विरोधी दल के नेता रहे विरोधी दल में रहे तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप उस मानसिकता से निकलें और आप अपने आपको यह समझें कि अब आपको शासन चलाना है। कौल एण्ड शकधर में यह है, "The Governor of West Bengal, in his Address to both Houses of the State Legislature in 1969, skipped over two paragraphs of the Address."

राज्यपाल महोदय ने दो पैराग्राफ राज्य सरकार ने जैसे लिखवाये थे वह स्किप कर दिये, उसी तरह से यह राज्यपाल महोदय भी करते तो भी उसमें वह संविधान की पालना करते लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपनी गरिमा दिखायी। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी पार्टी के प्रेसीडेण्ट ने और पार्टी के लीडर

(श्री विष्णु मोदी)

ने वह गरिमा दिखाने की कभी सोची भी नहीं।

Skipped over the two paragraphs of the Address. Constitutional and political aspects of the matter were debated in the Lok Sabha. In his reply to the debate, Minister of Home Affairs stated that the Address of the Head of State is a public declaration of the policy..... that the Govt. wants to follow in the coming year...... The Address is supposed to look to the future and to the present. But the two paras tried to be interpreting history......"

According to the Attorney General, the Address by the Governor cannot be utilised by the Council of Ministers to cast any reflection or make any adverse criticism of any act of the Governor done by him as a Constitutional Head of the State."

तो, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, अगर आप सोचें, ठीक समझें तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी जो आपने लिखवायी। दुबारा पंजाब विधान सभा में जो हुआ।

"The Punjab Governor, while delivering his address to both the Houses of the legislature assembled together on 14 March, 1969, read out the passages which were critical of the actions of the Government during the last year or so. On 21 March, the Punjab legislative Council adopted an amendment by the Congress Opposition to the official Motion of Thanks for the Governor's Address. The amendment regretted that the observations made in para 4 of the Address regarding the violations of constitutional provisions and parliamentary conventions at the time of passing the Budget for the year 1968–69 are contrary to admitted facts. The Budget was passed in accordance with the provisions of the Ordinance promulgated by him. By giving his assent to the Appropriation Bills, the Governor became as much a party to the passing of the Budget as the two Houses of the legislature. These observations amount to such contradictions which he should have been pleased to avoid making in his Address particularly when they are also against the finding of the Supreme Court of India."

आपने पैरा दो में लिखा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था और है तो इसमें किस बात की आवश्यकता थी? इसमें क्या भारत सरकार ने एक साल के अन्दर चुनाव नहीं कराये? पैरा पांच में लिखा है, 15 दिसम्बर, 1992 से 4 दिसम्बर, 1993 तक राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू रहा। इतनी लम्बी अवधि तक राजस्थान में कभी भी राष्ट्रपति

(श्री विष्णु मोदी)

शासन नहीं रहा। अगर चुनाव शीघ्र करवाये जाते तो जनता के प्रति उत्तरदायी शासन स्थापित होता।" तो क्या भारत के संविधान में एक साल का प्रावधान नहीं है ?

श्री रोहिताश्व (राज्य मन्त्री, यातायात) : प्रावधान तो है पर कांग्रेस राज कर रही थी।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (ग्रासीन्द) : विष्णु मोदी जी, हम तो उन दिनों छुट्टी पर चल रहे थे पर हमने छुट्टी भी दे रखी थी आप लोगों को, जो अव्यवस्था आप कर सकते वह करने के लिए। यहीं कर रखा था आपने राजस्थान में।

श्री हरिसिंह (महुग्रा) : आप तो सात साल से छुट्टी पर थे। आप तो पिछले सात साल से छुट्टी पर गये हुए थे।

श्री विष्णु मोदी : मान्यवर, जहां तक छुट्टी का सवाल है, वह तो कल प्रधानमन्त्री जी ने बता दिया कि यह तो एक खोज का विषय है कि कोई मुख्य मन्त्री छुट्टी पर जाता है। अब यह राजनैतिक बातें हैं, मैं जरा संवैधानिक बातें कर रहा हूं, मान्यवर, अगर आप इसको समझेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी को यही निवेदन है कि इन बातों की आवश्यकता नहीं थी, नहीं है। अगर इन सर्च आप करेंगे तो आपकी गरिमा ही बढ़ेगी। माननीय सभापति महोदय, यह जो अभिभाषण यह +++सरकार लेकर आयी है, वही +++यह अभिभाषण है। जब महामहिम इसे पढ़ रहे थे और बाद में जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि यह राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के बोर्ड की मीटिंग का एजेण्डा है। आठ-दस पेज का यह अभिभाषण, जिसके अन्दर चार पेज में तो सिर्फ चार किलोवाट पांच मेगावाट, एक-डेढ़ मेगावाट और चारणवाला, कोई बिजली की लाइन खराब, यह सब बातें लिखी हुई हैं। इसके बजाय अभिभाषण में जो उन्होंने अपना मेनीफेस्टो जारी किया है, जिसमें 32 पाइन्ट लिखे थे वह जारी करते और उसकी कोई दिशा दृष्टि होती तो समझ में आता कि यह सरकार क्या करने जा रही है। लेकिन इनके नेता को इस बात का विश्वास था नहीं कि वह सरकार में आ रहे हैं। सरकार में आने के बाद विधान सभा का सत्र जब देर से बुलाया तो यह लगा कि शायद बहुत गहन विचार-विमर्श हो रहा है और क्या यह सरकार करने जा रही है और जो वादे यह जनता में करके आये हैं उनके बारे में अभिभाषण में देखने को मिलेगा। लेकिन देखने को मिला राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का लेखा-जोखा और वह भी पूरा नहीं। जहां राजस्थान की पावर की समस्या पर इतना एम्फेसाइज किया उसके बावजूद, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से

+++शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री विष्णु मोदी)

माननीय मुख्य मन्त्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वक्त आपकी पांच सौ से पांच सौ पच्चीस लाख यूनिट पर डे की डिमाण्ड है आपके पास जो बिजली है वह मुश्किल से चार सौ, सवा चार सौ लाख यूनिट पर डे है उसमें भी दो सौ लाख यूनिट आप सेण्ट्रल सैक्टर से ओवर ड्रा कर रहे हैं। इसलिए आपके पास यह सवा चार सौ लाख यूनिट पर डे है। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे नार्दर्न इंडिया में 1996 के पहले कोई पावर प्रोजेक्ट नहीं आने वाला है। तो यह जो ओवर ड्रा हो रहा है, दस पर्सेण्ट बिजली आपकी हर साल बढ़ती जा रही है, राजस्थान में पिछले आपके पूरे शासनकाल में इन चार पेज को मिलाकर कोई मुश्किल से पैंतीस, साढ़े छत्तीस, अड़तीस, उनतालीस मेगावाट का आपने जिक्र किया है। जहां तक कोटा का सवाल है वह रिकार्ड उत्पादन कर रहा है तो यह कांग्रेस की देन है। कोटा की पांचवी यूनिट जो मार्च में शुरू करने की बात करते हैं वह भी कांग्रेस शासन की देन है। माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आप मनोवैज्ञानिक ढंग से इस सदन को गुमराह करना चाहते हैं। आप बिजली की लम्बी चौड़ी बात करें लेकिन मैं आपसे निवेदन करूं कि आप लायेंगे कहां से? लाइन लॉसेज का जिक्र करते तो समझ में आता कि आप विद्युत के अन्दर कुछ करने वाले हैं। राजस्थान का 21 प्रतिशत लाइन लॉसेज है। राजस्थान जो ओवर ड्रा कर रहा है वह नहीं मिलेगी। आप जो कोटा की बात कर रहे हैं, कोटा की खपत अगले साल में जो अभी सोलह यूनिट आपकी कम हैं उसमें कहीं पता ही नहीं लगेगा कि कहां जायेगी। सूरतगढ़ की आप बात करते हैं, सूरतगढ़ के अन्दर अभी 220 के. वी. की बचत है। एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : इस प्रश्न का जवाब मैं दे दूं आपको बुरा नहीं लगे तो।

एक माननीय सदस्य : आप अधिकृत नहीं हैं। अभी मन्त्री बनने में देर है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जानकारी के लिए, आपको पता है कि ऐट्थ प्लान के अन्दर उन्होंने 38 हजार मेगावाट का प्रावधान रखा और यह प्राइवेटाइजेशन के लिए भी कहा। उसके तीन आल्टरनेटिव्ज थे 38, 27, 23 हजार उसमें से एक साल अगर हमारा राज रहता तो हम भी उस टाइम में कुछ ले सकते थे, प्राइवेटाइजेशन का दे सकते थे। जो 20 हजार गया प्राइवेटाइजेशन के अन्दर, वह कर्नाटक से लगाकर, हरियाणा से लगाकर, महाराष्ट्र से लगाकर और आप चाहें तो मैं नाम भी बता दूं, टिडको ने हजार्ड लिया है ....
(व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा माननीय मुख्य मन्त्रीजी को कि इनको आप पावर मिनिस्टर जल्दी बना दें। आपने इस अभिभाषण में कहा कि पंजाब से पहले हफ्ते में हमें बिजली मिलने लग जायेगी

(श्री विष्णु मोदी)

कुछ सिस्टम खराब हो गया। उससे पहले हफ्ते में बिजली मिलने लग जायेगी। आज 4 तारीख है, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, आप पता करा लीजिए कि आज भी एक यूनिट बिजली नहीं मिल रही है। न वह आपको मिलने वाली है। बिजली की राजस्थान में जो दशा हो गयी है, मैंने आज एक एडजोर्नमेण्ट मोशन भी दिया, मैं निवेदन भी करना चाहता था कि बिजली जैसी गम्भीर समस्या को आप दलगत राजनीति से उठ कर देखें तो आपको समझ में आयेगा। आप जिसकी बात कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की, यह तो आज हिन्दुस्तान भर में इस बात की एक बहुत जबरदस्त डिबेट छिड़ी हुई है और वह डिबेट ब्यूरोक्रेसी में है, पालिटिकल लीडरशिप में भी है। इसके लिए दो स्कूल ऑफ थोट्स हैं कि एक तो सरकारी स्तर पर सरकार के माध्यम से सारा काम कराया जाये। यह हमारे पूर्व नेताओं ने रशियन पेटर्न से एडोप्ट किया और दूसरा यह था कि प्राइवेटाइजेशन किया जाये। फाइनेन्स मिनिस्टर ने फ्लोर आफ दी हाउस, पार्लियामेण्ट में कहा है कि साउथर्न गवर्नमेण्ट ज्यादा रेसपांसिव हैं जो कि प्राइवेट एण्टरप्राइजेज को एक्सेप्ट कर रही हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं यह टेबिल कर दूंगा। इसमें, माननीय मुख्य मन्त्रीजी, 44 एग्रीमेण्ट हैं जो हुए हैं। राजस्थान का इसमें कहीं नाम नहीं है। इसमें आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, अरूणाचल प्रदेश है, अरूणाचल प्रदेश है, आसाम है, बिहार है, दिल्ली है, बिहार है, गुजरात है, हरियाणा है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल, केरल, केरल, केरल····

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : यह साल भर में हुआ है, साल डेढ़ साल में।

श्री विष्णु मोदी : मान्यवर, यह बात ढाई साल से चल रही है। साल भर में कुछ नहीं हुआ है, आप मानें न मानें, साल भर में नहीं, यह सब साल भर के पहले की बातें हैं और अब यह तो इम्पलीमेण्टेशन की स्टेज पर आ गये हैं। लिबरलाइजेशन का भी जिक्र होता अगर आपके इस अभिभाषण में तो शायद समझ में आता कि आप छुट्टी से आ गये हैं और अब छुट्टी से आकर छुट्टी के अन्दर जो छोड़ गये थे वह काम भी निपटायेंगे। तो भी समझ में आता। यह अभिभाषण स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसका कि 3 सौ करोड़ रुपये का घाटा है 93–94 में उसकी बोर्ड मीटिंग का आपने एक दस्तावेज बना दिया। बिजली के मामले में राजस्थान में अन्धकार में रहने वाला है। राजस्थान में जो स्थिति है उद्योग की, कृषि की उससे और बड़ी दुर्गति पैदा होने वाली है। लिबरलाइजेशन की बात आपने कही, जो भारत सरकार की नीति रही है, जिस तरह से मनमोहन सिंहजी ने इस पावर सैक्टर को स्ट्रेस किया है, इसी पर नहीं मैं, माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि "हरिजन" में महात्मा गांधी ने आजादी से पहले इस बात को

(श्री विष्णु मोदी)

विजुलाइज किया था, इस बात को समझा था, जब रशियन पैटर्न की तरफ हम आकर्षित हो रहे थे तो वे उसके खिलाफ नहीं थे लेकिन उस वक्त भी उन्होंने यह समझा था कि स्टेट सैक्टर के अन्दर अगर बिजनेस करने लग जायेंगे तो क्या स्थिति होगी। मैं कोट कर रहा हूं।

"I look upon an increase in the power of the State which is the greatest fear because although while apparently doing good by minimising the exploitation, it does greatest harm to the mankind by destroying the individuality which lies at the root of all progress. The State represents violence in a concentrated organised form. The individual has a soul but the State is soulless. It can never be weaned from violence to which it owes its very existence. It is my firm conviction that if the State suppressed capitalism by violence, it will be caught in the cause of the violence itself and fail to develop non-violence at any time."

(14.30)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्रीजी को यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप 4 मेगावाट, 5 किलोवाट, 4 किलोवाट बात न छपाकर आप महामहिम से कुछ और छपवाते, कुछ इसमें आप अपनी सरकार की दिशा देते। लेकिन मैं समझता हूं कि इस सरकार की कोई दिशा ही नहीं है, दिशाविहीन है। मुख्य मन्त्रीजी एक साल की छुट्टी के दौरान मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई सा खनिज क्षेत्र नहीं था जिसमें सिक्कों से नहीं तुले हों, जिसमें उन्होंने माला नहीं पहनी हों और जिसमें भाषण नहीं दिया हो। लेकिन मुझे दुख हुआ, अफसोस हुआ, जिसके लिए आपने एक मुद्दा बनाया था उसके बारे में भी इसमें जिक्र नहीं किया कथनी और करनी में जब फर्क हो जाता है....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री): आपकी राय क्या है ?

श्री विष्णु मोदी : मैंने सुना नहीं, मान्यवर।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपकी राय क्या है ?

श्री विष्णु मोदी : मेरी राय तो यह है, साहब, आपकी राय से मैं जब इत्फाक करूंगा तो इत्तफाक के लिए कह दूंगा लेकिन जहां तक पर्यावरण का सवाल है, भाई राजपालजी ने और सनाढ्यजी ने उठाया था, यह मसला इस तरह का है कि इस पर मिल बैठकर एक लाइन तय करनी होगी लेकिन आप अपना कमिटमेण्ट तो दिखाते। राज्यपाल का अभिभाषण तो आपकी सरकार किस दिशा में काम करेगी, किन योजनाओं पर काम करेगी उसका लेखा-जोखा होता है। उसमें चार सौ किलोवाट का कौनसा जनरेटर आप

(श्री विष्णु मोदी)

चालू करने वाले हैं वह तो एक डींग हांकने वाली बात है खाली एक सदन को गुमराह करने की बात है । उसमें जिस तरह से आपने कहा था कि रोटी पहले है तो उसका अगर कहीं जिक्र आता, कहीं कोई बात आती तो समझ में आता । आपने 4 सौ किलोवाट का चारणवाला में कहां चालू होगा उसका तो जिक्र किया और बीसलपुर के लिए आपने कहा कि हम इसको पूरा करेंगे । जब पिछली बार प्रधान मन्त्रीजी अजमेर आये थे, राष्ट्रपति शासन के दौरान, उन्होंने घोषणा की थी इस बात की कि हम 31 मार्च, 1994 तक बीसलपुर को पूरा कर देंगे । मान्यवर, पता नहीं क्यों अजमेर से आपकी विशेष ही नाराजगी रही है जब-जब आप मुख्य मन्त्री रहे । वह तो भगवान की कृपा रही कि पूरे कभी नहीं रहे । बीसलपुर योजना मन्जूर करायी लेकिन उसे पूरा करने का आप कोई समय-बद्ध कार्यक्रम देते । आज अजमेर जिले में जो स्थिति है पीने के पानी की मैं समझता हूं कि आप वाकिफ होंगे और हम तो 4 ही जीतकर आये हैं अजमेर जिले के, आप के तो पांच जीतकर आये हैं उनसे भी वाकिफ होंगे आप ।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : आपसे सवाये हैं ।

एक माननीय सदस्य : आपको ईर्ष्या हो रही है ।

श्री विष्णु मोदी : जी । आप पंचायतों के चुनाव, सहकारी संस्थाओं के चुनाव का कोई समयबद्ध कार्यक्रम बताते । आप इसमें दिखाते कि हमारे क्या कमिटमेण्ट हैं । लेकिन इसमें भी वही आड़ लेकर के कोई बात नहीं कही । हां, आपने एक बड़ा अच्छा काम किया, सभापति महोदया, कि डंकल प्रस्ताव का जिक्र किया । डंकल का कहा है कि उसको हम नुकसान नहीं होने देंगे । आप उन नुकसानों का जिक्र करते । लेकिन, मान्यवर मुख्य मन्त्रीजी, आप सिर्फ बात को घुमाने और जो विषय है उस पर से ध्यान हटा देने में तो हैड-मास्टर हैं । डंकल और गैट. मैंने पहले अखबारों में पढ़ा था कि आपने प्रधान मन्त्रीजी को भी चिट्ठी दी····

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें ।

श्री विष्णु मोदी : मैंने तो, साहब, अभी बोलना ही शुरू किया है और आपकी तो विशेष मेहरबानी है । सभापति महोदया, आज अन्तरराष्ट्रीय समुदाय में कोई समझौता हो रहा है, आप दुनियां में ग्लोबोलाइजेशन हो रहा है, आज दुनियां एक हो रही है, आज बेरियर्स हट रहे हैं तो आप इस अभिभाषण में जिक्र करवाकर क्या मंशा बताना चाहते हैं ? वह आपकी राज-नीतिक मंशा हो सकती है लेकिन इस का वास्तविक अर्थ कुछ नहीं है । प्रधान मंत्री ने जब डिबेट राज्य सभा में, लोकसभा में चल रही थी तब·······

श्री प्रतापसिंह सिंघवी (छबड़ा) : थोड़ा जम कर बोलो, अगली बार आपका टिकट कट जायेगा ।

श्री विष्णु मोदी : हमें 3 बार कट करके फिर मिला है। इसलिए कोई चिन्ता नहीं है।

राज्य सभा में प्रधान मन्त्री श्री नरसिम्हा राव ने विपक्ष के इस आरोप का खण्डन किया कि उनकी सरकार डंकल प्रस्ताव से सम्बन्धित हुए समझौते पर संसद में विचार-विमर्श नहीं करना चाहती। प्रधान मन्त्री ने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने बताया कि उन्होंने सिर्फ यह कहा था कि अन्तरराष्ट्रीय समझौते पर संसद कोई अन्तिम निर्णय नहीं कर सकती। मतलब समझौता अन्तर-राष्ट्रीय है। दुनिया के समझौते हुए हैं उसमें आप अलग रहना चाहते हैं। आप जिस तरह से पिछड़े हुए हैं उस तरह से पिछड़े हुए रहना चाहते हैं या आप आगे एक विकासशील देश, औद्योगिक शक्ति के रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं? आज अगर दुनिया ने फैसला कर लिया और आप इस समझौते के अन्तर्गत नहीं आते हैं तो आप न कुछ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, न इम्पोर्ट कर सकते हैं।

आगे इसी में कहा है, प्रधान मन्त्री श्री नरसिम्हा राव ने अपने संक्षिप्त हस्तक्षेप के बीच 7 वर्ष पहले ...'' मतलब यह जो गैट का समझौता है यह बात तो पिछले कई वर्षों से चली आ रही है लेकिन अब चूंकि राजनीतिक माहौल गरमाया तो आपको डंकल याद आ गया कि भाई, और कुछ नहीं है, किसान कांग्रेस के साथ ज्यादा है तो किसानों की बात कुछ करो। किसानों की बात करनी है तो बिजली की बात करो, किसानों की बात करनी है तो उनके पीने के पानी की जो गांव में समस्या है उसकी बात करो तब तो स्थिति समझ में आती कि भाई, आप इस सरकार को कोई दिशा दे रहे हैं और कहीं ले जाना चाहते हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं एक बात का और विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मन्त्रीजी का कद और काठी बहुत बड़ी है। आर. एस. एस. नहीं मानती, निर्दलीय नहीं मानते या वो नहीं मानते इससे सिर्फ सरकार चलायें तो वह तो कई बार चला चुके हैं लेकिन इस राजस्थान विधान सभा में जिस दिन भैरोंसिंह जी नहीं रहेंगे उस दिन भी उनकी आत्मा यहीं घूमती रहेगी क्योंकि, उनके जीवन का इतना लम्बा अन्तराल यहां बीता है। लेकिन आज विधायक की क्या हैसियत है? आपके ऑफिस में फोन करो तो पता नहीं लगता, न काल बैक होता है। आपके अधिकारियों की तो यह स्थिति है कि चिट्ठी का जवाब नहीं, फोन के ऊपर टाइम का जवाब नहीं और बात करने की तो बात ही नहीं है और सेक्रेटरी लेवल की क्यों बात करें, तहसीलदार और और एस. डी. ओ. और कलक्टर तो बहुत बड़ा अफसर है। मान्यवर, भगवान ने आपको तीसरा मौका दिया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अपनों की ही नहीं करते तो अपनी क्या करेंगे?

श्री विष्णु मोदी : मैं विधायक की बात कर रहा हूं। मैं दलगत राजनीति से अलग होकर बात कर रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : बी. जे. पी. वालों की नहीं करते ।

श्री विष्णु मोदी : मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है, आपको भगवान ने तीसरा मौका दिया है, आप इस बात की कोशिश करें कि यह संस्था, यह विधान सभा जो जनप्रतिनिधि की एक सभा है उसकी कैसे हैसियत बढ़े । कैसे उस आदमी को ख्याल इस बात का हो कि हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं । प्रजातन्त्र जो हमारे पूर्वजों ने सोचा था, प्रजा का तन्त्र पर अधिकार, लेकिन हो गया सब उलटा । उसमें हम भी दोषी हैं । मैं सारा दोष आपके माथे पर नहीं मढ़ना चाहता हूं । लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह बनी की तन्त्र का प्रजा पर अधिकार हो गया । मान्यवर, आपको मौका मिला है, मैं विश्वास करता हूं कि आप इस मामले में विशेष रूप से ध्यान देंगे ।

अभिभाषण पर एक बात मुझे और आखिर में कहनी है । हमारी इतनी लम्बी चौड़ी सीमा पाकिस्तान से लगती है और अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है । आज जिस तरह से मादक पदार्थ, हथियार और चांदी का तो जिस तरह मैंने पढ़ा, राजस्थान एक मुख्य केन्द्र बन गया है। इसका जिक्र होता कि आपकी सरकार इस बारे में क्या करने जा रही है । तस्करों के हौसलों में कमी नहीं । ऐसा कोई महीना नहीं है जब कि हमारी सीमा पर तस्करी की कोई वारदात नहीं होती हो, कोई पकड़ में नहीं आये थे । पूर्व में आप खुद भी उठाते रहे हैं, यह कोई कहने की बात नहीं है । पाकिस्तान से लाया गया सवा करोड़ का सोना पकड़ा, कस्टम छापे में सोना और विदेशी मुद्रा बरामद । रोज इतना पकड़ा जाता है और इतनी लम्बी सीमा है उसके ऊपर आपकी सरकार क्या विशेष रूप से ध्यान देने जा रही है और क्या करेंगे ?

इसके साथ ही, माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय मुख्य मन्त्रीजी जब विपक्ष में थे 1967 में, तो इसी सदन में उन्होंने कहा था, इसी सदन की प्रोसिडिंग्स है उसको पढ़कर मैं सुना रहा हूं, "सन् 65 में पाकिस्तान ने हिन्दुस्तान पर हमला किया । संचार व्यवस्था का अभाव, सड़कों की कमी, अविकसित क्षेत्र होने के नाते लोगों के पास हथियारों की कमी थी इस कारण राजस्थान की वीर पवित्र भूमि में पाकिस्तान ने अपने पैर जमाये । पाकिस्तान और हिन्दुस्तान की सीमा पर रहने वाले हिन्दुस्तान के क्षेत्र में कुछ लोगों ने गद्दारी की, दुश्मनों का साथ दिया, हमलावारों का साथ दिया और "की पाइण्टस" पर हमला करवाया । भारत की इज्जत लुटाने में देश के दुश्मनों का सहयोग दिया । जिस तरह भारत की सीमा ········पुलिस ने अपनी बहादुरी से····।"

श्री भैरोंसिंह शेखावत : याद आ गया ।

श्री विष्णु मोदी : याद आ गया तो मैं इसको सदन की टेबल पर रख देता हूं ।

श्री भैरोंसिह शेखावत : याद आ गया तो फिर जरूरत क्या है । किताब में भी छपा हुआ है ।

श्री विष्णु मोदी : मैं पढ़ ही देता हूं, "बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाकिस्तान को परास्त करके तिरंगे झण्डे की शान को बनाये रखा। तिरंगे झण्डे को ऊंचा किया। यह दुर्भाग्य की बात है कि सारे संघर्ष में राजस्थान में पाकिस्तान ने जिस तरह से पैर जमाये उसके कारण राजस्थान की बहुत बड़ी हानी हुई, राजस्थान के माथे पर बहुत बड़ा कलंक लगा। उस समय देश और प्रान्त का बच्चा-बच्चा जानता है कि बोर्डर पर रहने वाले लोगों ने फौज और पुलिस को कैसा-कैसा सहयोग दिया और उसके कारण पुलिस और सेना ने किस तरह दुश्मन का डटकर मुकाबला किया था। भारतीय सेना ने और राजस्थान की पुलिस के वीर सिपाहियों ने दुश्मन के सामने खड़े होकर दुश्मन की गोलियों को अपने सीने पर जिस शान के साथ बर्दाश्त किया था। दुश्मन के दांत खट्टे कर दिये थे। उसके लिए भारत सरकार ने उन को इनाम और इकरार दिये और राजस्थान सरकार ने भी दिये। आज उसी सरकार के एक उप मन्त्री ऐसे हैं जिन्होंने 22. 1. 65 को राजस्थान के मुख्य मन्त्री को एक पत्र लिखा और उस पत्र में सभी बातों को गलत बताया, जिसको लेकर भारत सरकार और केन्द्रीय लोक सभा में, राजस्थान की सरकार और विधान सभा में तथा राष्ट्रसंघ में चर्चा चली। उसके विरोध में राजस्थान के एक उप मन्त्री पत्र लिखें, उसे जनता में बंटवायें, 15 दिन तक प्रचार कराते रहे, पाकिस्तानी रेडियो बोले। बाकी सब चीजों को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, अनाज की महंगाई हम बर्दाश्त कर सकते हैं, विरोधी दल की हुकूमत बनी, कुछ को ठग लिया, डाका डाल दिया। यह बर्दाश्त कर सकते हैं, अन्न की कमी है, भूख से तड़प कर मर जायेंगे यह बर्दाश्त कर सकते हैं पर उसको हम बर्दाश्त करने को कतई तैयार नहीं हैं कि हिन्दुस्तान की इज्जत दुश्मन के हाथ लुटाने की चेष्टा करें उस व्यक्ति को राजस्थान के मंत्रिमण्डल में उप मन्त्री बनाया जाय।"

माननीय सभापति महोदया, मुझे बड़ा अफसोस है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री, इतने बड़े कद के भाजपा के नेता, एक बात सदन के सामने 1967 में मानते हैं, मैं तो यह मानता हूं कि उस समय यह बात गलत थी लेकिन मैंने जो कथनी और करनी की बात कही, आज वही सदस्य माननीय मुख्य मन्त्रीजी की केबिनेट में केबिनेट मन्त्री हैं। उनसे मेरी पर्सनल परिवार से दोस्ती है लेकिन मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आप कहने के लिए कोई बात कह देते हैं, उसे आप गम्भीरता से नहीं लेते हैं। उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो आपने आरोप लगा दिया। कितना बड़ा आरोप है। मान्यवर, मैं यह चिट्ठी आपको दे रहा हूं और इस चिट्ठी को आप अपने पास सुरक्षित रखें, कहीं इसका पाकिस्तान फायदा न उठा ले, कहीं राष्ट्रसंघ में चर्चा न छिड़ जाय। आपने इस तरह का आरोप लगाया। या तो 1967 से 1993 में आकर आप बदल गये, या उस समय गलत बात कही थी। माननीय सभापति महोदया, मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि आप जो कहेंगे उस पर कायम रहेंगे। जो आपकी भावना रही है देश-द्रोहियों को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाये,

(श्री विष्णु मोदी)

आपका ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ, मैं यह निर्णय सदन पर छोड़ता हूं।

पुनः इन्हीं शब्दों के साथ कि जो मैंने संशोधन प्रस्ताव पेश किया है उसको स्वीकार करें।

धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : श्री जुबेर खान।

श्री रामनारायण (नैनवा) : माननीय सभापति महोदया, मैं हाउस में था, कार्य सूची आयी उसमें प्रिफरेन्स नहीं दिया गया था कि संशोधन पहले कौन प्रस्तुत करेगा। मैं सीट पर आया तब तक दूसरे का नम्बर पुकारा जा चुका था। इसलिए अपना कोई दोष नहीं है। मैं आसन से आग्रह करूंगा कि या तो कोई कार्य सूची सही जारी करें और नहीं करें तो सदस्य को बोलने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सभापति : आप स्वीकार कर रहे हैं कि आपका नाम पुकारा तब आप नहीं थे।

श्री रामनारायण : मैं तो यहीं था। सीट पर तो आता, सभापति महोदया, आप फिर कह देतीं कि सीट से बोलिए। मैं सदन में ही था, आसन ने मुझे देखा है, मैं बाहर से सदन में नहीं आया। मैं राजस्व मंत्रीजी से बात करने के लिए उधर गया था। इधर आ रहा था उसी समय नाम बोला गया।

श्री सभापति : उस समय आपने कोई एतराज नहीं किया। अब तो श्री जुबेर खान को ही बोलने दीजिये। बाद में देखा जायेगा।

श्री रामनारायण : संशोधन निकलने के बाद मुझे कैसे बोलने का मौका दिया जायेगा, यह मेरा निवेदन है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : महोदया, तीसरा नम्बर तो मेरा बताया गया है, यह बीच में कैसे आ गये।

श्री सभापति : आपका सूची में नाम है।

श्री रामनारायण : सभापति महोदया, मैं समय का ध्यान रखूंगा इतना मैं आसन को विश्वास दिलाता हूं।

श्री सभापति : अब तो जुबेर खानजी का नाम पुकारा है, वही बोलेंगे। मेरे पास सूची है उसी के अनुसार मैं श्री जुबेर खान को बुला रही हूं।

श्री रामनारायण : मैं आपकी सूची के बारे में निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदया, क्रम बता दें हमको।

श्री सभापति : क्रम संख्या में श्री जुबेर खान का नाम है। क्रम संख्या से बुला रही हूं।

श्री रामनारायण : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा कोई फाल्ट है क्या ?

श्री सभापति : आपका निवेदन सुन लिया। आप बिराजो। जुबेर खानजी बोलें।

श्री रामनारायण : एक लाइन में।

श्री सभापति : कार्य सूची के अनुसार ही चलूंगी।

श्री रामनारायण : मेरा निवेदन सुन लें।

श्री सभापति : सुन लिया।

श्री रामनारायण : मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं तो निवेदन कर रहा हूं। कोई फाल्ट है तो उसको आसन द्वारा माननीय सदस्य पर कैसे थोपा जा सकता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मेरी सूची में जुबेर खान का नाम है, उन्हें बुला रही हूं।

श्री रामनारायण : किस बात का नाम है संशोधन में ? पार्टी की बात नहीं है यह मेरा व्यक्तिगत है।

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा गया उस समय आप अनुपस्थित थे। आप सदन का समय जाया नहीं करें। अपने साथी सदस्य का समय नहीं लें। श्री जुबेर खान।

श्री रामनारायण : आसन पर आप आज पहली बार बिराजी हैं, सभापति महोदया।

श्री सभापति : पहली बार में ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं।

श्री रामनारायण : पहली दफा तो आसन से जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस नहीं होगा तो मुझे बोलने का मौका मिलेगा ही नहीं पहली दफा ही फेल हो जाऊं।

श्री रोहिताश्व : एक ही दल के लोग हैं मिलजुल कर बोल लो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : आदरणीय सभापति महोदया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्ताव रखा है धन्यवाद का। राज्यपाल महोदय सदन में आये और उन्होंने अभिभाषण पढ़ा इसके लिए तो हम भी धन्यवाद देते हैं लेकिन राज्यपाल महोदय से इस सरकार द्वारा जो अभिभाषण कराया गया है उसका मैं विरोध करता हूं।

सभापति महोदया, इसमें पेज नम्बर 13 पर राज्यपाल महोदय के मुंह से कहलवाया गया है कि "भारतीय संविधान में प्रशासनिक सेवाओं की संरचना राज्य के एक स्थायी अंग के रूप में इस प्रकार परिकल्पित की गयी है कि वह जनता द्वारा चुनी गयी सरकार के प्रति उत्तरदायी भी हो एवं उसके मार्गदर्शन में संवैधानिक मर्यादाओं तथा विधि व्यवस्था के अन्तर्गत निष्पक्ष रूप से कार्य करे।" इस सरकार में बैठे हुए लोग जब संवैधानिक मर्यादाओं की बात करते हैं तो बड़ा दुःख होता है। जो लोग इस देश के संविधान की प्रतियां

(श्री जुबेर खान)

जलाने की बात करते हों, छिपकर ट्रकों के ड्राइवर बनकर दिल्ली में संविधान की प्रतियां जलाते हों, माननीय मुख्य मंत्री महोदय उनको यहां जयपुर में लाकर उनके सहयोग से सरकार बनाते हैं, इससे बड़ी असंवैधानिक सरकार कोई हो नहीं सकती। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मै अपनी गरिमाओं में कह रहा हूं, मुझे कहने दिया जाये। आपका मौका आये जब आप कह दें।

जिस सरकार का मुख्य मंत्री संविधान की रक्षा, देश की एकता और अखण्डता की रक्षा करने की शपथ लेता हो, जिस संविधान में धर्मनिरपेक्षता का ढांचा दिखाया हुआ है, वहां जब बाबरी मस्जिद को ढहाने लोग जाएं और मुख्य मंत्री रेलवे स्टेशन पर जाकर मालाएं पहनाएं और कोटा से आने वाले इनके सीनियर मंत्री उस दल का नेतृत्व करें कि जाओ मस्जिद तोड़ दो, वे लोग संवैधानिक मर्यादाओं की बात करें, बड़े दुःख की बात है। जिस तरह का घटनाचक्र अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सम्मिलित होकर चलाया, देश के प्रजातंत्र, संवैधानिक मर्यादाओं और देश की एकता और अखण्डता के ऊपर इससे बड़ा आघात कोई हो नहीं सकता। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, आप तो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। कहते हैं, तस्कर आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि 1947 में जो कुछ आतंकवादी आ गये थे और भारतीय जनता पार्टी में घुसकर इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी आप बाहर करने की कोई व्यवस्था करें। आतंकवादियों का कोई समय नहीं होता। कुछ मेले में आ जाते हैं, कुछ बरात के बहाने आ जाते हैं, कुछ पैसेंजर बनकर आ जाते हैं और कुछ जोरी से आ जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मुख्य मंत्री महोदय, कि आप तो बड़ा-बड़ी कमेटियां बनीं उनमें भी रहे। नेशनल इण्टीग्रेशन कौंसिल में आपको पता है कि आपके दल ने आश्वासन दिया कि हम सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा उसको मान लेंगे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने भी कह दिया, आप खुद की जुबान में कह दिया, आप उसमें मीडियेटर थे, कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, चाहे तो इसका फैसला मान लें, हम मानने को तैयार हैं और चाहे आप कोई थर्ड न्यूट्रल एजेंसी से जांच करा लीजिए इसकी कि कभी भी यहां इस तरह का कोई रहा हो, मन्दिर रहा होगा या पूजनीय स्थल रहा होगा और उसके बाद में बाबरी मस्जिद बनायी गयी है, तो हम इसको त्याग देंगे, खुशी से दे देंगे। जब ये सारी बातें बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने कह दीं तो फिर क्या जरूरत पड़ रही थी आपकी पार्टी के देश के शीर्ष नेताओं को जाकर 6 दिसम्बर को इस तरह का अन्याय करने की, देश में खून खराबा करने की? इस देश का संविधान, इस देश का प्रजातन्त्र, इस देश की साम्प्रदायिक सद्भावना और धर्मनिरपेक्षता, जिसके नाम पर यह देश दुनिया में जाना जाता है, उनके ऊपर कलंक लगाने की क्या जरूरत पड़ रही थी? एक तरफ तो आप सरकार चलाते हैं तो पुलिस को कहते हैं कि यहां यह हो गया इसको अरेस्ट करो और, माननीय मुख्य मंत्री

(श्री जुबेर खान)

महोदय, इसके बारे में क्या कहेंगे जब आपके सर्वोच्च नेता, सबसे बड़े प्रजातन्त्र के विपक्षी दल के नेता अदालत में कह दें मजिस्ट्रेट के सामने कि मैं तो नहीं करूंगा और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुले आम कानून-व्यवस्था का उल्लंघन करने को तैयार हों और आप कहते हैं कि संवेदनशील और स्वच्छ प्रशासन दूंगा, तो आप से कैसे उम्मीद की जा सकती है ?

माननीय सभापति महोदया, मेनीफेस्टो में छपवा लिया वहां तक तो ठीक है। हम प्रजातन्त्र में पालिटिकल पार्टियां या कोई भी उम्मीदवार जनता में जाकर अपनी बात कहते हैं। इन लोगों ने साफ लिख दिया घोषणा पत्र में कि हम तो यह मन्दिर के नाम से वोट ले रहे हैं। तो भगवान राम के लिए अब तो आपको जनता ने नकार दिया, अब इस शब्द को मत लीजिए। इस देश के, इस प्रदेश के विकास की बात करिये, लोगों के भाई-चारे की बात करिये, लोगों को मिलाने की बात करिये, तोड़ने की बात मत करिये क्योंकि आप यह भी मत भूलिये कि इन्हीं कुछ रचनाओं को लेकर असम में आन्दोलन किया था छात्रों ने। उनकी मांगें भी मानी गयीं, जनता ने दो-तिहाई बहुमत देकर बैठा भी दिया लेकिन क्या एक भी बांगलादेशी को निकाल कर बाहर किया ? आप उसका नाम बता दो जिसको बांगलादेशी होने के नाम पर देश की बार्डर से बाहर कर दिया गया हो। और आप इन 18 करोड़ मुसलमानों को भगाना चाहते हैं यहां से ! बड़े खेद की बात है।

भ्रष्टाचार के लिए आपने बहुत चर्चाएं कीं कि भ्रष्टाचार हम मिटा देंगे। हमने इसको सस्पैण्ड कर दिया, उसको कटघरे में खड़ा कर देंगे। आपने बेरी कमीशन भी बैठाया था। क्या हुआ उस बेरी कमीशन का ? जरा एक-आध नाम तो बता दीजिए। इससे भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा कि कहीं ठेका दिया जा रहा हो और एक अधिकारी या कान्ट्रेक्टर या मंत्री ने उसमें कमीशन ले लिया। भ्रष्टाचार उस दिन दूर होगा जिस दिन आपका पटवारी किसान से एक लोन के लिए फाइल बनवाने के जो ढाई सौ रुपये लेता है वह लेना छोड़ देगा. जिस दिन पटवारी एक किसान के ट्यूबवैल पर बिजली के लिए फाइल लगवाने के लिए जो तस्दीक करता है उस पर रिश्वत लेना छोड़ देगा, जिस दिन उसका इन्द्राज फ्री में चढ़ा देगा, जिसके लिए आप उसको तनख्वाह दे रहे हैं। उस दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा जिस दिन थाने में एक पीड़ित को, परिवादी को न्याय मिल जायगा बगैर गालियां सुने, बगैर रिश्वत दिये। उस दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा जिस दिन अध्यापक स्कूलों में जाकर पढ़ा देगा और समय पर जायेगा, समय पर आयेगा। उस दिन भ्रष्टाचार खत्म होगा जिस दिन बिजली के कनेक्शन मिल जायेंगे लोगों को। डिमाण्ड नोट जमा करने के बाद, नम्बर आने के बाद लोगों के कनेक्शन साल-साल भर नहीं होते क्योंकि वे रिश्वत नहीं देते। उसको जिस दिन मिटा देंगे उस दिन कहियेगा कि आप किसानों के हितैषी हैं और आज भ्रष्टाचार दूर कर रहे हैं। आज देखिये, नीचे के स्तर पर किस तरह का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। आप उसको

(श्री जुबेर खान)

भ्रष्टाचार की परिधि में नहीं मानते क्या ? सब माननीय सदस्य यहां मौजूद हैं, वे भी अच्छी तरह से जानते हैं कि गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को किस तरह से आपके कर्मचारियों के द्वारा परेशान किया जाता है। यहां तक कि आपके न्यायालय में जो आवाज लगाता है, फलां साहब हाजिर हो, दस का नोट दोगे तो आवाज लगायेगा, फलां साहब हाजिर हो और नहीं दिये पैसे तो आवाज लगायेगा धीमे से, "फलां साहब हाजिर हो" और वारंण्ट निकल जायेगा। यह स्थिति आपके न्यायालयों की हो रही है। भ्रष्टाचार मिटाना है तो नीचे से मिटाइये। ऊपर तो आप किसको हटायेंगे नहीं हटायेंगे यह आपका काम जाने लेकिन जनता को तो एक रिलीफ दे दीजिए ताकि अमन-चैन आ जाये कि भ्रष्टाचार नहीं है। क्योंकि काण्ट्रेक्टर तो बाहर से ही आ-जा रहा है, लेकिन वह तो अपनी कमाई का दे रहा है।

एक कानून और व्यवस्था की बात मुख्य मंत्री जी ने कही कि कानून-व्यवस्था बड़ी अच्छी है और स्वच्छ और संवेदनशील प्रशासन देंगे। याद करिये 11 नवम्बर को आपके लोगों ने एस. डी. एम. अलवर को ड्यूटी पर जिस तरह से पीटा, जिस तरह से उसका घेराव किया और आज उनके खिलाफ केस भी दर्ज नहीं करें। थानेदार से कहें कि क्या बात हो गयी, एस. पी. से कहें कि ऐसा क्यों अन्याय कर रहा है, और प्रशासन का मनोबल गिर रहा है स्थानीय स्तर पर तो कहने लगे कि बी. जे. पी. का राज बन गया, कहीं ट्रांसफर न हो जाये। आपके ऐसा हो रहा है। आप नोट कर लीजिए, एफ. आई. आर. मंगाकर देख लीजिए कि 11 तारीख को अलवर एस. डी. एम. के साथ क्या हुआ। वह अल्पसंख्यक था इसलिए ? अगर वह होता जाट का बेटा, अगर वह होता राजपूत का बेटा तो वहीं लाशें बिछ जातीं। लेकिन वह एक गरीब अल्पसंख्यक का बेटा है, कहीं दुहाई नहीं दे सकता। चार-चार एफ. आई. आर दर्ज हैं और उन लोगों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। मैं यह नहीं कहता कि आप सजा दिलवायें। सजा तो कोर्ट देगी और कोर्ट 302 को भी माफ कर देती है, लेकिन आपका जो काम है, गिरफ्तार करके चालान तो करा दीजिए ताकि प्रशासन में आपकी संवेदनशीलता कहीं नजर आ जाये।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : 11 नवम्बर को राज कौन कर रहा था ?

श्री जुबेर खान : अब तो आप कर रहे हो।

श्री किशनाराम नाई : तो सुधारेंगे। यह भ्रष्टाचार किसने फैलाया ? 40 साल के आपके कांग्रेस के राज ने।

श्री जुबेर खान : भाषण तो उधर से आते हैं बड़े-बड़े कि हम मिटा देंगे।

(15.00)

माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने इस अभिभाषण में न बेरोजगारी के लिए कहलवाया, न छात्रों के शिक्षा जगत के लिए इस अभिभाषण में कुछ कहा गया। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए कुछ नहीं

(श्री जुबेर खान)

कहा गया, हमारी महिलाओं के लिए कुछ नहीं कहा गया और औद्योगीकरण के लिए कुछ नहीं कहा गया। ये सब चीजें यह दर्शाती हैं कि आपने एक दिशाहीन अभिभाषण राज्यपाल महोदय से पढ़वाया है। आपको चिन्ता है तो करिये न। जब आप विपक्ष में होते हैं, आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय, बीबीरानी चले जाते हैं तो कह देते हैं यहां कालेज खुल जायेगा, बानसूर जाते हैं तो कह देते हैं कि यहां कालेज खुल जायेगा और हमें भी लालच आ गया, हमने भी आपको गोविन्दगढ़ में बुला लिया, ताज पहनाने में हमने भी साझा कर लिया वहां भी आपने कहा कहा कि कालेज खुल जायेगा। तो बीबीरानी से आपको हरा दिया, बानसूर से आपको हरा दिया। मेरा मार्जिन कम कर दिया दिया कि आपने इस झूठेपन में साझी क्यों किया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि बीबीरानी में कालेज की आवाज उठ रही है, जहां आपने मंच पर भाषण दिया वहां रात को भी आवाज आती है कालेज की। बानसूर में भी आती है और गोविन्दगढ़ की तो हमें सुनायी भी दे देती है। तो या तो आप घोषणा मत करा कीजिये और घोषणा करते हैं तो आज तो आप मुख्य मंत्री हैं, जहां-जहां आपने घोषणा की है मुख्य मंत्री के रूप में की है, आप घोषणा कीजिये कि हां मैंने यहां वादा किया है लोगों से और मैं कालेज खोलता हूं ताकि लोगों को लगे कि आपकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है।

श्री रोहिताश्व : बानसूर में कालेज की बात नहीं कही। कृषि उपज मण्डी की कही थी। ...(व्यवधान)....वह खोल दी गयी है।

श्री जुबेर खान : आप उस मीटिंग में गये ही नहीं थे तब। माननीय मंत्री महोदय, उस टाइम आप गये ही नहीं थे। अगर आप कांग्रेस की टिकट पर लड़ते तो सबसे बड़ा मुद्दा ही यह बनाते।

सभापति महोदया, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने जो कहा कि सब जगह भाईचारा बढ़ेगा और सद्भाव रहेगा, जिस तरह से और प्रान्तों में किया है कि कहीं भी कोई कम्यूनल रायट्स होता है तो वहां के एस.पी. और कलक्टर जिम्मेदार होंगे, आपको यहां कहने में क्या दिक्कत है? आप भी कह दीजिये कि किसी भी जिले में अगर कोई कम्यूनल रायट्स होता है, आपस में जातीय दंगे होते हैं या वर्ग संघर्ष होता है तो सबसे पहले वहां के कलक्टर और एस. पी. जिम्मेदार होंगे, जवाबदेह होंगे और फिर देखिये किस तरह दंगे होते हैं। आपके सामने दूसरे मुख्य मंत्रियों ने यह व्यवस्था की है।

सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अदर बैक्वर्ड कास्ट के बारे में मुख्य मंत्रीजी ने कोई सोच अपना यहां नहीं रखा जबकि आजकल इस देश में यह ज्वलंत समस्या है। उत्तर प्रदेश ने लागू कर दिया, बिहार ने लागू कर दिया, सभी प्रान्तों में ज्यादातर लागू कर दिया। साउथ में तो पहले से ही लागू है फिर राजस्थान में जब 52 प्रतिशत ओ. बी. सी. के लोग रहते हैं तो यहां पर ओ. बी. सी. के बारे में क्या किया जा रहा है?

एक आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने दिनांक

(श्री जुबेर खान)

28-9-93 को एक अध्यादेश निकाला था जिसमें 21 प्रतिशत ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण यहां दिया था। उसके बाद जेल में प्रहरियों के लिए जो विज्ञापन निकला था उसमें यह प्रावधान था कि 21 प्रतिशत ओ.बी.सी की सूची के जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण होगा। लेकिन आर. पी. एस. सी. ने अब 700 पद लेक्चरर्स के निकाले हैं, लिपिकों के निकाले हैं उनमें इस बात की कोई चर्चा नहीं है। इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। अध्यादेश निकल जाय, सरकार का निर्णय हो जाय, सरकार ए. हो, बी. हो या सी. हो या तो आप क्लियरकट विथड्रा कीजिये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओ. बी. सी. के आरक्षण के अध्यादेश को वापस लेती है और अगर आप उसको रखना चाहते हैं तो जो सारे विभाग हैं यहां पर, चाहे आर. पी. एस. सी हो और चाहे और कोई सलेक्शन बोर्ड हो, जो स्टेट के जुरिस्डिक्शन में आ रहा हो, चाहे कोई विभागाध्यक्ष हो, चाहे चेयरमैन हो सब को निर्देश दीजिये कि उस अध्यादेश के तहत 21 प्रतिशत रिजर्वेशन ओ.बी.सी. के लिए हो। यह व्यवस्था करिये और आज ही यहां सदन में कीजिये। या तो मना कर दीजिये कि नहीं देंगे, या देंगे तो आप कहिये।

दूसरा एक आपका भी वादा था, यह 1935 या 36 में ओ.बी.सी. की लिस्ट बनी थी तब से आज तक सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से काफी फर्क आया है। एक कमीशन भी बना था जिसमें कुछ सदस्य बने थे, फिर चुनाव की वजह से इस्तीफा करा दिया गया, वर्माजी उसके सैक्रेटरी हैं। ओ.बी.सी. में जो कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको सम्मिलित किया जाना जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में और कुछ ऐसी जातियां जुड़ गयीं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती प्रदेश में। जैसे एक जाति है घांची। घांची का नाम घनोई कर दिया जो जाति ही नहीं है। मिसइण्टरप्रेट हो गया। घनोई कोई जाति ही नहीं होती राजस्थान में। तो आप फटाफट यह कमीशन बनाइये जो जातियों का पता लगाये कि कौन-कौनसी जातियां इसमें सम्मिलित होनी चाहिये, कौनसी नहीं होनी चाहिये ताकि इसको लागू करने की आपकी मंशा का पता चल जाये। करें या नहीं करें, हमारे कहने से नहीं करेंगे लेकिन आपकी मंशा जरूर जानना चाहूंगा कि ओ.बी.सी. के आरक्षण के लिए आपकी क्या मंशा है।

सभापति महोदया, मैं एक निवेदन मुख्य मंत्रीजी से और करना चाहूंगा, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा था, यह तो आपके समय में मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था बरसिंगसर लिग्नाइट प्लांट का नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन के साथ। आर. एस. ई. बी. ने लाइनें डालना शुरू कर दिया, लाइनें बिछा भी दीं काफी हद तक, फिर आज बैक-ग्राउड होने की क्या जरूरत पड़ रही है? आपकी तरफ से हो रहा है या उनकी तरफ से? अगर उनमें खामी थी तो आपने यह समझौता ही क्यो किया था? इससे कितना यह काम रूका पड़ा है। तो इसके बारे में भी आप जानकारी सदन को दीजियेगा कि क्यों तो यह एग्रीमेण्ट किया गया था। उस टाइम यह नहीं देखा गया कि यह एग्रीमेण्ट

(श्री जुबेर खान)

पूरा होगा या नहीं होगा या यह नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन यह कर पायेगा या नहीं कर पायेगा ? अब इसको किसी दूसरे को देना चाहते हैं, यह अभी तय नहीं हुआ है। तो इसका काम कब शुरू होगा यह मैं आपसे जानना चाहूंगा।

एक बात और कहना चाहूंगा, सभापति महोदया, कि मुख्य मंत्रीजी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम षड्यंत्र करके किया जा रहा है, यह रोका जाना चाहिये। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि राज आपका बन गया, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस को उन्होंने कब इनवाइट किया था कि आप आकर सरकार बनाइये ? हर आदमी को हक है यह कहने का कि हम सरकार बनायेंगे, हमारे साथ इतने हैं। हम भी निर्दलियों के साथ सरकार बनाना चाहते थे और आपने भी निर्दलियों के साथ मिलकर सरकार बनायी है। फिर गवर्नर महोदय ने कौनसी तारीख को यह कह दिया कि मैं कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बुला रहा हूं ? जब भी उन्होंने ऑफिशियल बुलाया, 4 दिसम्बर को गठन हुआ विधान सभा का, सबसे पहले आपको न्यौता दिया और फिर आप गवर्नर महोदय की गरिमा को, राज्यपाल भवन की गरिमा को गिराते हैं। यह तो राजनीति है, आप उसमें आगे निकल गये, आपका राज बन गया। माननीय मुख्य मंत्री महोदय, गवर्नर महोदय को मत घसीटिये। आप अपने सदस्यों को कहते हैं कि गवर्नर महोदय के खिलाफ बोलना। टोन से ही पता चल जाये, जिस तरह से शुरूआत करते हैं। पहली बार कोई राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। अनेक बार लगा है। चाहे यहां 2–3 बार ही लगा हो, और जगह भी काफी बार लगा, ऐसे ही लगता है, यही प्रक्रिया होती है। अगर आप बदलना चाहें तो आपके पास तो बहुत मौके आयेंगे, मुख्य मंत्रियों की बैठक होगी, नेशनल इण्टीग्रेशन कौंसिल की बैठक होगी, और भी होगी वहां यह चर्चा कर लीजियेगा। प्रधान मंत्रीजी से मिलें वहां कर लीजियेगा, राष्ट्रपति महोदय से मिलकर कर लीजियेगा। लेकिन सदन में तो इस तरह की छोटी बात नहीं करें। सदन में जो सर्वोच्च पद है माननीय राज्यपाल महोदय का, उस पर छींटाकशी की जाय, वहां ट्रांसफर भवन बन गया, वहां पर भ्रष्टाचार फैल गया, वहां यह फैल गया। भ्रष्टाचार फैला या नहीं फैला यह तो आप कागजों पर लाकर जिस दिन लोगों को भ्रष्टाचार के नाम पर सजा दे देंगे उस दिन मानेंगे कि कहीं फैला है या नहीं फैला है, आप मिटाना चाहते हैं या नहीं मिटाना चाहते हैं।

मेरा तो आपसे यह निवेदन है आपने जो यह कह दिया कि हमने इतने रिसोर्सेज जुटा लिये, आप चुंगी के बारे में क्या कह रहे हैं और हमारे आदरणीय रमाकान्तजी भी बैठे हैं, थानागाजी में आप गये थे....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्री जुबेर खान : आपने गोठ करायी सरिस्का की खानों में और कहा कि मैं

(श्री जुबेर खान)

भी यहां मजदूरों में बैठकर खाऊंगा। पूरे एक सम्मेलन को सम्बोधित कर दिया कि इसके खिलाफ तो लड़ाई लड़नी है। अगर लड़ाई लड़नी है तो कहीं जिक्र तो कर देते इस अभिभाषण में कि यह अधिसूचना जो पर्यावरण के नाम पर चलायी जा रही है इसका हम विरोध करेंगे और सदन के सामने यह दोहराते। सदन पूरा आपका सहयोग करेगा क्योंकि 30–40 हजार मजदूरों की बात का सवाल है जो बेघर हुए पड़े हैं। आप वहां तो भाषण दे आते हो कि हम यह कर देंगे। तो माननीय मुख्य मंत्रीजी, अपनी शैली को बदलिये। राज में नहीं होते हैं कुछ और भाषण होते हैं और राज में बैठकर निर्णय होते हैं वे कुछ और होते हैं। यह जो विसंगति या अन्तर है इसको मिटाइये। माननीय सदस्य जो थानागाजी से आते हैं, इनके भी लोग कपड़े फाड़ने की स्थिति कर रहे हैं कि बड़ा ताज पहनवा दिया, सारी गोठ खिला दी, देशी घी का चूरमा खिला दिया। अब क्या होगा? इसका कुछ करिये। आपके मुंह से तो शब्द निकलने चाहिये, चुनाव में तो निकले और अब भी निकलेंगे तो अच्छा होगा। इस भाषण में इसका उल्लेख होना चाहिये था। आपके रिप्लाई में उल्लेख होना चाहिये कि इस पर आप क्या कदम उठा रहे हैं। आपने एक बात कही थी कि अब हमारी सरकार को जिता दीजिये, मैं सब देख लूंगा क्या अधिसूचनाएं होती हैं। अब देखिये अधिसूचना। क्योंकि आप तो महारथी हैं, जब आदरणीय गृह मंत्रीजी, भारत सरकार के लिये आप त्रिपोलिया पर भाषण दे सकते हैं कि अब के मेरे यहां रोककर देखें मैं देख लूंगा कैसा गृह मंत्री है, तो यह तो पर्यावरण एक छोटा-सा विभाग है इसको भी देखिये कि कोई अधिसूचना नहीं है, सब खानें चलेंगी। तो इस तरह का कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि राज्यपाल महोदय से जो यह अभिभाषण कराया गया है यह दिशाहीन है।

माननीय सभापति महोदया, आप स्वयं महिला हैं, आपने देखा होगा कि महिलाओं के लिए कुछ नहीं कहा गया है, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं कहा गया है, किसानों के लिए कुछ नहीं कहा गया है और औद्योगीकरण के लिए कुछ नहीं कहा गया है। माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि जो भिवाड़ी और अलवर में औद्योगीकरण हो रहा है, उनको आप सुविधा देते हैं, किसानों का हक मारकर बिजली देते हैं और दूसरे साधन मुहैया करवाते हैं, गांव सड़क से जुड़ें या नहीं जुड़ें उनके लिए सड़क बनाते हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री जुबेर खान : मुख्य मंत्री महोदय, वह क्या करते हैं, आपकी पार्टी के लोगों ने भी यह मुद्दा कई बार उठाया है, बिहार, उड़ीसा और यू. पी. से लेबर लाकर रखते हैं जिसके कारण अलवर और भिवाड़ी में क्राइम बढ़ रहे हैं। हमारे स्थानीय लोगों, जिनकी जमीन लेकर आप उनको देते हैं,

(श्री जुबेर खान)

के बच्चों को रोजगार नहीं देते हैं और अपना दफ्तर वह दिल्ली में बनाते हैं। चुंगी और टैक्स बचाते हैं क्योंकि वहां से अपनी सप्लाई दिखाते हैं। इसलिए इस सम्बन्ध में भी कुछ सुनिश्चित करिये कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और दिल्ली में दफ्तर बनाने के नाम पर जो वहां पर टैक्स की चोरी करते हैं इसकी व्यवस्था को सुदृढ़ करिये ताकि हमारे राजस्थान को कुछ रेवेन्यू प्राप्त हो सके और हमारे कल्याण के काम आ सके। यह बात कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदया, धन्यवाद का प्रस्ताव जो बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है इसको रिजेक्ट करना चाहिए। राज्यपाल महोदय को तो धन्यवाद दे देते हैं कि आप पधारे और हमें सम्बोधित किया। लेकिन जो इसमें मसाला है, क्योंकि यह चार बार मुख्य मंत्रीजी के टाइम में पेश हुआ है, पुराने माननीय सदस्य जानते होंगे कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण चार रंगों में आया है, पहला सफेद, दूसरा पिंक, तीसरा आसमानी और चौथा पीला, यह तो जरूर बदल-बदल कर दे दिया है लेकिन अन्दर वही होता है। कहना कुछ, करना कुछ। राज से पहले कुछ कहना और राज में आकर कुछ कहना।

माननीय सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री रमाकान्त।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी): सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उसका हृदय से बहुत-बहुत समर्थन करता हूं।

मैं अपनी बात कहूं उससे पहले अभी कुछ माननीय सदस्यों ने जो कहा है, अपने आप को सयमित नहीं कर पा रहा हूं, उसके बारे में जरूर एक-दो आब्जर्वेशन दूंगा। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि इस अभिभाषण के अन्दर राज्यपाल और राष्ट्रपति महोदय के बारे में कुछ कहा गया है। सभापति महोदया, इसमें तो कुछ नहीं कहा गया है, इसमें तो वह बात कही गयी है। जो इतिहास सबके सामने गुजरा हुआ है, केवल मात्र जो तथ्य हैं, जो कटु तथ्य हैं, इसमें कहना कि 15 दिसम्बर को राष्ट्रपति शासन लगा और इतनी लम्बी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा था इसी प्रकार से दूसरे पैराग्राफ के अन्दर जो बात कही गयी है कि चुनाव बहुत देर से करवाये गये और चुनावों के अन्दर जनादेश बहुत देर से प्राप्त किया गया, यह एक तथ्य है।

पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य एक बात भूल जाते हैं कि वर्तमान में सारा भूतकाल मुनहसर करता है, पास्ट जो कुछ है वही प्रजेण्ट है और जो आज हम कर रहे हैं वही भविष्य है। अभिभाषण में यदि पहले कुछ बातें घट गयी हैं उनके बारे में चर्चा नहीं हो, उस परिप्रेक्ष्य का दिग्दर्शन नहीं करवाया जाये तो भविष्य में जो करने

(श्री रमाकान्त शर्मा)

वाले हैं या आज जो कर रहे हैं वह एक प्रकार से डिस-जोइंटेड चीज हो जाती है। वह सारी चीज, वह सारी बात समझ में नहीं आती है। राजस्थान के अन्दर जिस परिप्रेक्ष्य में चुनाव हुए हैं उसके पीछे गम्भीर बात यह है कि राजस्थान सरकार को बगैर बात के, बिना कोई आधार के बर्खास्त किया गया। यह भी एक सामने बात है कि साल भर के बाद चुनाव करवाये गये। पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्रावधान है एक वर्ष का। इसका मतलब यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जब-जब भी राष्ट्रपति का शासन हो तो एक साल के बाद ही चुनाव करवाये जायेंगे। प्रावधान का अर्थ यह नहीं होता है कि हम एक वर्ष तक चुनाव का इन्तजार करते रहें। परन्तु इसके पीछे भावना यह थी, कि ऐसी देरी करिये कि जो बहुत अच्छे कार्य भैरोंसिंह सरकार ने किये हैं उनको लोग भूल जायें, राम मन्दिर की बात भूल जायें। राष्ट्रपति शासन के दौरान ऐसा वातावरण अधिकारियों के द्वारा बनाया गया कि अब यदि कांग्रेस को वोट देंगे तभी काम चलेगा और वह देखते रहे कि जब तक इस प्रकार का वातावरण पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो जाये और कांग्रेस का शासन जब तक दुबारा नहीं हो जाये तब तक चुनाव नहीं करवाये जायें। यह बात थी। इसलिए प्रावधान का प्रश्न नहीं है। वह बैठे हुए नहीं हैं, जो कुछ उन्होंने यहां पर पढ़ा, मैंने भी पढ़ा है उस सारे को, उन्होंने बीच के अन्दर से पढ़ दिया, उसके कांटेक्स्ट नहीं पढ़े, उसके बाद में क्या तय हुआ वह नहीं पढ़ा, किसी आब्ज-र्वेशन को पढ़ दिया। उस आब्जर्वेशन से कोई चीज सिद्ध नहीं होती। यहां पर राज्यपाल महोदय जो अभिभाषण पढ़ें, अभिभाषण तो उनको वही पढ़ना पड़ेगा जो राज्य सरकार ने बनाया है। वह तो एक प्रकार से शासनाध्यक्ष हैं और जो उनकी सरकार काम करने जा रही है, जो नीति तत्व है उस नीति तत्व को पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ते आये हैं और आगे पढ़ेंगे भी।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं अपनी बात कहने से पहले कि रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा कि 18 करोड़ मुसलमानों को यहां से पाकिस्तान भेजना चाहते हैं या बाहर भेजना चाहते हैं। मैंने तो कभी भी पिछले 30-40 सालों के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के नेता को यह कहते हुए सुना नहीं, ना मैंने कभी परोक्ष और अपरोक्ष रूप से चर्चा में यह बात सुनी। परन्तु जो भी सदस्य इस प्रकार की बात करते हैं वो ही साम्प्रदायिकता फैलाते हैं, वो ही इस प्रकार का भेदभाव पैदा करने की कोशिश करते हैं। हिन्दू और मुसलमान के नाते भारतीय जनता पार्टी में तो साम्प्रदायिकता जैसा कोई तत्व नहीं है। बार-बार कांग्रेस ने इस प्रकार की बात की। सभापति महोदया, वहां पर 40 वर्षों से भगवान राम की पूजा हो रही है, मन्दिर है, आप उसको बार-बार मस्जिद कह कर साम्प्रदायिक भावना पैदा कर रहे हैं। देश के अन्दर पिछले 2-3 वर्षों के अन्दर साम्प्रदायिकता की भावना पैदा की गयी कटु वातावरण पैदा किया गया। जहां पूजा हो रही है उसको आप मस्जिद कैसे कह सकते हैं ? किस ढाचे में

(श्री रमाकान्त शर्मा)

थी, वह कैसा ढांचा था, उसका नाम मन्दिर रखें, उसका नाम ढांचा रखें और कुछ नाम रख दिया जाये, फेक्ट यह है, कटु सत्य है, कि वहां पर सुबह, दोपहर और शाम पांच वक्त के अन्दर पूजा हो रही थी, 1949 से पूजा हो रही थी। अब उसको बार-बार कह कर कि मस्जिद की जाय, मस्जिद हो गयी है, मस्जिद ऐसी हो गयी है, इस प्रकार से देश के अन्दर साम्प्रदायिकता का वातावरण पैदा किया जा रहा है। मेरे दूसरे भाई जो उधर बैठे हुए हैं वह हम पर लांछन लगाने के नाम से साम्प्रदायिकता पैदा कर रहे हैं। लेकिन यह साम्प्रदायिकता तब तक समाप्त नहीं होगी जब तक हम देश के अन्दर नागरिक शब्द बोलना नहीं शुरू कर देंगे और हिन्दू-मुस्लिम शब्द समाप्त नहीं कर देंगे।

उन्होंने कहा कि किसी एस. डी. ओ. पर किसी ने हाथ उठा दिया। क्या यह बात पहली दफा हुई? इस देश में नहीं विश्व के दूसर देशों में भी प्रशासकों पर कभी गलती से या जानते हुए कोई न कोई हाथ उठा देते हैं। कभी तहसीलदार भी पिट जाता है, कभी कोई कलक्टर भी पिट गया है। कई जगहों पर इस तरह की बातें हो गयी हैं। यदि कोई हिन्दू एस. डी. एम. पिट गया होता तो मैं निश्चित जानता हूं कि यहां पर बोलने वाले यह नहीं कहते कि वह हिन्दू था इसलिए पिट गया। वह यह बोलते कि एस. डी. एम. को पीटना बड़ी गलत बात है, गैर कानूनी चीज हैं इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। इसके साथ-साथ यह कह दें कि वह अल्प-संख्यक था इसलिए पिट गया, यह साम्प्रदायिकता कहलाती है। इस प्रकार की बातें कहने के साथ हमको हिन्दू-मुस्लिम शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। जब तक इस प्रकार के शब्द जोड़ते रहेंगे, माननीय सभापति महोदया, इस देश में जो एक गन्दा वातावरण भाई-भाई को लड़ाने के लिए पैदा हो गया है वह वातावरण कभी सुधरेगा नहीं।

इस अभिभाषण के डाकूमेण्ट को मुख्य मंत्रीजी ने, उनकी सरकार ने तैयार किया है, राज्यपाल महोदय की सरकार ने तैयार किया है उस डाकूमेण्ट के लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसा कॉम्प्रिहैंसिव डाकूमेण्ट बहुत कम देखने को मिलता है। आज के परिप्रेक्ष्य के मुताबिक उन्होंने लोकतन्त्र की बात कही। लोकतन्त्र कितने महत्व की बात है, लेकिन वह यहां लोकतन्त्र एक वर्ष तक नहीं रहा। इस एक वर्ष के दौरान कैसी-कैसी, कितनी-कितनी घटनाएं हो गयीं। जिनके कारण जो हमारा विकास आगे बढ़ना था वह रूक गया, वह एक वर्ष नहीं रूका बल्कि 10 वर्ष का रूक गया। इस दौरान जितने काम होने वाले थे वह काम नहीं हुए। प्रशासन के अन्दर अनियमितता हुई, यों समझ लीजिये उसके ऊपर कोई कण्ट्रोल नहीं रह गया था। इस प्रकार का जो प्रशासन बन गया था साल भर के अन्दर, उसका जिक्र किया गया है वह अत्यन्त आवश्यक था। इसमें योजना की बात कही गयी है क्योंकि वह दिल का दर्द है। इतनी बड़ी योजना, पहले इस प्रकार से किसी भी रिसोर्सेज के डवलपमेंट की बात कभी सोची नहीं कभी

(श्री रमाकान्त शर्मा)

की नहीं कि इतने बड़े रिसोर्सेज पैदा कर सकते हैं और उन्होंने अपनी मेहनत के साथ में उन रिसोर्सेज को डवलप करने का प्रयास किया था। उन रिसोर्सेज के बारे में एक साल के अन्दर किस प्रकार से आंख मींच ली गयीं। इस एक साल के अन्दर यह सोचा ही नहीं गया था कि योजना का क्या मतलब है या हमें कुछ काम करने का है। वह तो येन-केन-प्रकारेण वातावरण बनाने की चिन्ता थी कि कांग्रेस किस तरीके से चुनाव के अन्दर जीते। आंख मींचकर इस दिशा में जा रहे थे और उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे रिसोर्सेज के अन्दर बड़ा भारी गैप पड़ गया। हमको इस साल दुःख पाना पड़ेगा, अगले साल दुःख पाना पड़ेगा और न जाने योजना के पूरे के पूरे समय के अन्दर इस एक साल के अन्दर जो हमारी कार्यवाहियां चल रही थीं, जो आर्थिक विकास की कार्यवाहियां चल रही थीं, उन सब पर जो बड़ा भारी कुठाराघात हुआ है, उस योजना का जिक्र करना बहुत आवश्यक था, जिसका कि जिक्र किया गया है।

मैं मुख्य मंत्रीजी को बिजली के मामले में बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि 16 पेज के डाकूमेण्ट के अन्दर 4 पेज बिजली पर उन्होंने लगाये हैं। मेरी यह मान्यता है कि देश और हमारा प्रान्त प्रगति करने की ओर अग्रसर है तो प्रगति केवल मात्र किसान की प्रगति पर ही निर्भर है। जब तक किसान आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश की....

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय सदस्य, कहीं पर तो एक मेगावाट, कहीं पर डेढ़ मेगावाट, कहीं पर ढाई मेगावाट। इससे अपना समाधान हो जायेगा ?

श्री रमाकान्त शर्मा : परम माननीय, मैं आपको अर्ज कर दूंगा डेढ़ मेगावाट क्यों है। यह आपकी कृपा का नतीजा है वरना अब तक तो यहां पर 700 मेगावाट बिजली पैदा हो गयी होती। आप जो मगरमच्छों के हितैषी बने हुए हैं...

श्री खेतसिंह राठौड़ : इससे पहले साढ़े तीन वर्ष आप ही बिराजे थे ना।

श्री रमाकान्त शर्मा : उस समय मैं आपके साथ में काम कर रहा था, दिक्कत तो यह थी।....(व्यवधान)....सभापति महोदया, मैं निवेदन कर रहा था, जब तक देश का किसान तरक्की नहीं करेगा और किसान की खेत की उपज जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। सच बात तो यह है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता रहा है और हमारा प्रान्त तो बिल्कुल कृषि पर ही आधारित है परन्तु पिछले वर्षों में जो हमारा जी. एन. पी., जी.डी.पी. है इसके अन्दर हमारी कृषि का जो भाग है, कृषि का जो दायित्व है या कृषि का जो कंट्रीब्यूशन है वह घटता चला जा रहा है।

यह देश के लिए अच्छी बात नहीं है, यह हमारे प्रान्त के लिये अच्छी बात नहीं है। यदि जी. डी. पी. के अन्दर कृषि का

(श्री रमाकान्त शर्मा)

प्रतिशत घटता चला जायेगा तो उद्योगों में भी हम अमेरिका, इगलैण्ड, जर्मनी या जापान का मुकाबला नहीं कर पायेंगे यदि हमें उन्नत देश बनाना है, यदि हमें सब तरह से एक ताकतवर देश बनाना है, फिजिकली भी ताकतवर देश बनाना है तो हमको किसानों की बहबूदी करनी होगी, किसान की उपज को बढ़ाना होगा और किसान की उपज के लिए बिजली बहुत ही अत्यन्त आवश्यक चीज है। इस बिजली के बारे में हमने यदि कहीं पर भी कोई कोताही बरती तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे।

अब मैं एक बात सुझाव के तौर पर निवेदन कर देना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी के हृदय के अन्दर तो बिजली के प्रति इतनी भारी लगन है कि एक महीना भी नहीं बीता और इस मामले के अन्दर दिल्ली गये, प्रधान मंत्रीजी से बातचीत की है और यहां पर सरकारी अधिकारियों से भी बातचीत की है और योजना बना रहे हैं कि कितनी जल्दी, किस प्रकार से, कौनसा कार्य चालू किया जाय। सूरतगढ़ के मामले में भी लोगों को खींच दिया, कार्यवाही वहां बहुत तेजी से चल रही है और धौलपुर और बरसिंगसर, इन सभी के बारे में भी चर्चा चल रही है। परन्तु मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिजली बोर्ड इतना निष्क्रिय है और यह बिजली बोर्ड जिम्मेदार है पिछले 40 वर्षों के अन्दर जिसने हमारे प्रान्त के अन्दर बिजली को आगे नहीं बढ़ने दिया। प्राइवेट सैक्टर के अन्दर हमारे यहां पर 2–4 पावर हाउस थे पहले, परन्तु इन्होंने कहा कि हमारी सत्ता कमजोर पड़ जायेगी यदि प्राइवेट सैक्टर आ जायेगा तो इसलिये प्राइवेट सैक्टर को

श्री खेतसिंह राठौड़ : दवे साहब को लिये बैठे हो, यही हाल रहेगा। 70 साल का बूढ़ा है।

श्री रमाकान्त शर्मा : अब दवे साहब की बात नहीं है। सवाल तो कांग्रेस के 40 सालों के अन्दर लोग-बाग समझे ही नहीं दवे साहब की बात और वे समझ जाते, कांग्रेस के मंत्री तो फिर दवे साहब की नहीं चलती। सवाल तो यह है कि कांग्रेस के मंत्रियों ने इस चीज को समझा नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि 40 साल तक जो बिजली बोर्ड यह कहता रहा कि निजी क्षेत्र के अन्दर बिजली पैदा नहीं होनी चाहिये''''(व्यवधान)''''यह भी हुआ यदि किसी प्राइवेटली बिजली पैदा करना शुरू कर दिया अपने ही कारखाने के अन्दर तो उस पर पैनल्टी करने की बात कर दी और ऐसा वातावरण बनाया गया कि कोई आदमी बिजली पैदा नहीं करना चाहता।

आज जब बस की बात नहीं रही, तब कहते हैं कि निजी क्षेत्र के अन्दर बिजली की बात करें। मैं तो आज भी एक बात कहना चाहता हूं कि यदि किसान अपना डीजल इंजन चला करके पैदावार करके कुछ कमा पा रहा है तो फिर इस तरह की बात करना कि ''(व्यवधान)''''अभी हम 1000 करोड़ रुपये का पावर हाउस लगायेंगे। मैं समझता हूं, ठीक नहीं है। जहां पर कंसन्ट्रेशन है, जहां पर डिस्ट्रि-

(श्री रमाकान्त शर्मा)

ब्यूशन में कोई व्यय नहीं है। ऐसी जगह पर यदि छोटे पावर हाउस, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 4 मेगावाट के लगें, चाहे वह डीजल से हों, चाहे गैस से हों, चाहे हवा से हों, चाहे सूरज से हों, जिससे भी बिजली पैदा की जाये, वहां की वहां बिजली की आवश्यकता पड़ जाती है, तो चाहे निजी क्षेत्र में कोई भी आदमी लगाने के लिये आये तो उसका स्वागत करना चाहिये। निजी क्षेत्र से इस प्रकार का दुराव बिजली बोर्ड ने अपनी सत्ता कायम रखने के लिये और अपनी सारी की सारी गड़बड़ी करने के लिये पैदा किया और हमारे प्रान्त को बहुत पीछे कर दिया।

मेरा निवेदन है कि किसानों को इजाजत दे देनी चाहिये। जैसे अलवर जैसी जगह पर समझ लीजियेगा कि 50 हैक्टेयर, 60 हैक्टेयर तक हर कुएं को बिजली की जरूरत है या बिजली है वहां पर डीजल का इंजन चला रहा है और इस प्रकार से सिंचाई कर रहा है लगातार, ऐसी जगह पर यदि डीजल का पावर हाउस 5 या 6 मेगावाट का लग जाय तो वह निश्चित रूप से यूजफुल होगा और किसान को निश्चित रूप से उससे फायदा होगा। किसान छोटा-सा डीजल का इंजन लगा करके पम्प चला रहा है उससे उसको ज्यादा लाभ होगा। इसलिए इस बात को सोचा जाय। परन्तु बिजली बोर्ड नहीं करने देगा यह मेरा मानना है, क्योंकि यह पूर्णतः निष्क्रिय है और इसके अन्दर पूर्णतः भ्रष्टाचार व्याप्त है, ऊपर से लेकर नीचे तक।

मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस डाकूमेण्ट के अन्दर उन्होंने पशुपालन जैसी छोटी चीज है उसको भी नहीं छोड़ा है। उसमें भी उन्होंने कहा है कि हम यह काम करेंगे। पेयजल के बारे में बड़ी भारी चिन्ता बतायी है। पंचायती राज के बारे में सारी की सारी बातें विस्तार से बतायी हैं कि किस प्रकार से हम लोग चुनाव कराना चाहते थे और क्या बाधाएं आ गयीं और अब क्या करना चाहते हैं। चाहे वह नगरपालिका हो, चाहे वह पंचायत राज हो, इस सबके बारे में इस डाकूमेण्ट के अन्दर चिन्ता व्यक्त की गयी है इसके लिए निश्चय ही माननीय मुख्य मंत्री जी और राज्यपाल महोदय बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

मैं इस मामले में भी बधाई देना चाहूंगा कि अकाल का मामला बहुत ही गम्भीर होता चला जा रहा है और आपने आश्वासन दिया है कि जनवरी के अन्दर काम शुरू हो जायेंगे। मैं तो इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि मैं उस क्षेत्र से नहीं आता जहां पर अक्सर अकाल पड़ जाया करते हैं। हमारे यहां तो 20–25 साल के अन्दर एक-आध बार अकाल पड़ता है और अब की बार फिर वह अकाल पड़ गया। अब की बार करीब 90–95 प्रतिशत खेती समाप्त हो गयी थानागाजी क्षेत्र के अन्दर। लोग-बाग परेशान हैं, तिलमिला रहे हैं क्योंकि उनको आदत नहीं है इस तरह के अकाल की और इस तरह की चीजों की। फिर बिजली बोर्ड की कृपा की वजह से इस वर्ष जो रबी की फसल थी वह भी समाप्त हो गयी। मेरे यहां तो टोटल फसल बिजली

(श्री रमाकान्त शर्मा)

बोर्ड की कृपा से समाप्त है। तीन महीने से वहां पर कोई ए.ईएन. नहीं है क्योंकि कुछ इनको दुराव है थानागाजी क्षेत्र से और वहां ऐसी स्थिति पैदा कर रखी है कि ट्रांसफार्मर जले हुए 15-15, 20-20 दिन, एक-एक महीना हो जाता है, वे ठीक नहीं होते हैं और कहीं पर खम्भे खड़े हुए हैं तो उस पर तार नहीं लगाये जाते हैं, नतीजा यह है कि हमारी तो रबी की फसल भी खत्म हो गयी। इसलिए ऐसी स्थिति के अन्दर मैं बहुत स्वागत करता हूं, बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक जनवरी से वहां पर अकाल के कार्य चालू हो जायेंगे जिससे हमारे लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

सभापति महोदया, इन चुनावों के अन्दर बहुत आधारभूत परिवर्तन हुआ है, उसका मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, इस डाकूमेंट के अन्दर मेन्शन है कि 57 में से 33 एस. सी., एस. टी. के एम. एल. एज. भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से आये हैं। यह कोई छोटी-मोटी घटना नहीं है, यह बहुत बड़ा क्रान्तिकारी कदम है। ये लोग गरीब होने के नाते कांग्रेस ने 45-48 सालों से इनको इतना गुमराह कर रखा था, उनको इस प्रकार से बता रखा था कि ये तो हमारी जेब में हैं, ये तो हमारे बंधुआ हैं, ये तो वोट जायेंगे किधर, ये तो और किसी को वोट दे नहीं सकते, ऐसा उनके अन्दर वातावरण फैला रखा था। इस वातावरण के अन्दर एकदम बदलाव आया है शिक्षा की वजह से। और मैं तो यह कहूंगा कि माननीय भैरोंसिंह जी की जो रीति-नीति रही पिछले ढाई-तीन सालों के अन्दर कि जो दलित बन्धु हैं, जो गरीब बंधु हैं, जो पिछड़े बंधु हैं, इनको किस प्रकार से आगे लाया जाय, किस प्रकार से इनको महत्व दिया जाय, उस नीति का परिणाम है कि आज 58 प्रतिशत एम.एल. एज. आये हैं वे भारतीय जनता पार्टी के मंच से आये हैं। यह बहुत बड़े बदलाव की बात है और इस बात का जिक्र इस डाकूमेंट में किया गया है। यह बहुत धन्यवाद की बात है। इस मामले के अन्दर मैं राज्यपाल महोदय को विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं मेरे बंधुओं को एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं कि कभी-कभी चौबेजी छब्बेजी होने जाते हैं और दुबेजी रह जाते हैं। इन्होंने सोचा तो यही था कि एक साल की लम्बी अवधि हो जायेगी और उसके बाद में चुनावों के अन्दर बड़ा फायदा मिल जायेगा। लेकिन लोकतन्त्र इस देश के अन्दर अपनी जड़ें बहुत गहरी कायम कर चुका है इसलिए इस देश के अन्दर लोकतन्त्र के साथ कभी कोई छेड़छाड़ करता है, कोई गड़बड़ी करता है तो उसको जनता बड़ा मजा चखाती है और उसने इन चुनावों के अन्दर जो मजा चखाया उसका कारण यह था कि इन्होंने एक वर्ष तक चुनावों के अन्दर देरी की। यह भी एक बड़ा भारी कारण रहा है।

मैं समझता हूं कि इससे पाठ सीखेंगे, जिससे आयन्दा इस तरह की बात होगी.... (व्यवधान)....सभापति महोदय, यह खेद का विषय है कि इस साल योजना मद के

(श्री रमाकान्त शर्मा)

अन्दर कुल मिलाकर 46 पर्सेण्ट व्यय हुआ है। यह स्थिति देखने को भी मिलती है. मेरे यहां पर कई सड़कें बंद थीं अब राज़ आते ही मैंने तो जिक्र भी नहीं किया, पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर साहब से कहा भी नहीं लेकिन मैं क्षेत्र में जाकर आया हूं, जोर-शोर से काम चल रहे हैं सब जगह पर। जो काम साल भर से बंद पड़े थे वे सारे चालू हो गये। इसलिए इस डाकूमेंट के अन्दर जो बात कही गयी है कि योजना के अन्दर जो प्रावधान किया गया है उसकी पूरी-पूरी क्रियान्विति होगी इसके लिए मैं सरकार को और राज्यपाल महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

एक बात मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि इस डाकूमेंट के अन्दर जहां बिजली की बात कही गयी है वहां पर किसानों को सिंचाई के लिये, जो जल की बात है वह भी अत्यन्त आवश्यक है और हमारे परिप्रेक्ष्य में तो यमुना जल बहुत महत्वपूर्ण बात है। यमुना जल का अभी समझौता वहां पर हुआ तो नहीं लेकिन चर्चा हुई है। कम से कम अलवर, भरतपुर का क्षेत्र है या पूर्वी राजस्थान का जो क्षेत्र है वह यमुना जल की तरफ पिछले 50 वर्षों से देख रहा है और हम लोग इस मामले के अन्दर बहुत ही सशंकित हैं कि यह कहीं बातों ही बातों में तो नहीं रह जायेगा? इतना समय गुजर गया है इसलिये इसके बारे में कुछ ठोस सुझाव इस डाकूमेंट में आ जाते तो हमारे लिये बहुत ही अच्छा होता। परन्तु मैं समझता हूं यह उनके मन के अन्दर है और उन्होंने चर्चा में भी कहा है तो निश्चय ही इसके बारे में आगे काफी कार्य होगा।

मैं रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि थानागाजी के अन्दर खानों के सम्बन्ध में मैं अपनी बात कहने में पूर्ण सक्षम हूं और शायद मुझे किसी वकील की आवश्यकता नहीं होगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं। पर्यावरण के सम्बन्ध में। पर्यावरण का मतलब हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में केवल ज्यादा से ज्यादा वन लगाना है। हमारे परिप्रेक्ष्य में इसका और कोई मायने नहीं रखता है। इंगलैण्ड के परिप्रेक्ष्य में, जर्मनी के परिप्रेक्ष्य में इसके मायने दूसरे हैं लेकिन हमारे यहां पर वनों की इतनी भारी कटाई हो गयी है कि राजस्थान जब बना था तो उस समय 11 पर्सेण्ट वन थे लेकिन आज 3 पर्सेण्ट भी नहीं रह गये हैं। तो यह वन नष्ट होते जा रहे हैं इसलिये किस तरह से जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा वन लगाये जाय यह बहुत मुख्य बात है। परन्तु भारत सरकार ने विदेशी सत्ताओं के दबाव में आ करके पर्यावरण के मामले में सारे देश को इतना मिसगाइड कर दिया है कि हम मुख्य बात को तो भूल गये, उसके अन्दर ज्यादा चिन्ता नहीं कर रहे हैं और हम दूसरी बातों के अन्दर जाकर कह रहे हैं कि खानों को बंद कर दो। खान अवश्य बन्द करिये जहा पर कि बहुत ज्यादा वन हैं। उन खानों के होने से वन नष्ट होते हैं तो बन्द कर देनी चाहिये। निश्चय ही बन्द करनी चाहिये चाहे वो अरावली में हों, चाहे वह सतपुड़ा में हों, चाहे हिमालय में हों, चाहे कहीं पर भी हों। परन्तु केवल मात्र यह

(श्री रमाकान्त शर्मा)

कह देने से कि पर्यावरण को इससे खतरा है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि पर्यावरण का खानों से कोई रिश्ता भी है किसी तरह का ? खानों को बन्द कर देना ठीक नहीं है।

मैं अपने क्षेत्र के बारे में एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर के जिन खान मालिकों ने वहां पर खानें चालू की हैं वे बहुत सारी अवैध हैं। जहां उनको बताया जाता है वहां पर खान नहीं है, दूसरी जगह पर हैं। उनको बाहर खनन करने के लिये बताया गया था लेकिन वे वन क्षेत्र के भीतर घुस गये हैं और उन्हें खानों का सही ढंग से दोहन करना चाहिये था वह दोहन भी नहीं किया है। हमारे मजदूर वहां पर जरूर एक तरह से बेरोजगार हो गये हैं। इसलिए मेरा तो सुझाव होगा राजस्थान सरकार को कि यदि वहां पर खान दुबारा चालू करने की बात सोचें तो सारी खानें को-आपरेटिव बेसिस पर मजदूरों को दे देनी चाहिए। उस आधार पर उन खानों को दुबारा चालू करेंगे तो पर्यावरण की भी बचत हो जायेगी और मजदूरों का मामला भी सुलट जायेगा। परन्तु जिन लोगों ने खानों का शोषण किया है, जिन लोगों ने मजदूरों का शोषण किया है, जिन लोगों ने इन चुनावों के दौरान जाली आर्डर भी उन गरीब मजदूरों के सामने रख दिया कि 16 तारीख से खानें चालू हो जायेंगी, पर्यावरण मंत्री ने आदेश दे दिया है वो आदेश भी दिखाया गया, इस तरह के जो लोग-बाग हैं उनसे हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है।

मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा, राज्य सरकार स्वयं ही बहुत संवेदनशील है, जहां तक मजदूरों और किसानों का प्रश्न उठता है, मुझे विश्वास है कि इस मामले में कोई न कोई सही निर्णय होगा।

बहुत लम्बी बात नहीं करूंगा परन्तु कल माननीय धनखड़ साहब ने, वे कहां से आ रहे हैं मुझे ध्यान नहीं है इसलिए मुझे नाम लेना पड़ रहा है, बहुत मजाक की सी बात कही थी कि नीम की दांतुन नहीं कर सकेंगे, डंकल प्रस्ताव के बारे में ये बी. जे. पी. वाले + + + करते हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से न तो डंकल प्रस्तावों को पढ़ा हैं गैट के बारे में अच्छी तरह से ध्यान दिया है। यदि वे मेरे से चर्चा करें तो मैं उनको निवेदन कर दूं कि डंकल प्रस्ताव व गैट के अन्दर जो मुख्य मुद्दा है वह एक वाक्य के अन्दर समझा जा सकता है कि आज तक संसार भर में जो पेटेण्ट था वह प्रोसेस पर मुनहसर करता था, प्रोसस का पेटेण्ट होता था लेकिन अब गैट के अन्दर, डकल प्रस्ताव के द्वारा जो प्रोडक्ट है उसका ही पेटेण्ट हो सकता है।

जैसे घीया इतनी लम्बी पैदा हो जाती है, इतना मोटा टमाटर पैदा हो जाता है। हारमोन्स का इंजेक्शन दे करके एक नये प्रकार का नीम पैदा कर दिया गया और उसका उन्होंने पेटेण्ट करा लिया तो निश्चित

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

समझ लीजियेगा कि आगे जितने नीम पैदा होंगे उन नीम की निम्बोली का उपयोग या दातुन का उपयोग आप नहीं कर सकेंगे क्योंकि प्रोडक्ट का भी पेटेण्ट है। यह बात इसलिए बहुत गम्भीर है। इस बात को केवल मात्र मजाक में उड़ाने से काम नहीं चलता। कभी दूसरा समय आया तो मैं निवेदन करना चाहूंगा क्योंकि डंकल प्रस्ताव बहुत बड़ी गम्भीर चीज है और खास-तौर से मेरी मान्यता है कि आगे आने वाले वर्षों के अन्दर इस देश के व्यवसाइयों के लिए और इस देश के सारे के सारे किसानों के लिये इससे ज्यादा हानिकारक ही नहीं यह उनके लिए डेथ-सेन्टेन्स होगा, बाहर के जो लोग हैं उन्हीं की कृपा से हमारे देश में खेती होगी और उन्हीं के पास यहां का व्यवसाय होगा। यदि हम इस प्रकार से मजाक में इस डकल प्रस्ताव को लेते रहे तो हमको इसकी भारी कीमत पड़ेगी।

यह क्या बात कह दी कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है वह पार्लियामेंट के अन्दर डिस्कस नहीं हो सकता और अन्तर्राष्ट्रीय समझौता है इसलिए हमको करना ही पड़ेगा। गैट के अन्दर कुल मिलाकर 108 देश हैं। संसार में 108 देश ही नहीं हैं बहुत देश हैं। और पहले 108 भी नहीं थे, पहले कुल मिला कर 56 थे और जब यह प्रारम्भ हुआ तो हम ठीक हैं प्रारम्भिक सदस्य हैं उस वक्त उसके कुल मिलाकर 22 या 23 ही सदस्य थे। आपस में बहुराष्ट्रीय अर्थात् एक राष्ट्र किसी के साथ कोई संधि कर रहा है, दूसरे राष्ट्र पर उसका असर पड़ता है, तीसरे पर असर पड़ता है तो गैट के अन्दर बातें तय होती हैं, सारे राष्ट्रों के लिए एक प्रकार से समान तरीके की बात है, उसके लिए यह गैट है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समाप्त कर रहा हूं, बस यह लास्ट पाइंट है। उसके लिये यह गैट है तो यह कोई बात नहीं है कि वहां पर कोई समझौता हो तो हम पर जबरदस्ती है कि उस समझौते पर दस्तखत करें। हम कह सकते थे कि हम इस समझौते पर दस्तखत नहीं करेंगे और बहुत सारे देशों ने पहले कहा है। बहुत सारे देशों ने कई इस गैट के जो समझौते हैं उनसे अपने आपको अलग रखा है और गैट में फिर भी रहे हैं। इसलिए यह आवश्यक नहीं था बिलकुल भी। कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हो, हमारी पार्लियामेंट उसको अप्रूव नहीं करे? कोई ऐसी संसार की सक्षम सरकार नहीं है जो लोकतन्त्र में अपनी पार्लियामेंट को अन्धेरे में रख दे और अपने आप ही समझौते पर दस्तखत कर दे। चूंकि अभी डंकल प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं हुए हैं इसलिए मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि इस बारे में खूब अध्ययन करके हमें जन मानस बनाने का जन आन्दोलन का क्रांती-कारी कदम उठाना पड़ेगा। इस देश के अन्दर अन्यथा यह देश सारा का सारा, मेरा नम्र निवेदन है, बरबाद हो जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में मैं पुनः राज्यपाल महोदय को हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी

(श्री रमाकान्त शर्मा)

अच्छी नीतिगत बातें यहां पर इस डाकूमेंट के तहत प्रस्तुत कीं।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बनवारी लाल बैरवा।

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : माननीय सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव लेकर सरकार आयी है और उस प्रस्ताव को रखा है हमारे माननीय सदस्य जो बनीपार्क से आये हैं उन्होंने। मैंने बहुत गौर से उनको सुना। मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान के इस महान सदन में नहीं बोलकर वह अपनी पार्टी की मीटिंग के अन्दर बोल रहे हों क्योंकि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की ओर तो उनका कोई धन्यवाद का रुख था नहीं, उनका धन्यवाद का रुख कुल मिलाकर मुख्य मंत्रीजी की ओर था। मुख्य मंत्रीजी को बार-बार धन्यवाद दे रहे थे, राज्यपाल महोदय को तो शायद फार्मेलिटी के तौर पर अन्त में उन्होंने कह दिया कि धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाय। अन्यथा उनकी तो मंशा नहीं थी। मंशा उनकी शायद, मुझे लगता है, यह थी कि जितने भी पैराग्राफ उसके अन्दर लिखे गये हैं वह सब के सब एक साल जो राष्ट्रपति शासन रहा है उसके खिलाफ हैं। यह उनकी शायद मंशा रही हो।

महोदया, बड़ी दु:खद बात है, 6 दिसम्बर की जो घटना हमारे देश के अन्दर घटी उसके दुष्परिणाम इस देश ने ही नहीं झेले, हमने अन्तरराष्ट्रीय जगत के अन्दर झेले। 89 का चुनाव, 90 का चुनाव 91 का चुनाव और यह चुनाव, इन चार चुनावों के ऊपर अयोध्या छायी रही। अयोध्या का मसला इस तरीके से उठाया बी. जे. पी. ने कि देश के अन्दर वातावरण इस तरीके से विशाक्त हो जाये कि भाई, भाई से अलग खड़ा हो। वह नक्शे सब आपने भी देखे हैं, हमने भी देखे हैं।

महोदया, बार-बार इस बात का जिक्र आया है कि बी. जे. पी. की सरकार को गिरा दिया गया। लेकिन आप यह तो देखें कि यह गिर क्यों गयी। जिस लोकतंत्र की बात आप कर रहे हैं, जिस लोकतंत्र की आप दुहाई दे रहे हैं, यह पंचायत राज भी लोकतंत्र का ही एक बड़ा भाग है, उसको निर्लज्जतापूर्वक आपने कैसे गिरा दिया, क्यों भंग कर दिया? मान लीजिये, उसका समय समाप्त हो गया था तो आपने बढ़ा दिया होता। आप अगर लोकतत्र के समर्थक होते तो उसके समय को बढ़ा सकते थे। उन्हीं पंचों से, उन्हीं सरपंचों से उन्हीं प्रधानों से, उन्हीं प्रमुखों से उसको चालू रखवा सकते थे। उसको तो आपने नहीं किया और किया यह है कि आपने अपनी सरकारी मशीनरी को बैठा दिया। लोकतंत्र के प्रति यह एक तमाचा सा लगा। जो लोग उसके प्रतिनिधि थे उन लोगों का एक अभिशाप था, उस अभिशाप के कारण गिरी है आपकी सरकार।

दूसरी बात यह है, महोदयाजी, कि अयोध्या में जो मस्जिद थी उसको ले करके बहुत भारी, भीषण विवाद खड़ा हुआ और

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

उसके लिए 6 दिसम्बर की तारीख तय की गयी कि वहां कार सेवा करने के लिए जायेंगे । चलिये,

(15.43)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन)

... जाइये आप कार सेवा करने के लिए । मान्यवर, उसको आप मस्जिद कहें, मंदिर कहें, उस विवादित ढांचे को कुछ भी कहें लेकिन था तो परमात्मा का घर, था तो वह ईश्वर का घर, था तो वह खुदा का घर आप खुदा का घर गिरायेंगे, अल्लाह का घर गिरायेंगे और राम का घर गिरायेंगे, क्या हश्र होना था, भई, आपका ? वह आपकी सरकार नहीं गिराती ? माननीय सभापतिजी, यह तो बहुत सहज बात है कि मैं किसी को पीड़ित करूंगा तो वह मुझे कैसे बख्श देगा । तो आप तो अपनी करतूतों के हिसाब से गिरे हो, किसी और कारण से नहीं गिरे ।

मान्यवर, जो प्रस्ताव यहां रखा गया मैं उसके पक्ष के अन्दर नहीं हूं । कई कारण हैं, बहुत सारी बातें अभी दोनों पक्षों की ओर से आयी हैं । यह बात तो आपके इस अभिभाषण के अन्दर मानी गयी है कि राजस्थान बहुत पिछड़ा रह गया है बिजली में, पानी में, पेयजल में, सिंचाई में, खेती में, सड़कों में । जहां-जहां आप देखिये, आपके लैप्सेज हैं, आपकी कमियां हैं, इस बात को आपको स्वीकार करना पडेगा और उन तमाम चीजों के होते हुए कैसे आपके धन्यवाद के प्रस्ताव की हम हामी भरेंगे, कैसे हम उसके हामीदार होंगे । मान्यवर, मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं, आप एक बात तो मुलाहिजा कर लें, बिजली के मामले में बहुत सारी बातें अभी कहीं गयी हैं । अभी कुछ कीर्तिमान जो मौजूदा सरकार ने पहले क़ायम किये हैं उनका भी जिक्र आया है । कांग्रेस का राज़ जब चालू हुआ उस वक्त, आप मुलाहिजा फरमाइये, कुल आठ मेगावाट बिजली थी आपके पास । कुल आठ मेगावाट बिजली थी और 45 बड़ी बस्तियों के अन्दर बिजली थी, बाकी सब गौण । जिस समय कांग्रेस का शासन था, 2800 मेगावाट बिजली तैयार की गयी और शायद 18-19 हजार गांवों के अन्दर हमने बिजली पहुंचाई । आप कैसे कह सकते हैं इस बात को कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया । जो सरकार में बैठा है उसे काश्तकार को, मजदूर को, आम आदमी को कहने का हक है कि हमको बिजली चाहिए, आपको बिजली हमको देनी चाहिए । जिस तरीके से माफीनामा अभिभाषण के अन्दर आपने कहलवाया है और मुख्य मंत्रीजी का जो पहला उद्‌बोधन था, जो उनका भाषण था उसके अन्दर उन्होंने उसको नकार दिया कि अब कोई कमी नहीं है, पूरी बिजली है । फिर पांच घण्टे क्यों दे रहे हैं हमारे काश्तकार को ? क्यों रात को बारह बजे आप हमारे काश्तकार को दे रहे हैं ? क्यों ट्रपिंग कर रहे हैं ? क्यों ढाई-ढाई घण्टे के अन्तराल से उसको खड़ा कर रहे हैं ? आपको पता है जब वहां पर क्यारे के अन्दर पानी पहुंचता है और एक बार ट्रपिंग हो जाता है तो वह भागकर वापस पहुंचता है तो जान निकल जाती है । यह आपको महसूस

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

करना पड़ेगा । यह सरकार की कमी को स्वीकार करना पड़ेगा । जब यह हालत आपने बिजली की कर रखी है तो फिर हम कैसे आपके धन्यवाद प्रस्ताव के अन्दर भागीदार हो सकते हैं ।

मान्यवर, पेयजल की जहां तक समस्या है, आज गांवों में जा कर के देखिये आप, आपके हैण्ड पम्प हैं उनमें सत्तर प्रतिशत हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं । किसी के अन्दर रॉड नहीं है, कोई कोलेप्स होकर बैठ गया है, किसी में पानी नहीं आ रहा है, किसी का हैण्डल टूट गया, किसी का क्या हो गया और फिर आप कहते हैं कि धन्यवाद प्रस्ताव के अन्दर हमारे साथ भागीदार बन जाइये । कैसे बन जायेंगे । आज गांवों के अन्दर अकाल की स्थिति है, पानी जमीन के अन्दर नीचे गहरा चला गया है और उस काश्तकार को, देहात के अन्दर रहने वाले आदमी को पानी नहीं मिल रहा है । बहुत भीषण स्थिति हो जायेगी सरकार के सामने, अगर वक्त रहते हुए आप नहीं समझेंगे ।

मान्यवर, उन छोटे-छोटे अबोध बच्चों की तरफ देखिये जहां आपने गांवों में स्कूल तो खोल दिये दूर-दूर और वहां पर पीने के पानी का इन्तजाम नहीं है । एक-एक हैण्ड पम्प आप अब तक उपलब्ध नहीं करा सके उनको, कैसे आप धन्यवाद के हकदार बन जाते हैं । कैसे आप धन्यवाद के हकदार बन जाते हैं कि आज हरिजन बस्तियां तरस रही हैं पानी के लिए, उन हैण्ड पम्प्स के लिए और पता नहीं किस की साजिश के तहत दूसरी जगह पर लगा दिये जाते हैं, नाम उनका हो जाता है । आज आप मुलाहिजा कर लीजिये जा कर के उन बस्तियों के अन्दर, कोई हैण्ड पम्प नहीं है । सरकार को आज सोचना पड़ेगा उसकी तरफ, आज देखना पड़ेगा और लगाने पड़ेंगे वहां पर हैण्ड पम्प । और मान्यवर, सिर्फ हैण्ड पम्प की ही बात नहीं है, जो भी आपकी पेयजल की व्यवस्था है, आपको हरिजनों तक पहुंचानी पड़ेगी और उन के बच्चों तक पहुंचानी पड़ेगी । नहीं पहुंचाने में बहुत दिक्कत हो जायेगी ।

मान्यवर बीसलपुर डेम, जो 450 करोड़ रुपये से प्रोजेक्ट आपके प्रान्त में लग रहा है, जिससे आपके अजमेर के पानी की समस्या का समाधान होगा, पांच सौ गांवों की सिंचाई का साधन होगा, उसके ऊपर सिर्फ डेढ़ लाइन लिखकर छुट्टी कर दी । उस पर कुछ नहीं बोले आप । कुछ नहीं आपने अभिभाषण में कहलवाया । आपने क्यों नहीं कहलवाया इस बात को कि हम कहां से नहरें निकाल रहे हैं । क्यों नहीं अब तक वहां नहरों के सब डिवीजन खोले गये । नहरों के काम चालू नहीं हुए हैं । वहां पर जाकर देखिये आप, तीन-तीन, चार-चार हजार आदमी वहां खड़े हुए आन्दोलन कर रहे हैं । इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे साथ भेदभाव बरतना चाहते हैं । आप हमारे साथ ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं कि टौंक जिले के गांव तो रह जायेंगे और आप पानी पता नहीं कहां ले जाना चाहते हैं ।

माननीय सभापतिजी, मुझे बहुत सख्त अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

समय प्रोजेक्ट तैयार हुआ था उसकी मूल मंशा यही थी कि अजमेर को पानी दे दें और सिंचाई के लिए व्यवस्था कर दें टौंक जिले की, अगर पानी बचता है तो उसमें बूंदी का भी थोड़ा भाग आता है और सवाईमाधोपुर का भी आता है। मान्यवर, मुझे बहुत दुःख हुआ यह जानकर कि वह सब व्यवस्था समाप्त करके उस पानी को बढ़ा करके जयपुर की तरफ लाने की बात कर रहे हैं। मेरा जयपुर के निवासियों से कोई विरोध नहीं है, बिल्कुल मिलना चाहिए पानी और यह भी उतने ही हकदार हैं जितना ...

(15.49)

(श्री हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन)

हम पानी चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है उस बात को लेकर। बीसलपुर डेम की जब मंजूरी हुई मेरे जिले के काश्तकारों को मेरे जिले के आम लोगों को बहुत खुशी हुई। कुछ गांवों को तकलीफ भी पहुंची, जो लोग उठने थे, जो डूब में आ रहे थे, उन लोगों को तकलीफ हुई लेकिन बाकी शेष लोगों को इससे खुशी हुई कि हमारे यहां एक सम्पन्नता की लहर आयेगी, हमारे खेत हरियाली से लहलहायेंगे। मेरे ख्याल से अगले साल तक वह डेम तैयार हो जायेगा। नहरें नहीं हैं, आप पानी कहां ले जायेंगे, क्या करेंगे उनका, यह अगर इन्फ्रास्ट्रक्चर उसका तैयार नहीं किया तो वह सब बेकार रहेगी हमारी मेहनत भी, हमारी भागदौड़ भी और सरकार के जिम्मे फिर और वाकये आयेंगे। इसलिए मेरा आज, माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से सरकार से निवेनन है कि यह तीन हजार काश्तकार आज देवली के अन्दर पड़े हुए हैं, उन नहरों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं, सरकार उनसे बात करे और उसकी व्यवस्था करे कि वह यहां से नहरें चाहते हैं। क्यों नहीं लिफ्ट इरिगेशन कर सकते हो। बात यह है कि वहां पर ढलान नहीं है। इन्दिरा गांधी कैनाल में लिफ्ट इरिगेशन कर सकते हैं, क्यों नहीं किया ? वहां पर किया जाना चाहिए यह बहुत आवश्यक है।

मान्यवर, जहां तक सड़कों का सवाल है चूंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर में आती हैं, देहात में सड़कों की इतनी बुरी हालत है कि कई जगह तो जानवर मर जाते हैं और उनसे गाड़ियां नहीं खिंचती हैं और कुछ सड़कें ऐसी हो गयी हैं कि वहां शायद पैदल तो आप चले जायें बाकी किसी गाड़ी के अन्दर आप नहीं जा सकते। इतने रास्ते खराब हैं। उन रास्तों से गुजरकर जब हम देहात में पहुंचते हैं तो वह हमसे पूछते हैं कि साहब, कुशल क्षेम से तो आ गये हो ना आप। तो वह एक ताना होता है। उसकी तरफ निगाह करनी पड़ेगी। खास तौर से आप इस तरफ नजर डालियेगा कि जो सड़कें मेरे जिले के अन्दर नितान्त आवश्यक हैं, जिनको बनाना। बहुत जरूरी है वह है सौंभरी से अरनियां केदार, निवाई रेल्वे स्टेशन से नलां, बरौनी से जौलां, वनस्थली से मन्दिर देवनारायण, डागाथल रोड बौरनी सिरद। यह सड़कें बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, यह सड़कें नितान्त आवश्यक

(130)

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

हैं। इनके बिना हमारा काश्तकार बहुत दुखी है, बहुत परेशान है।

मान्यवर, अभिभाषण के दूसरे पैराग्राफ के अन्दर बहुत ही खुशफहमी की बात इन्होंने कहलवायी है। लिखा है कि 57 आरक्षित क्षेत्रों में से वर्तमान सरकार में अपने 33 विधायक भेजकर जिस प्रकार से सरकार को सम्बल प्रदान किया है हम विशेष रूप से उसके लिए उनके कृतज्ञ हैं। मान्यवर, यह इनकी खुशफहमी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने से हरिजन राजी नहीं हो रहा है, आतंकित हो रहा है, परेशानी में है कि हमारा क्या हल होगा क्योंकि आगे आगे गांव जला दिये गये और आप लोग कुछ नहीं कर पाये। आज तक उनमें से किसी को सजा नहीं मिल पायी और आज यह कह रहे हैं आप लोगों से कि बहुत खुश हैं। यह तो आंकड़ों का हिसाब है। आंकड़े बहुत चंचल हैं, छद्मवेशी हैं। कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं उस हिसाब से आगे हैं। यह आंकड़ों का ही मामला है खास बात नहीं है लेकिन फैक्ट यह है कि आप उनकी बात कहते हैं तो फिर उनके हितों की भी बात कीजिये। आपके प्रत्येक महकमे के अन्दर सर्विस में जो रिजर्वेशन है उसमें सब में बैकलॉग पड़ा हुआ है उसको पूरा करें। बैकलॉग पूरा किये बिना आपका कोई विश्वास नहीं करेगा। जो जमीनें हरिजनों को वहां पर दे दी गयी हैं वहां उनको एनश्योर कीजिए कि उनके उनको कब्जे मिलेंगे। आज वह उस पर खेती कर रहे हैं, कमा कर खा रहे हैं। यह तमाम चीजें नहीं होंगी तो हरिजन नहीं मानेंगे।

मान्यवर, ला एण्ड आर्डर की स्थिति मेरे ख्याल से खराब है कि कुछ मत पूछिये। सभी जगह परेशानियां हैं। पूरे राजस्थान की बात आप सभी लोग जानते हैं लेकिन मैं अपने जिले की बात कहता हूं। अपना बहुत अधिक समय नहीं ले रहा हूं, बहुत मामूली तरीके से बात कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : देखिये, अभी 12 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं और दो घण्टे का समय है। आप 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष : महत्वपूर्ण तो है लेकिन सभी बोलेंगे ना। मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक माननीय सदस्य बोलें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : मान्यवर, मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, टौंक जिले के अन्दर पुलिस प्रशासन की स्थिति बहुत ही खराब है। इस मायने में खराब है कि दो दो, तीन-तीन डकैतियां पड़ गयीं, एक भी मुलजिम पकड़ में नहीं आ रहा है। कत्ल हो रहे हैं और मुलजिम पकड़ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल ब्लाइण्ड हुए जा रहे हैं। पिछले दिनों जो 7 और 9 दिसम्बर 1992 को झगड़ा फसाद हुआ, झगड़ा फसाद तो अब यह कह रहे हैं, हम तो यह मानते हैं कि अबोध लोगों को पुलिस ने मारा। हालांकि मुख्य मन्त्री जी स्वयं भी वहां

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

मौके पर गये लेकिन मैं नहीं समझता कि किस तरीके से वह व्यवस्था करके आये कि आज तक भी वह मुलजिमान पकड़े नहीं गये। जिन्होंने जबरदस्त पैमाने पर जुल्म किये वह तो पकड़े नहीं गये और बेचारे निरीह लोगों को पकड़ पकड़ कर बहुत बड़ी तादाद में बंद कर रखा है। उन पर केस चला रखे हैं, जुल्म कर रखे हैं। एक ऐसा वाकिया हो गया कि लोग घरों से निकल करके नारे लगाते हुए बाजार में आ गये। हाथ में कोई लकडी नहीं, कोई हथियार नहीं, औजार नहीं, कुछ नहीं और उसके ऊपर आपने गोली चला दी। सामने से दूसरा कोई था नहीं फिर बाद में कौन आ गया, किन के ऊपर आप केस चला रहे हो? उन लोगों पर जो केस चले हुए हैं उनके विथड्रा किया जाये ताकि उनके जो जले हुए घाव हैं उन पर मरहम लग सके।

माननीय अध्यक्ष जी, बात तो मुझे बहुत कहनी थी अभी लेकिन बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बात कहनी है, आगे वक्त मिलेगा तो अर्ज करूंगा। मैं इस समय यह बात कहता हूं कि यह प्रस्ताव जो आपने धन्यवाद का रखा है, मेरी विवशता है कि मैं उसमें भागीदार नहीं हो सकता।

श्री अध्यक्ष : श्री जगदीश चन्द दरक।

श्री जगदीश चन्द दरक (भीलवाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल के अभिभाषण के स्वागत का जो प्रस्ताव बनीपार्क के विधायक महोदय ने रखा उसका मैं अभिनन्दन करता हूं।

राजस्थान के विकास की परिकल्पना इस अभिभाषण में सरकार के द्वारा जो की गयी, वह प्रशंसनीय है। मुझे विपक्षी सदस्यों की इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस अभिभाषण का हम स्वागत नहीं कर सकते। शायद यह दसवीं विधान सभा का भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मन्त्री के राज में राज्यपाल के द्वारा तीसरा अभिभाषण है। इसके पूर्व विपक्ष में जो आज विराजमान हैं उन्हीं के द्वारा जब वह सत्ता पक्ष में थे, सात बार राज्यपाल महोदय ने यही अभिभाषण दिये और कार्यरूप में राजस्थान का क्या विकास हुआ वह सभी सदस्य अच्छी तरह जानते हैं। चालीस साल के उनके कंटीन्यूअस राज के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति किस तरह बदतर है, इस विधान सभा चुनाव में और पूर्व चुनावों के अन्दर जो सदस्यगण अपने गांवों में घूमे होंगे उन्हें अच्छी तरह यह महसूस हुआ होगा। आज भी ग्रामीण क्षेत्र पानी की समस्या से ग्रस्त है। अगर रात्रि में कोई सीरियस बीमार हो जाता है, तो सड़कों के अभाव में, कुछ पंचायत क्षेत्र तो जरूर सड़कों से जुड़े हैं बाकी वह आराम से किसी सड़क तक पहुंच भी नहीं पाता।

शिक्षा के मामले में जरूर पिछले दो-ढाई सालों में स्कूल्स को पक्का करा दिया गया है। पिछले ढाई साल में मुख्य मन्त्री भैरोंसिंहजी के राज के टाइम से सतत प्रयत्न चल रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में समुचित विकास किया जाये और उन प्रयत्नों की तरफ कार्य भी चल रहे थे प्रशासन के द्वारा, परन्तु दुर्भाग्य रहा कि धारा 356 का दुरूपयोग करके एक बहुत ही सही ढंग से चलने वाली सरकार को भंग किया गया

(श्री जगदीश चन्द दरक)

और सतत रूप से प्रयत्नशील सरकार गांवों के विकास में लगी हुई थी उसमें अवरोध खड़ा हो गया। राज्यपाल शासन के 11-12 महीने मेरी समझ में खाली ट्रांसफर और स्थिर सरकार के रूप में रहे हैं। विकास रहित उस पीरियड ने इस राजस्थान को एक साल, कभी-कभी तो मेरे साथी कहते हैं कि दो-तीन साल पीछे धकेल दिया। भगवान करे आगे किसी भी तरह विकास की गति को अवरूद्ध करने का ऐसा प्रयत्न न हो कि बिना किसी वाजिब मुद्दे के धारा 356 का उपयोग किया जाये।

ग्राम विकास, बिजली की उत्पत्ति, पानी के हिसाब से, सभी तरह से इस अभिभाषण में जो अभिलाषाएं व्यक्त की हैं राज्य सरकार ने, वह प्रशंसनीय हैं। हम सबको उसका मिल कर स्वागत करना चाहिए। जहां से भी परियोजनाओं को सफलता मिले चाहे केन्द्र सरकार की तरफ से इसमें योगदान हो, मैं अपने विपक्षी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि इस राजस्थान के विकास को देखते हुए उसमें हमारा सहयोग करें और वहां से ज्यादा से ज्यादा सैंक्शन्स जल्दी से जल्दी करवाने के प्रयत्न में हम सब लोग लगे रहें। इन सारी परिकल्पनाओं के साथ....

(16.00)

मैं इस अभिभाषण का स्वागत तो करता ही हूं परन्तु मेरा एक निवेदन इस सदन से अवश्य है कि हमने ग्रामीण विकास और ग्रामीण जनता की भलाई के सारे कार्यक्रम इस अभिभाषण में लिये हैं लेकिन एक इण्डस्ट्री और ट्रेड का मुद्दा जरूर इसमें कुछ अछूता रह गया है, इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट में व्यापार, उद्योग किस तरह राजस्थान में डवलप हो। हमारे जो नेबर्स स्टेट्स हैं पंजाब, यू. पी., एम. पी., गुजरात में जिस तरह टैक्सेशन्स में रिलीफ की जा रही है, ऑक्ट्राय खतम कर दी गयी, सेल्स टैक्स को अबोलिश कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा डिफरेन्ट् रेट्स में है, मैं निवेदन करूंगा मुख्य मंत्री महोदय से कि उस पर विचार करें। यहां का व्यापार समृद्ध हो, ट्रेड और इण्डस्ट्री डवलप हो उसमें इन सब स्टेट्स के साथ में अपनी रेवेन्यू को और अपने टैक्सेशन्स को नियर अबाउट करने का प्रयत्न करें ताकि रेवेन्यू लॉस न हो। अपनी स्टेट के उसने चार-पांच नाके हैं, निम्बाहेड़ा ले लीजिये, शाहजहांपुर ले लीजिये, रतनपुर ले लीजिये वहां से बिना किसी टैक्सेशन के स्टेट में गुडस इम्पोर्ट होता है और करोड़ों रुपये का लॉस रेवेन्यू के रूप में स्टेट को हो रहा है। थोड़ा लिबरलाइजेशन करके हमारे यहां के व्यापारियों को सुविधाऐ प्रदान करके, इण्डस्ट्रीज को सुविधाऐं टैक्सेशन्स के रूप में प्रदान करके नेबर्स स्टेट्स के इक्वीलेंट अगर टैक्सेशन की पालिसी बनायी जाये तो राजस्थान इस मामले में भी काफी उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। इण्डस्ट्रीज को भी सुविधाओं की काफी आवश्यकता है। राज्य सरकार बहुत प्रयत्नशील है और लगी हुई है कि बाहर से इण्डस्ट्रीज यहां लगें। उनको समुचित सुविधाऐं दी जा रही हैं परन्तु थोड़ी बहुत कमी के कारण कुछ चक्कर आफिसेज में

(श्री जगदीश चन्द्र दरक)

लगाने की तकलीफ होती हैं उसको दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा।

इसी के साथ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का बहुत-बहुत अभिनन्दन करता हूं और इसे सुन्दर रूप में प्रस्तुत किया है इसके लिये राज्यपाल महोदय को धन्यवाद प्रस्तुत करता हूं।

धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा माया राम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बारे में मैं धन्यवाद प्रस्तुत करती हूं किन्तु इसके साथ-साथ उन्होंने जो यहां अभिभाषण दिया है उसमें कुछ कमियां रह गयी हैं, उनके बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं।

राज्यपाल महोदय ने यहां कहा है कि हस्त कलाओं को वह बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं और राजस्थान में लघु उद्योग और छोटे-छोटे उद्योगों के लिये भी साधन जुटाना चाहते हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय के द्वारा राज्य सरकार तक यह बात पहुंचाना चाहती हूं कि सांगानेर और बगरू दोनों ही क्षेत्रों में जो छपाई का काम होता है वह आज देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत मान्यता प्राप्त है। बहुत ज्यादा यहां से निर्यात होता है। इसी प्रकार हमारे सांगानेर में कागज का काम होता है वह भी छोटे उद्योग में ही आता है बल्कि हाथ से बनाया जाता है तो हाथ का बना हुआ कागज ही कहलाता है। उसका भी बहुत निर्यात होता है। इसी प्रकार और भी छोटी-छोटी चीजें हैं जो इस क्षेत्र में बनायी जाती हैं। सांगानेर क्षेत्र सिर्फ जयपुर से दस किलोमीटर पर ही है।

हमारे नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री महोदय पिछले तीन साल रहे जब भी और अब भी बराबर यह घोषणा करते रहते हैं कि वह जयपुर का बहुत सौन्दर्यीकरण कर रहे हैं, सुन्दर बनाने के लिये बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे खेद इस बात का है कि जयपुर को सुन्दर बनाने वाले हमारे मंत्री और मुख्य मंत्री जी दस किलोमीटर पर छोटा-सा सांगानेर कस्बा है उसकी सड़ी गली गलियों में जाकर नहीं देख पाये। वहां इतना बड़ा व्यापार होता है, कितने बाहर के लोग वहां पर आते हैं, कितने विदेशी वहां पर चीजें खरीदने के लिये आते हैं। इन कागजी मौहल्लों में कितनी सडांध है, कितना पानी सड़ रहा है। ना वहां सड़कें बनायी गयीं, ना गलियां बनायी गयीं, ना नलियां बनायी गयीं। सभी लोग जानते हैं कि कागज के काम के लिये भी पानी का ही उपयोग होता है और छपाई के लिये भी पानी का ही उपयोग होता है किन्तु यह सब होने बावजूद....

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : अभी ही 25 लाख की सड़कें सैंक्शन की हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अभी जो आपने सड़कें सैंक्शन की हैं उससे पहले मैं

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

राज्यपाल से 25 लाख की सैंक्शन करवा चुकी हूं। वह तो मैंने किया। वह सडकें भी शुरू हो चुकी हैं। वह सड़कें वहां पर....

श्री भंवरलाल शर्मा : वह 25 लाख रुपये कहां गये ?

श्रीमती इन्दिरा मायाराम :....बन रही हैं, शुरू भी हो गयी हैं। एक भाई यहां कह रहे थे, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी जब वह कह रहे थे कि चुनाव के बाद गांव में गये, मैं बता दूं, रमाकान्तजी साहब कह रहे थे कि चुनाव के बाद गांव में गये तो उनको बड़ी खुशी हुई कि वहां सड़कें जोरों से बन रही हैं। वह तो आई. ए. एस. आफिसर रह चुके हैं। एक महीने में जादू की छड़ी से सड़कें नहीं बन रही हैं। वह राज्यपाल के वक्त में जो सड़कें मंजूर हुई थीं वही सड़कें आजकल बन रही हैं। वही सड़कें सांगानेर में और बगरू में भी बन रही हैं। मैं सिर्फ जानकारी यह देना चाहती हूं कि पिछले पांच साल से आप सब लोगों को मालूम है कि कितना व्यापार वहां से हो रहा है। जिस कागज में रेशमी धागे पड़ते हैं वह कागज आपके घरों में, सब जगह शादी के काम में निमन्त्रण पत्र छपाने के काम में आता है। यह तो नहीं है कि इसकी जानकारी किसी को नहीं हो। यह सब जानकारी होते हुए भी किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जो पानी इन मौहल्लों में भर जाता है उसका क्या निकास है ? मेरा निवेदन यह है कि यह तो मैंने आपको छोटी-सी बात बतायी है। इस प्रकार के जो उद्योग हैं, हमारे प्रदेश में विदेशी लोग आकर देखते हैं, हैं, उस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिये। बड़ी-बड़ी योजनाएं, परियोजनाएं हमारे मुख्य मंत्री जी ने बतायी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में किन्तु यह छोटी-छोटी बातें हैं उनके बारे में चर्चा की जाती तो अच्छा रहता।

हमारे यहां हाथ से गलीचे बनाये जाते हैं। हमारी जो बहिनें चूंदडी का काम करती हैं, हमारी जो बहिनें लाख का काम करती हैं। उन बहिनों के लिये योजना के बारे में कुछ बताया जाता तो बड़ा अच्छा होता। उन्होंने कहा, हम बहिनों पर बड़ा ध्यान दे रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूं कि उन बहिनों पर ध्यान दे रहे हैं, उनके लिये क्या योजना बना रहे हैं, अगर मुख्य मंत्री जी और मंत्री महोदय सिर्फ इतना ही कर दें कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा या जो भी इन महिलाओं के लिये योजनाएं चल रही हैं, पोषाहार कार्यक्रम हो या दूसरे कोई कार्यक्रम हों तो उनका संकलन करके कुछ प्रतियां छपवा करके विधायकगण को एक-एक प्रति दे दी जाये तो शायद हम भी अपने क्षेत्रों में इन बहिनों के लिये जो आप योजनाएं चला रहे हैं उनका उपयोग कर सकेंगे।

मैं आपसे यह कहना चाह रही थी कि इस प्रकार के जो उद्योग चल रहे हैं, चाहे मैंने अपने छोटे से क्षेत्र के बारे में आपसे कहा, चाहे उदयपुर में लकड़ी का उद्योग है, चाहे बांसवाड़ा में लकड़ी में काम किया जाता है उसका उद्योग है, इस प्रकार के जो छोटे-छोटे उद्योग चल रहे हैं उनके लिये कुछ योजना बनायी जानी चाहिये।

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

यह तो अभी किसी ने कहा कि गंगानगर में जमीन बेचने पर, रजिस्ट्री पर पाबन्दी लगायी। क्यों लगायी यह नहीं जाना ? - क्योंकि वहां के गरीब किसान अपनी जमीन बेच देते हैं और पैसे वाले खरीद लेते हैं इसलिये रजिस्ट्री पर पाबन्दी लगी। मेरे को यही तकलीफ है कि हमारे सांगानेर में जो छपाई का काम करने वाले लोग हैं उनको वित्तीय मदद नहीं होने के कारण कभी फर्रुखाबाद से, कभी बम्बई से, बाहर से छपाई का बड़ा-बड़ा धन्धा और इण्डस्ट्री लगाने के लिये लोग आ रहे हैं। वहां के हमारे गरीब हैं छपाई करने वाले या कागज का काम करने वाले, उन लोगों को हम वित्तीय सहायता दिला सकें तो वह भी अपना काम यहां बढ़ा सकें। मुझे बगरू में यह बात जानकर बड़ी खुशी हुई, मैंने उनसे पूछा, मेरे साथ कोई दिल्ली से आये थे उन्होंने पूछा कि भाई - यह तुम्हारा छपाई का काम कब से चलता है ? उन्होंने कहा कि साहब, यह तो जयपुर से भी पुराना है बगरू। बगरू 450 वर्ष पुराना स्थान है और जब से यह बगरू बसा है तब से यह छपाई का काम चलता है और तब से ही यह धन्धा हमारा चला आ रहा है।

जो इतना पुराना धन्धा चला आ रहा है उनको हम किस प्रकार की मदद दे सकते हैं, टेक्निकल मदद दे सकते हैं, उनको हम वित्तीय मदद दे सकते हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। उनके यहां सफाई, सड़कें बनाने के लिये जो भी मदद हो वह भी हमें करनी चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, आपने घण्टी बजायी, माफ करें मैं पहली बार खड़ी हुई हूं, अगर मुझे आप दो मिनट और दें तो मैं बहुत आवश्यक बातें मेरे यहां के बारे में हैं वह इन दो मिनट में कह सकती हूं।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट और बोल लीजिए।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : एक बात तो मैं यह कहना चाहती हूं, कि पेयजल के बारे में यह कहा गया है कि आप बहुत जल्दी पेयजल की समस्या दूर करेंगे। लेकिन उसमें यह नहीं कहा गया है कि पेयजल की समस्या कितने दिन में दूर करेंगे। क्योंकि जो आज प्यासे मर रहे हैं, गांव-गांव में हैण्डपम्प खराब हैं, जैसे हमारे सब भाई बोल रहे हैं, मैं अपने चुनाव क्षेत्र में गयी थी तो मैंने उनसे कहा था कि मैं 15 दिन में ठीक करवा दूंगी लेकिन आज मुझे एक महीना हो गया, मेरी कोई सुनता ही नहीं, मैं कह-कह कर थक गयी। मैंने मंत्री महोदय से भी कहा जो अनुसूचित जाति के मोहल्ले हैं, जनजाति के मोहल्ले हैं उनमें एक-एक हैण्डपम्प है और वह भी खराब पड़ा है। मैं बी. डी. ओ. से बात करती हूं तो वह कहते हैं, साहब बड़ी मेजर टेक्निकल डिफिकल्टी है इसलिए हम इसको ठीक नहीं कह सकते। इंजीनियर साहब को कहते हैं तो वे कहते हैं, यह फैसला ही नहीं हुआ कि यह कौन करेगा, हम करेंगे कि बी. डी. ओ. करेंगे ? तो मेहरबानी करके यह पेयजल समस्या ऐसी नहीं है कि इसको बड़ी योजना बना करके

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

ठीक किया जाय। बड़ी-बड़ी योजनाएं आप बाद में बना लें पर कम से कम जो हैण्ड पम्प खराब पड़े हैं उनको ठीक करने की योजना तो 15 दिन या महीने भर में बना कर आप असेम्बली में हमें बतायेंगे तो हम आपके बहुत आभारी होंगे।

दूसरी समस्या बिजली की है। बिजली की आपने बहुत बड़ी-बड़ी इसमें योजनाएं बतायीं। हम बहुत आभारी हैं कि आंकड़ों में हमें बहुत अच्छी तरह से आपने फंसाया है पर मैं एक बात जानना चाहती हूं कि हम सर्दी में हीटर जलाकर सोते हैं और वह किसान रात को कम्बल ओढ़कर खड़ा रहता है, क्या हम उसको दिन में बिजली नहीं दे सकते ? फैक्ट्रियों में तो अन्दर काम होता है, वहां तो रात को बिजली दे सकते हैं पर किसान बाहर एक घण्टा बिजली आयेगी इसलिए ओढ़ कर बैठा रहेगा। सोयेगा नहीं इसलिए कि बिजली आये और कहीं नींद नहीं आ जाये। तो क्या हम रात की जगह उसको दिन में बिजली नहीं दे सकते ? एक महीने की बात है, उसको दो पानी या तीन पानी मिल जायेगा तो वह तो अन्नदाता है। हम सब का और हमारे प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का पेट भर जायेगा। इसलिए मेरा आप से निवेदन सिर्फ यही है कि इस योजना को भी आप बड़ी योजनाओं में शामिल न करके किसान को जितना जल्दी हो सके बिजली दिलवाने की कृपा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, बस एक ही बात और कहनी है मुझे कि गोनेर में हमारे यहां एक मंदिर है वहां सड़क तो आप बनाइये। बहुत बुरी हालत है सड़कों की वहां पर। कहां सड़कें हैं ही नहीं और हमारी बहिनों को परेशानी होती है सड़कें नहीं होने से। न वहां पर कोई डिस्पेन्सरी है, न वहां पर कोई जच्चा खाना है। ऐसी जगहों पर जब महिलाओं को लाते हैं तो बहुत-सी रास्ते में मर भी जाती हैं। तो वहां जच्चाखाना होना चाहिये। यह अलग बात है गोनेर में हो करके आपने सड़क बना रखी है। वह बाइपास गोनेर से बाहर करें क्योंकि हर महीने एकाध बच्चा, एकाध आदमी वहां कुचल जाता है। वहां लाखों-करोड़ों लोग यात्रा करने के लिए जाते है और उसी बाइबास से ट्रक आते हैं। तो यह तो बहुत छोटा-सा काम है। मैं इतना ही निवेदन करूंगी कि इसको तो आप शीघ्रातिशीघ्र करायें। यह आपके विकास के काम में भी शामिल हो जायेगा।

आपकी बहुत कृपा, आपने मुझे समय दिया। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री गोपीचन्द जी।

श्री गोपीचन्द (नगर) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्र दुःख भागभवेत्।

नव वर्ष की शुभ बेला पर सभी नव-निर्वाचित माननीय सदस्य बन्धुओं का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। साथ ही, प्रतिपक्ष से ऐसी आशा और अनुरोध करता हूं कि हम लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के हित में सोच बनाकर मुद्दों

(श्री गोपीचन्द)

के आधार पर यदि विरोध करें तो हमारे विरोध का बहुत बड़ा महत्व और औचित्य होगा। 28 तारीख को जिस दिन विधान सभा में मुझे पहली बार आने का मौका मिला, जो दृश्य मैं अपनी विधान सभा में देख रहा हूं, आप सब के आगे मैं एक अदना और छोटा-सा कार्यकर्ता हूं लेकिन जिस सोच के साथ में अपने भावों को प्रतिपक्ष के लोग रख रहे हैं उससे ऐसा प्रदर्शित हो रहा है कि हमारा विचार किसी रीति-नीति के हिसाब पर विरोध करने का नहीं, केवल विरोध के नाम पर विरोध करने का है। सोने को मिट्टी कहने की कसम खा रखी है वही सोच उन लोगों की है····(व्यवधान)····जहां कहीं भी कोई बात कही हम पर आरोप तो लगाने की कोशिश की लेकिन यह कहीं प्रयास नहीं किया कि हमें कहीं कोई दिशा देते। आप हमें गलत बता रहे हैं तो कोई सही रास्ता दिखा कर हमें बताते तो हम आपका आभार प्रकट करते, हमें आप अच्छे लगते विरोध प्रदर्शित करते हुए। आरोप लगाने के अलावा दिशा देने का कोई कार्य करते। हम को यह सोच लेना चाहिये ········ (व्यवधान)···माननीय सदस्य बन्धुओं मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब कोई आपका छोटा-सा, अदना सा सदस्य अपनी बात कहे तो बीच में अपनी बात नहीं कहें···

श्री अध्यक्ष : माननीय गोपीचन्द जी, सदस्य बन्धुओं को मत बोलिये, अध्यक्ष जी को बोलिये। यह पब्लिक मीटिंग नहीं है।

श्री गोपीचन्द : सॉरी-सॉरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने सदस्य बन्धुओं से निवेदन कर रहा हूं····

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, आप प्रिजम्पशन कर लें कि आपके माध्यम से कर रहे हैं माननीय सदस्य।

श्री गोपीचन्द : हां, कोई बात नहीं, पहली बार मेरा बोलना हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था यहां पर उपस्थित सभी सदस्य बन्धुओं को कि हमारा प्रथम सोच यह होना चाहिए कि पहले राजस्थान के हित को महत्व हमें देना है उसके बाद हमें अपनी दलगत राजनीति की पहचान के बारे में सोच रखना चाहिए। पहले हम राजस्थान के निवासी हैं, पहले राजस्थान का हित हमारे लिए महत्व रखता है उसके बाद हमारी राजनीतिक पार्टी के नाम से पहचान होनी चाहिये। जहां मैं अपनी प्रतिपक्ष से यह अपेक्षा रखता हूं कि वह दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करेंगे। वहीं मैं अपने सदन के नेता से भी यह आशा रखता हूं कि वह भी इस सदन के अन्दर ऐतिहासिक परिवर्तन करके दिखायेंगे, ऐतिहासिक कदम उठायेंगे जिससे राजस्थान की जनता के आगे हम गर्व के साथ यह कह सकें कि हमने राजस्थान के अन्दर अपना एक नया इतिहास, नया

(श्री गोपीचन्द)

अध्याय प्रजातन्त्र के इतिहास में जोड़ करके दिखाया।

यहां पर मेरे साथी, भाई जुबेर खानजी ने अपनी बात कही बड़े जोश-खरोश से। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उन्होंने पटवारी से लेकर तहसीलदार, एस. पी. और कलक्टर तक के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की कोशिश की। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में जब हम लोग चुनकर के आ जाते हैं तो मशीनरी का और जन-प्रतिनिधि का साझा दायित्व होता है और इस स्थान पर आकर हम एक पटवारी पर आरोप लगायें, एक तृतीय श्रेणी के कर्मचारी पर आरोप लगायें इससे ऐसा लगता है कि हम अपने पद की गरिमा को बौना कर रहे हैं। बड़े साफ तरीके से, जब मैं पंचायत समिति में सरपंच था, अध्यक्ष महोदय, उस समय हम लोग कहा करते थे पंचायत समिति के सदन में कि यदि पंचायत के अन्दर कोई पटवारी रिश्वत लेता है, अध्यक्ष महोदय, उस समय भी हम कहा करते थे और आज भी हम कहते हैं कि यदि विधान सभा क्षेत्र में कोई भी अधिकारी कहीं रिश्वत लेता है तो उस क्षेत्र का विधायक अपने आप को उससे अछूता नहीं कह सकता। 45 साल के अन्दर जो संस्कार आप लोगों ने डाले हैं, आप ढाई साल के अन्दर या तीन साल के अन्दर या पांच साल के अन्दर हमसे उन संस्कारों को समाप्त करना चाहते हैं......(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : मेडन स्पीच है, बोलने दीजिये।

श्री हरिसिंह : नहीं, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, माननीय सदस्य के लिए। अभी सदन को यह सूचना आपके माध्यम से नहीं मिली है कि सदन के नेता बदल गये हैं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा, बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : आपको यह सुन्दर नहीं लगे क्या ?....(व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : अदला-बदली आपके ही होती रहती है, हमारे नहीं होती।

श्री गोपीचन्द : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे संगठन के अन्दर ऐसी परिपाटी नहीं है कि हम मुख्य मंत्री बनाने के लिए कोई और नेता रखते हैं, प्रतिपक्ष में बैठाने के लिए कोई और नेता रखते हैं और शायद मैदान के अन्दर उतरने के लिए आपको तीसरा नेता चुनने की आवश्यकता महसूस हुई है। जो हमारे दल और राजनीतिक संगठन की गरिमा है और मर्यादा है वह मर्यादा सिद्धान्त पर चलनी चाहिये। सुबह से शाम नेता बदलने की मर्यादा आप ही लोगों ने, अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के लोगों ने कायम की है। इस तरह की बात कह करके अपनी याद को ताजा करने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री गोपीचन्द)

प्रत्येक सदस्य बन्धु द्वारा 6 दिसम्बर के प्रकरण को उठाने का प्रयास किया गया है लेकिन मैं आप लोगों से माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर का प्रकरण सन् 1949 से लेकर के और सन् 1992 तक के इतिहास को उठाकर देखिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रतिपक्ष दल ने उस मुद्दे को, उस अयोध्या के राम मन्दिर को वोट बैंक का रास्ता बनाया था। उस बाबरी मस्जिद के नाम सारे देश के मुसलमान बन्धुओं को बावरा बनाने की कोशिश की थी। हम लोगों ने और इस देश की जनता ने उस मुद्दे को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। प्रतिपक्ष को इस बात की चिन्ता है कि उस पर राम का मन्दिर बने या मस्जिद, चिन्ता इस बात की है कि बाबरी मस्जिद का मुद्दा समाप्त हो गया, मैं इस देश के मुसलमान नादान बन्धुओं को किस बात के ऊपर पागल बनाऊंगा। वह मूल मुद्दा समाप्त हो गया। बिलख-बिलख करके उस बात को बार-बार कहने की आवश्यकता महसूस करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने मूल मुद्दों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। राजस्थान के अन्दर ···

श्री अध्यक्ष : अब आपका टाइम हो गया है।

श्री गोपीचन्द : राजस्थान के अन्दर जो राष्ट्रपति शासन कायम किया गया उस राष्ट्रपति शासन के दौरान किस तरीके से सरकार का दुरुपयोग किया गया और राष्ट्रपति शासन के दौरान राजस्थान के इतिहास में होशिंगा काण्ड जैसा गो-हत्या काण्ड हुआ। राजस्थान के आज तक के इतिहास में ढाई सौ और तीन सौ गायों की सामूहिक रूप से हत्या नहीं की गयी।

जहां तक मेवात विकास बोर्ड के निर्माण की बात है उसके माध्यम से विकास का पैसा मिले, क्षेत्र का विकास हो। उसके साथ-साथ मैं इस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस दुनिया के अन्दर सबसे पवित्र स्थल कोई माना गया है तो वह बृजस्थल माना गया है जो भरतपुर जिले के डीग उपखण्ड के अन्दर कामवन के नाम से जाना जाता है। इतिहास और पुरातत्व विभाग में इस बात का प्रमाण है कि वह कामवन आज भी वृन्दावन के नाम से जाना जाता है। आज भी 84 कोस की परिक्रमा के नाम से डीग उपखण्ड में देश-विदेश के यात्री यात्रा करने के लिये आ रहे हैं। तो उस बृज क्षेत्र का विकास करने के लिये एक बृज विकास बोर्ड का भी निर्माण होना चाहिये। मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि मेवात विकास बोर्ड का निर्माण किया जाय लेकिन बृज क्षेत्र के अन्दर बृज-वासियों की उपेक्षा नहीं की जाये। ऐसा नहीं हो कि अपनी उपेक्षा को महसूस कर बृजवासियों को कुछ और सोचना पड़े।

हरिजन और जाटव वर्ग के बारे में हमारी पार्टी के ऊपर अंगुली उठाने की, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के बन्धुओं ने चेष्टा की है। मैं दावे के साथ कहता हूं, संविधान के अन्दर जो आरक्षण की

(श्री गोपीचन्द)

व्यवस्था करने का सवाल है उसको भुनाने का प्रयास किया गया। यह अम्बेडकर की देन रही। हरिजन और जाटव समाज के लिए उस संविधान में आरक्षण के अलावा समाज के दिलों में आरक्षण की आवश्यकता है, इज्जत और सम्मान की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने हरिजन और जाटव को समाज के दिलों के अन्दर आरक्षण दिया, इज्जत और सम्मान दिया उसका परिणाम है कि 57 में से 33 सीटों पर जीत करके आये और आज राजस्थान का हरिजन, राजस्थान का जाटव, राजस्थान का कोली भारतीय जनता पार्टी के पास में है। वह इस बात को समझ गया कि 45 साल में प्रतिपक्ष के बन्धु मुसलमान भाइयों को, हरिजन और जाटव भाइयों को बेवकूफ बना करके, वोट बैंक बना करके इनका दुरुपयोग कर रहे थे। आज इस देश का मुसलमान भाई भी समझने की कोशिश कर रहा है और आज इस देश का हरिजन और जाटव भाई भी कोशिश कर रहा है और आपके धोखे और भुलावे में आने वाला नहीं है। इसलिए इस गलत-फहमी को निकाल दें कि हम इस देश को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम हम नहीं करते? 45 साल में कांग्रेस ने इस देश को तोड़ने का काम किया, जोड़ने का काम नहीं किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

भारतीय राजनीति के अन्दर कोई राजनीतिक पार्टी यदि जोड़ने का काम कर रही है तो वह भारतीय जनता पार्टी है जो देश और समाज को जोड़ने का काम कर रही है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो आपने मुझे जो समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, चाहे बाद में दिया लेकिन समय तो दिया आपने मुझे।

श्री अध्यक्ष : आप सदन पर दया करना।

श्री रामस्वरूप मीणा : आपकी दया चाहिए, सदन की तो अपने आप ही दया हो जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय राज्यपाल महोदय ने जो यहां अभिभाषण के लिए पधारे थे, जो कष्ट उन्होंने उठाया था उस कष्ट के लिए तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं लेकिन इस पीले रंग की किताब से जो कुछ पढ़कर सुनाया था, पति पत्र बोल दो, चाहे कुछ भी बोल दो, मुख्य मंत्रीजी ने जो कुछ कह दिया उसको लिख लिया गया और उसको पढ़ कर सुना गये उससे मैं सहमत नहीं हूं।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, किन परिस्थितियों में दुबारा चुनाव हुए थे, क्या जरूरत थी राजस्थान की जनता के सामने हमें दुबारा जाना पड़ा ढाई साल के अन्दर इसके लिए कौन दोषी है ? इसके लिए वह तत्कालीन सरकार थी जिसने लोगों के साथ अत्याचार किये थे और जिसने धर्म की आड़ लेकर, धर्म के नाम पर निर्दोष लोगों की हत्याएं की थीं। मुझे याद है जयपुर का वह दिन जिस समय यहां साम्प्रदायिक दंगे हुए थे और मेरे टोडाभीम के चार मुसलमान भाई जिनको मारुति कार के अन्दर जला दिया गया था पैट्रोल डाल करके। वह किसकी सरकार में हुआ था ? राजस्थान में पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने जिस पचायती राज की स्थापना की थी उस पंचायती राज को किसने भंग किया था ? सरपंचों को, प्रमुखों को, प्रधानों को किसने हटाया था ? क्या कारण था उसके पीछे ? तो इस प्रकार जिन्होंने जनतंत्र की हत्या की हो, जिन्होंने जनतंत्र का गला घोटा हो, हमारी सरकार ने उस समय देश में उन सरकारों को भंग कर दिया तो इसमें कोई बुरा काम नहीं किया। जिन लोगों ने दूसरों के साथ अत्याचार किया, जिन्होंने पंचायतों को भंग किया उनकी सरकारें भंग हो गयीं तो कोई बुरा काम नहीं हुआ। यह तो बहुत अच्छा हुआ था उस समय। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे, बहुत जोर-जोर से भाषण कर रहे थे कि उस सरकार के साथ बहुत बुरा किया, एक साल तक चुनाव नहीं कराये। मैं पूछना चाहता हूं, आपने पंचायतों के इतने दिन हो गये आज तक चुनाव क्यों नहीं कराये ? क्या कारण है इसके पीछे ? कौन-सी सरकार थी उस समय ? आपने ऐसे लोगों को वहां सचिव बनाकर बैठा रखा है जो लोग कल सरपंचों के अधीन थे....(व्यवधान)

आप सुनने की क्षमता रखें कृपया। जो लोग कल उनके सचिव थे, जो उनके हुक्म में रहते थे आज उनको मालिक बना करके बैठा दिया। जो लोग आठवीं पास हैं, दसवीं भी जिन्होंने पास नहीं की ऐसे लोग सरपंच बन कर बैठे हैं और आज एक प्रमाण पत्र लेने के लिए हमें बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। इन सबकी दोषी तत्कालीन सरकार थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज मुख्य मंत्री हैं वे उस समय मुख्य मंत्री थे, सवाई माधोपुर में पधारे थे चुनाव के समय में, जब सवाई माधोपुर गये थे तो लोगों से उन्होंने कहा था हमारी सीमेन्ट फैक्ट्री के बारे में। सवाईमाधोपुर की सीमेन्ट फैक्ट्री जो इतने वर्षों से बन्द पड़ी हुई है। पांच हजार से ज्यादा मजदूर भूखे-प्यासे मर रहे हैं। आज तक उनको तनख्वाह नहीं दी गयी है। उनके बिजली के कनेक्शन काट दिये, नल उनके काट दिये। ऐसे दुःखी लोगों से जब राय की तो उन्होंने उस समय घोषणा की थी चुनाव के अन्दर कि आप कांग्रेस का धुआं निकाल दो, मैं आपकी फैक्ट्री से धुआं निकाल दूंगा। सरेआम उन्होंने घोषणा की थी इस बात की और उसके बाद में वहाँ के लोगों ने उनकी बात को माना और उन्होंने कांग्रेस का धुआं निकाल दिया। एक बार नहीं

(श्री रामस्वरूप मीणा)

दो-दो बार कांग्रेस का धुआं निकाल दिया लेकिन आज तक फैक्ट्री से धुआं नहीं निकला। अध्यक्ष महोदय, दो-दो बार धुआं निकाल दिया उन लोगों ने लेकिन आज तक उस फैक्ट्री को चालू नहीं किया। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आज आप फैक्ट्री में नौकर होते तो आपको पता चलता, आपके मासूम बच्चे जब भूखे मरते। पांच-पांच, दस-दस साल से उनको तनख्वाह नहीं मिली हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है और आप उस बात का मखौल उड़ा रहे हैं। हमारे राजस्थान का मुख्य मंत्री कहीं जा करके घोषणा करे और मुख्य मंत्री की घोषणा असत्य निकल जाय। पिछली बार भी सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि मैं सीमेन्ट फैक्ट्री को जरूर चलाऊंगा। कहां गयी वह सारी की सारी घोषणाएं? आप बनते हो राजपूत, कहते हो हम वचन के पक्के हैं, जो कुछ भी कह दें वह सत्य होता है, शास्त्र का प्रमाण देते हो आप कि "रघुकुल रीत सदा चली आयी प्राण जाय पर वचन न जाई।" राजस्थान के सदन के अन्दर राजस्थान का मुख्य मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने बोले और वह भी असत्य बोल दे इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा। असत्य बराबर पाप नहीं। असत्य के बराबर कोई पाप नहीं है इस दुनिया के अन्दर। यह रिकार्ड पर है, यहां पर आपने जो कुछ भी कहा है, सीमेण्ट फैक्ट्री को मैं चला दूंगा लेकिन, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक सीमेण्ट फैक्ट्री नहीं चली है। सबसे बड़ी असत्य बात यह हुई है।

अभिभाषण के अन्दर उद्योगों का जिक्र किया गया है लेकिन ऐसे उद्योगों का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है जो उद्योग इतने वर्षों से बन्द पड़े हुए हैं। उनमें लोग काम करते थे जो आज प्यासे-भूखे मर रहे हैं। उनके बारे में कहीं एक शब्द भी नहीं कहा गया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला मेरा निवेदन है। दूसरा, मैं एक किसान होने के नाते निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों ने हमको यहां पर जिता कर भेजा है, किसानों की समस्याओं को यहां पर रखने के लिए हमें भेजा गया है। माननीय महावीरजी अभी मजाक कर रहे थे और हमारे सराफ साहब भी मजाक कर रहे थे। मैं कहता हूं यह किसानों के बारे में क्या समझें? किसान रात में सर्दी के अन्दर खड़े रह कर पानी और बिजली को काम में ले रहा है और वह बिजली भी लगातार किसानों को नहीं मिल रही है। केवल किसानों को चार-चार घण्टे....

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा): किसान आप कहते हो फिर बता दो तारामीरा का बीज कितना पड़ता है एक बीघा में?

श्री रामस्वरूप मीणा: माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों को रात में बिजली मिल रही है सर्दी में। हम रात भर रजाई के अन्दर सोते रहते हैं और किसान पानी में खड़ा रहता है और पाला उसके ऊपर पड़ता रहता है। बिजली भी रात में दो-दो घण्टे गायब हो जाती हैं और फिर कोई पता नहीं कि कितनी देर में आयेगी। वह किसान

(श्री रामस्वरूप मीणा)

इन्तजार करता रहता है। इन्तजार की घड़ियां कितनी कठिन होती हैं यह वही जानता है। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे राज्यपाल महोदय ने इसमें जो बातें कही हैं वह बातें बहुत लम्बे समय की हैं, तत्काल इस बात का निदान किया जाये। मेरे जिले सवाई-माधोपुर के अन्दर विशेष तौर से मेरे विधान सभा क्षेत्र टोड़ाभीम के अन्दर बिजली 4–5 घण्टे से ज्यादा नहीं आ रही हैं। उस बिजली को रेगूलर कराया जाये और किसानों को दिन के अन्दर बिजली दिलायी जाये।

तीसरी समस्या जो हमारे सामने सबसे बड़ी है, जिसका इसमें उल्लेख नहीं किया गया है, वह है पानी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय यहां विराज-मान हैं जो बातों में व्यस्त हैं, मैं उनसे पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की हमारे यहां भयंकर समस्या पैदा हो गयी है। आप नयी योजना को हमको मत दीजिये लेकिन पुरानी जो योजनाएं हैं जो आपने मंजूर कर रखी हैं, उन्हें पूरा करें। एक टंकी बनी हुए मेरे यहां दस साल हो गये केमरी के अन्दर दस साल से आपने सबसे विशाल टंकी वहां पर खड़ी कर रखी है, कितना लाख रुपया उस टंकी के अन्दर लगा होगा, बोरिंग भी आपने वहां करा दिया लेकिन आज तक उस टंकी में एक बूंद भी पानी, माननीय मंत्री महोदय, नहीं गया है। इसका क्या कारण है? इतना भारी जब पैसा खर्च हो गया तो पानी तो कम से कम टंकी में जाना चाहिये। पैसा खर्च हो गया, सब कुछ हो गया परन्तु पानी आज तक टंकी में दस साल से नहीं गया। इसलिए मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या पानी की है। वह इस वजह से कि जो व्यवस्थाएं आपने कर रखी हैं वह व्यवस्थाएं चालू हालत में नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपने जो बोरिंग पास किये थे, जो ट्यूब वैल पास किये थे, जो योजनाएं पास की थीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक एक का भी काम चालू नहीं हुआ और न ही किसानों ने या गांव वालों ने, किसी भी प्यासे ने आज तक एक में से भी पानी पीया। मेरा तो आपसे यह निवेदन है कि जो योजना मंजूर की है आप कम काम कीजिये लेकिन उसको पूर्ण करके छोड़िये। अधूरे काम हुए हैं उनमें सारा पैसा सरकार का लगा है, लाभ किसी प्रकार का आज तक किसी को नहीं मिल रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि इस बात को भी माननीय मंत्री महोदय ध्यान देकर सुनेंगे और इस बात का जवाब देंगे। अब जो योजनाएं आपने मंजूर कर दीं और जिनको बने हुए कम से कम तीन-तीन साल हो गये।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

उनका काम तो कम से कम चालू कराया जाय, पानी किसानों को दिलाया जाय।

(१५५)

(श्री रामस्वरूप मीणा)

तीसरा, मेरा निवेदन है सड़कों के बारे। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में....

श्री अध्यक्ष : यह तो चौथा निवेदन है आपका, तीसरा नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : तीसरा निवेदन है मेरा।

श्री अध्यक्ष : तीन तो हो गये पहले।

श्री रामस्वरूप मीणा : महिलाओं के लिए, पिछड़ी जातियों के लिये तो विशेष होना चाहिये। हम दोनों में ही रह गये पीछे। इसलिए मेरा निवेदन है सड़कों के बारे में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं वह अधूरी पड़ी हुई हैं। पुरानी सड़कें जितनी भी बनी हुई हैं उनमें किसी पर बस यात्रा आज तक नहीं हो पायी है। कोई एक किलोमीटर बन्द है, कोई आधा किलोमीटर बन्द है, कोई दो किलोमीटर बन्द है। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, सरकार का पूरा पैसा सड़कों में लग गया तो कम से कम अधूरी सड़कों का काम चालू कराया जाय और नयी सड़कों के जो प्रस्ताव विचाराधीन हैं उनको तुरन्त मंजूर करके गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाये ताकि गांवों का विकास इन सड़कों के साथ हो सके।

मेरा चौथा निवेदन यही है, जो भी बातें अब तक जितने भी हमारे बन्धुओं ने यहां पर रखी है, मैं उनको तो दोहराना नहीं चाहता लेकिन इतना निवेदन अवश्य कर देना चाहता हूं कि हम सबको मिल करके आज जो बिजली और पानी की विकट समस्या है उसके लिए एक राय होकर कहना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका भी क्षेत्र है आप भी इस बात मे बहुत दुःखी हैं, आप तो क्षेत्रों में पधारते रहते हैं; कम से कम मेरे जिले सवाईमाधोपुर में पधारें और माननीय मंत्री महोदय को भी साथ में लेकर आयें, वहां पर सबसे बड़ी समस्या है। मेरे यहां पाँचना बांध जो मेरे क्षेत्र के लिए बनाया गया था उससे मेरा पूरा माड़ क्षेत्र कवर होता था परन्तु उस पांचना बांध से आज तक मेरी नादौती तहसील में नहर का पानी नहीं दिया गया। 4 हजार बीघा जमीन मेरे क्षेत्र की बतलाते हुए उस बांध का निर्माण किया गया था लेकिन आज तक उस बांध का पानी मेरे क्षेत्र में बहुत कम आ पाया है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे यहां अच्छे-अच्छे अधिकारी महोदय आज बैठे हुए है। उस नहर योजना के अन्तर्गत वे अधिकारी महोदय आपसे सहयोग करने को तैयार हैं, आप अगर चाहें तो पांचना नहर से किसानों को पीने का पानी और सिंचाई, दोनों समस्या हल हो सकती हैं आज के दिन।....

श्री अध्यक्ष : श्री उगमराज मेहता।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पानी के अन्दर पार्टीबाजी को नहीं देखें। चाहे वह जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, सबको प्यास लगती है इसलिये आप समानता का व्यवहार रखते हुए पानी की व्यवस्था करें।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

अन्त में जो अभिभाषण माननीय राज्यपाल महोदय ने दिया था उसका मैं विरोध करता हूं और माननीय अध्यक्ष महोदय को मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य राजपालसिंह जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया, मैं उसका समर्थन करते हुए निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, 15 दिसम्बर को हमारी सरकार को बरखास्त किया गया था वह एक काला दिन था और इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाने वाला वह दिन था। अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमारे प्रतिपक्षी सदस्यों ने 6 दिसम्बर की घटना का उल्लेख किया, 6 दिसम्बर को मस्जिद नहीं गिरायी गयी थी, विवादित ढांचा गिराया गया था। उसको ले करके हमारे प्रधान मंत्री ने बार-बार रेडियो में आंसू बहाते हुए और टी. वी. में दिखाते हुए कहा + + + मेरी मस्जिद गिरा दी, भाजपा वालों ने यह कर दिया। बार-बार यह कह कर देश के अन्दर एक ऐसा वातावरण पैदा किया कांग्रेस वालों ने कि जगह-जगह दंगे हुए। राजस्थान में जयपुर में दगा हुआ। राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह शेखावत ने दो घण्टे में जो दंगा हुआ था उसको रोक दिया और कहीं एक जगह और दंगा हुआ उसको भी रोक दिया। गुजरात, महाराष्ट्र में इतने दंगे हुए वहां की सरकार को बरखास्त नहीं किया सिर्फ राजस्थान की सरकार को, मध्य प्रदेश की सरकार को और हिमाचल प्रदेश में कहीं दंगा नहीं हुआ उस सरकार को बरखास्त किया। यह केन्द्र सरकार ने एक घोर अन्याय किया।

मैं पेयजल की समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इसमें कहा गया है कि पेयजल की राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है। ब्यावर के अन्दर आज 6–6 दिन से पानी आ रहा है। हमारे माननीय मंत्री महोदय यहां विराजे हुए हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अभी 88 लाख रुपये की एक बड़ी पाइप लाइन ब्यावर में लगाने के लिये घोषणा की है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, 20 लाख रुपये उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ब्यावर की व्यवस्था सुधारने के लिए स्वीकृत किये हैं।

अकाल राहत के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा, मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, ब्यावर में औसतन बरसात 471 मिलीलीटर होती है और इस साल 222 मिलीलीटर वर्षा हुई है अजमेर के अन्दर ब्यावर में सबसे कम वर्षा हुई है। गत वर्ष से आधी वर्षा हुई है और भयंकर अकाल है मेरे क्षेत्र में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी अकाल राहत कार्य चालू किये जायें और चारे के डिपो जल्दी से जल्दी वहां खोले जायें। उस क्षेत्र में चारे की बहुत अव्यवस्था फैली हुई है। चारा मिल नहीं रहा है जानवरों के लिये।

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री उममराज मेहता)

सरकार प्रयत्नशील है परन्तु मैं मंत्री महोदय से भी आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि इसकी घोषणा जल्दी की जाये।

अध्यक्ष महोदय यहां पर भ्रष्टाचार की बात कही गयी। हमारे मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंहजी भ्रष्टाचार के ऊपर रोक लगाने के लिये प्रयत्नशील हैं। परन्तु आपको, अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इस 12 महीने के अन्दर, राज्यपाल के शासन के अन्दर जिस प्रकार से खनन के पट्टे दिये गये हैं, 8-9 खनन पट्टे राजसमंद के अन्दर दिये गये हैं कम से कम वह 9 करोड़ रुपये की जमीन होगी और कितने लेन देन से हुआ, इस प्रकार से वह किये गये हैं। तो मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करगा चाहूंगा इस प्रकार की जमीन का जो लेन-देन हुआ उसको निरस्त करे, सरकार वापस उसकी जांच कराये। पाली जिले के अन्दर रामगढ़ की फाइल केन्द्र के पास में दो साल से पेंडिंग हैं, अभी तक वह स्वीकृत नहीं हुई। अवैधानिक हो गये पर दो साल में वह फाइल स्वीकृत नहीं की गयी। मैं आपका ध्यान अजमेर जिले की ओर ले जाना चाहता हूं कि अजमेर शहर के अन्दर एक चिल्ला से है जो कायस्थों की भूमि कहलाती है वहां पर बंगाल मे आये हुए व्यक्ति बस गये हैं और उसका नामकरण भी उनके नाम से कर दिया गया। अभी तक घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाला गया है और उनके लिए व्यवस्था लंगरखाने से हो रही है। इसी प्रकार ब्यावर शहर के आस-पास भी बंगाल के लोग आकर के बस रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा राज्य सरकार को कि इसकी जांच करायी जाये और उनको यहां से विदाई दी जाये।

श्री किशनगोपाल कोगटा : बांग्लादेश से।

श्री उगमराज मेहता : तो बांग्लादेश से, बंगाली घुसपैठिये हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय अजमेर जिले की पेयजल समस्या के लिए मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक ही स्रोत है चम्बल। जिस प्रकार से यही चूरू ओर गंगानगर जिले के लिए वित्तीय सहायता से काम करने जा रहे हैं, मैं भी निवेदन करना चाहूंगा कि चम्बल का पानी नहर द्वारा अजमेर जिले की ओर लाया जाये ताकि अजमेर जिला हरा-भरा हो और आने वाले समय में रेगिस्तान होने से वह बचे ताकि आने वाली पीढ़ी भी यह महसूस करेगी कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जिसके मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत हैं, राज में यह चम्बल योजना बनी और यह अजमेर जिला हरा-भरा हुआ।

मैं इसी आशा के साथ माननीय राजपालसिंह जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज भाटी (अनुपस्थित) श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है और चर्चा में बार-

(श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी)

बार एक बात विपक्षी बन्धु द्वारा सामने आ रही है 6 दिसम्बर की घटना, ढांचे को ध्वस्त करने की घटना कि देश के माथे पर कलंक लग गया, शर्म से सिर झुक गया और भारतीय जनता पार्टी साम्प्रदायिकता फैला रही है, इसने साम्प्रदायिकता की दावाग्नि में पूरे देश को झोंक दिया। हजारों वर्षों से हमारे देश में जो हिन्दू समाज को अपमानित करने का प्रयत्न किया गया और देश के माथे पर जो कलंक लगा हुआ था वह 6 दिसम्बर को इस देश के माथे से कलंक का धब्बा मिटा और जिन्होंने कलंक का धब्बा मिटाया वह साधुवाद के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, साम्प्रदायिकता की बात आयी, दंगों की बात आयी। कांग्रेस के लोग साम्प्रदायिकता की राजनीति करते हैं। मैं जिस निर्वाचन क्षेत्र से आया हूं वह शिवचरण माथुर का निर्वाचन क्षेत्र भी रहा हे। याद करो पुराने दिनों को, इसी सदन में दीगोद के साम्प्रदायिक दंगों को लेकर काफी बहस हुई थीं। 67 दिन तक दीगोद के बाजार बद रहे थे। कांग्रेस के राज में जो साम्प्रदायिकता की दावाग्नि फैली उसके कारण आज भीलवाड़ा जिला संवेदनशील जिला घोषित है। भैरोंसिंह जो शेखावत के पूर्व शासन में वहां एक भी साम्प्रदायिक घटना नहीं हुई और आज दीगोद में हिन्दू और मुसलमान भाई भैरोंसिंह जी शेखावत का शासन आते ही वहां जो वातावरण बना और उनके साथ मिल बैठकर समस्याएं सुलझायीं उसके कारण से भाईचारे की भावना से रह रहे हैं। इस प्रकार कांग्रेस के लोग ही साम्प्रदायिकता फैलाते हैं और साम्प्रदायिकता की रोटी सेकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार की बात आयी। नीयत साफ हो तो भ्रष्टाचार भी समाप्त हो सकता है। हमारे यहां माइनिंग में प्रायोरिटी सिस्टम के द्वारा प्लाट आबंटन करने की एक प्रक्रिया थी जिसमें प्रभावशाली लोग जिनकी पहुंच होती थी कांग्रेस के नेताओं तक, जयपुर तक वह प्लाट आबंटन करा लेते थे। परन्तु जब माननीय शेखावत साहब पहली बार मुख्य मंत्री बने तो उस प्रक्रिया को बदलकर आम आदमी को फायदा देने के लिए उस प्रायोरिटी सिस्टम को खतम करके लाटरी सिस्टम किया जिससे हजारों गरीबों को, कांग्रेस की जो योजना थी, कांग्रेस की जो रीति-नीति थी उसके कारण से खनन के क्षेत्र में काम करने के अवसर नहीं मिलते थे उनको अवसर मिला और जो भ्रष्टाचार होता था नीचे से लेकर ऊपर तक जयपुर के गलियारे तक, सत्ता के गलियारे तक, वह भ्रष्टाचार समाप्त हुआ। इस प्रकार जो आरोप लगा रहे हैं तो एक ही उदाहरण मैं दूंगा, नियम 65 का उपयोग करके कांग्रेस के लोनों ने अपने चहेते लोगों को काफी फायदा दिया परन्तु भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नियम 65 का उपयोग नहीं हुआ।

घोषणाओं की बात हुई। अभी कह रहे थे, हमारे क्षेत्र में माननीय शिवचरण जी ने घोषणा की थी, डालडा फैक्ट्री लगाऊंगा....

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही): उनका तो नाम ही घोषणा मंत्री था।

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी : मेरे क्षेत्र के गांव सलावदिया में डालडा फैक्ट्री लगाने की घोषणा की, को-आपरेटिव सोसायटी बनी, लोगों से शेयर भी इकट्ठे किये गये परन्तु वह सोसायटी, वह डालडा फैक्ट्री कहां गयी, आज दिन तक पता नहीं चला।

बिजली की बात कर रहे थे। बन्धुओं, कांग्रेस के लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि जब खम्भे डालने से ही वोट मिल जाते हैं तो बिजली ज्यादा पैदा करने से क्या फायदा। मांग और आपूर्ति का सन्तुलन ध्यान में नहीं रखते हुए कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस का शासन करने वाले व्यक्तियों ने खम्भे लगा दिये इसीलिए आज यह समस्या इस प्रान्त में ज्वलन्त-रूप से खड़ी है। यदि पूर्व सरकारें इस ओर ध्यान देती तो आज यह दिक्कतें नहीं आतीं। माननीय शेखावत साहब के शासन में आते ही मांग व आपूर्ति में सामंजस्य बैठाकर चलने की प्रवृत्ति के कारण, चलने की कोशिश के कारण योजनाऐं बनीं परन्तु केन्द्र सरकार ने जो हमारी योजनाएं लटका दीं उससे आज यह समस्या उठ खड़ी हुई। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो प्रतिपक्ष में बैठे हुए कांग्रेसी नेता दोषी हैं, कांग्रेस के लोग दोषी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति की बात चली। पंचायतों में आरक्षण केन्द्र सरकार ने तो बाद में किया, संविधान में बाद में संशोधन किया परन्तु उससे पूर्व राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत ने जो कांग्रेस के लोग अनुसूचित जाति के लोगों को बहला कर वोट बैंक के रूप में प्रयोग करते थे, पहली बार उनको सरपंच बनने का अधिकार दिया। अगर किसी ने दिया है तो राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंह जी शेखावत ने दिया है। आज हमारे पर आरोप लगाते हैं कि हम अनुसूचित जाति के लोगों पर अत्याचार करते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अध्यक्ष महोदय, एक बात और कहूंगा। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमारे क्षेत्र में विभिन्न साइज के खनन प्लाट्स हैं। 77 से 80 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सवा करोड़ की पैनल्टी इम्पोज की थी परन्तु कांग्रेस का 80 में शासन आते ही 16-12-80 को एक आदेश जारी करके उस पैनल्टी को माफ कर दिया गया और अवैध खनन-कर्ताओं का क्षेत्र रेगूलराइज कर दिया गया और दो सो फीट तक उनको फेट और गेप दे दी। वह उन्हीं लोगों को मिली जो जयपुर तक पहुंच रखते थे या उनके कारिन्दे थे परन्तु आम आदमी रह गया। वहां दो सो बाई दो सौ के प्लाट्स हैं, सौ बाई दो सो के प्लाट्स हैं और पचाष बाई पचास के हैं। तीन साइज के प्लाट्स इस आदेश से दो सौ बाई दो सौ फीट वालों को 1 लाख 20 हजार वर्ग फीट का क्षेत्र मिला है। सौ बाई दो सौ फीट वालों को 40 हजार वर्ग फीट का क्षेत्र मिला है जबकि पचास बाई पचास फीट वालों को केवल 10 हजार वर्ग फीट का क्षेत्र ही मिला है। इस विसंगति की ओर मैं माननीय

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि संख्या की सीमा न रखते हुए क्षेत्रफल की सीमा रखें। जो गरीब लोग थे जिनकी जयपुर में पहुंच नहीं थी और सैक्रेटरियेट से काम नहीं करा सकते थे ऐसे पचास बाई पचास फीट वाले लोगों को लाभ नहीं मिल सका उनको भी लाभ दिलाने की कोशिश की जाये। आदेश निकाला जाये ताकि जो गरीब लोग हैं, छोटे खनन् व्यवसायी हैं उनको फायदा मिले।

मैं राजपालसिंह जी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम जी।

श्री राधेश्याम (श्रीगंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के यहां पधारने पर मैं उनका आभार प्रकट करता हूं परन्तु साथ ही जो उनसे यह भाषण करवाया गया हैं उस पर मैं अपना समर्थन व्यक्त नहीं करता क्योंकि इसके अन्दर ऐसी चीजें हाउस में बतायी गयी हैं जो सत्य से परे हैं। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है जिसके आप मुखिया हैं और पंचायत में गलत बात कहना बहुत बड़ा पाप होता है लेकिन इससे हमारे परम आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने बिल्कुल गुरेज नहीं किया और बड़े सुन्दर शब्दों में राज्यपाल महोदय से यह अभिभाषण आपके सामने करवाया है। इसमें कोई भी बात सत्य नहीं है, सत्य से बहुत दूर है।

सबसे पहले आपने फरमाया कि 15-12-92 को चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया गया। वह कदम हिन्दुस्तान के इतिहास में बहुत अच्छा कदम था। राष्ट्रपति ने ऐसा कार्य किया जैसा दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ। हिन्दुस्तान के टुकड़े-टुकड़े हो जाते और हिन्दुस्तान का क्या होता इसका पता नहीं चलता। मेरे से पूर्व थानागाजी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था, वहां मन्दिर था, 5 समय वहां आरती होती थी, श्रद्धा थी, हमारी आपकी सबकी श्रद्धा थी कि वहां राम का मन्दिर था। तो उसको तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? अगर वास्तव में मन्दिर था तो थोड़े दिन इंतजार करते, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता जब बाबरी एक्शन कमेटी ने यह स्वीकार कर लिया था कि अगर पचायत कह देगी, कोर्ट कह देगा कि वहां पर मन्दिर था तो हम अपना दावा छोड देंगे। इस खून-खराबा की क्या आवश्यकता थी। बम्बई में बम काण्ड, कलकत्ता में बम काण्ड, दिल्ली में बम काण्ड इस बात का प्रतीक नहीं थे? यह तो हमारे प्रिय प्रधान मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि किस सूझ-बूझ से उन्होंने हिन्दुस्तान को बचा लिया नहीं तो पता नहीं क्या कठिनाई आतीं। फिर वापस जनता ने आपके साथ इन्साफ किया है। चार राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें थीं उनको सस्पैण्ड किया गया, खत्म किया गया उसके उपरान्त चुनाव हुए तो तीन प्रान्तों में सरकार आपकी नहीं लौटी और

(श्री राधेश्याम)

चौथे प्रान्त में यहां आपने बहुमत नहीं लिया लेकिन सबसे बड़े दल के रूप में जरूर आये।

उस बड़े दल के नाते हमारे मुख्य मंत्री का दायित्व था कि अपनी पार्टी मीटिंग में बैठकर कहते कि मुझे राजस्थान की जनता ने पूरा बहुमत नहीं दिया इसलिए, मामड़ा जी, इस दफा आपका नम्बर है, मैं आपका प्रस्ताव करता हूं और माननीय भंवरलालजी इसका समर्थन करेंगे। लेकिन ऐसा उन्होंने उचित नहीं समझा क्योंकि वह यही सोचते हैं कि यह विरासत में लेकर जायेंगे। हमेशा यह गद्दी उनके पास रहेगी। पीछे किसी को समझा-बुझा करके इस पार्टी का नेता नहीं बनाना चाहते हैं। देश के वह महान् नेता हैं उनको इस तरह एक मिसाल कायम करनी चाहिए. राजस्थान के अन्दर परम्परा कायम हो और लोग याद रखें कि भैरोंसिंह जी के राज में कभी सिद्धान्त की बात भी चली थी। सिद्धान्तहीन सरकार है। जो निर्दलियों के ऊपर खड़ी है। मुझे एक निर्दलीय भाई मिले थे वह कह रहे थे, राधेश्याम जी, आप घबराओ मत, हमने समर्थन दिया है योग्यता के आधार पर अगर यह जनता की सेवा करेंगे, किसानों की सेवा करेंगे, हरिजनों की सेवा करेंगे, महिलाओं के लिए कुछ करेंगे, नौजवानों के लिए कुछ करेंगे तो हम उनको सहयोग देंगे नहीं तो हम वापस अलग बैठ जायेंगे. हम उसी का सहयोग करेंगे जो देश और प्रान्त की जनता का भला करेंगे। निर्दलीय जो गये हैं वह ऐसे ही नहीं गये हैं। उनको मालूम था कि पार्टी है इसलिए हम उनको सहयोग देते हैं, अगर कार्य ठीक नहीं करेंगे तो हम अपना सहयोग वापस ले लेंगे। यह भी हमारे मुख्य मंत्री को ध्यान होना चाहिए।

इसके साथ-साथ सबसे बड़े दुःख की बात यह है कि हमारी इन्दिरा गांधी नहर का कोई जिक्र नहीं है इसमें। जो हमारे किसानों की, सब कहते हैं, तो रीढ़ की हड्डी है। इन्दिरा गांधी नहर का इसमें जिक्र नहीं है, गंग कैनाल का जिक्र नहीं है। इन्दिरा गांधी नहर जो 18000 क्यूसेक की कैनाल है उसमें 6–6 फीट सिल्ट जम गयी है और उसके अन्दर 6 हजार क्यूसेक भी पानी नहीं चल सकता है। इसके लिए कोई जिक्र नहीं तो राजस्थान की तरक्की कहां होगी. कैसे होगी? राजस्थान की ही नहीं, हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी कैनाल है और उसके ऊपर गायें चर रही हैं और घास खड़ा है। उस नहर के अन्दर, सही मायने में जितनी उसकी गहराई है पशु या आदमी गिर जाये तो निकल नहीं सकता है लेकिन इतने सालों से इसका रख-रखाव नहीं हुआ इसका किसी ने ध्यान नहीं रखा। दूसरी तरफ गंग कैनाल के लिए श्रीमान् परम आदरणीय मुख्य मंत्रीजी गंगानगर पधारे थे उन्होंने एक दिन का कलक्टर के यहां धरना दिया था, बड़े जोर से किसानों को वायदा किया था कि यह 2700 क्यूसेक की कैनाल है, जब तक 2700 क्यूसेक पूरा पानी नहीं होगा मैं धरने से नहीं उठूंगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ उसी दिन शाम को उठ गये। उसके बाद क्या हुआ? सरकार मेरी बनेगी। बहुत लम्बे चौड़े वायदे किये....

श्री देवीसिंह भाटी (सिंचाई मंत्री) : बेअंतसिंह ने क्या फरमाया था ?

श्री राधेश्याम : आप तो काम कर रहे हैं आप चिन्ता मत करो इरिगेशन मिनिस्टर बहुत अच्छे हैं हमारे, मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चुनावों के दौरान बहुत बड़े बड़े वायदे किये कि गंगानगर को मैं पेरिस बना दूंगा, गंगानगर की सड़कें मास्टर प्लान के तहत सब बन जायेंगी, हॉस्पिटल और मेडिकल कालेज यहां खोलूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

कई उनके वर्कर्स ने यह भी बात कही कि राजस्थान एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यहां कायम होगी और जिन लोगों के पास, गरीब-हरिजनों के पास जमीन नहीं है उनको जमीन दी जायेगी। परन्तु इसमें भूमिहीनों का जिक्र तक नहीं है। बात करते हैं हरिजनों की और गरीबों की, भूमिहीनों का जिक्र नहीं है कि भूमि आवंटित करेंगे या नहीं करेंगे। किस बात का समर्थन हाउस से करवाना चाहते हैं ? हमारे यहां बिजली की बात करते हैं। चार स्टेशन बिजली के बने हुए हैं और श्रीमान् ने एक किलोवाट बिजली कभी पैदा नहीं की। कभी की है तो बता दो। आज योजना इतनी रख दी, हाउस को उलझा दिया।

इसी तरह अभी-अभी हमारे रमाकांत जी यहां फरमा रहे थे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार है बिजली बोर्ड में कि हिन्दुस्तान में अगर कहीं मिसाल लेनी हो तो राजस्थान के बिजली बोर्ड की लो। उन्हीं की पार्टी के हैं, अभी-अभी प्रोसिडिंग्स में लिखा है। उन्होंने फरमाया कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार वर्ल्ड में नहीं जितना राजस्थान के बिजली बोर्ड में है। क्या कहने। क्या सरकार है और क्या सरकार के कार्य हैं। बड़ी हैरानी होती है।

पांच हजार स्कूल बन्द कर दिये आपने और उनकी सुध नहीं ली। कहीं यह नहीं कहा कि हम स्कूल वापस खोलेंगे। बिजली की हालत आपके सामने है। पीने का पानी, गंगानगर में 15 दिन तक नहीं आता है। सारे जिले के लोग, गरीब बस्तियां पानी को तरस रही हैं। पानी के लिए आप बात करते हैं कि हम जर्मन के माध्यम से बहुत बड़ी स्कीम ला रहे हैं गंगानगर के लिए। हो सकता है जर्मन से आपका मुआवजा सही नहीं हो तो उस वक्त आपके पास कोई और साधन है जिससे आप गंगानगर की गरीब जनता को, पिछड़ी जाति के लोगों को और जो नीचे बसते हैं, गड्ढों में उनको पानी पिलाने की व्यवस्था करेंगे ? ऐसी कोई योजना इसमें नहीं दर्शायी गयी है।

गरीब हरिजन फुटपाथ पर सोते हैं, उनके लिए आपने कोई योजना बनायी। जब आप वहां गये थे तो आपने कहा था कि आप बड़ी योजना देंगे और लोगों को पांच सौ रुपये में प्लाट देंगे। लेकिन इसका भी कोई जिक्र नहीं है यहां। इसके अलावा....

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक मिनट और दें। मैं आपकी घण्टी का उल्लंघन नहीं करना चाहता हूं।

(श्री राधेश्याम)

(17.00)

एक मिनट, अगर आपकी आज्ञा हो। नहीं तो मैं बैठ जाता हूं। जैसा आप आदेश दें।

श्री अध्यक्ष : रिजर्वेशन वालों के लिए है एक्स्ट्रा। आप रिजर्वेशन में हैं क्या ?

श्री राधेश्याम : मैं तो एक ही मिनट में खत्म कर देना चाहता हूं।

ऐसी प्रार्थना है कि इस तरह हमें यहां एक ऐसी परम्परा पैदा करनी चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे राजनेता भ्रष्ट हैं, हमारे अधिकारी भ्रष्ट हैं। तो भ्रष्टाचार मिटाओ बैठकर। इससे बड़ी पंचायत कौनसी है ? सब एक हो जाओ इस मामले में और प्रान्त को एक ऐसे सूत्र में बांधो कि यहां असत्य और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाये और, अध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में इस राजस्थान की जय-जयकार हो। तब पता लगे कि राजस्थान में कोई सरकार आयी है।

आपको यह मालूम होना चाहिए कि एक जमाना था जब पण्डित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय सड़क से गुजरते थे, वे चले जाते थे और लोग मिट्टी उठाकर सर पर लगाते थे। आज खादी के कपड़े पहनकर कोई जाता है तो लोग कहते हैं कि चोर जा रहा है। यह स्थिति क्यों आयी ? इस स्थिति को बदलो। आप और हम सब जिम्मेदार हैं। दोनों पक्षों को इस बात को सोच कर कोई मिसाल कायम करनी चाहिए। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी गद्दी छोड़कर आपको दें, यह मिसाल तभी कायम हो सकती है अन्यथा नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल के भाषण का....

श्री अध्यक्ष : मुझे आप ऊपर से नीचे ले जाना चाहते हो ?

श्री राधेश्याम : नहीं, आपकी कुर्सी वही है। आप इस प्रान्त का भला तभी कर सकते हो, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री महावीर भगोरा।

श्री राधेश्याम : मैं मुख्य मंत्रीजी से दुबारा प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर अच्छे कार्य करेंगे तो निर्दलीय उनका साथ देंगे अन्यथा बिलकुल नहीं देने वाले हैं. मुझे पता है। निर्दलीय कोई इस तरह बिककर नहीं गये हैं, निर्दलीय सिद्धान्तों और उसूलों पर गये हैं। वे कभी भी अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। आप अच्छे कार्य कीजिये तो इधर वाले भी आपको सहयोग देंगे। एक कन्वर्जन वाला मामला है, करोड़ रुपये कन्वर्जन के ले लिये।

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 5-1-1994 के म. पू. 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.03 बजे बुधवार, 5 जनवरी, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 19 की सूची

भरतपुर, कुम्हेर एवं नदबई तहसीलों में गत तीन वर्षों में नहीं भरने वाले बांधों की सूची

क्र सं.	तहसील	बांधों का नाम जिनमें पानी नहीं आया		
		वर्ष 1991	वर्ष 1992	वर्ष 1993
1	2	3	4	5
1.	भरतपुर	हिन्डोला	हिन्डोला	—
2.	,,	सिनपिनी	सिनपिनी	सिनपिनी
3.	,,	हेलक	हेलक	हेलक
4.	,,	सेवर लोअर	—	—
5.	,,	अनाह	अनाह	अनाह
6.	,,	अटल बांध	अटल बांध	अटल बांध
7.	,,	श्योराना	श्योराना	श्योराना
8.	,,	दौलतगढ़	दौलतगढ़	—
9.	,,	चक्काजी,	चक्काजी	—
10.	,,	वहनेरा	वहनेरा	वहनेरा
11.	कुम्हेर	बासरोली	बासरोली	—
12.	,,	गुदावली बंधली	गुदावली बंधली	—
13.	नदबई	छत्तरपुरा	छत्तरपुरा	छत्तरपुरा
14.	,,	मदोरा	मदोरा	मदोरा
15.	,,	अरोदा	—	अरोदा
16.	,,	अरोदा हन्तरा	अरोदा हन्तरा	अरोदा हन्तरा
17.	,,	हन्तरा	हन्तरा	हन्तरा

(154)

1	2	3	4	5
18.	नदबई	डेंहरा	डेंहरा	डेंहरा
19.	,,	रैना	रैना	रैना
20.	,,	नंगला हेतराम	नंगला हेतराम	नंगला हेतराम
21.	,,	बैलारा अपर	बैलारा अपर	बैलारा अपर
22.	,,	रायसीस	—	—
23.	,,	शाहपुरा	शाहपुरा	शाहपुरा
24.	,,	अलीपुर	अलीपुर	अलीपुर
25.	,,	बछामदी	बछामदी	बछामदी
26.	,,	—	—	बैलारा लोअर

परिशिष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 20 की सूची

रिक्त पदों की सूचना

पद	कुल रिक्तियां	विद्यालय	दिनांक से रिक्त
1	2	3	4
उप-प्रधानाचार्य	1	रा. उ. मा. वि. पण्डेर	7–12–93
प्रधानाध्यापक	6	रा. मा. वि. रोवां	17–9–93
रा. मा. वि.		,, ,, बावड़ी	17–9–93
		,, ,, आकोला	10–9–93
		,, ,, आमा	10–9–93
		,, ,, बनकाखेडा	11–12–93
		रा.बा.मा.वि. पण्डेर	
व्याख्याता स्कूल शिक्षा	21		
अर्थशास्त्र	1	रा. उ. मा. वि. शक्करगढ़	2–2–90
जीव विज्ञान	2	,, ,, पण्डेर	21–2–92
		,, ,, बड़लियास	8–12–92
अंग्रेजी	5	,, ,, पण्डेर	1–7–92
		,, ,, पण्डेर	10–7–93
		,, ,, शक्करगढ़	16–8–91
		,, ,, जहाजपुर	15–10–93
इतिहास	1	,, ,, बड़लियास	11–1–92
हिन्दी	5	,, ,, जहाजपुर	30–4–93
		,, ,, पण्डेर	10–7–93
		,, ,, शक्करगढ़–दो	25–9–91 एवं 1–9–92

(156)

1	2	3	4
		रा. उ. मा. वि. कोटड़ी	1–7–92
वाणिज्य (व्या. भू.)	1	,, ,, शक्करगढ़	1–7–92
(स्टेनो)	1	,, ,, कोटड़ी	1–7–92
नागरिक शास्त्र	2	,, ,, बड़लियास	17–4–90
		,, ,, कोटड़ी	अगस्त 92
कृषि	1	,, ,, कोटड़ी	5–8–93
भौतिक विज्ञान	1	,, ,, बड़लियास	27–8–92
गणित	1	,, ,, बड़लियास	9–8–92
प्र. अ. रा. प्रा. वि.	1	रा.बा.उ.प्रा.वि. अमरवासी	
द्वितीय श्रेणी अध्यापक	**6**		
गणित	2	रा. मा. वि. टीकड़	10–12–92
		,, ,, आसोप	17–8–93
सामान्य	1	,, ,, लुहारीकलां	जुलाई 93
संस्कृत	3	,, ,, ककरोलिया घाटी	दिसम्बर 93
		,, ,, विरानियां	31–12–93
अन्य	1	रा. उ. प्रा. वि. गडूली	31–12–93
तृतीय श्रेणी अध्यापक	**7**	उ. प्रा. वि. बगदार–1 बा. उ. प्रा. वि. पीपलून्द–1 ,, ,, टीकड़–1 बिन्दागेट जहाजपुर–3 बिन्दागेट नन्दराय–1	

परिशिष्ट–3

तारांकित प्रश्न संख्या 21 की सूची

पंचायत समिति बालेसर (शेरगढ़)

क्र.सं.	उपकेन्द्र का नाम	प्रसाविका पद की संख्या
1	2	3
1.	लोडता अचलावता	1
2.	हापाडेरा	
3.	उटाम्बर	1
4.	ढाढनिया	1
5.	खेखला	1
6.	ठांडिया	1
7.	गिलाकौर	रिक्त
8.	कूई इन्दा	1
9.	बस्तवा	1
10.	निम्बो का गांव	1
11.	देवात	1
12.	खुडीयाला	1
13.	देड़ा	1
14.	उगरे	1
15.	लोडता हरिदोसार	1
16.	चांचवला	1
17.	टूटाबेरा	1
18.	सूखमण्डला	1
19.	लवारणा	1
20.	खारीबेरा	1

1	2	3
21.	तोलसर पुरोहितान	1
22.	डेरिया	1
23.	मोपासर	1
24.	तोलेसर चारण	1
25.	बारनाऊ	1
26.	केतूमदा	1
27.	कनोडिया पुरोहितान	1
28.	बारली	1
29.	जडिया	1
30.	कूई जाधा	1
31.	बेलवा	1
32.	बालेसर दुर्गावता	1
33.	मालूकला	1
34.	सुरीनी	1
35.	झिनझिनपात	1
36.	बासनी मनवा	1
37.	बेलठाराणाजी	रिक्त
38.	घुडियाला	1

पंचायत समिति सोनेसर (तहसील शेरगढ़)

क्र.सं.	उपकेन्द्र का नाम	प्रसाविका पद की संख्या
1	2	3
1.	जाटियामाण्डू	1
2.	लालपुरा	1
3.	खानोडी	1
4.	कलाऊ	1
5.	साई	1
6.	रायसर	1
7.	भ्रासरलाई	1
8.	गडा	1
9.	भूंगड़ा	1
10.	जेठानिया	1
11.	दासानिया	1
12.	सिहान्या	1
13.	बुडकिया	1
14.	खिरजाखास	1
15.	कनोडिया महासिंह	1
16.	सोलंकिया तला	1
17.	खरीजा फतेसिंह	1
18.	उटवालिया	1
19.	चाबा	1
20.	पुंगलिया	1

(160)

1	2	3
21.	खीरजामोजा	1
22.	मारसिंह नगर	1
23.	जैतसर	1
24.	टिमूबड़ी	1
25.	चारनी भाण्डू	1
26.	सुबालिया	1
27.	सखीया सरिया	1
28.	सगरा	1
29.	चोरडिया	1
30.	चांदसमा	1
31.	गुमानसिंहपुरा	1

सा. स्वा. केन्द्र बालेसर में स्वीकृत व रिक्त पदों की सूचना

स्वीकृत पद		स्वीकृत पदों की संख्या	कैंप्ट इन अबेएन्स (ग्रा-ग्रादेश) संख्या	पदस्थापित पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	3	—	3	0
2.	व. चि. ग्र.	2	1	1	0
3.	मेलनर्स-प्रथम	4	—	–	4
4.	मेलनर्स-द्वितीय	3		3	0
5.	स्टाफ नर्स	1		1	0
6.	सिस्टर	1		–	1
7.	महिला स्वा. कार्यकर्ता	1		1	0
8.	स्वास्थ्य निरीक्षक	1		1	0
9.	वरिष्ठ लेब टैक्नी.	1		1	0
10.	वरिष्ठ लिपिक	1		1	0
11.	कनिष्ठ लिपिक	1		1	0
12.	नेत्र सहायक	1		1	0
13.	कनिष्ठ लेखाकार	1		1	0
14.	रेडियोग्राफर	1		1	0
15.	प्रसाविका	1		1	0
16.	वाहन चालक	1		1	0
17.	वार्डव्वाय	20		14	6

नोट :–3 कनिष्ठ विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों में से एक कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन) पदस्थापित है और शेष 2 कनिष्ठ विशेषज्ञों के पदों के विरुद्ध 2 चिकित्सक पदस्थापित हैं।

(162)

जिला जोधपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा वर्ष 1993 में तहसील शेरगढ़ की चिकित्सा इकाइयों का किये गये निरीक्षण का विवरण

दिनांक	कहां से	कहां तक	निरीक्षण कर्ता (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)
28-1-93	जोधपुर	पीलाग, देचू, बालेसर, जोधपुर	डा. इकबाल सिंह
7-7-93	,,	बालेसर, शेरगढ़, तेना, जोधपुर	यथा
6-7-93	,,	बालेसर, जोधपुर	यथा
15-7-93	,,	बालेसर, जोधपुर	यथा
4-9-93	,,	बालेसर, जोधपुर	डा. के. एल. बाफना
1-9-93	,,	आगोलाई, बालेसर देचू, चौमू, चिराई जोधपुर	यथा
15-10-93	,,	बालेसर, देचू, फलौदी बाप्लोहासर, जोधपुर	यथा
21-11-93	फलौदी से	मलार, बाप, फलौदी देचू, बालेसर, जोधपुर	यथा
15-12-93	जोधपुर से	बालेसर, जोधपुर	यथा
25-12-93	जोधपुर से	बालेस, शेरगढ़ जोधपुर	यथा

163

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 24 का विवरण

राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, जयपुर के गत तीन वर्षों 1990–91, 1991–92 एवं 1992–93 कानुदासार व्यय का विवरण :—

क्र. सं.	मद का नाम	वर्ष 1990–91	1991–92	1992–93
1	2	3	4	5
1.	बोर्ड का संस्थापन	12,69,916,77	13,20,625,95	14,15,145,95
2.	अध्यक्षी सुविधायें	42,343,35	21,139,85	3,580,00
3.	एक वर्षीय अनुदान	7,59,975,00	4,92,000,00	4,30,376,00
4.	महिला मण्डल	5,35,000,00	4,00,000,00	12,12,575,00
5.	बाल अवकाश शिविर	2,55,500,00	1,25,000,00	1,75,327,00
6.	कन्डैन्स कोर्स	49,48,617,00	14,17,062,00	21,00,774,00

1	2	3	4	5
7.	पोषाहार	7,21,350,00	3,75,000,00	2,07,603,00
8.	डेयरी लोन	17,13,881,00	57,930,00	38,620,00
9.	स. क. परियोजनायें सीमा क्षेत्र	19,54,800,00	14,61,770,00	17,18,850,00
10.	स. क. परियोजनायें सी. डी.	13,57,486,00	12,71,800,00	16,46,500,00
11.	ऐच्छिक कार्यवाही ब्यूरो	7,28,374,00	2,64,000,00	9,71,300,00
		34,500,00	62,500,00	27,621,68
12.	सार्क बालिका वर्ष	1,10,000,00	—	—
13.	केश प्रोग्राम	32,35,749,00	38,59,525,00	20,51,306,00
14.	वोकेशनल ट्रेनिंग	2,72,988,00	4,42,099,00	2,10,130,00
15.	राज्य बोर्ड को मजबूत बनाने हेतु निधि	1,43,502,00	20,000,00	11,797,00
16.	ओरियन्टल ट्रेनिंग	—	1,00,000,00	60,000,00
		190,61,382,17	132,41,536,60	125,12,156,63

परिशिष्ट-5

तारांकित प्रश्न संख्या 28 का विवरण

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 से 1993 तक कार्य स्थलवार लगाये गये एवं जीवित पौधों की संख्या

क्र.सं.	वर्ष	नाम साइट	पौधों की संख्या	वर्तमान में मौके पर	वि. वि.
1	2	3	4	5	6
1.	1990	1. गुमाना 15 है.	3000	600	
		2. श्रामू का शाहरा 50 है.	10000 27500	3500 17300	
		3. नांगल शेरपुर 25 है.			
		4. डेरा 25 है.	17500	10250	
		5. बालासर 'बी' 25 है.	17500	9000	
		6. दलपुरा 25 है.	27500	18100	
		7. बालासर 25 है. 'ए'	27500	13000	
		8. पालगुमाना 25 है.	17500	17000	
		9. गढ़सोरा 'ए' 40 है.	44000	21000	
		10. गढ़सोरा 'बी' 40 है.	44000	22000	
		11. गुढ़ा चन्द्रजी 25 है.	27500	12350	
		12. तिमावा 15 है.	16500	9150	
			280000	150250	

1	2	3	4	5	6
2.	1991	1. बास बोरडा 20 है.	4000	2300	
		2. शेखपुरा 'बी' 30 है.	6000	3000	
		3. शेखपुरा 'ए' 15 है.	16500	10100	
		4. नया कुआ 'बी' 15 है.	16500	4800	
		5. मांवराखुर्द 15 है.	16500	8250	
		6. नया कुआ 'ए' 25 है.	17500	11200	
		7. पाल 'ए' 25 है.	17500	17000	
		8. जैसनी 50 है.	15615	2200	प्रकरण की जांच जारी है। नार्मस के अनुसार35,000 पौधे लगाने।
		9. बावड़ी 25 है.	27500	17200	
		10. बाडा 25 है.	27500	13150	
		11. हलोंदा 50 है.	51191	23500	प्रकरण की जांच जारी है। नार्मस के अनुसार 55,000 पौधे लगाने।
		12. रेवासा 25 है.	55000	22500	
		13. माडी 50 है.	55000	21500	
		योग :	304436	158700	
3.	1992	1. राजपुर 30 है.	33000	28400	
		2. लालसर 25 है.	17500	16200	
		3. गोठड़ा 25 है.	27500	23500	

1	2	3	4	5	6
		4. बिजलवाड़ा 25 है.	23500	17900	
		5. घाट मंडारी 25 है.	22600	18400	
		6. सिद्ध बाबा गंभीरी नदी 25 है.	15000	--	ग्रामवासियों द्वारा जबरन मवेशियों को छोड़कर एवं उनके द्वारा पौधे एवं पेड़ों को उखाड़ दिये गये ग्रामवासियों के खिलाफ एफ. आई. आर नम्बर 96/92 दिनांक 23-7-92 को थाना सुलेमपुर में दर्ज करायी।
		7. बिचपुरी 25 है.	20000	15000	
		8. दांतली 25 है.	20000	4700	
		9. धीरोली 25 है.	20000	9200	
		10. भीमपुर 25 है.	20000	16900	
		11. राज का कुआ 25 है.	21000	18000	
		12. गढ़मोरा डुंगरिया 25 है.	20000	16800	
		13. रायसना 25 है.	20000	14100	
		योग :	280100	199100	

1	2	3	4	5	6
4.	1993	1. तिमावा 30 है	88000	77000	
		2. खोयली 50 है.	55000	46700	
		3. रायसना 30 हैं.	33000	28000	
		4. घोलेटा की डूंगरी 40 है.	44000	38000	
		5. खोहरा 75 है.	82500	72600	
		योग :	302500	262300	
		महा योग :	1167036	770350	

परिशिष्ट–"ख"

टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1991 से 1993 तक कराये गये कार्यों में अनियमितता का विवरण।

क्र. सं.	वृक्षारोपण स्थल का नाम	अनियमितता का विवरण
1.	हलौंदा—91	हलौंदा कार्यस्थल पर नार्म्स के अनुसार 55000 पौधे रोपित किये जाने थे, किन्तु 31121 पौधे ही रोपित किये गये। कम लगाये गये 23879 पौधे का मस्टररोल वाउचर आदि पारित करवाकर रुपये 79995/– राजकीय राशि के गबन का प्रयास किया गया।
2.	जैसनी—91	जैसनी कार्यस्थल पर नार्म्स के अनुसार 35000 पौधे लगाये जाने थे जिसके विरुद्ध 13815 पौधे ही रोपित किये गये। कम लगाये गये 21185 पौधों के मस्टररोल वाउचर आदि पारित कर रुपये 63556/– राजकीय राशि के गबन का प्रयास किया गया।

परिशिष्ट–6

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

पुष्कर सरोवर (अजमेर) की खुदाई पर व्यय

29. श्री विष्णु मोदी ((पुष्कर) क्या : सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अजमेर जिले स्थित पुष्कर सरोवर में मिट्टी के भराव के कारण खुदाई कराई गई ? यदि हां, तो कब-कब व उस पर कितना-कितना खर्चा हुआ व अब सरोवर की स्थिति क्या है ?

उत्तर

जी हां, पुष्कर सरोवर का खुदाई का कार्य नोटिफाइड एरिया कमेटी, पुष्कर द्वारा डिपोजिट कार्य के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा करवाया जाता है। पुष्कर सरोवर में मिट्टी के भराव के कारण जो खुदाई कराई गई उस पर हुए व्यय का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	व्यय (लाख रु. में)	किया गया कार्य
1970-71	0.48	मिट्टी की खुदाई
1990-91	4.98	मिट्टी की खुदाई एवं मिट्टी रोकने के लिये चैक डेम का निर्माण
1991-92	10.13	,, ,,
1992-93	0.63	पिछले वर्ष के खर्चे का समायोजन

वर्तमान में सरोवर के जल ग्रहण क्षेत्र से वर्षा के पानी के साथ मिट्टी आ जाती है।

राजकीय विद्यालयों की क्रमोन्नति

30. श्री जुबेर खान (रामगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार के राजकीय विद्यालयों को विभिन्न स्तर पर क्रमोन्नत करने के क्या-क्या मानदण्ड हैं ?

(2) क्या सरकार आगामी वर्ष 1994-95 में विभिन्न राजकीय विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितने-कितने विभिन्न स्तर के विद्यालयों को क्रमोन्नत किया जायेगा ?

(3) क्या सरकार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मीणापुर पंचायत समिति रामगढ़ (अलवर), राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जुगरावर (अलवर) एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय नौगवां (अलवर) को आगामी सत्र में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विद्यालयों को क्रमोन्नत करते समय उपलब्ध बजट प्रावधान, ग्राम की जनसंख्या, फीडर विद्यालयों की संख्या, निकटतम उपलब्ध सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुए गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(2) जी हां। बजट की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए विद्यालय क्रमोन्नत किये जा सकेंगे।

(शिक्षा मंत्री)

(3) बजट की उपलब्धता तथा निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति करने पर अन्य प्रस्तावों के साथ राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मीणापुरा पंचायत समिति रामगढ़ (अलवर), राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, जुगरावर (अलवर) एवं राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नौगावां (अलवर) के क्रमोन्नति प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर आगामी वर्ष में विचार किया जा सकेगा।

विभाग द्वारा वर्ष 1993 में चतुर्थ श्रेणी कमचारी/फर्राशों के पदों पर नियुक्ति

31. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर द्वारा वर्ष 1993 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एवं फर्राश की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र मांगे जाने हेतु कोई विज्ञप्ति प्रसारित की गई थी ? यदि हां, तो विज्ञप्ति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सम्बन्ध में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ?

(3) क्या यह भी सही है कि माह दिसम्बर, 1993 में इन आवेदकों में से कुछ ही आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाया गया ? यदि हां, तो अन्य को नहीं बुलाये जाने के क्या कारण रहे ?

(4) क्या सरकार शेष रहे आवेदकों को साक्षात्कार हेतु बुलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार दोहरे मापदण्ड निर्धारित करने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1993 में वार्ड बॉय एवं सफाई कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। विज्ञप्ति की प्रति सदन की पटल पर रख दी गई है।

(2) आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम दिनांक 15-9-93 को सायंकाल 5 बजे तक कुल 1,93,214 (अंकेन एक लाख तिरानवें हजार दो सौ चौदह) मात्र आवेदन पत्र प्राप्त हुए।

(3) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर के एकल-पीठ रिट सं. 6351/90 रामप्रताप व 148 V/s. राज. सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 9-10-91 व खण्डपीठ अपील संख्या 185/93 सरकार बनाम रामप्रताप व अन्य में दिये गये निर्णय दिनांक 19-5-93 के अनुसार प्राथमिकता एवं वरीयता वाले अभ्यर्थियों को रिक्त पदों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार हेतु बुलाया गया (जैसा कि विज्ञप्ति के पैरा संख्या 2 व 3 में स्पष्ट वर्णित है।) अर्थात् जो अभ्यर्थी दिनांक 9-10-91 तक या इससे पूर्व चिकित्सा विभाग में दैनिक वेतन/

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

अंशकालीन भत्ते पर कार्यरत थे और जिन्होंने न्यूनतम 90 दिवस तक दैनिक वेतन पर कार्य किया तथा अंशकालीन भत्ते पर न्यूनतम 180 दिवस तक 200/– रुपये प्रति माह की दर पर कार्य किया है एवं उक्त अवधि में छः माह से अधिक का अंतराल नहीं था।

(4) साक्षात्कार हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों में से योग्य अभ्यर्थियों से रिक्त पदों को भरने के पश्चात् शेष रिक्त पद रहने पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार ही विचार किया जावेगा।

(5) कोई दोहरे मापदण्ड निर्धारित नहीं किये गये। मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की पालना की गई है।

(विज्ञप्ति की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

सहकारी डेयरी रानीवाड़ा (जालौर)

32. **श्री जोगेश्वर गर्ग** (जालौर) : क्या डेयरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जालौर जिले की रानीवाड़ा स्थित सहकारी डेयरी की स्थापना कब हुई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त डेयरी वर्तमान में घाटे में चल रही है ? यदि हां, तो उसे लाभ की स्थिति में लाने की सरकार की क्या योजना है ?

(3) क्या इस डेयरी की स्थापित उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) रानीवाड़ा स्थित सहकारी डेयरी (जालौर-सिरोही जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ, लि.) की स्थापना मार्च, 1986 में हुई थी।

(2) वर्ष 1991-92 से यह संस्था लाभ में चल रही है।

(3) यह सही है कि इस डेयरी संयंत्र की स्थापित क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्षमता की तुलना में दूध की आवक कम रही है। दूध की आवक बढ़ाने हेतु इस वर्ष निम्न प्रयास किये जा रहे हैं—

(अ) 60 बन्द पड़ी दुग्ध समितियों को पुनर्जीवित किया जायेगा।

(ब) 8900 नये दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध सहकारिता से जोड़ा जाना है।

(स) 700 मै. टन संतुलित एवं पौष्टिक पशु आहार का विपणन किया जावेगा।

अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम द्वारा संचालित योजनायें

33. **श्री जयन्तीलाल कोली** (रेवदर) : क्या समाज कल्याण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री जयन्तीलाल कोली)

(1) अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम ने जनहित की कौन-कौनसी योजनाएं चला रखी हैं ?

(2) ये योजनाएं कब से चल रही हैं तथा इनके अन्तर्गत उपलब्धियों का विगत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों के कितने आवेदन विचाराधीन हैं ? योजनावार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम ने अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के हित में निम्न योजनाएं चला रखी हैं :—

1. **शहरी क्षेत्र की योजनाएं :**

पैकेज आफ प्रोग्राम, आटो रिक्शा, दुकान, स्काइट, स्वच्छकार पुर्नवास, स्वच्छकार प्रशिक्षण।

2. **ग्रामीण क्षेत्र की योजनाएं :**

सामूहिक पम्पसेट, व्यक्तिगत पम्पसेट, बोरिंग/ब्लास्टिंग, शिल्पशाला, बुनकर शाला, दुकान, उन्नत कृषि यंत्र, उन्नत गाय, उन्नत भैंस, कुक्कुट पालन, पैकेज आफ प्रोग्राम, विद्युतिकरण एवं स्वच्छकार पुनर्वास, प्रशिक्षण।

3. **निगम मुख्यालय की योजनाएं :**

कम्प्यूटर प्रशिक्षण, आवास विकास संस्थान, आई. टी. आई., गलीचा प्रशिक्षण, सुअर पालन प्रशिक्षण, कुक्कुट पालन प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, कुटीर ज्योति, एन.एस.एफ.डी.सी. ऋण।

इसके अतिरिक्त एन. एस. एफ डी. सी. द्वारा संचालित डेयरी विकास, थ्री-व्हीलर योजना, जैम कटिंग एव पोलिशिंग योजना, फाइबर ग्लास योजना तथा वुडन चैनल गेट योजना भी क्रियान्वित है।

(2) शहरी क्षेत्र में ये योजनाएं वर्ष 1981-82 से एवं ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 1986-87 से प्रारम्भ की गई है। विगत तीन वर्षों. वर्ष 1990-91, 1991-92 एवं 1992-93 की क्रमश: उपलब्धि 41369, 48408 एवं 48529 रही है।

वर्ष 1990–91, 1991–92 एवं 1992–93 में क्रमश: 770.65 लाख रुपये, 633.75 लाख रुपये तथा 769.89 लाख (संभावित) व्यय किये गये हैं। एन. एस. एफ. डी. सी. की योजनाएं वर्ष 1992-93 से प्रारम्भ की गई है तथा वर्ष 1992-93 में इन योजनाओं में 41 व्यक्तियों को 17.00 लाख रुपयों का ऋण वितरण किया गया है।

(3) माह नवम्बर, 1993 तक लाभार्थियों की विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या 9868 हैं तथा जिलेवार एवं योजनावार विवरण परिशिष्ट-(1) पर अंकित है। एन. एस. एफ. डी. सी. की योजनान्तर्गत बकाया आवेदन पत्रों की संख्या 3-1-94 तक 153 थी। जिलेवार एवं योजनावार विवरण परिशिष्ट-(2) पर दिया गया है।

परिशिष्ट–I

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लि.,
नेहरू सहकार भवन, भवानीसिंह रोड, जयपुर

विचाराधीन आवेदन पत्र, योजनावार एवं जिलेवार (माह नवम्बर, 1993)

क्र. सं.	नाम जिला	कुल	पोप	आटो रिक्शा	स्वच्छकार पुर्नवास	व्यक्तिगत पम्पसेट	बुनकर शाला	दुकान	उन्नत गाय	भैंस	ग्रामीण पोप	ग्रामीण स्वच्छकार पुर्नवास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	अजमेर	490	226	10	23	9	—	—	55	74	76	17
2.	अलवर	954	474	—	46	—	—	10	2	459	1	—
3.	भीलवाड़ा	441	97	2	92	4	25	—	34	31	82	142
4.	भरतपुर	248	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	बीकानेर	120	117	—	—	—	—	—	—	—	3	—
6.	बाड़मेर	884	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	बून्दी	152	125	2	35	—	—	—	—	—	—	—
8	बांसवाड़ा	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	बारां	73	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	चित्तौड़गढ़	124	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	चूरू	184	149	4	14	—	—	—	—	—	14	3
12.	धौलपुर	247	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	डूंगरपुर	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	दौसा	158	156	—	—	—	—	—	—	2	—	—
15.	जयपुर	535	538	39	92	—	—	—	4	108	35	19
16.	जोधपुर	1151	1089	23	48	—	—	—	—	—	—	—
17.	झुन्झुनू	275	151	—	124	—	—	—	—	—	—	—
18.	जालौर	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19.	जैसलमेर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	झालावाड़	99	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21.	कोटा	404	368	36	—	—	—	—	—	—	—	—
22.	नागौर	436	316	—	77	—	—	—	29	—	14	—
23.	पाली	208	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	राजसमंद	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	सवाईमाधोपुर	448	233	—	—	72	—	—	—	127	—	—
26.	श्रीगंगानगर	1143	956	—	74	—	—	—	—	—	—	—
27.	सीकर	242	—	—	20	—	—	—	—	—	—	—
28.	सिरोही	116	—	—	110	—	—	—	—	—	—	—
29.	टोंक	183	91	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	उदयपुर	144	—	—	92	—	—	—	—	—	—	—
योग :		9868	5086	116	837	85	25	10	124	968	225	181

नोट :—योजनावार सूचना उपलब्ध विवरण के अनुसार दर्शायी गई है। अन्य योजनाओं में अनुदान द्वारा लाभान्वित किया जाता है।

परिशिष्ट–2

निगम स्तर पर एन. एस. एफ. डी. सी. ऋण योजनान्तर्गत लम्बित परियोजनाओं का विवरण
दिनांक 3-1-94 की स्थिति

परियोजना का नाम

क्र.सं.	जिले का नाम	टैक्टर ट्राली	हस्त-कर्घा	टैन्ट हाउस	जूता बनाना	चर्म शोधन	आटो रिक्शा	रेडीमेड गारमेंट्स	टाटा ट्रक	आयल मिल	रेस्टो-रेन्ट	जीरोक्स मशीन	चूना उद्योग	मुर्गी-पालन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	बाड़मेर	3	3											
2.	गंगानगर		2											
3.	दौसा			2										
4.	चूरू				3									
5.	टोंक					1								
6.	नागौर						1							
7.	जयपुर	1						2		1		3		
8.	अलवर								1	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.	कोटा										1	11		
10.	बारां	1											1	1
11.	उदयपुर													
12.	जैसलमेर	1												
13.	डूंगरपुर													
14.	सवाईमाधोपुर													
15.	जोधपुर													
16.	झुन्झनूं													
	योग :	6	5	2	3	1	1	2	1	3	1	14	1	1

क्र.सं.	जिले का नाम	गलीचा उद्योग	चप्पल बनाना	कुक्कुट पाल	फुट वीयर	मोजिक टाइल्स	ऊंट गाड़ी	डेयरी	लांउड्री दुकान	पावर-लूम	चूडी उद्योग	ईंट मट्ठा	मसाला उद्योग	प्रिंटिग प्रेस	मारूति वैन	विक्रम	योग
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1.	बाड़मेर																6
2.	गंगानगर				1												3
3.	दौसा																2
4.	चूरू																3
5.	टोंक																1
6.	नागौर																1
7.	जयपुर	2	8	4			1						1	1	3	1	28
8.	अलवर																3
9.	कोटा								65								77
10.	बारां					1				1							4
11.	उदयपुर																1
12.	जैसलमेर																1

(180)

		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	03	31
13.	डूंगरपुर									1							1
14.	सवाईमाधोपुर							16									16
15.	जोधपुर										1						1
16.	झुन्झुनू											5					5
	कुल योग :	2	8	4	1	1	1	31	1	1	1	5	1	1	3	1	153

भीलवाड़ा जिले की अकालग्रस्त तहसीलें

34. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा): क्या अकाल राहत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा जिले की कौन-कौनसी तहसीलें अकालग्रस्त हैं ? सर्वाधिक अकाल ग्रस्त कोनसी तहसील है ?

(2) क्या राज्य सरकार अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य प्रारम्भ करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो पलायन से रोकने हेतु राहत कार्यों पर कितने लोगों को रोजगार कब दे दिया जायेगा ?

(3) क्या अकालग्रस्त क्षेत्रों में मनुष्य व पशुओं के पेयजल की भयंकर समस्या है तथा पशुओं को चारा भी उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार इन सबकी पूर्ति हेतु क्या कदम उठाने जा रही है और कब तक ?

(4) अकालग्रस्त लोगों को राहत देने हेतु अन्य क्या व्यवस्था की जा रही है ? सम्पूर्ण व्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गिरदावरी रिपोर्ट के अनुसार भीलवाड़ा जिले की सभी 11 तहसीलों में फसल खराबा हुआ है। जिले की सहाड़ा तहसील सर्वाधिक प्रभावित है क्योंकि इसके सभी 98 गांवों में फसल खराबा 75% से 100% तक का आंका गया है।

(2) अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य प्रारम्भ करवाने का मामला विचाराधीन है।

(3) अकालग्रस्त क्षेत्रों में मनुष्य व पशुओं के पेयजल की अभी भयंकर समस्या नहीं है। जिले में चारे की फिलहाल कमी नहीं है।

(4) भीलवाड़ा जिले में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1477 कार्य चल रहे हैं, जिन पर 7.65 लाख मानव दिवस सृजित किये जा रहे हैं। अभावग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य प्रारम्भ किए जाने का मामला विचाराधीन है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत लिये गये कार्य

35. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

तीस जिला-तीस काम के तहत टोडाभीम क्षेत्र में क्या-क्या कार्य कहां-कहां हुए और उसमें कितना धन व्यय किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में वर्ष 1991-92 से अब तक कुल 55 हैण्ड पम्प एवं 5 नलकूप का निर्माण कार्य किया गया है, जिन पर रुपये 33.88 लाख व्यय किये गये हैं। जिन स्थानों पर हैण्ड पम्पों का निर्माण किया गया है, उनको सूची मय व्यय की गई राशि के परिशिष्ट 1 एवं 2 पर प्रस्तुत है।

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में तीस जिला तीस काम के अन्तर्गत लगाये गये हैण्डपम्पों की सूची

क्र सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	हैण्ड पम्पों की संख्या	स्वीकृति वर्ष	व्यय राशि (लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	टोडाभीम	सांकरवाड़ा	1	1991–92	0.41
2.	,,	मेहन्दीपुर बालाजी	1	,, ,,	0.21
3.	,,	पाटोली बैरवा वस्ती	1	,, ,,	0.39
4.	,,	पाटोली (मिडिल स्कूल)	1	,, ,,	0.39
5.	,,	पदमपुरा (गज्जूपुरा)	1	,, ,,	0.30
6.	,,	बेरोज (चमारों का मोहल्ला)	1	,, ,,	0.30
7.	,,	धवान (सड़क पर)	1	,, ,,	0.40
8.	,,	शेखपुरा	1	,, ,,	0.39
9.	,,	मातासूला (बैरवा बस्ती)	1	,, ,,	0.40
10.	,,	माधोपुरा (जाटव बस्ती)	1	,, ,,	0.40
11.	,,	चूरपुरा (जाटव बस्ती)	1	,, ,,	0.40
12.	,,	खोहरा	1	,, ,,	0.44
13.	,,	राणोली	1	,, ,,	0.40
14.	,,	नांगल मॉडल	1	,, ,,	0.44
15.	,,	भैंसा पट्टी कलां	1	,, ,,	0.41
16.	,,	गोरेड़ा	1	,, ,,	0.42
17.	,,	दादनपुर	1	,, ,,	0.30

1	2	3	4	5	6
18.	टोडाभीम	लोहारखेड़ा	1	1991–92	0.49
19.	,,	पाड़ला	1	,, ,,	0.48
20.	,,	कन्जोली	1	,, ,,	0.48
21.	,,	माचड़ी	1	,, ,,	0.49
22.	,,	मेरेड़ा	1	,, ,,	0.49
23.	,,	भीमपुर	1	,, ,,	0.51
24.	,,	घवान	1	,, ,,	0.51
25.	,,	भीमपुर	1	,, ,,	0.51
26.	नादौती	तिमावा	1	,, ,,	0.48
27.	,,	घोलेटा	1	,, ,,	0.36
28.	,,	बालाखेड़ा	1	,, ,,	0.43
29.	,,	जाहिरा	1	,, ,,	0.39
30.	,,	मोठरा	1	,, ,,	0.51
31.	,,	धड़गा	1	,, ,,	0.40
32.	,,	केमरी	1	,, ,,	0 39
33.	,,	केमता	1	,, ,,	0.40
34.	,,	रोंसी	1	,, ,,	0.49
35.	,,	कांकला	1	,, ,,	0.39
36.	,,	बिलई	1	,, ,,	0.39
37.	,,	होदाहेली	1	,, ,,	0.39
38.	,,	केमा	1	,, ,,	0.39
39.	,,	अलूदा	1	,, ,,	0.40
40.	,,	कून्जेला	1	,, ,,	0.37
41.	,,	चिरावण्डा	1	,, ,,	0.34
42.	,,	चैनपुरा	1	,, ,,	0.48
43.	,,	भीलावाड़ा	1	,, ,,	0.51

1	2	3	4	5	6
44.	नादौती	मुहाना	1	1991-92	0.51
45.	,,	लालसर	1	,, ,,	0.40
46.	,,	गोनड़ी	1	,, ,,	0.40
47.	,,	रायसना	1	,, ,,	0.53
48.	,,	खोहली	1	,, ,,	0.53
49.	,,	गढ़ी खेमपुर	1	,, ,,	0.40
50.	,,	सोप	1	,, ,,	0.53
51.	,,	सोप	1	,, ,,	0.53
52.	,,	दलपुरा	1	,, ,,	0.53
53.	,,	भांवरा गूजर	1	,, ,,	0.19
54.	,,	गुणा	1	,, ,,	0.53
55.	,,	सिलकसराय	1	,, ,,	0 40
		योग :-			23.34 लाख

ह०

उप शासन सचिव (प्रशासन)

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में "तीस जिला तीस काम" के
अन्तर्गत निर्माण कराये गये नल कूपों की सूची

क्र.सं.	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	नल कूपों की संख्या	स्वीकृति वर्ष	व्यय (लाखों में)
1.	टोडाभीम	मातासूला	1	1992–93	2.16
2.	नादोती	तिमावा	1	1992–93	1.68
3.	टोड़ाभीम	गोरड़ा	1	1993–94	2.98
4.	टोड़ाभीम	मनकपुरा	1	1993–94	1.76
5,	नादोती	चिरावण्डा	1	1993–94	1.96
		कुल योग :–	5		10.54 लाख

बाड़मेर व नागौर जिलों के लिग्नाइट भण्डार

36. **श्रीमती सूर्यकान्त व्यास** (जोधपुर) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में स्थित लिग्नाईट खनिज के उत्खनन की सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

(2) क्या बाड़मेर एवं नागौर जिले में स्थित लिग्नाईट के भण्डारों के दोहन की योजनाएं बना ली गई है ? यदि हां, तो इनसे कब तक उत्पादन होने की आशा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार पश्चिमी राजस्थान के निवासियों व औद्योगिक संस्थाओं को सस्ते ईंधन के लिए वित्तीय अनुदान देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना व, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) खान विभाग राजस्थान में उपलब्ध खनिज लिग्नाईट के उचित दोहन हेतु सतत् प्रत्नशील है । बीकानेर जिला के बरसिंगसर, पलाना, गुढ़ा, बिथनोक इत्यादि क्षेत्रों में उपलब्ध लिग्नाइट भण्डारों का उत्खनन बिजली उत्पादन हेतु किये जाने की प्रस्तावना है । बीकानेर जिले के ग्राम बरसिंगसर में इस हेतु सर्वश्री नेवेली लिग्नाईट कोरपोरेशन द्वारा खनन आवेदन पत्र राज्य सरकार ने भारत सरकार को स्वीकृति पूर्व अनुमोदन हेतु प्रेषित कर रखा है, लेकिन अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है । इसके अलावा ग्राम पलाना तह. व जिला बीकानेर में राजस्थान राज्य विद्युत्त मण्डल, जयपुर को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.6.82 द्वारा लिग्नाइट का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया ।

इसी तरह सर्वश्री राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम को ग्राम कसनउ, ईग्यार तहसील व जिला नागौर एवं सर्वश्री राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम को ग्राम गिराल तहसील शिव जिला बाड़मेर में लिग्नाइट खनन पट्टा स्वीकृति पूर्व अनुमोदन हेतु दिनांक 23.4.92 को भारत सरकार को निवेदन किया, अभी जिसका अनुमोदन अपेक्षित है ।

राज्य में लिग्नाइट के उत्खनन एवं इस पर आधारित बिजली उत्पादन संयत्र स्थापित करने, उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग करने हेतु राज्य सरकार ने स्थानीय एवं राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में अगस्त, 1992 में विज्ञापन प्रसारित कर इच्छुक उद्यमियों के प्रस्ताव आमन्त्रित किये । लगभग 60 प्रस्ताव इस सम्बन्ध में प्राप्त हुए । लेकिन भारत सरकार को नई खनिज नीति वर्ष 1993 में खनिज लिग्नाइट को निजी क्षेत्र में खोले गये 13 खनिजों की सूची में सम्मिलित नहीं होने से इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

(2) जी हां । बाडमेर जिले के ग्राम गिराल में उपलब्ध लिग्नाइट भण्डारों के दोहन की योजना ईंधन के रूप में उपयोग करने हेतु राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम एवं नागौर जिले के ग्राम कसनऊ-ईग्यार में उपलब्ध लिग्नाइट के भण्डारों के दोहन की योजना राजस्थान राज्य खान

(खनिज मंत्री)

एवं खनिज लि. द्वारा तैयार कराई जा चुकी है। उपरोक्त दोनों परियोजनाओं पर अग्रिम कार्यवाही भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने पर की जावेगी।

(3) पश्चिमी राजस्थान के निवासियों एवं औद्योगिक संस्थाओं को सस्ते ईंधन के लिए इस वित्तीय अनुदान दिये जाने का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

लूणी नदी की बाढ़ से कटाव रोकने हेतु तटबन्धी

37. श्री अमराराम चौधरी (धोद) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या लूणी नदी में बाढ़ आने के कारण बालोतरा, सोकरना बेरा, विठूजा भिंडाकुआ, कीटनोद, सराणा, कानाना, जसोल आदि ग्रामों को हमेशा वर्षा ऋतु में नदी के किनारे कटने से जान माल का भयंकर खतरा रहता है? यदि हां, तो, इस नदी की तटबन्धी के लिये सरकार कब कार्य प्रारम्भ करेगी तथा कब तक पूरा कर देगी?

उत्तर

जी हां। लूणी नदी के बांये किनारे पर स्थित ग्राम बिठूजा, किटनोद, जसोल के बाढ़ बचाव हेतु पूर्व में कार्य करवाया गया था। ग्राम बिठूजा का बाढ़ बचाव कार्य भिन्न-भिन्न चरणों में उपलब्ध बजट अनुसार करा दिया गया था, परन्तु वर्ष 1992 की बाढ़ से कुछ पिचिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्राम किटनोद बाढ़ बचाव कार्य पंचायत समिति बालोतरा द्वारा सम्पादित करवाया गया है। ग्राम जसोल का बाढ़ बचाव का कार्य अपूर्ण है। क्षतिग्रस्त बिठूजा बाढ़ बचाव कार्य एवं अपूर्ण जसोल बाढ़ बचाव कार्य की आपदा राहत कोष अकाल राहत/जवाहर रोजगार योजना के तहत वर्ष 1994–95 में किया जाना प्रस्तावित है। लूणी नदी के दांये किनारे पर स्थित बालोतरा शहर की सुरक्षा हेतु पूर्व में कार्य करवाया गया था। वर्ष 1990 की भारी बाढ़ से कुछ पिचिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसकी जवाहर योजना व अन्य मद के तहत आवश्यक मरम्मत करवायी गयी।

दायें किनारे पर स्थित बालोतरा शहर एवं सराना, कनाना इत्यादि गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए बालोतरा बाढ़ बचाव कार्य के नाम से एक योजना तैयार की गई है जो राज्य सरकार के विचाराधीन है। राज्य सरकार इस कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने करने के लिए प्रयत्नशील है किन्तु इस कार्य को प्रारम्भ कर पूरा कराना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

पंचायत समिति नैनवा क्षेत्र में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

38. श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) एवं **श्री रामनारायण** (नैनवा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1848

(श्री हरिचन्द्र पल्लीवाल

(1) पंचायत समिति नैनवा क्षेत्र में साक्षरता का प्रतिशत क्या है ?

(2) क्या उक्त पंचायत समिति को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम में दुबारा सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति नैनवा का साक्षरता प्रतिशत 24 है । (7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग का)

(2) जी नहीं । पंचायत समिति नैनवा में केन्द्र आधारित योजना भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से संचालित थी । उक्त योजना को भारत सरकार द्वारा बन्द कर दिया गया है । ऐसी स्थिति में इस पंचायत समिति में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम पुनः प्रारम्भ नहीं किया जा सकेगा । प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के स्थान पर सम्पूर्ण साक्षरता अभियान राज्य के विभिन्न जिलों में चरणबद्ध क्रियान्वित किया जा रहा है ।

जमवारामगढ़ क्षेत्र को डार्क जोन से मुक्त करना

39. **श्रीमती उजला अरोड़ा** (जयपुर **ग्रामीण)** : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

जमवारामगढ़ क्षेत्र को डार्क जोन से मुक्त न किये जाने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें तथा उक्त क्षेत्र को अब कब तक डार्क जोन से मुक्त कर दिया जावेगा ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जमवारामगढ़ क्षेत्र के तीन जोन्स ही डार्क जोन में वर्गीकृत हैं । इन्हें डार्क जोन में रखे जाने का कारण यह है कि मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार इन जोन्स में पानी का निकास पानी की आवक से अधिक है । विवरण परिशिष्ट में संलग्न है ।

इन जोन्स को डार्क जोन से तब ही हटाया जा सकेगा जब इनमें पानी का निकास पानी की आवक के 85 प्रतिशत तक रह जावे ।

नया मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 1994 के अन्त तक उपलब्ध हो सकेगा । यदि नये मूल्यांकन प्रतिवेदन के अनुसार इन जोन्स में पानी का निकास पानी के आवक के 85 प्रतिशत तक रहा तो इन्हें डार्क जोन से हटा दिया जावेगा । अन्यथा नहीं ।

विवरण

जोन	क्षेत्रफल (वर्ग किलोमीटर में)	फोरमेशन	भू जल श्रावक (रिचार्ज) एम. सी. एम.	भू जल निकासी (ड्राफ्ट) एम. सी. एम.	शेष भू जल (बेलेन्स) एम. सी. एम.	भू जल विकास की स्थिति प्रतिशत	श्रेणी
1		2	3	4	5	6	7
"ए"	577.81	एल्यूवियम	33.1684	27.2025	5.9659	82.01	ग्रे
क्यू–1	96.85	क्वार्टजाइट	3.6945	3.0807	0.6138	83.38	ग्रे
क्यू–2	78.95	क्वार्टजाइट	1.5314	2.5137 (—)	0.9823	164.14	डार्क
एससी	136.01	शिस्ट	2 2878	2.8824 (—)	0.5946	125.99	डार्क
जी	72.25	ग्रेनाईट	………भू जल सतह में गिरावट………………				
कुल योग	961.87		40.6821	35.6793	5.0028		

परिशिष्ट—7

अतारांकित प्रश्न संख्या 16 का चार्ट

वीडियो प्रदर्शन पर मनोरंजन कर की प्रशमन राशि का मिलान चार्ट

(देखिए—राजस्थान मनोरंजन एवं विज्ञापन कर नियम 15 ए)

—	दिनांक 17.9.83 से दि. 14.2.92 तक प्रभावी (दि. 1 मार्च, 1990 को प्रभावी)	दिनांक 15.2.1992 से प्रभावी (दिनांक 1 दिसम्बर, 1992 को प्रभावी)		
	वीडियो के जरिए मनोरंजन प्रदर्शन	प्रत्येक सप्ताह या उसके भाग के लिए संदेय नियत राशि		
		50 सीटों की क्षमता वाला वीडियो पार्लर	50 सीटों से अधिक और 100 सीटों से अनाधिक क्षमता वाला वीडियो सिनेमा	100 सीटों से अधिक और 150 सीटों से अनाधिक क्षमता वाला विडियो सिनेमा

(१९१)

			1	2	3
क. ऐसे स्थानों पर जहां स्थायी छविगृह नहीं हैं।	रु. 250.00	प्रति कैलेण्डर माह या उसके भाग पर	रु. 250.00	रु. 500.00	रु. 750.00
ख. ऐसे स्थानों पर जहां स्थायी छविगृह हैं तथा जनसंख्या एक लाख से कम हैं।	रु. 750.00	,, ,,	रु. 500.00	रु. 1,000.00	रु. 1,500.00
ग. ऐसे स्थानों पर जहां स्थायी छविगृह हैं तथा जनसंख्या एक लाख से अधिक हैं।	रु. 1,000,00	,, ,,	रु. —	—	—
घ. जिन स्थानों पर स्थायी छविगृह विद्यमान हों तथा जनसंख्या एक लाख और उससे अधिक हैं।	——		रु. 750.00	रु. 1,500,00	रु. 2,000.00

(192)

परिशिष्ट–8

परिशिष्ट "क"

अतारांकित प्रश्न संख्या 17 की सूची

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	पुलिस द्वारा गिर. कर न्यायालय में पेश	समर्पण	शेष रहे
1	2	3	4	5
1.	घनश्याम शर्मा/हजारीलाल, नि.करबला, गेण्डोली	—	क्र.सं 1	—
2.	मोहन/मोतीसिंह राजपूत नि. जवाहर कालोनी बून्दी।	—	क्र.सं. 2	—
3.	सत्तार उर्फ अ. सत्तार/बाबूखां नि. आचार्य गली, बून्दी।	—	क्र.सं. 3	—
4.	मोज्याराम/लाला नि. कालेडा कंवरजी का, केकड़ी, अजमेर।	क्र.सं. 4	—	—
5.	नारायणसिंह/समुद्रसिंह राजपूत हाल क, लि., एस. पी. आफिस बून्दी।	क्र.सं. 5	—	—
6.	कालूसिंह/जरनैलसिंह पंजाबी, नि. ठगारिया थाना हिण्डोली।	क्र.सं. 6	—	—
7.	बृजराजसिंह/भंवरलाल शर्मा नि. हागजी देवरा बूंदी।	क्र.सं. 7	—	—
8.	शहजाद उर्फ रहमान/सुलेमान, नि. धासियारा पाड़ा बूंदी।	क्र.सं. 8	—	—
9.	डिमा/हजारी सिख, नि. मोडगाल नि. तालेडा।	क्र.सं. 9	—	—

1	2	3	4	5
10.	मोहनलाल/लालू हरिजन नि स. माधोपुर	क्र.सं. 10	—	—
11.	मज्जा/श्रवण हरिजन नि. गुरुनानक कालोनी, बून्दी।	क्र.सं. 11	—	—
12.	श्योजी/छीतर गूजर नि. गुजरपाड़ा, बून्दी।	क्र.सं. 12	—	—
13.	जब्बार/सत्तार, नि. छोटा बाजार, बूंदी।	क्र.सं. 13	—	
14.	दुर्गालाल/रामदेवा भील नि. भोजपुरा डिबलाना बून्दी।	क्र.सं. 14	—	—
15.	राजू/दुर्गा शंकर ब्राह्मण नि. गुरुनानक कोलोनी, बून्दी।	क्र.सं. 15	—	—
16	अनिल उर्फ ब्रह्ममा/भंवर राजपूत नि. बालचन्द पाडा बून्दी।	क्र.सं. 16	—	—
17.	मुन्ना जोशी/तेजमल, नि. काला महलों की गली बून्दी।	क्र.सं 17	—	—
18.	गुणिया उर्फ गणेश/गोपाल नि.	क्र.सं. 18	—	—
19.	राजेन्द्र उर्फ सरदारिया/गोपाल, नि. कंजर मौहल्ला केकड़ी, अजमेर।	क्र.सं. 19	—	—
20.	मुख्तार अहमद/मोह. आजम गांधीनगर काखेरी, बून्दी।	—	—	क्र.सं. 20
21.	वकादर खां उर्फ बाबू/टिकमचन्द सिंधी, बून्दी।	—	—	क्र.सं. 21
22.	मुन्ना उर्फ चेचू/चुन्नीलाल कोली नि. जादूगर मौहल्ला अजमेर।	—	—	क्र.सं. 22

(१५)

1	2	3	4	5
23.	चन्द्रशेखर शर्मा/रामेश्वरदयाल शर्मा, दादाबाड़ी, कोटा ।	—	—	क्र.सं. 23
24.	बद्रीलाल/मदन माली खोरखेड़ा, उद्योगनगर कोटा ।	—	—	क्र.सं. 24
25.	दुर्गालाल/मांगीलाल नायक नि. नायकों का मोहल्ला, बून्दी ।	—	—	क्र.सं. 25
26.	सिराज/बशीर मुसलमान घासियारापाडा, बून्दी ।	क्र.सं. 26	—	—

परिशिष्ट-9

अतारांकित प्रश्न संख्या 19 की सूची

सूची "अ"

पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ (गोविन्दगढ़) में गत चार वर्षों से विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नम्बर	विद्युतीकरण की तारीख
1	2	3	4
	वर्ष 1990-91		
1.	मयाड़ी	5/10/50	31-3-1991
2.	खोरपुरी	5/10/92	31-3-1991
3.	निजाम नगर	5/10/49	31-3-1991
4.	गोविन्दपुरा	5/7/150	31-3-1991
5.	बरवाड़ा	5/7/152	31-3-1991
6.	सरमोर	5/7/151	31-3-1991
	वर्ष 1991-92		
1.	जहानपुर	5/7/146	31-8-1992
2.	सहजपुर	5/7/148	31-1-1992
3.	चिढ़बाई	5/7/153	31-3-1992
4.	बान्तला	5/7/67	30-11-1991
5.	जयसिंहपुरा	5/0/24	28-11-1992
	अतिरिक्त		
6.	खेड़ली बहादुर	5/10/5	12-1-1991
7.	आगराका	5/10/8	4/1992
8.	सावली	5/10/115	11/1991

(196)

1	2	3	4
9.	हसनपुरा	5/7/142	29-2-1992
10.	सालरपुरा	5/10/35	वर्ष 1993–94 के विद्युतीकरण के कार्यक्रम में सम्मिलित है।
11.	साखीपुर	5/10/14	31-1-1992
12.	डावरी	5/10/30	28-12-1992
13.	सेम्ली दिलावर	5/10/45	31-1-1992
14.	केमासा	5/10/13	28-10-1992
15.	बन्टेड़ी	5/10/41	31-1-1992
16.	सेम्ला खुर्द	5/10/36	29-2-1992
17.	ढौली	5/10/32	29-12-1992
18.	बामढ़ी	5/10/12	31-10-1992
19.	बारोली	5/10/16	31-1-1992
20.	बास डोगरी	5/10/33	26-12-1992
	वर्ष 1992–93		
1.	तिलवाड़	5/7/143	29-9-1992
2.	इन्दरपुरा	5/7/145	29-9-1992
3.	खानपुर खुर्द	5/3/144	29-8-1992
4.	पलाना खेड़ा	5/10/19	31-8-1992
5.	गन्दीका	5/10/18	24-10-1992
	अतिरिक्त		
6.	अलघाना	5/10/15	12-11-1992
7.	छतरपुरा	5/10/21	11-11-1992
8.	कचरोटी	5/10/17	11-3-1993
9.	चमरदपड़ा	5/10/7	11-3-1993
10.	तालड़ा	5/10/44	वर्ष 1993–94 के विद्युतीकरण के कार्यक्रम में सम्मिलित है।
11.	रतनाड़ी	5/10/34	,, ,,

1	2	3	4
	वर्ष 1993-94		
1.	सीगराका	5/7/147	विद्युतीकृत रहीनामपुरा में शेष है।
2.	टीकरी	5/10/20	,, ,,
3.	आसाका	5/10/26	,, ,,
4.	वीटूका	5/10/47	,, ,,
5.	तालड़ा	5/10/44	,, ,,

सूची "ब"

निम्न गांवों में कृषि व घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया गया है

क्र.सं.	गांव का नाम	कृषि	घरेलू
1	2	3	4
1.	बावड़ी	2	34
2.	खोहरपुरी	0	84
3.	निजामनगर	20	153
4.	गोविन्दपुरी	5	4
5.	बावड़ा	20	92
6.	सिरमोर	13	46
7.	बन्दाकर	2	10
8.	रतावली	—	40
9.	बन्देड़ी	3	36
10.	खेड़ली बहादुर	14	8
11.	सेमली दिलावर	4	28

1	2	3	4
12.	बारोली	2	34
13.	साकीपुर	12	12
14.	सेमला खुर्द	1	71
15.	सहजपुर	5	—
16.	हुसनपुर	8	2
17.	चिढ़वई	9	110
18.	कलाम खेड़ा	—	29
19.	जहानुपुर	7	30
20.	खानपुर खुर्द	4	9
21	इन्दरपुरा	9	72
22.	तिलवाड़	7	166
23.	पागसेड़ी	3	—
24.	केमाला	2	52
25.	गन्दीका	—	35
26.	छतरपुरा	6	17
27.	अलगाना	3	51
28.	जयसिंहपुरा	7	—
29.	डाबरी	4	33
30.	बास डोगरी	1	6
31.	ढोगरी	2	65
32.	कचखेड़ी	3	13
33.	चमरवाड़ा	—	18

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 21 की सूची

तहसील झाड़ोल जिला उदयपुर के वर्ष 1993–94 में विद्युतीकरण
हेतु प्रस्तावित ग्रामों की सूची

क्रमांक	ग्राम का नाम	कोड नं०
1.	बसी	20/13/214
2.	करेल	20/13/244
3.	निचली सींगरी	20/13/245
4.	उपरली सींगरी	20/13/248
5.	पाटिया	20/13/210
6.	जामुन	20/13/249
7.	मादला	20/13/250

परिशिष्ट–अ

परिशिष्ट–11

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 की सूची

विभिन्न उत्पादन इकाइयों की पिछले तीन वर्ष (वर्ष 1989-90 से 1991-92 तक) की उत्पादन लागत दरें

वर्ष	हाइडल स्टेशन							थर्मल स्टेशन		उत्पादन लागत लागत दर (पैसे प्रति यू.)	उपभोक्ता तक विद्युत पहुंचाने में आने वाली औसत लागत दर
	गांधी सागर	आर. पी. एस.	जवाहर सागर	भाखड़ा	व्यास	माही	अनूपगढ़	सतपुड़ा	कोटा	पूल्ड कोस्ट	
1989–90	10.57	7.71	13.75	3.97	13.86	76.02	557.74	42.45	104.14	50.72	102.84
1990–91	6.93	9.57	16.39	3,38	13.17	85.44	613.04	43.21	112.77	51.73	112.58
1991–92	4.51	5.05	10.58	3.39	15 17	77.53	311.09	56.42	100.69	56.44	112.72

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 की सूची

तहसील भीम, जिला राजसमन्द के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नं.
1	2	3	1	2	3
1.	बरार	20-1-56	21.	धोत	20-1-49
2.	भीम	51	22.	ग्रामनेर	46
3.	बधाना	81	23.	भीलखेड़ा	47
4.	छापली	84	24.	कलादेह	48
5.	दवेर	88	25.	सामेलीया	38
6.	बरजाल	83	26.	अजीतगढ़	40
7.	गुढ़ाकेसा	90	27.	नालोई लालपुरा	34
8.	लाखागुढ़ा	61	28.	कालागुमान	93
9.	काछबली	63	29.	गुढ़ाचार	92
10.	पीपली	70	30.	टीबाना	45
11.	बगर	72	31.	कुकड़ा	41
12.	मण्डावर	62	32.	मीनकियावास	94
13.	कुकरखेड़ा	52	33.	कालेतरा	53
14.	जैतगढ़	22	34.	बीलियावास	33
15.	सुनारकुरी	54	35.	भरतवा	31
16.	मेरा गुढ़ा	82	36.	सारोठ	32
17.	खेरा जसा	87	37.	बांदनी	29
18.	ठीकरवास कलां	59	38.	डूंगरखेड़ा	28
19.	ठीकरवास खुर्द	58	39.	टोगी	44
20.	नन्दावत	50	40.	पालरा	39

1	2	3	1	2	3
41.	टीटरी	20/1/36	67.	ग्रन्ताली	67
42.	बाली	43	68.	ग्रखेगढ़	17
43.	खारी	57	69.	केसरपुरा	9
44.	घनसरिया	55	70.	खेरी का खेड़ा	5
45.	कानिया खेड़ा	21	71.	भोपालगढ़	10
46.	ग्रमरपुरा	20	72.	जैताखेड़ा	18
47.	बारिया हीरा	19	73.	देवखेड़ा	6
48.	शेखावास	13	74.	स्वजना (चैनपुरा)	7
49.	लागतखेड़ा	12	75.	खेताखेड़ा	30
50.	श्योपुरा ग्रास	27	76.	राजोर	2
51.	जयनगर	26	77.	जैतपुरा	3
52.	बोरवा	1	78.	माना नंगला	4
53.	हाथल	11	79.	नाबरी	60
54.	उमरबावड़ी	8	80.	मोटा गुढ़ा	70
55.	जथौया	89	81.	मोटा गुढ़ा	78
56.	फत्ताखेड़ा	16	82.	जोतरा	66
57.	मुठिया	91	83.	धवला कलां	65
58.	देहारिया	37	84.	धवला खुर्द	68
59.	घाटा	35	85.	खेमा गुढ़ा	80
60.	भैरूखेड़ा	24	86.	करकरा	42
61.	उम्मेदपुरा	23	87.	टेलरा	71
62.	नयागांव	14	88.	थोरिया	69
63.	चईता	73	89.	पीठागुढ़ा	75
64.	बीरमगुढ़ा	74	90.	जसवन्तपुरा	15
65.	पीपरेलू	88	91.	कठार	67
66.	कनियाना	77			

तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द के विद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.	क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
1	2	3	1	2	3
1.	देवगढ़	20-2-1	22.	मालीयों का बास	33
2.	ताल	20/2/8	23.	जोमाखेड़ा	63
3.	लसानी	22	24.	कालसरीया	29
4.	कलालों की आंटी	38	25.	बाटेरी	13
5.	सौपूरी	44	26.	ढोलाजी का खेड़ा	80
6.	मादा की बसी	113	27.	सवादड़ी (ए)	55
7.	दारदा	114	28.	सवादड़ी (बी)	104
8.	कमला (सरल)	48	29.	देगी	105
9.	इसरमाड	21	30.	सोलंकीयों का गुढ़ा	103
10.	सुरतपुरा	5	31.	पानड़ी	124
11.	चेताग्रासान	50	32.	मोयना	101
12.	लक्ष्मीपुरा	3	33.	रीलायता	14
13.	मीयाला	1	34	भगतपुरा (बी)	99
14.	प्रीतमपुरा	58	35.	पानीया	92
15.	दौलपुरा	60	36.	सालीया खेड़ा	75
16.	फरालीया	61	37.	भरतसिंहजी का गुड़ा	83
17.	आजना	62	38.	कवास का गुढ़ा	84
18.	कौथल	121	39.	बरवालों का खेड़ा	68
19.	मदारीया	34	40.	भचरडीया	70
20.	नीमजर	32	41.	नान्दवा	85
21.	हीरा का खेड़ा	64	42.	कुण्दवा	88

(204)

1	2	3	1	2	3
43.	तेलीखेड़ा	69	69.	मगतपुरा (ए)	98
44.	संग्रामपुरा	45	70.	सेण्ड का खेड़ा	36
45.	पाता की ग्रंटी	40	71.	ग्रनोपपुरा	74
46.	राशमी	39	72.	हीरा की बस्ती (बी)	52
47,	कुण्डेली	43	73.	टेस तीखीं	59
48.	सांगवास (बी)	41	74.	दाला का खेड़ा	130
49.	घाटी	37	75.	माद	131
50.	नरदास का गुढ़ा	112	76.	रान	123
51.	बीयाना	119	77.	कुरछी का खेड़ा	35
52.	कामेरी	129	78.	दन्तारा	133
53.	मपडावाड़ा	76	79.	देवरीया	127
54.	नरोना	96	80.	माताजी का गांव	128
55.	देवगढ़ (रूरल)	54	81.	फुकियाका घाड	46
56.	विजयपुरा (रूरल)	49	82.	किशनपुरा	53
57.	कोटड़ा	86	83.	कुवारीया	24
58.	मुण्डवास	56	84.	शकरगढ़	2
59.	हर्दवाकावास	67	85,	बानीयाहथड़ी	19
60.	बुभड़ा	87	86.	पुनीयाना	25
61.	मरडी	90	87.	खाखरड़ा	30
62.	महासिंहजी का खेड़ा	95	88.	दुदालिया	132
63.	कामरोड़	16	89.	गुपीया	117
64.	समरनाका	81	90.	मालकोट	17
65.	ग्रर्जुनगढ़	10	91.	रतना का गुढ़ा	109
66.	कालामुण्ड	6	92.	टपाल्ललों का खेड़ा	116
67.	मालजी का गुढ़ा	126	93.	टोकरा	108
68.	देवपुरा	23	94.	बेणा का खेड़ा	31

1	2	3	1	2	3
95.	खुमाखेड़ा	12	106.	कनवेड़ा	71
96.	दांगड़ी	93	107.	चावंलारेल का खेड़ा	28
97.	किटोकावाडिया	47	108.	जाखरा	27
98.	रघुनाथपुरा	4	109.	जोगेला	57
99.	मालकमालीया	20	110.	बागा का खेड़ा	72
100.	बिलासी	66	111.	केरपुरा	122
101.	मुरवाड़ा	94	112.	हालेला	115
102.	चारढा	78	113.	चुन्दी	107
103.	अम्बाखेड़ा	89	114.	मेरूखेड़ा	65
104.	बंजारीया	91	115.	उन्दावासन	89
105.	खरनीया	11			

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 24 की सूची

परिशिष्ट–क

शेरगढ़ तहसील में नर्सरी एवं चारे के लिए तारबंदी किये गये एनक्लोजर्स की सूची

नाम कार्य	क्षेत्रफल	नाम कार्य	क्षेत्रफल
आगोलाई	57.5 है.	देचू	30.0 है.
शेरगढ़	40.0 ,,	दासानिया	50.0 ,,
सुवालिया	.....0 ,,	सेतरावा	50.0 ,,
मेरिया	75.0 ,,	जुड़ियां	20.0 ,,
कुडियाला	50.0 ,,	शेखाला	35.0 ,,
बाखरला	50.0 ,,	दावानिया	50.0 ,,
देचू	50.0 ,,	सेतरावा	50.0 ,,
मालूंगता	50.0 ,,	देचू	50.0 ,,
जेठानिया	50.0 ,,	ढाडियां	30.0 ,,
ढाढपिया	40.0 ,,	कनोडिया पुरोहितान	30.0 ,,
देचू	30.0 ,,	शेरगढ़	50 0 ,,
जाठोमाण्डू	100 0 ,,	चाबा	40.0 ,,
संगरा (I)	20.0 ,,	जाटी भाण्डू	20.0 ,,
शेरगढ़	10.0 ,,	शेरगढ़	50 0 ,,
संगरा (II)	30.0 ,,	लवारन	50.0 ,,
देचू (II)	50.0 ,,	1. चोरडिया नर्सरी	2.0 ,,
सेतरावा	85.0 ,,	2. शेखाला नर्सरी	2.0 ,,
तिबना	20.0 है.	3. देचू नर्सरी	2.0 ,,

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 27 का मानचित्र

• पिछले 2 वर्ष (1991–92 से 92–93) तक के देशी मदिरा व विदेशी मदिरा आय के आंकड़े

	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर	वाणिज्यकर विकृत प्रासव	अल्कोहल अफीम आदि
1	2	3	4	5	6
91–92	1,88,98,85 000	1,25,17,05,000	24,63,62,000	1,57,00,000	67,24,000
92–93	2,40,0 ,07,612	1,32,87,09,296	24,89,44,482	1,30,72.404	29,24,060

अफीम भांग एवं अन्य	जुर्माना एवं प्राप्तियां	सेवाएं एवं सेवा शुल्क	अन्य प्राप्तियां	योग
7	8	9	10	11
5,01,40.000	2,46,00,000	2,81,000	7,77,75,000	3,56,31,72,00
7,76,22,909	1,90,98,307	3,07,35,031	1,22,00,643	4,14,14,94,824

परिशिष्ट 15

अतारांकित प्रश्न संख्या 29 का विवरण

प्रपत्र 'अ'

बिसलपुर बांध परियोजना क्षेत्र में आने वाले गांवों की कृषि योग्य भूमि एवं अकृषि योग्य भूमि एवं सिंचित भूमि का ग्रामवार विवरण

क्र. सं.	गांव का नाम	कृषि योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	अकृषि योग्य भूमि (हेक्टेयर में)	सिंचित भूमि (कुओं/बांधों आदि)
1	2	3	4	5
	तहसील देवली :—			
1.	राजमहल	2334	591	488
2.	धांधोली	385	35	28
3.	मुडिया खुर्द	558	28	12
4.	सतवाड़ा	246	374	129
5.	सन्थली	632	63	98
6.	निवारिया	830	68	231
7.	पोल्याड़ा	728	41	63
8.	आकोड़िया	914	56	114
9.	बालापुरा (विजयगढ़)	329	14	27
10.	बन्थली	1087	550	208
11.	दूनी	2074	316	292

1	2	3	4	5
12.	सरोली	779	82	106
13.	जूनिया	1313	84	191
14.	जलसिना	656	132	150
15.	जलेरी	672	116	75
16.	नन्दपुरा	430	77	44
17.	देवड़ावास	2421	103	340
18.	ग्रामली	512	83	69
19.	जगत्या	109	36	25
20.	गैरोली	1256	68	181
21.	कंवरपुरा	209	8	17
22.	भरना	305	17	49
23.	किशनपुरा	188	12	13
24.	धुम्रांकला	1873	68	160
	योग :—	21740	3022	3109
तहसील टोंक :—				
1.	महमूद गंज	417	23	33
2.	थली	1033	42	136
3.	रानीपुरा (नयागांव)	430	55	68
4.	भरनी	569	62	314
5.	छान	705	99	408
6.	महुआ	452	61	275
7.	अलीपुर	561	60	333
8.	सांकना	780	130	142

1	2	3	4	5
9.	मीन नगर	239	.13	34
10.	लक्ष्मीपुरा	489	10	18
11.	बजीरपुर कलां	17	8	51
12.	ताखोली	728	33	68
13.	बिसनपुरा	257	20	29
14.	फारूखबाद	313	19	2
15.	लवांदर	1030	95	102
16.	सरदारपुरा	159	3	—
17.	रघुनाथपुरा	146	2	7
18.	अमीरपुरा खेड़ा	434	90	147
19.	अहमदपुरा चौकी	177	15	89
20.	अरनीयानील	713	62	154
21.	हसनपुरा (अहमदनगर)	344	6	7
22.	अलीमपुरा (कालिकास्या)	153	6	—
23.	मेहन्दवास	1592	119	605
24.	अमीनपुरा	355	47	63
25.	नवाबपुरा	276	30	39
26.	तालिबपुरा	322	46	30
27.	मोहम्मद नगर	320	48	45
28.	पालड़ा	542	70	75
29.	बोरदा	464	116	36
30.	अहमदपुरा	216	65	55
31.	लहन	563	192	182
32.	बजीरपुरा	287	71	99

1	2	3	4	5
33.	बोलाईपुरा	141	3	22
34.	बिछारस	376	57	136
35.	डारड़ा हिन्दी	1777	90	302
36.	पालड़ी	662	64	52
37.	उसमानपुरा बीरान	235	15	—
38.	उस्मानपुरा आबाद	202	2	—
39.	गोहरपुरा	479	19	36
40.	सोनवा	1876	175	232
41.	सेवारामपुरा	158	10	—
42.	बाडाजेरे किला	340	17	9
43.	सकुलपुरा	492	27	20
44.	गफुरपुरा	528	24	2
45.	टोंक ग्रामीण	75	4	14
46.	मेहगांव	462	177	42
47.	घोलाखेड़ा	580	26	72
48.	श्योपुरी	362	102	52
49.	युसूफपुरा (मराई)	331	39	28
50.	ठिकरिया	287	75	54
51.	इस्लामपुरा	289	41	86
52.	नीमोला	321	40	92
53.	नूरपुरा खेड़ा	452	30	90
54.	अरनिया तिवाड़ी	237	124	35
55.	हयातपुरा	146	27	29

1	2	3	4	5
56.	अरनिया केदार	2068	608	408
57.	देवपुरा	498	33	139
58.	सवाई	249	88	10
59.	चूरिया	224	67	39
60.	बिठोला	382	32	61
61.	करीरिया	363	105	61
62.	बालापुरा	38	3	25
63.	अहमपुराचौकी	177	15	27
64.	रउफपुरा	289	8	58
65.	बोरड़ी	420	13	51
66.	सुनेला (हरिपुरा)	448	27	94
67.	हरचन्देड़ा	660	62	133
68.	इलादीपुरा	356	18	79
69.	बामोर	1893	135	563
70.	साढागांव	429	26	89
71.	मोहम्मदपुरा (नयागांव)	245	10	26
72.	उटीटाना	562	35	95
73.	मोहम्मदगंज (जागीर)	147	8	—
74.	खलीलपुरा (पापड़ा)	314	16	24
75.	खजूरिया	456	26	121
76.	घांस	1033	80	104
77.	बाडा अब्दुलापुरा	255	9	6
78.	रहीमपुरा उर्फ धोली तलाई	370	16	54
79.	लतीफगंज	307	32	104

1	2	3	4	5
80.	चन्दलाई	978	204	181
81.	अल्लापुरा	558	10	15
82.	रहमदिया	177	5	9
83.	घासडी	260	14	17
84.	गुलाबपुरा	188	21	13
85.	रसूलपुरा	320	17	21
86.	निमोला	321	40	92
87.	निरवाना	753	50	11
88.	मीरगंज शेरपुरा	378	10	6
89.	राजनगर	115	2	20
90.	दाखिया	1008	55	223
91.	करीमपुरा	420	81	78
92.	हब्रीमपुरा	61	4	16
93.	फरासिया	294	15	62
94.	रहीमपुरा	76	3	50
95.	सन्डीला	438	151	93
96.	बीडहसनपुरा	68	—	1
97.	चकसरदारपुरा	103	—	2
98.	लाम्बा	965	146	187
99.	मोहम्मद नगर	377	7	3
100.	देवपुरा	291	7	41
101.	सोलतपुरा	188	8	20
102.	कल्याणपुरा	300	7	—
103.	अरनियामाल	1357	50	92

1	2	3	4	5
104.	झालरा	595	65	64
105.	थेडा मोर सामान	183	12	3
106.	अल्लाहपुरा (चांडोला)	131	4	1
	योग :—	49137	5366	8551

तहसील—उनियारा :—

1.	नयागांव	274	21	49
2.	लक्ष्मीपुरा	76	–	1
3.	काली छोर	84	7	1
4.	रामनगर	86	–	3
5.	रुपवास	748	45	132
6.	कल्याणपुरा	383	43	131
7.	गुदलिया	255	14	52
8.	गोपालपुरा	178	11	–
9.	संग्रामपुरा	345	18	27
10.	बनेठा	3338	914	442
11.	सुरेली	1783	211	402
12.	ठिकरिया	255	15	116
13.	सेदरी	556	23	319
14.	कुण्डेर	1043	60	157
15.	वरूधन	257	22	79
16.	बिड़ोलिया	235	15	38

1	2	3	4	5
17.	चिताणी	245	20	72
18.	कैरोंद	453	36	156
19.	रघुनाथपुरा	125	8	51
20.	रामनगर	124	36	47
21.	किशनगंज	131	10	81
22.	रमजानगंज	251	13	109
23.	रुपपुरा	685	23	—
24.	श्रीपुरा	200	5	23
25,	फतहगंज	383	11	14
26.	विजयपुर	195	4	11
27.	रामगंज	273	7	25
28,	गुमानगंज	75	5	5
29.	बालागढ़	173	2	16
30.	रामपुरा	174	20	46
31.	ककोड	1,762	182	161
32.	मोटिस की झोंपड़ी	38	—	8
33	हांसोलाई	94	5	7
34.	सरदारपुरा	141	3	9
35.	ब्रिजनगर	133	14	1
36.	श्योराजपुरा	315	14	28
37.	खेड़ा	409	20	13
38.	श्योदासपुरा	225	19	46
39.	घोलीपुरा	175	5	3

1	2	3	4	5
40.	बेशकी	154	5	—
41.	गुमानपुरा	176	8	9
42.	सडा	345	116	45
43.	हिंगोनिया	116	7	4
44.	सीतारामपुरा	177	39	19
45	महाराज कवरपुरा	252	5	11
46.	चतरपुरा	77	3	1
47.	रामनगर	117	5	1
48.	सूथंडा	1358	106	290
49.	उदयपुरा	214	7	109
50.	लक्ष्मीपुरा	86	3	20
51.	मण्डालिया	362	13	146
52.	हरदत्तपुरा	212	10	34
53.	बून्दी	397	16	176
54.	परबन	458	22	69
55.	खोलिया	359	25	182
56.	देवरी	559	28	229
57.	कुण्डिया	398	24	140
58.	डाबला	522	31	244
59.	बालीथल	484	36	187
60.	गोविन्दपुरा	268	10	67
61.	बाजोलिया	678	38	120
62.	खेलनिया	615	28	145

1	2	3	4	5
63.	बिजयगढ़	173	12	23
64.	चेनपुरा	207	13	27
65.	ढिकोलिया	709	42	124
66.	हुकमपुरा	177	3	—
67.	मावपुरा	426	32	65
68.	गोठडा	1313	69	180
69.	देवपुरा खुर्द	157	4	7
70.	मोहम्मद गढ	950	106	103
71.	तोम्बीपुरा	159	11	6
72.	मीमगंज	443	36	27
73.	उनियारा ग्रामीण	3252	167	651
	योग :-	33025	2961	6301

तहसील-सवाई माधोपुर

1.	घोली	431	169	—
2.	डिडायच	746	95	24
3.	गुन्सीला	388	42	12
4.	पांवडेडा	1217	146	450
5.	नयागांव	436	135	41
	योग:-	3216	587	127

क्र.सं.	नाम तहसील	कुल कृषि योग्य भूमि (हैक्टेयर में)	कुल अकृषि योग्य भूमि (है.में)	सिंचित भूमि कुओं. तालाबों आदि (है. में)
1.	देवली (टोंक)	21740	3022	3109
2.	टोंक	49137	5366	8551
3.	उनियारा (टोंक)	33025	2961	6301
4.	सवाई माधोपुर (स. मा.)	3216	587	527
	योग:–	107118 है.	11936 है.	18488 है.

परिशिष्ट "ब"

क्र.सं.	गांव का नाम	बांध का नाम	सिंचित क्षेत्र (एकड़)
नैनवां तहसील			
1.	सुसान	बटावद	242
2.	देई	देई गंगासागर 285) बसोली 696)	981
3.	गणेशपुरा	देई गंगासागर 280) बसोली 122)	402
4.	मजनेरी	पाइबालापुरा	724
		कुल योग सिंचाई क्षेत्र :–	2349

219

परिशिष्ट-16

अतारांकित प्रश्न संख्या 31 की सूचियां

परिशिष्ट–"अ"

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में आने वाले बांधों का विवरण

क्र. सं.	बांध का नाम	स्थिति (ग्राम)	तहसील	सिंचाई सुविधा प्राप्त करने वाले ग्राम
1	2	3	4	5
1.	तालुका	शहर	नादौती	तालुका व शहर
2.	सिघोंलाव	रूपाड़ी	,,	रैवास, रूपाड़ी
3.	फतेहसागर	तैसगांव	,,	तैसगांव, बड़ा गांव, खेड़ला, खेड़ली
4.	रामसागर	शहर	,,	शहर
5.	न्यूटैंक केमा	केमा	,,	केमा
6.	कुण्ड विलई	विलई	,,	कुंड विलई
7.	कुण्ड मोरा	गढ़मोरा	,,	कुंड मोरा

1	2	3	4	5
8.	भूतका	शहर	,,	शहर
9.	होदाहेली	होदाहेली	,,	होदाहेली व बड़ागांव
10.	रौंसी	रौंसी	,,	रौंसी
11.	जादोलाव	गुढ़ाचन्द्रजी	,,	गुढ़ाचन्द्रजी
12.	रामसेना	रामसेना	,,	रायसेना गांव (तेटा काश्त)
13.	गुमान सागर	गुढ़ाचन्द्रजी	,,	गुढ़ाचन्द्रजी
14.	मोहनपुरा	मोहनपुरा	,,	मोहनपुरा, धामानपुरा व गांवड़ी, कमालपुरा, चन्द्रवाड़, महासिंहपुरा
15.	न्यूटैंक महेश्वा	महेश्वा	टोडाभीम	महेश्वा, उड़देन, चन्दवाल, लुहार खेड़ा
16.	ओल्ड टैंक महेश्वा	महेश्वा	,,	महेश्वा
17.	विसन समन्द	बालूघाट	,,	भण्डारी, बालघाट, पाडली, नांगल, शेरपुर, बांसग्रोरा, खिलचीपुर, पैंचला एवं घाटरा।
18.	राजौली	राजौली	,,	राजौली
19.	बौंल	बौंल	,,	बौंल (पेटा काश्त)

221

परिशिष्ट–"ब"

दौसा विधान सभा क्षेत्र में आने वाले बांधों का विवरण

क्र. स.	बांध का नाम	स्थिति (ग्राम)	तहसील	सिंचाई सुविधा प्राप्त करने वाले ग्राम
1	2	3	4	5
1.	चान्दराना बांध	चान्दराना	दौसा	चान्दराना, मालपुरा, सीतापुरा एवं खुर्री
2.	महेशरा	महेशरा कलां	,,	महेशरा, महेशरा कलां एवं प्रेमपुरा
3.	झिलमीली	गिरधरपुरा	,,	गिरधरपुरा, बनीयाना, जगरायपुरा, नयागांव एवं पाटन
4.	गेटोलाव	हिन्गोटिया	,,	हिन्गोटिया, खेरला एवं दौसा खुर्द
5.	नामोलाव	नामोलाव	,,	नामोलाव
6.	पापड़दा	पापड़दा	,,	पापड़दा
7.	रामपुरा	रामपुरा	,,	रामपुरा
8.	हरीपुरा	हरीपुरा	,,	हरीपुरा एवं रोड़ा

1	2	3	4	5
9.	सैंथल सागर	बोरोदा	जमवारामगढ़	बोरोदा, विनयवाला, उदावला, बापी, चोरड़ी, चैनपुरा, खरमाला, श्रीमाधोपुर, गोविन्दपुरा, झाझरवाड़ा सैंथल बाढ़, राजघर, चक हबीबवाला, बिसनपुरा, धर्मपुरा, काबलेश्वर, बड़ोली, रामपुरा एवं काली पहाड़ी ।
10.	सिनोली	खोरा	दौसा	खोरा, सिनोली, कालोता, लोटवाड़ा जौठरी, निवाड़ी एवं कुन्डल, विजयपुरा, नया गांव, भोजवाड़ा ।

परिशिष्ट–"स"

पांचना परियोजना से सिंचित होने वाले नादौती तहसील के ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम
1.	रोंसी
2.	कैमला

परिशिष्ट–"द"

सैंथल सागर बांध से दौसा विधान सभा क्षेत्र के जिन ग्रामों को पानी दिया जाता है, की सूची

क्र. सं.	ग्राम का नाम	क्र. सं.	ग्राम का नाम
1.	बोरोदा	10.	सैंथल बाढ़
2.	विनयवाला	11.	राजधर
3.	उदावाला	12.	चक हबीबवाला
4.	बापी	13.	बिसनपुरा
5.	चौरड़ी	14.	धर्मपुरा
6.	चैनपुरा	15.	काबलेश्वर
7.	खेरताला	16.	बड़ोली
8.	श्रीमाधो गोविन्दपुरा	17.	रामपुरा
9.	झाझरवाड़ा	18.	काली पहाड़ी

परिशिष्ट-17

अतारांकित प्रश्न संख्या 34 के आदेश की प्रति

कार्यालय–आदेश

विभागीय स्थाई आदेश 20/66 संशोधन स्थाई आदेश संख्या/73 तथा निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्र. शिविरा/प्रसवा-1/एफ-1/12240/7/67/73 दिनांक 1-9-73 एवं स्थाई आदेश सं.–73 के संशोधन 1977 के आदेश क्रमांक शिविरा/सी/बी–2/एफ. 12240 स्थाई आदेश स–73 दिनांक 4-3-77 के अनुसरण में चयन समिति द्वारा चयनित निम्नांकित आशार्थियों के नाम जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) उदयपुर द्वारा निमित वरियता सूची में से प्राप्त हुए हैं को वरियतानुसार तृतीय वेतन श्रृंखला पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर वेतन श्रृंखला 490–840 स्केल नं० 7 में मासिक वेतन रुपया 490/- अलावा महंगाई भत्ते के अस्थाई तौर पर छः माह तक के लिये अथवा अन्य आदेश तक जो भी पूर्व हो तब तक के लिये नियुक्ति की जाकर पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में किया जाता है इन्हें अपनी उपस्थिति 5 9 तक अनिवार्य रूप से देनी है अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

पुनः स्पष्ट किया जाता है कि इनकी सेवाएं बिना किसी पूर्व नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

इन्हें उपस्थिति के समय निम्न प्रलेख संस्था प्रधान को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1. अपने योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र एवं अंक तालिका की सत्य प्रतिलिपियां।
2. नियुक्ति हेतु मान्य मेडिकल ज्यूरीस्ट का फिटनेस प्रमाण-पत्र।
3. जन्म दिनांक सम्बन्धित प्रमाण-पत्र।
4. जिला नियोजन कार्यालय का रजिस्ट्रेशन कार्ड।

क्र. सं.	नाम आशार्थी मय पूरा पता	जन्म दिनांक	योग्यता	पंजीयन सं.	पदस्थापन
1.	सुश्री रेखा पारदासानी / पुत्री हरगुनदास पारदासानी, 4/सी., प्रतापनगर, उदयपुर	12-6-61	बी.ए. सीलीब	889/85	रा. बा. मा. वि., चारभुजा
2.	श्रीमती इन्द्रा शर्मा/सुरेन्द्र शंकर द्वारा विष्णु शंकर शर्मा गार्ड, म.नं. 106, ब्रह्ममार्ग, उदयपुर	26-8-59	एम.ए. सीलीब	811/85	रा. बा. मा. वि., बल्लभनगर
3.	सुश्री मनसा सुहालका/मोहन लाल, प्लाट नं. 202, रोड नं. 17, अशोक नगर, उदयपुर	5-7-54	एम.ए. बीलीब	204/84	रा. बा. मा. वि., भीम
4.	सुश्री विभा जैन/प्रभुलालजी 64/2 अशोक नगर, उदयपुर	10-12-62	एम.ए. बीलीब	69/85	रा. बा. मा. वि.,घरियावद
5.	कु. कमला जैन/नारायणलाल शोभावत मण्डी की नाल जोगपोल, उदयपुर	9-6-65	बी.ए. सीलीब	107/84	रा. बा. मा. वि., खेरवाड़ी

ह०/-
(तारा संवतसरे)
जिला शिक्षा अधिकारी छात्राएं
उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर

क्रमाक :-2 (133) जिशिअ/छात्रा/उदय/संस्था-अ/86-87/4 दि. 22-8-83

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :—

1. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), उदयपुर
2. नियोजन कार्यालय, उदयपुर
3. सम्बन्धित विद्यालय
4. सम्बन्धित आशार्थी
5. व्यक्तिगत पंजिका।

ह०/-
जिला शिक्षा अधिकारी (छात्राएं)
उदयपुर

226

परिशिष्ट-18

अतारांकित प्रश्न संख्या 38 की सूचियां

जिला राजसमंद में कार्यरत चिकित्सा संस्थानों की सूची

क्र सं.	तहसील—आमेट स्वास्थ्य केन्द्र	पंचायत समिति आमेट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उच्चीकृत उपकेन्द्र/उपकेन्द्र
1	2	3	4
1.	तहसील आमेट	(1) सरदार गढ़ (2) आगरिया (3) भिलोला	1. भोर (उ०) 2. ढेलाना (उ०) 3. सावरोदा (उ०) 4. साकरड़ा (उच्ची०) 5. खाखरमाला 6. राचेठी खेड़ा 7. आईडाना 8. डीडवाना 9. जैंतपुरा 10. ओलनाखेड़ा 11. लिकी 12. बीकावास 13. सिरोड़ी 14. देवड़ो का गुडा 15. दोवड़ा 16. घोसूण्डी 17. लोडियाना 18. घनोली 19. सेलागुड़ा 20. सांगावास 21. टीकर
2.	तहसील भीम	(1) बरार (2) दीवेर (3) छापली (4) बार	1. जस्सा खेड़ा (उच्ची०) 2. अजीतगढ़ (उच्ची०) 3. शेखावास (उच्ची०) 4. बग्गड़ (उच्ची०) 5. पिपली

1	2	3	4
			6. लगेत खेड़ा 7. सारोठ 8. कालादेव 9. काछवली 10 कुकड़ा 11. ठीकरवास 12. बोरवा 13. कुकर खेड़ा 14. बाधाना 15. डूंगर खेड़ा 16. कालागुमाना 17. मण्डावर 18. बरजाल 19. लालपुरा 20. लाखागुड़ा 21. आमनेर 22. खेडी का खेड़ा 23. हीरा का बाड़िया 24 डोसरिया 25. टोगी
3.	तहसील देवगढ़	(1) लसानी (2) ताल (3) कुआथल (4) कुन्दवा	1. सांगावास (उच्ची०) 2. ईसरमण्ड (उच्ची०) 3. मदारिया (उच्ची०) 4. पारडी 5. कालेसरिया 6. नरदास जी का गुडा 7. कामला 8. कमेड़ी 9. टोकरा 10. आंजना 11. काकरोद 12. तराना 13. माद 14. पुनियाला 15. बस्सी (माद) 16. मण्डावरा 17. सुवादड़ी
4.	तहसील रेलमगरा	(1) पिपली अहिरान (2) कुरज (3) गिलूण्ड (4) कोटड़ी (5) दरीबामाइन्स	1. बैठुम्बी (उच्ची०) 2. लापस्या (उच्ची०) 3. चौकड़ी (उच्ची०) 4. धरेरिया (उच्ची०) 5. गवारडी (उच्ची०) 6. काबरा 7. गोगाथला 8. बनेडिया 9. सांसेर 10. चाराण 11. जीतावास 12. खड़बामनियां 13. सिन्देसर कलां 14. पिपली डोडिया 15. मन्दारा 16. जगपुरा

1	2	3	4
			17. कुण्डिया 18. लड़पत्रा 19. पछमता 20. मेहन्दुरिया 21. खण्डेला 22. टुकड़ा 23. जवासिया
5.	तहसील राजसमन्द	**पंचायत समिति राजसमन्द** 1. पिपली आचार्यान 2. कांकरोली 3. केलवा 4. कुआरिया 5. मोही 6. काकरोदा	1. बामनकुक्कड़ा (उच्ची०) 2. पडासली (उच्ची०) 3. बडारड़ा 4. आत्मा 5. देपुर 6. तासोल 7. सांगोठ 8. माटोली 9. भाटोल 10. बोरज 11. फरारा 12. मावा 13. माणा 14. सुन्दरवा 15. फियावड़ी 16. पिपलान्त्री 17 बिनोल 18. राज्यावास 19. पिपरड़ा 20. एयड़ी 21. खाटामला 22. सोनियाणा 23. दोवड़ 24. बणाई 25. नाकली 26. मुण्डेल 27. ऊमटी
6.	तहसील कुम्भलगढ़	**पंचायत समिति कुम्भलगढ़** 1. रिछेड़ 2. गढबोर 3. लाम्बोड़ी 4. घाटा 5. ओड़ा 6. मजेरा	1. भीलवाड़ा (उच्ची.) 2. धानीन (उच्ची.) 3. मोरचा 4. कुचोली 5. जनावद 6. कोयल 7. सेवत्री 8. बरदड़ा 9. अण्टालिया 10 मुरावड़ (अमर) 11. भानोदिया 12. साथ्थया 13. कालिन्जर 14. उसर 15 खरनोटा 16. जैतारण 17. आन्तरी 18. काकरवा 19. समीचा 20. टाडावाड़ा गुजरान 21. बनकोड़ा 22. कणुजा

1	2	3	4
			23. गवार 24. पिजाणा 25. धोरिया लेवों का गुडा 26. केसर 27. सोनियाणा 28. तलादरी 29. बड़गांव 30. नाथेला 31. पासून्द 32. कुंआरिया
7.	तहसील नाथद्वारा	**पंचायत समिति खमनौर**	
		1. शिशोदा 2. सालोर 3. मचीन्द 4. भालों की मवार 5. कोठारिया	1 सलोदा (उच्ची०) 2. कारोली (उच्ची.) 3. सायों का खेड़ा (उच्ची०) 4. मालेरा (उच्ची०) 5. बड़ामानुजा 6. उसरवास 7. कराई 8. पाखण्ड 9. गुड़ला कुंचोली 10. बिजनोल 11. मोगना 12. दडबल 13. आकोदड़ा 14. नमाना 15. उथनोल 16. फतेहपुर 17. उनवास 18. टाटोल 19. देपुर 20. बागोल 21. मनियाना 22. लालमादड़ी 23. बामनहेड़ा 24. कुंठवा 25. सेगा 26. सेमल (उच्ची०) 27. शिशवी 28. बिलोता 29. बिलोता 30. कालीवास 31. सोडावास 32. केसूली

भाग 2 की सूची

तहसील	संस्थान का नाम	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
आमेट	1. सा. स्वा. केन्द्र आमेट	1. क. वि.	1
		2. चि. अ.	2
		3. स्टाफ नर्स	1
	2. प्रा. स्वा. केन्द्र आगराई	1. मेल नर्स-II	1
भीम	1. सा. स्वा. केन्द्र भीम	1. क. वि.	2
		2. मेलनर्स-II	1
	2. प्रा स्वा. केन्द्र बरार	1. व. चि. अ.	1
	3. प्रा. स्वा. केन्द्र छापली	1. मेलनर्स-II	1
		2. एल. एच. वी.	1
	4 प्रा. स्वा. केन्द्र बार	1. ए. एन. एम.	1
देवगढ़	1. सा. स्वा. केन्द्र देवगढ़	1. क. वि.	1
		2. व. चि. अ.	1
		3. मेलनर्स-II	1
	2. प्रा. स्वा. केन्द्र ताल	1. चि. अ.	1
	3. प्रा. स्वा. केन्द्र कुथाथल	1. चि. अ.	1
		2. मेलनर्स-II	1
		3. स्टाफ नर्स	1
	4. प्रा. स्वा. केन्द्र कुदवा	1. मेलनर्स-II	1
रेलमगरा	1. सा. स्वा. केन्द्र रेलमगरा	1. क. वि.	1
		2. व. चि. अ.	1
		3. स्टाफ नर्स	2

1	2	3	4
	2. प्रा. स्वा. केन्द्र दरीबामाईन्स	1. चि. अ.	1
		2. मेलनर्स-II	1
	3. प्रा. स्वा. केन्द्र कोटडी	1. मेलनर्स-II	1
राजसमन्द	1. जिला अस्पताल	1. क. वि.	1
		2. व. चि. अ.	1
		3. चि. अ.	1
	2. प्रा. स्वा. केन्द्र सांकरोदा	1. चि. अ.	1
	3. प्रा. स्वा. केन्द्र केलवा	1. चि अ.	1
नाथद्वारा	1. सा स्वा. केन्द्र खमनोर	1. क. वि.	1
		2. व. चि. अ.	1
		3. चि. अ.	1
		4. मेलनर्स-II	1
		5 स्टाफ नर्स	3
	2. सा. स्वा. केन्द्र देलवाड़ा	1. क. वि.	1
		2. व. चि. अ.	1
		3. स्टाफ नर्स	3
	3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोठारिया	1. मेलनर्स श्रेणी-II	1
	4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र झालो की मदार	2. मेलनर्स श्रेणी-II	1
कुम्भलगढ़	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र केलवाड़ा	1. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
		2. चि. अ.	2
		3. मेलनर्स श्रेणी-I	1
		4. मेलनर्स श्रेणी-II	2
	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लम्बोडी	1. मेलनर्स श्रेणी-II	1
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रिछेड़	1. चि. अ.	1

1	2	3	4
	प्राथमिक स्वा. केन्द्र घाटा	1. चि. ग्र.	1
	प्राथमिक स्वा. केन्द्र ओड़ा	1. चि ग्र.	1
		2. मेलनर्स-II	1
भीम	उपकेन्द्र पुनिग्राला	महिला स्वा. कार्यकर्ता	1
	उपकेन्द्र लागेत खेड़ा	महिला स्वा. कार्यकर्ता	1
	उपकेन्द्र बोरवा	महिला स्वा. कार्यकर्ता	1
	उपकेन्द्र बरजाल	महिला स्वा. कार्यकर्ता	1
	उपकेन्द्र लालपुरा	महिला स्वा: कार्यकर्ता	1
	उपकेन्द्र खेडीका खेड़ा	महिला स्वा. कार्यकर्ता	1
देवगढ़	उच्चीकृत उपकेन्द्र सागावास	मेलनर्स-II	1
	उच्चीकृत उपकेन्द्र इसरमण्ड	मेलनर्स-II	1
नाथद्वारा	1. उच्चीकृत उपकेन्द्र सेमल	मेलनर्स-II	1
	2. उच्चीकृत उपकेन्द्र सायो का.खेड़ा	मेलनर्स-II	1
राजसमन्द	1. उच्चीकृत उपकेन्द्र बामनटुकड़ा	मेलनर्स-II	1

233

परिशिष्ट–19

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 का विवरण

परिशिष्ट–I

"तीस जिला तीस काम" योजनान्तर्गत आवंटित राशि का जिलेवार विवरण

क्र.सं.	जिले का नाम	वर्ष 1991–92	वर्ष 1992–93	वर्ष 1993–94 दिसम्बर तक	योग
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	72.12	68.88	67.92	208.92
2.	अलवर	90.04	90.52	90.56	271.12
3.	बांसवाड़ा	64.36	64.84	65.04	194.24
4.	बांरा	40.52	40.76	40.84	122.12
5.	बाड़मेर	01.68	81.68	81.60	244.96
6.	भरतपुर	63.96	63.48	62.96	190.40
7.	भीलवाड़ा	71.80	69.52	68.24	209.56

1	2	3	4	5	6
8.	बीकानेर	[illegible].88	71.24	71.72	210.84
9.	बून्दी	36·16	36·64	18.28	91.08
10.	चित्तौड़गढ़	71.92	69.28	69.36	210.56
11.	चूरू	70.44	71.20	71.52	213.24
12.	दौसा	37.44	39.60	44.92	121.96
13	धौलपुर	49.76	29.64	29.40	88.80
14.	डूंगरपुर	47.08	47.08	47.08	141.24
15.	गंगानगर	119.08	119.56	119.52	358.16
16.	जयपुर	136 16	143.24	141.28	420.68
17.	जैसलमेर	55.24	56.08	28.00	139.32
18.	जालौर	53.16	56.68	52.64	158.48
19.	झालावाड़	43.80	42.48	20.86	107.14
20.	झुन्झुनू	57.56	57.92	58.52	174.00
21.	जोधपुर	97.04	96 80	48.68	242.52

1	2	3	4	5	6
22.	कोटा	49.48	50 08	25.42	124.98
23.	नागौर	90.40	91.72	92.24	274.36
24.	पाली	70.88	66.80	65.72	203.40
25.	राजसमन्द	37.32	36.24	34.80	108.36
26.	सवाई माधोपुर	93.08	92.72	88.20	274.00
27.	सीकर	66.28	68.32	68.68	203.28
28.	सिरोही	34.00	32.92	36.40	103.32
29.	टौंक	46.00	45.16	44.40	135.56
30.	उदयपुर	105.36	102.84	103.96	312.16
	योग :	2000.00	2000.00	1858.76	5858.76

ह/०
उप शासन सचिव (प्रशासन)

परिशिष्ट–II

"तीस जिला तीस काम" योजनान्तर्गत जिलेवार व्यय की गई राशि का विवरण

क.सं.	ज़िले का नाम	वर्ष 1991–92	वर्ष 1992-93	वर्ष 1993–94	योग
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	18.95	60.38	30.27	109.60
2.	अलवर	25.46	66.49	91.56	183.51
3.	बांसवाड़ा	62.07	53.24	29.43	144.74
4.	बांरा	17.05	39 96	50.89	107.90
5.	बाड़मेर	7.49	96.016	85.963	189.469
6.	भरतपुर	32.98	41.61	52.32	126.91
7.	भीलवाड़ा	25.21	70.42	45.65	141.28
8.	बीकानेर	67.88	44.83	93.42	206.13
9.	बून्दी	17.01	16.746	21.123	54.879

1	2	3	4	5	6
10.	चित्तौडगढ़	44.12	79.88	48.10	172.10
11.	चूरू	52.48	69.11	40.70	162.29
12.	दौसा	13.60	20.09	47.23	80.92
13.	धौलपुर	5.16	26.97	23.13	55.26
14.	डूंगरपुर	4.77	68 44	37.95	111.16
15.	गंगानगर	4 00	116.34	169.27	289.61
16.	जयपुर	60.94	132.12	139.38	332.44
17.	जैसलमेर	26.24	48.37	49.12	123.73
18.	जालौर	25.50	37.95	50.06	113.51
19.	झालावाड़	9.40	36.42	19.67	65.49
20.	झुन्झुनू	29.83	45.70	57.81	133.34
21.	जोधपुर	47.68	73.03	55.451	176.161
22.	कोटा	00.93	24.70	50.41	76.04
23.	नागौर	75.85	78.17	47.17	201.19

1	2	3	4	5	6
24.	पाली	32.074	61.666	57.55	151.29
25.	राजसमन्द	32.75	14.80	30.36	77.91
26.	सवाई माधोपुर	31.02	89.30	73.80	194 12
27.	सीकर	39,61	:6.12	70.33	166.06
28.	सिरोही	29.25	21.43	14.50	65.18
29.	टोंक	19.76	60.26	29.73	109.75
30.	उदयपुर	94.88	80.30	76.22	253.40
	कुल योग :	953.944	1732.858	1688.567	4375.369

ह०–/
उप शासन सचिव (प्रशासन)

परिशिष्ट–20

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 का विवरण

विधान सभा क्षेत्र फलासिया की पंचायतों को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 92-93 में आबंटित व उपयोग की गई राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम पंचायत	आबंटित राशि	उपयोग की गई राशि
1	2	3	4
1.	जेकडा	128361	118947
2.	पानरवा	218789	122789
3.	माकडादेव	208170	116942
4.	कंथारिया	149740	49000
5.	बाघपुरा	113885	113885
6.	मादडी	342250	163435
7.	आमीवाडा	252555	132121
8.	कोल्यारी	160841	160000
9.	पिपलबारा	252254	84951
10.	डैया	367010	305929
11.	बिछीवाड	165804	129155
12.	निचली सिगरी	340915	108083
13.	फलासिया	149371	149300
14.	बिरोठी	113563	32719
15.	ओडा	72979	51749
16.	गेजबी	141966	141846
17.	थोबावाडा	146966	26145
18.	अटाटिया	82510	82500

1	2	3	4
19.	मगवास	131353	131353
20.	खाखड	145500	145500
21.	बदराना	124020	124020
22.	ओगणा	96827	96804
23.	देवास	221214	167505
24.	गोराणा	163548	115426
25.	सु. का खेरवाड़ा	138957	74723
26.	झाडोल	125304	125304
27.	कोटडा	196661	186511
28.	ढेडमारिया	217401	217411
29.	बडली	178787	120320
30.	नयावास	244593	101939
31.	खजूरिया	185911	127805
32.	महाडी	335564	151916
33.	गुंरा	276764	114214
34.	मामेर	258003	182856
35.	महाद	234337	96979
36.	जोगीवड	168848	168848
37.	जूडा	180568	180568
	योग :	7024088	4729493

शुद्धि-पत्र

क्र.सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	41	1	(श्रीमती तारा भण्डारी)	(श्री अनंग कुमार जैन)
2.	43	30	भाण्डारी	भण्डारी
3.	57	फोलियो	अनुर्पस्थ	अनुपस्थित
4.	98	30	काय	कार्य
5.	99	1	श्री (पूनमचन्द विश्नोई)	(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
6.	109	फोलियो	जलवरी	जनवरी
7.	119	11	नियय	नियम
8.	132	23	वियधेकों	विधेयकों
9.	133	21	शमा	शर्मा
10.	135	फोलियो	विघयी	विधायी
11.	182	24	सभापति	श्री सभापति
12.	192	8	श्री विष्ण मोदी	श्री विष्णु मोदी
13.	198	फुटनोट	अंकित नहीं	अपलोपित
14.	201	1	(श्री विष्णु मोदी	(श्री विष्णु मोदी)
15.	274	4	श्रा	श्री